

**DUE DATE SLIP**

**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

**DUE DATE SLIP**

**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

# नागरिक शास्त्र

व

भारत शासन पद्धति

मिहिर कुमार सेन, एम० ए०

अध्यापक नागरिक शास्त्र व अर्थनीति, विद्यासागर कालेज,  
अध्यापक राष्ट्र विज्ञान व अर्थनीति,  
कलकत्ता विद्याविद्यालय

प्रथम संस्करण

हिन्दुस्थान पब्लिकेशन लिमिटेड  
५० लेक प्लेस कलकत्ता।

मंगच्छधं मंवदधं मंवोमनांसि जानताम्,  
देवाभागे यथापूर्वे संजानाना उपासते ।

समानो मंत्रः सामितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषांः,  
समानं मन्त्र मानि मन्त्रवेषः समानेन वो हविष जूहोमि ।  
समाना व आसूति समाना हृदयानि वः  
समान मन्तु वो मनो यथावः सुसहानाति

—ऋग्वेद

---

गूगलट्रेट कम्पियल प्रेस लि०, ३२, सर दरिराम गोदानका इटीट, कলकत्ता में  
प्रसानन्द पोस्टर द्वारा मूर्खित ।

# भूमिका

नागरिक-शास्त्र विद्व के नागरिकों के लिये अत्यन्त महत्व का विषय है। संसार के सभी देशों में इसकी शिक्षा पर अधिकाधिक ज्ञान दिया जा रहा है। विद्व का भविष्य-हस्त उसके वर्तमान नागरिकों की निर्माण-भावना पर अब्रलंबित है।

एशिया और योरोप में स्वतंत्रता और गणतंत्र के लिये अविराम संघर्ष अभी तक पूर्ण हुपेण सफल नहीं हो सका है। नागरिकों के समुख नई-नई समस्यायें, उपस्थित हो रही हैं, इन पर बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय करना आवश्यक है। सभी देशों की नागरिकता का यह परीक्षण-काल है। संसार फिर एक बार अनिश्चित स्थिति में पहुँच गया है। हमारा-भविष्य हमारी आज की शासन-प्रणाली पर निर्भर करता है।

नागरिक-शास्त्र को यह पुस्तक नागरिकता के प्रारंभिक भारतीय विद्यार्थियों के लिये है। यह कलकत्ता विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के आधार पर लिखी गई है। इसे नागपुर विश्वविद्यालय के पाठ्य-क्रम में भी स्थान मिला है। परन्तु आशा की जाती है कि यह अन्य भारतीय विश्व-विद्यालयों को आवश्यकता पूरी कर सकेगी, इसके अंत्रे जो सस्करण को बंगाल, आसाम, बिहार, संयुक्त प्रदेश, मध्य-भारत तथा भारत के अन्य भागों के विद्यार्थियों में जो प्रमुखता मिली है उसे देखते हुए मैं इसके राष्ट्रभाषा हिन्दी-सस्करण के लिये प्रोत्साहित हुआ हूँ।

इसमें भारतीय विद्यान-सभा द्वारा यथा-अंगीकृत विद्यान का सम्यक् अध्ययन किया गया है तथा इसके अनुपार भारतीय-शासन के नवीनतम स्वरूप के दिस्तर्जन का प्रयत्न किया गया है।

[ ४ ]

पुस्तक के सुरक्षारंग के लिये मेरे युकाइटेक कमरिकल प्रेस लि. और इसके  
टाइपस्टर भी परमानन्दजी पोरार को धार्दिक धन्दवाद देता हैं।

कलहता -

निवेदक —

निति शास्त्र सुदूर ३ म० २५०६ वि.

मिहिर कुमार सेन

# विषयानुक्रमणिका

अध्याय	विषय	पृष्ठ सं.
१	समाज की उत्तरति और विद्वास	११
२	समाज और व्यक्ति	१४
३	राष्ट्र का विद्वास और राज्य की उत्तरति के सिद्धांत	१९
४	राष्ट्र .	२८
५	स्वतंत्रता और अधिकार	४१
६	स्वतंत्रता और समानता	४८
७	नागरिकता	५३
८	नागरिक अधिकार और कर्तव्य	५८
९	आदर्श नागरिकता	७३
१०	भारतीय नागरिक	७९
११	नागरिकता से संबन्धित परिवार, पांच, नगर देश एवं विद्व-	८९
१२	सरकार के लंग एवं शक्ति का विभाजन	९५
१३	सरकार के कार्य .	१०३
१४	सरकार के रूप	११४
१५	प्रजातंत्री या लोकप्रिय सरकार	१२९
१६	जनमत	१३६
१७	दल, दलगत सरकार और दलगत पद्धति	१४२
१८	मतदाता	१४८
१९	स्थानीय सरकार	१६२

[ च ]

अध्याय	विषय	पृष्ठ सं.
२०	राजकीय विधान	१६६
२१	नागरिक आदर्श	१७०
२२	राष्ट्रीयता	१७९

— — —

# नागरिक शास्त्र



( पौर विज्ञान )

—परिचय—

**परिभाषा**—नागरिक-शास्त्रको हम सहेयमें नागरिक-जीवनका अध्ययन कह सकते हैं। नागरिक-शास्त्र नागरिकोंके कर्तव्य और अधिकारका अध्ययन है।

प्राचीन प्रन्थोंमें 'नागरिक' और 'नागरक' दो अर्थोंमें प्रयुक्त हुआ है। पणिनीके अनुसार—'नागरिक' का अर्थ उस व्यक्तिसे है जो नगरमें निवास करता है और 'नागरक' उस आदमीको कहते हैं, जो नगरके वातावरणमें पल कर, वहाँपर शिक्षा पाकर, एक विशेष प्रकारके बला-कौशल, चाल, ढालमें दृष्ट हो जाता है।

बात्साधनके अनुसार नगर या गाँवमा प्रत्येक व्यक्ति अपने देशका नागरिक होता है।

अन्तर्रेजीकृत अनुसार नागरिक शास्त्र, नागरिकके रूपमें मनुष्यका अध्ययन है।

**क्षेत्र**—इसका क्षेत्र सीमित नहीं, किर भी स्थानीय, केन्द्रीय, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय शासनका अध्ययन इसके क्षेत्रके अन्तर्गत है।

नागरिकोंका अध्ययन, मत-दान, कर-दान तथा नगर-कौसिलका सदस्य यन्मे तक ही सीमित नहीं है, वरन् उसका अध्ययन उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोणसे होना चाहिए। चूँकि नागरिकका जीवन बहुमुखी होना चाहिए, अतः नागरिक-शास्त्रको उन सभी पद्धतिओंपर विचार करना पड़ता है।

इन सभी क्षेत्रोंको पूर्ण हृषेण अपनाने के लिए, हमें वर्तमान समाजके अध्ययन तक ही सीमित न रह कर अतीतकी ओर भी देखना होगा। इस प्रकार हम वर्तमान समाजकी जीवनका पता लगा सकेंगे। हमें अपने व्यापक अध्ययनके लिए भविष्यकी ओर भी देखना होगा। इस प्रकार नागरिक-शास्त्रके क्षेत्रमें भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों सम्बद्धित हैं।

हमारी इस पुस्तकका क्षेत्र सीमित होगा। हम अपनेको राजनीतिक और आधिक दृष्टिकोणसे स्थानीय और राष्ट्रीय नागरिक शास्त्रके अध्ययन तक सीमित रहेंगे।

नागरिकका प्रयोग, बड़े उदाहर अर्थमें होता है। मौलिक रूपमें नगरके निवासीको नागरिक कहते हैं। इधे प्रकार प्राथमिक रूपमें नागरिक-शास्त्र स्थानीय शास्त्रका अध्ययन है। यह नागरिकके निवासस्थान तक ही सीमित है। राजनीतिक विचासकी एक लम्बी अवधिके पश्चात् नागरिक आज अपनेको एक विस्तृत सम्प्रदाय, देश या राष्ट्रके सदस्यके रूपमें पाता है। वर्तमान समयकी नागरिक चिह्न, राष्ट्रीय चिह्न है। यह नागरिकोंको उनके अधिकारी और कर्तव्योंका अध्ययन कराती है। आज बड़े नागरिक शास्त्र राष्ट्रकी सोमा पार कर अन्तर्राष्ट्रीयताकी ओर अप्रसर हो रहा है। आज हम यह अनुभव ढर रहे हैं कि एक उत्तम या स्त्री को अपने राष्ट्र व देशके प्रति कर्तव्य और अधिकार ही नहों प्राप्त है वरन् उसका कर्तव्य और अधिकार अन्तर्राष्ट्रीय भी हो चुका है।

**नागरिक शास्त्रके सम्बन्ध — नागरिक शास्त्र, नागरिकके पूरे जीवनसे सम्बन्ध रखता है। इसलिए इसका सम्बन्ध जीवनके अन्य सभी शास्त्रोंसे भी है।**

**समाज शास्त्र और नागरिक शास्त्र—समाज शास्त्र यामारण सामाजिक विज्ञान है। यह सामाजिक जीवनके प्रत्येक पद्धति पर साधारण रूपसे प्रकाश ढालता है। दूसरी ओर नागरिक शास्त्र, सामाजिक जीवनके एक पद्धति पर—नागरिकके रूपमें— विशेष और मदलपूर्ण प्रयाप ढालता है। अतः यदि सामाजिक शास्त्र एक भाँग है।**

**नैतिकता और नागरिक शास्त्र—मनुष्यके कार्योंकी परीक्षा करने पर जुड़**

अच्छे और उचित तथा कुछ बुरे और अनुचित सिद्ध होते हैं। नैतिकता—‘मानवीय चरित्र और कार्य प्रणालीके आदर्श या स्तरकी स्थापना करना है। कोई भी वस्तु जो इस स्तरके विषद्व जाती है वुरी या अनुचित होती है। उचित और अनुचितका नैतिक अन्तर हमारे कार्यों तक ही सीमित नहीं है। बरन् यह हमारे संगठनमें भी कार्यान्वित है। हमारे नागरिक कार्य और संगठन आदर्श नहीं हैं। हम नागरिक जीवनको सुन्दर बना सकें, इसके लिए हमें आदर्शकी खोज करनी चाहिए। इस आदर्शकी प्राप्ति, हम अपने नागरिक कर्तव्यों और संगठनोंकी लगातार द्वानवीनके द्वारा ही कर सकते हैं। उदाहरणके लिए भारतमें हमें राजनीतिक भ्रष्टाचार, धार्मिक असदृश्यता तथा नागरिक विभिन्नताको जो हमारे भारतीय नागरिक जीवनमें उपलब्ध है, सामने रखना पड़ता है। हमारे नागरिक जीवनके सुधारके लिए इन बुराइयोंका निराकरण आवश्यक है।

**इतिहास और नागरिक शास्त्र—उदाररूपिकोणसे इतिहासका वर्ष सम्बन्धित इतिहास है।** इसलिए इतिहासमें सभी विषय सम्मिलित है। अपने संकुचित रूपमें भी इतिहास नागरिक शास्त्रसे संबंधित है। इतिहास बतलाता है कि कैसे और क्यों हम वर्तमान अवस्थाको पहुँचे हैं। ऐसा अध्ययन मनोरंजक होनेके साथ साथ, हमें वर्तमान समस्याओंको समझनेमें सहायक होता है। हमें अपनी उन्नतिकी दिशाकी ओर सकेत करता है। वर्तमान, भूतका सज्जन और भविष्यका सज्जन होता है। निम्नलिखित विषय नागरिक शास्त्रके क्षेत्रमें पढ़ते हैं :— कृषि और उद्योग, राज्यकी व्यवस्था, सर्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक आयिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा आदि। इसके अतिरिक्त पारिवारिक जीवन और उपचार विकास, गार्व, शहरों तथा नगरोंकी उन्नति, राष्ट्रीयताका विद्युत, उद्योगोंका विस्तार, शिक्षाकी उन्नति तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध भी नागरिक शास्त्रमें सम्मिलित हैं।

**भूगोल और नागरिक शास्त्र—भूगोलका वह माग जो मानवीय भूगोलके नामसे प्रसिद्ध है, विशेष रूपमें नागरिक शास्त्रसे सम्बन्धित है। नागरिकताके दृष्टि-**

कोणहे, भूगोल इस पृथ्वी पर मनुष्यके अनुसंधानों और उसके पेशोंका कथागार है। नव नागरिकों भूगोलका अध्ययन अपने गाँव और जिलेके क्षेत्रसे आरम्भ कर पूरे समाज तक पहुँचना चाहिए। नागरिक शास्त्रके छात्रोंके लिए राजनीतिक तत्वोंको समझनेके लिए, मौलिक तत्वोंका जानना आवश्यक है।

विज्ञान और नागरिक शास्त्र—विज्ञानके महान सामाजिक परिवर्तनोंने हमारे जीवन और चरित्रमें भी कान्ति पैदा कर दी है। विज्ञानके महान शिखरोंके उपरेका है, कि विज्ञानका आदर्श समाजकी सेवा करना है। अपने समाजकी सेवासे प्रेरित नव नागरिकोंको महान वैज्ञानिकोंके जीवन, उनकी कठिनाइयों और सफलताओं तथा आदर्शोंकी जानकारी करती चाहिए। प्रमुख वैज्ञानिकोंका ध्येय, हमारे दिन प्रति दिनके जीवनमें वैज्ञानिक प्रयोग द्वारा, सुख, समृद्धि और शान्ति पैदा करना रहा है। ये वैज्ञानिक हमारे प्रमुख नागरिक हैं। जैसे—एडिसन, मर्डोनी, पी. सी. राय, सी. बी. रमन, आदि।

साहित्य और नागरिक शास्त्र—साहित्य समाजका दर्पण कहा जाता है। साहित्य नागरिकोंके समुख राष्ट्रकी आत्मा और आदर्शको स्तृप्त स्वरूपमें रखता है। इन आदर्शोंके सदुपयोगके द्वारा, सम्मताओं और कँचा उठाया जा सकता है। इस प्रकार साहित्य और सम्मता पूर्ण रूपेण संबंधित है। रुदो, टालस्टाय, पर्नाड शा, तुलसीदारा, रवीन्द्रनाथ, प्रेमचन्द्र आदिके सद साहित्य, सामाजिक विज्ञान और नागरिक जीवनके दिक्षायमें घटुत ही अधिक सहायक होते हैं।

कला और नागरिक शास्त्र—राष्ट्रके आदर्श पूर्ण चित्रों और चरित्रोंके प्रदर्शन द्वारा रुदा, राष्ट्र और देशके प्रति हमारे अन्दर प्रेम उत्पन्न करती है। आत्मा और उसके अन्तर जगतके उद्गार, तथा राष्ट्रीय महत्वावधारा, कलाओंमें उन्निति है। इसके अध्ययनसे हमारे नागरिक आदर्शोंमें उदारताका समावेश होता है। राष्ट्रीय संगीत 'बन्दे मातरम्' आदि राष्ट्रोन्नतिके किपायक हैं।

नागरिक शास्त्र और राजनीति—मौलिक स्वरूपमें नागरिक शास्त्र, राज-

नोतिक सम्प्रदायके सदस्योंका संबंधित मानवीय अध्ययन है। इसलिए हमें राष्ट्रीय और स्थानीय सुरक्षाके संगठन और कार्य प्रणालीका अध्ययन राजनीतिक बाधार पर प्रारम्भ करना चाहिए। साधारण चिद्वांतोंके अध्ययनके पदचात इस अग्री सुरक्षाके प्रति अपने कर्तव्य और अधिकारका अध्ययन करेंगे।

अध्ययनकी सभी शाखाओंमें राजनीति एक ऐसा विषय है, कि जिससे नागरिक शास्त्र सर्वाधिक सम्बन्धित है। वास्तवमें नागरिक शास्त्र राजनीतिकी एक शाखा कहा जा सकता है। नागरिक शास्त्र राजनीतिके नैतिक और वास्तविक क्षेत्र पर जोर देता है। नागरिक शाखाके विषय चिद्वांत और भावना ही नहीं; वरन् तथ्य और अनुमद भी हैं। राज्यके चिद्वांतके पूर्व यह राष्ट्र और राज्यके वास्तविक विकासका अध्ययन करता है। यह स्वतंत्रताके आंदोलनके इतिहास, कारण, प्रणाली और प्रभाव-का अध्ययन, स्वतंत्राकी प्रहृतिका विचार करनेके पूर्व करता है। नागरिक शास्त्र राष्ट्रीय आदर्शकी प्राप्तिके लिए नागरिकोंको चारित्रिक विश्वा देता है।

**नागरिक शास्त्र और अर्थ शास्त्र—राजनीति और अर्थशास्त्रको अलग-अलग नहीं किया जा सकता।** वर्तमान युगमें आधिक समस्या, राजनीतिक प्रश्नोंसे इस प्रकार चिपकी हुई है कि अर्थशास्त्र, भजाइ और समृद्धिके विज्ञानके चिद्वांतोंकी जानकारीके बिना नागरिक अपने कर्तव्यका भली-भाँति पालन नहीं कर सकता। वास्तवमें आजका नागरिक राजनीतिक संगठनोंको इसीलिए महत्वपूर्ण समझता है कि वे आधिक क्षेत्रोंमें उसके सहायक होते हैं। अतः भारतीय युवकोंके लिए यह अधिक आवश्यक है कि वे अपनी जनताकी दिशता, कट और पतनके कारणोंकी, जो उनके पथमें पद-पद पर बाधाएँ उपस्थित करते रहते हैं, जानकारी प्राप्त करें। अतः नागरिक शाखामें अर्थ शाखाका सम्मिलित करना आवश्यक है। इसके साधारण चिद्वांतोंका अध्ययन कर भारतकी आधिक अवस्था और जीवनका अध्ययन करेंगे।

**अध्ययनका महत्व—शिक्षाका अर्थ जीवनके लिए वास्तविक तैयारी करना है।** आजके द्वात्र ही कलके नागरिक होंगे, इसलिए नागरिकताकी तैयारी हमारे युवकोंकी

शिक्षा का प्रधान लक्ष्य होता चाहिए। नागरिकता का यह अध्ययन आज अधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक हो गया है। आज सर्वाधिक ऐसे नागरिकों की आवश्यकता है जो हमारे नित्य प्रति के अनेकों दुःह और दलभी हुई समस्याओं के समाधान में सहायता हो सकें। इन समस्याओं के समाधान के बिना हम दरिद्रता और यातनाओं के शिक्षा बने रहेंगे। इसका निराकरण हम तभी कर सकेंगे, जब हम उचित नागरिकता की शिक्षा प्राप्त कर सकें। भारतीय छात्र नागरिकों के सम्मुख आज, अज्ञानता, बीमारी, चुआडूत, दरिद्रता आदि की अनेक समस्याएँ हैं। जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता, हम एक स्वस्थ राष्ट्रीय जीवन का विचास नहीं कर सकते। राष्ट्रीय उत्थान के इस कार्यमें छात्रों को अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। उनके सम्मुख रूस, चीन, जर्मनी और डेनमार्क के छात्रों का महान् आदर्श है। उन्हें नागरिकता के लिए उत्तम और त्याग के साप्र प्रयत्न करना चाहिए। सर्व प्रथम उन्हें अपने उत्तरदायित्व को पढ़ाना है। उन्हें इस उत्तरदायित्व की भावना का शान नागरिक शास्त्र के अध्ययन से ही हो सकता है। इसी शास्त्र के अध्ययन से उन्हें बद शान प्राप्त होगा जो उन्हें क्षमादारी राष्ट्रीय कार्यकर्ता बनने के लिए आवश्यक है। ऐसे ही कार्यकर्ता भारत के पुनर्जन्म में सहायता हो सकते हैं।

अध्ययन के उद्देश्य और प्रणाली—नागरिक शास्त्र एक मात्र सिद्धांतों का ही अध्ययन नहीं है, वरन् इसके सिरोत हमारे जीवन को सुन्दर और अधिक गुणद बनाने का नहत्वपूर्ण उद्देश्य है। जब तक छात्र नागरिकों द्वारा इसे गए विशेष प्रयोगों का सहारा न लेंगे वे पर्याप्त नहीं कहे जा सकते। नागरिक शास्त्र का अध्ययन सहानुभूति, निर्माण और दूसरों के उत्तरदायित्व की स्थिति भावना का निर्माण करता है। जियह द्वारा सर्व साधारण के जीवन को अधिक सुन्दर और गुणद बनाया जा सकता है। इसके अध्ययन का उद्देश्य—युगङ युगतियों में सट विचार, सच्च भावना, और उचित व्यवहार को आदत ढालना है। इससे वे अपने उद्योगों मानवतावंश प्रति उदार भावना और प्रेम रख सकेंगे। उन्हें राष्ट्र की समस्याओं के उनापन ही भी ग्रेटेस्ट निषेध होगा।

इस प्रकार नागरिक शास्त्रके लिए यह आवश्यक है कि वास्तविकताकी भावना उसमें बरावर बनी रहे। छात्रको ऐसा बनना चाहिए जिससे नागरिक शास्त्रका अध्ययन करते समय उसे ऐसा मालूम हो कि वह वास्तवमें जीवनका अध्ययन कर रहा है। अपना, अपने भूत और भविष्यका अध्ययन कर रहा है। उसमें अपने ही आस पासकी दुनियांकी खोज करनेकी भावना जागृत कर इदिक इच्छाको सजीव रखा जा सकता है। द्वेषी सर्वेकी प्रणाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझी जाती है। अनुसंधानके क्षेत्रमें धीरे-धोरे विस्तार किया जा सकता है। जब तक कि उसमें पूरा संसार नहीं आ सकता, छात्र अपने ही गृहसे आरम्भ कर सकता है। इसके बाद वह अपनी उस गली, जिसमें वह रहता है—को अनुसंधानका क्षेत्र बना सकता है। इसके पश्चात् गाँव, शहर, ज़िला, प्रांत और अंतमें सम्पूर्ण संसार उसके अनुसंधानका क्षेत्र बन जायगा।

### सारांश

नागरिक शास्त्र मनुष्यका नागरिकके रूपमें अध्ययन है। नागरिकता, स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय भी है।

नागरिक शास्त्रके क्षेत्रमें भूत, वर्तमान और भविष्य सभी सम्मिलित हैं।

नागरिक शास्त्र, समाज शास्त्र, नैतिकता, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, कला और साहित्यसे संबंधित है। राजनीति और अर्थ शास्त्रसे इसका घनिष्ठ सम्बन्ध है।

नागरिक शास्त्रका अध्ययन बहुत ही आवश्यक है। इसका अर्थ है नागरिक जीवनके लिए महत्वपूर्ण तैयारी। नागरिक शास्त्रके अध्ययनका निश्चित देश है। इसके अध्ययनकी सर्व धेष्ठ प्रणाली क्षेत्रीय प्रणाली है।

### प्रश्न

- १—नागरिक शास्त्रके क्षेत्रकी व्याख्या करो ? ( क० वि० १९३० )
- २—नागरिक शास्त्रका अर्थ और उसका विषय क्या है ? ( क० वि० १९२७ )
- ३—नागरिक शास्त्रसे क्या समझते हैं ? यह राजनीति, अर्थ शास्त्र और नैतिकतासे किस प्रकार संबंधित है ? ( य० पी० बो० )
- ४—नागरिक शास्त्रकी परिभाषा बताओ। इसके क्षेत्र तथा प्रणालीकी व्याख्या करो। ( य० पी० बो० १९३० )

# राजनीति

## पुस्तक १

—\*:\*:\*:—

### राजनोति

राजनीति, राजसत्ता या सरकारवा विज्ञान है। यह राज्य, राज्यसत्ता और राज्य तथा व्यक्तिके बीचके विभिन्न सम्बन्धोंको व्यवस्थित रूपमें अध्ययन कराती है। ऐसी अवधारणामें राजनीति, राज्य और राज्यसत्ता के सम्बन्धित राज्यके नागरिकोंके अधिकार और कर्तव्यका अध्ययन कराती है।

राजनीतिके अध्ययनका महत्व—राजनीतिका ध्ययन बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो सुरक्षाके अन्तर्गत रहता है, उसे राज्यसत्ताके नैतिक विद्वान्तोंकी जानकारी होनी चाहिये। उसे जानना चाहिये कि भवनी सुरक्षाके प्रति एक नागरिकका क्या कर्तव्य है और उसके क्या अधिकार हैं; उन्हें स्वीकार कर सुरक्षाको उनकी रक्षा करनी चाहिये।

भारतीयोंके लिये यह शान अत्यधिक आवश्यक है। यों तो राज्यसत्ताकी समस्या सभी स्थानों पर कल्पित है पर भारतमें दुगुनी कठिन है, क्योंकि हम अमो-अमो निदेशी दप्तरोंमें मुक्त हुए हैं। अमो हम स्वाज्य पथ पर हैं। प्रत्येक भारतीयमो सभी प्रशासकी उपचारोंके अभावभूत मौलिछ रिज्जान्तों और उन अवधारणोंकी जानकारी होनी चाहिये, जिनके द्वारा एक अच्छी उपचारकी स्थापना हो सकती है। अठः को भारतीय छात्र दृश्ये अपने देशमो भलार्दि जाहता है, उसे राजनीतिके अध्ययनसे कभी भी सिरुता न होना चाहिये।

युवक और राजनीति—वर्तमान युग जिसमें हम जीवनशायन कर रहे हैं ; संसारके इतिहासका एक महत्वपूर्ण युग है। संसार भर की जनता युद्ध और महामारीसे तंग था गयी है। सभी बड़ी आनुतंत्रिक सरकारकी स्थापनाको खोजमें तड़ोन हैं, जिस सरकारके अन्तर्गत वे प्रसन्नता और सुखा प्राप्त कर सकें और अपने मस्तिष्ठको विकास कर उसे सर्वोत्तम कार्यमें लगा सकें। आनेवाले वर्षोंमें तुमको इस महान् विश्वमें अपना पार्ट अदा करना होगा, तो तुम निःसन्देह इस विचारसे उत्साहित होगे कि समलूप युखी पर कैली हुड़ी असंस्थ जनताका हित एक साथ सम्बन्धित है और तुममें से एक पर भारी उत्तरदायित्व है किन्तुम अपने सद्योगी मानवकी भलाई करो। तुम्हें सरकार और नागरिकतामें दिलचस्पी लेनी चाहिये। तुम्हें राजनीतिमें प्रवेश करनेकी इच्छा नहीं हो सकती है, परन्तु तुम्हारी इच्छा हो या न हो, प्रत्येक स्थानकी सरकारें तुम्हारे जीवन वथा प्रत्येक व्यक्तिके जीवनको प्रभावित करती हैं। अतः तुम्हें युग प्रवाहकी जानकारी होनी चाहिये। रघु सम्बन्धमें तुम्हें अपनी राय स्थिर करनी चाहिये और अपना निर्णय देना चाहिये ; नहीं तो तुम एक दुष्ट या मूर्द सरकारसे जनताका हित नहीं कर सकते। तुम अपने देशके एक अंत हो, अतः तुम अपनी जनताके भास्य निर्माणमें, अच्छा या बुरा कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य ढालोगे। तुम्हें विदेशी आक्रमणोंसे अपनी जनताके अधिकार और स्वतन्त्रताको रक्षा करनी होगी और आन्तरिक मामलोंमें भी तुमको एक सुन्दर रक्षक होना पड़ेगा। आज देश तुम्हारी ओर भावी युगके नेताके हाथमें बफादारी, चरित्र, साहस, अनुशासन और क्षमताके नेतृत्वके लिये देख रहा है।

युद्ध प्रत्येक स्थान पर स्वतन्त्रता और गणतन्त्रवादके ऊपर एक महान आक्रमणका जीता जाएगा चित्र है। ऐसा ज्ञात होता है कि मानवता एक नये अन्धकारमय युगमें प्रवेश करनेवाली है।

स्वतन्त्रता, समानता, आजादी, गणतन्त्रवाद, मनमानी करनेवालोंके लिये माना कि आर्द्धक शब्द हो सकते हैं, पर हमारे लिये उनका गूढ़ अर्थ और मान है। हमें

भगवा संगठन दत्तना शक्तिशाली बनाना चाहिये कि हम जगती कठिनाइयोंको अधिक ज्ञ दर सकें। इसके लिये हमें स्वतन्त्रताका वात्सविक अर्थ समझना होगा। जनताको विवरणी मुधार छरनेवाले प्रत्येक विषयमें हमें दिलचस्पी लेनी चाहिये, जैसे :—उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, निवासस्थान, नौकरी, मजदूरी, उद्योग, सार्वजनिक कार्य, गाँव, नगर और प्रान्तीय सरकार, देशद्वा विद्यास और राष्ट्रीय युवक राज्यके कामोंका संचालन करें।

---

## अध्याय १

### समाजकी उत्पत्ति और विकास

नागरिकका जीवन विशेष रूपसे वर्तमानसे सम्बन्धित है और वर्तमान भूत पर आधारित है, इसलिये उसे विभिन्न संगठनोंके विद्वासकी जानकारी होनी चाहिये। -नागरिक शास्त्रके छात्रके समुख सबसे प्रथम यह प्रश्न आता है कि क्योंके और क्य मनुष्यने समाजमें रहना सीखा ? दूसरे शब्दोंमें समाजका जन्म कैसे हुआ ? इसका उत्तर यह है कि व्यक्तियोंने दलोंमें गठित हो समुदायका निर्माण किया, -क्योंकि सर्व प्रथम व्यक्ति एकान्तसे घबड़ाता और साथियोंके साथ रहना पसंद करता है और दूसरी बात यह है कि वे बिना एक दूसरेकी सहायताके नहीं रह सकते।

समाजका निर्माण इस द्वितीय कारणसे आवश्यक हो गया। इस प्रकार व्यक्ति, -समाजमें, प्राकृतिक रूपमें, और आवश्यकतासे—दोनों ही कारणोंसे, रहने लगा। प्राकृतिने उसे समाजमें रहनेके लिये प्रोत्साहित और आवश्यकता में लाचार किया।

### चिह्नित शब्दोंकी व्याख्या

समाज—समान हित और सम्बन्धमें एक साथ बैथे हुए आदमियोंके दलको, जो एक साथ रहते हैं, समाज कहते हैं। मानव समाज मानवेतर प्राणियों—जैसे—मधुमक्खी, चौटी आदिके समाजसे भिन्न है, क्योंकि मानव समाजके सदस्योंके मत्तियाँकमें पारस्परिक हित और उद्देश्यकी समान चेतना विद्यमान रहती है।

परिवार—परिवार वह सामाजिक इकाई है, जिसमें एक या अधिक आदमी -साधारणतया एक ही मकानमें एक या अधिक स्त्री-बच्चेके साथ, कमवे कम उत्तरके बचपनमें रहते हैं।

पितृ प्रधान और मातृ प्रधान दो प्रबारके परिवार प्रसुत रूप से पाये जाते हैं। पितृ प्रधान परिवारमें परिवारकी जड़ किसी पुरुष पूर्वज द्वारा स्थापित रहमस्ती जाती है। उस परिवारका अधिकार जीवित वहे पुरुषके हाथमें रहता है। प्रत्येक शालमें परिवारके मालिककी परिवारकी सभी समरति और उसके सभी उदासी पर अधिकार होता था।

इतिहासमें उस उन्नय विशेषकी ओर निर्देश छरना, जब कि सर्व प्रधन अचिन्ते समाजमें रहना सौंठा, असम्भव है; परन्तु यह बात उल्लेखनीय है कि दग्धपि भाद्रनी मानव समाजके आरम्भिक कालमें ही समाजमें रहने लगा, पर आरम्भिक समाज लालके समाजउे कई दृष्टिकोणोंमें भिज पा। समाज \* अपने वर्तमान व्यवस्था तक पहुँचनेके पूर्व विकासकी कई सीमाओंसे पार कर चुका है। यह विकास विभिन्न देशोंमें समान रूप से नहीं हुआ। वर्तमान उन्नयमें अनुग्रहनके व्यार्थमें रत कार्यकर्ताओंके कथनानुसार प्रत्येक उंचाईके क्षेत्रके समाजके भिन्न भिन्न इतिहास है।

बहुतसे अनुग्रहन कर्ताओंके नामानुकार वर्तमान सामाजिक जीवन, विद्यास्थी एक अमो अवधिय पत्ते हैं। जिसका पता हमें परिवारसे + चलता है। अपने उपर्युक्ते वहे पुरुष उदासके नालिक्ष्यने यह परिवार दलके रूपमें परिच्छय हुआ। दल विकसित होकर गिरेह बना। अन्त में द्वेषीय समाज या राज्यके रूपमें जन्म हुआ। परिवार इत, गिरेह और राज्य द्वारा प्रस्तुर एक ही पुरीकी विनिन शास्त्रहै है, जो एक ही केन्द्रसे नियन्त दर अनशः विस्तृत होती रही है।

परिवारके समाजके धंग देनेके बाद बहुत दिनों तक, परिवारसे विनिज्ञ अधिका भवा अस्तित्व नहीं था। उसके पश्चात् अधिकारी प्रशनताणी एवं शृंखला या उन्नय अला है। पर यह स्तोर्ति एकाएक नहीं हुए। यह पौरोहीर विषयके द्वारा उन्नय हुए। इन्हा विद्युत वर्द दो दो दो पूर्वों लातम

द्वेषकर वर्तमान तक आता है समाजमें व्यक्तिका महत्व अभी हालमें स्वीकृत हुआ है। व्यक्ति ही समाजका सदस्य है और उसके लिए समाजका अस्तित्व है। वर्तमान समाजने व्यक्तियों अधिक महत्व दिया है।

थगठे अध्यायमें हम समाज और व्यक्तिके सम्बन्ध, समाजके उद्देश्य, दो महत्वपूर्ण सामाजिक आदर्श, व्यवस्था और उच्चतिका अध्ययन करेंगे।

### सारांश

मनुष्य प्रकृति और आवश्यकता दोनों ही के कारण समाजमें रहता है। समाजके जन्म और विकासका एक लम्हा इतिहास है, जिससे हम परिवारकी सर्व प्रथम सामाजिक इकाई पते हैं। मातृ प्रथान परिवारकी स्थापना माता द्वारा समझी जाती थी। मातृ प्रथान परिवार आज भी, तिवर्त, दक्षिणी भारत तथा कुछ अन्य स्थानोंमें पाये जाते हैं। परन्तु इन परिवारोंमें भी माताको उतना अधिकार प्राप्त नहीं, जितना पितृ प्रथान परिवारमें पिताको है। पितृ प्रथान परिवारियोंकी प्रथानताके कारण सर हेनरी समर मेनने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आरम्भमें पितृप्रथान परिवार ही थे। अधिकांश देशोंमें इसी प्रकारके परिवार पाये जाते हैं। पितृप्रथान परिवारका प्रमुख उदाहरण रोमन परिवार था जहाँ पर सबसे बड़े बूढ़ेको सदस्योंपर पूर्ण अधिकार था।

### वर्तमान परिवार

वर्तमान कालमें अधिकांश परिवारोंमें पुरुष, स्त्री और बच्चे होते हैं। भारतीय संयुक्त परिवारमें सभी भाई अपनी अपनी स्थियों और बच्चोंके साथ रहते हैं। पिता परिवारका मालिक होता है। माता सभीकी देख रेख करती है। परिवार इसके सभी सदस्योंके संयुक्त द्वित साधनके लिए एक सम्मेलन सा है। परिवारमें ही बच्चे सर्व प्रथम समाजका रूप समझते हैं। यहाँ पर बच्चे दूसरेके द्वितीय अपना त्याग करना सीखते हैं इसीलिए परिवार सामाजिक जीवनका शास्त्र सूख कहा गया है।

## अध्याय २

### समाज और व्यक्ति

व्यक्तिका समाजसे सम्बन्ध—नागरिक शास्त्र, नागरिक और सम्भवतः सुमंबित है। नागरिक शास्त्रके धर्मवनका अर्थ है नागरिकताके विशाल और कलाका धर्मदन। नागरिक व्यक्ति है पर वह अकेला नहीं। समाजके भीतर ही व्यक्ति सम्भवा प्राप्त कर सकता है। अतः नागरिक शास्त्र व्यक्ति और समाजके संबन्धका धर्मदन है।

समाजकी आवश्यकता—हम यह देख चुके हैं कि आदमी स्वभावतः और आवश्यकतासे भी समाजमें रहता है। स्वभावतः व्यक्तिको सामाजिक जीवनमें रहनेको काष्य किया जाता है। जैसा कि अरस्तूने कहा है:—आदमी स्वभावतः एक चुनाविक प्राणी है। आदमीकी आवश्यकता भी उसे एक साध रहनेको लाचार करती है। यह अवश्यकता भौतिक और नैतिक दोनों है।

भौतिक आवश्यकताओंमें, भोजनकी समस्या और प्रहृति जगली जावर तथा पशुओंसे सम्बन्धित है। ये अत्यरणीयी आवश्यकतायें हैं। वर्तमान आवश्यकता, एक सुन्दर और शक्ति जनक जीवन राखने कर्नेकी इच्छासे सम्बन्धित है। अन्य प्रणियोंके प्रतिकूल मनुष्यके पास एक स्वाभाविक नैतिक प्रेरणा होती है। एक सुन्दर और नैतिक जीवन तभी सम्भव हो सकता है जब कि मनुष्य, समाजमें रहे और यह युछ साधारण अधिकार और कर्तव्य स्तीकार करे, जो स्वभाव, परमारा, सांख्यकित रूप और कानूने वालित हों। समाजके बिना सुन्दर जीवन सम्भव नहीं है। सुन्दर जीवन प्रेन, निकटा, विशाल, कला और साहित्यके द्वारा प्रदर्शित होता है। ये सभी यतो समाजमें ही और उसीके द्वारा सम्भव हैं।

**नागरिक शास्त्र और सभ्यता—**मनुष्यकी विभिन्न कार्यवाहियों और सम्बन्धोंसे सभ्यताका निर्माण होता है। सर्व थ्रेट नागरिक वह है, जो सर्व थ्रेट सभ्यताका प्रतिनिधित्व करता है तथा सर्व थ्रेट सभ्यता वह है, जिसमें व्यक्तिद्वा अपने पूर्ण विकासका अवसर मिलता है।

इतिहाससे पता चलता है कि आदि कालमें भी मनुष्य एक साथ समाजमें रहते थे। आरम्भिक समाज विकसित नहीं था। पर उस बातका कोई उल्लेख नहीं मिलता, कि आदमी समाजसे भिन्न जीवन व्यतीत करता था। अब हम कह सकते हैं कि व्यक्तिके बिना समाज नहीं और समाजके बिना व्यक्ति नहीं है।

प्रत्येक समाजकी अपनी सभ्यता है। परिणित और मानवभक्षी जातियोंमें अपनी प्राचीन सभ्यता है। सभ्यताका विकास उसके प्राचीन निम्नतर धरातलसे आजके इस ऊँचे धरातल तक हुआ है। उसका विकास अनी भी जारी है। जो विशेष ऊँचे स्तर और जटिलताकी ओर अग्रसर हो रहा है। अर्थे नागरिकोंको हृदयसे इस विकासके साथ चलना चाहिए।

**विकास एक रूपमें या सम्भव नहीं—सभ्यता कई प्रकारको है।** हमारी सभ्यताका विकास एक आधार पर नहीं हुआ है। विभिन्न समाजोंमें विवान, संगठन और परम्पराओंकी व्यवहार भिन्न-भिन्न होती गयी। वर्तमान समयमें हम देखते हैं कि हर एक राष्ट्र या राजनीतिक सम्प्रदायकी आपनी अलग संस्कृति और परम्परा है। किसी भी राजनीतिक सम्प्रश्नकी साधारण भलाईके लिए प्रयत्न करना नागरिकोंका आरम्भिक ध्येय है। यह उद्देश्य मानवताकी भलाईके लिए, कार्य करनेके, सभी सम्प्रदायके सभी नागरिकोंके अन्तिम उद्देश्यके लिए नहीं होना चाहिए।

**समाजके उद्देश्य—**सनातन का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिका विकास है। समाजका संगठन ऐसा होना चाहिए कि उसमें प्रत्येक व्यक्तिकी अपनी शक्ति और योग्यताके विकासका पूर्ण अवसर प्राप्त हो। आत्म-विकासको स्वर्य नहीं समझना चाहिए। किसी भी व्यक्तिको दूसरे व्यक्तिके मूल्यपर विकासका अवसर नहीं मिलना चाहिए।

सर्वसाधारणको भलाईके लिये प्रत्येक व्यक्तिको सहयोगसे काम करना चाहिये । आत्मा-  
का सर्वोच्च विकास आत्म-त्याग वर्गात् आत्मद्वितीयों समाजको भलाईके सम्मुख त्याग  
करनेमें है । सेवा समाजका सर्व प्रथम आदर्श है । यह आत्म-त्याग और आत्म-  
विद्वान्में अन्तर्द्वित है ।

जिस प्रकार समाजके व्यक्तियोंमें पूर्ण समन्वयकी आवश्यकता है, उसी प्रकार  
संसारके विभिन्न राष्ट्रोंमें भी परस्पर सद्भावना रहनी चाहिये । प्रत्येक राष्ट्रको  
अपने सामूहिक जीवन, संस्कृति और आदर्शके विचारको पूर्ण स्वतन्त्रता होनी  
चाहिये । पर इसी भी राष्ट्रको अन्यराष्ट्रके मूल्यपर आगे बढ़नेका प्रयत्न न करना  
चाहिये । त्याग और सेवाकी भावनारे राष्ट्र और व्यक्ति दोनोंको ही प्रेरित होना  
चाहिये । नागरिक्को ऐसी विद्या निलगी चाहिये, कि वह इक्के अपने राष्ट्रके द्वितीयों  
को अपने द्वितीय ऊपर ही नहीं समझे, अपने संसारके द्वितीयों अपने राष्ट्रके ऊपर  
समझे ।

इस प्रकार समाजके उद्देश्य हैं :—

( १ ) राष्ट्रके द्वितीय ध्यान रखते हुए व्यक्तिगत विकास ।

( २ ) संसारके द्वितीय ध्यान रखते हुए राष्ट्रीय-जीवन, संस्कृति और आदर्श-  
का विद्यास ।

दूसरे दृष्टि से यह अनुभव करने लगे हैं, कि समाजका प्रमुख ध्येय व्यक्तिगत  
व्यक्तिगत विद्यार्थी विद्युत है । यह ठीक है कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विद्यास समाजके  
मूल्यपर वा उपर्युक्त वा उपर्युक्त रह कर नहीं कर सकता । यदि समाजका एक अन्तर्गत और  
धंगा है और अगर समाजको विचारित होना है, तो व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत अनुरागन  
के ही अन्तर्गत चलना होगा ।

प्यारी धोर हमें यह नहीं मान लेना चाहिये कि समाजका अन्तर्गत अपनेमें ही है ।  
इसकी प्रयत्नता इसके अन्तर्गत रहनेवाले व्यक्तियोंकी प्रयत्नतारे पर्याप्त है । अन्तर्गत  
राष्ट्रीयिक उन्नति, व्यक्तियोंकी उन्नतिका उन्नादिक स्तर है और स्वयं अपने लिये

भी समाजको व्यक्तिको देख-रेख करने पड़ती है। व्यक्ति और समाज दोनोंका घेय जीवनको सम्भावित हमें खुशाल बनाना है।

**व्यवस्था और विकासके आदर्श**—नागरिक शास्त्र साधारणतया नागरिकोंके अधिकार और कर्तव्यके विशेष धर्णके साथ सरकारकी समस्याओं पर प्रकाश ढालने-वाला समझा जाता है। परन्तु नागरिक शास्त्रका क्षेत्र पूरे समाजके क्षेत्र तक विस्तृत है।

नागरिक शास्त्र समाजका अध्ययन उसके भावनारम्भ नहीं, स्थूल रूपमें करता है। यह उचित धार्य और उचित चरित्र पर जोर देता है। इसका उद्देश्य सच्चे आदर्शकी प्राप्ति कर देने व्यक्तिके मत्त्वात् और चरित्रमें प्रेरित करना है। यह आदर्श दो भागोंमें विभक्त हैं। व्यवस्था और विकास।

व्यवस्थाका उद्देश्य राष्ट्रीय संस्कृति और विश्व सम्यताके सर्वधेष्ठ तत्त्वको सुरक्षा करना है, परन्तु राष्ट्रीय विश्व संस्कृति अपनेमें पूर्ण नहीं है। इनमेंसे कुछ तत्त्वोंके सुधारकी आवश्यकता होती है। अतः व्यवस्थाका आदर्श स्वयं अपनेमें पूर्ण नहीं है और उसकी पूर्तिके लिये विकासके आदर्शको आगे लाना पड़ता है। कहा गया है कि “इस संशारमें उत्तम हुए प्रत्येक मुख्यकी विभासत, एक महान भूत, एक महान वर्तमान और एक धर्माधिक आद्यामय भविष्य है।” नागरिकका हृषिकोण प्रातिशील होना चाहिये। हमें भूतकी नींव पर वर्तमानमें कार्य करना चाहिये और भविष्यके विकासको ध्यानमें रखना चाहिये। अच्छे नागरिकको चाहिये कि वह सभी शुराइयों-को उखाड़ फेंके। सभी अच्छाइयोंको चालू करनेके लिये अपनी शालिभर चेष्टा करें, ताकि सभी एक सुन्दर संशारमें अच्छा जीवन व्यतीत करें सकें।

## सारांश

नागरिक शास्त्र समाजसे सम्बन्धित और उसके एक लंबाके हमें व्यक्तिश्च अध्ययन है, क्योंकि समाजमें ही व्यक्ति आत्मविकास कर सकता है।

व्यक्तिके समाजकी आवस्यकता नैतिक और भौतिक दोनों ही रूपमें पड़ती है। दिना व्यक्तिके समाज नहीं है और दिना समाजके व्यक्ति नहीं है।

नागरिक शास्त्र सम्बन्धी और नागरिकता दोनोंसे सम्बन्धित है। यदि दोनोंमें अध्ययन करता है। सम्बन्धतावा विकास सभी स्थानों पर एक ही रूपमें नहीं हुआ है।

समाजका मुख्यकार्य व्यक्तिका पूर्ण विकास करना है। समाजके मुख्य उद्देश्य हैं—राष्ट्रकी भलाईका ध्यान रखते हुए व्यक्तिशा विकास और उसाकी भलाईका ध्यान रखते हुए राष्ट्रका विकास। इसके दो महान उद्देश्य व्यवस्था और विद्याय हैं। नागरिककी भूतकी नीव पर निर्माण करना चाहिये। वर्तमानमें शार्य करना चाहिये और भविष्यका ध्यान रखना चाहिये।

### प्रश्न

- (१) समाजमें व्यक्तिका क्या स्थित है ?
- (२) समाजके उद्देश्य क्या है ?
- (३) न्यवस्था और विकासके आदर्शोंको १९४७ व्यास्ता करो।



## अध्याय ३

### राज्यका विकास और राज्यकी उत्पत्तिके सिद्धान्त

राज्यका विकास—एक अपूर्ण आरंभके साथ, मानव समाजका उत्तरोत्तर विश्वास है, जिसका आदर्श पूर्ण न होते हुए भी, जो मानवताके एक पूर्ण और व्यापक संगठनको ओर अप्रसर होता जा रहा है।

शायद हमारी पढ़ली सामाजिक इकाई और हमारे राज्यका प्रथम मण्डल-परिवार धीरे धीरे दलके रूपमें विद्युति हुआ, दल, गिरोहके रूपमें और गिरोह, राज्य तथा साम्राज्यके रूपमें आया।

इसी प्रकार लोग राज्यकी उत्पत्तिका पता लगाते हैं। यद्यपि राज्यकी उत्पत्ति सभी स्थानोंमें एक ही रूपमें नहीं हुई, पर राज्यको उत्पत्तिका समय निर्धारित करना बहुत हो कठिन है। इसी प्रकार आरंभिक सामाजिक संगठन, जो राज्य नहीं है उसके और उसके बादके संगठन जो राज्य हैं, उन दोनोंके अन्दर अन्तर दिखाना भी महा कठिन है। यही अवस्था अंतिम गिरोह राज्य और हमारे आधुनिक राज्यके अन्तर की है। यह धीरे धीरे एक दूसरेने विलोन होते गए। हमारे अन्य आरंभिक संगठनोंकी भाँति राज्यका स्वतः आविमाव हुआ। ऐसा समझा जा सकता है।

राष्ट्रीय प्रतियोगिताके कारण हमारे वर्तमान राज्यमें जो दीर्घल्य आ गया है उसके कारण बहुतसे भाद्रमी वडी गम्भीरतासे मानवताके एक विश्वस्यारी संगठन या विद्यु राज्यकी चात सोचने को हैं और यह कहा जाता है कि एक मात्र इसीके द्वारा व्यवस्था और विकासका आश्वासन दिया जा सकता है।

राज्य-निर्माणकी शक्तियाँ—गेंटेल्सके अनुसार वर्तमान राज्यके निर्माणमें, प्राकृतिक धीरे शारीरिक तत्वोंकि अतिरिक्त निम्न लिंगित प्रमुख बहुत भी हैं।

विश्व जाना था। राजा अग्नें को दैवी अधिकारके हृष्में शासन व्यवस्थाका अविद्यारी समझता था।

सम्बन्धके सूत्रोंहे भग द्वे जानेके बहुत दिनों बाद तक जो आदमियोंहे भ्रमणसे हुआ, संयुक्त धार्मिक विवास, जनताको एक रखने, घरानोंद्वा सम्बेन काने और राज्योंकी स्थापना करनेके लिए पर्याप्त था। राजा के दैवी अधिकारके सिद्धान्तना बहुत दिनों पूर्व अन्त हो गया। अब भी तिक्ष्णत और नैपाल की राजगद्यानि पांच इसका बहुत बड़ा हाथ है। इसको एक धुँधली रेखा इंगलैण्डमें भी दिखाई देती है, वहाँ पर राजा को एक उत्तरियि 'धर्मगद्यक' भी है।

**व्यवस्था और सुरक्षाकी आवश्यकता** - सम्बन्ध और धर्मके अतिरिक्त आधिक और सैनिक तत्वद्वा भी महल्लरूपी प्रभाव था। आरम्भिक कालमें जब लोग; अपेक्षाहृत शान्तिरूप जीवन व्यतीत करनेके लिए धीरे धीरे एक स्थान पर बसते थे, तो उनको सुरक्षा और व्यवस्थाद्वी आवश्यकता जान पड़ी। राज्यका जन्म इसी आवश्यकताद्वी पूर्तिके लिए हुआ। आदमोंके यह निमज्ञासे गिरोहदा गगड़त अधिक स्थायी हो गया। उन्होंने अग्ने भ्रमणद्वीप जीवनद्वा लाग किया। एक स्थान पर बस जानेके बाद समर्पितद्वी भावना जाप्रत हुई।

लोगोंद्वी संख्या और समर्पितमें ज्यों ज्यों शृङ्खि होती गई, अतिरिक्त तथा बाह्य आक्रमणोंमें जांबन त पा समर्पितको रक्षाद्वी आवश्यकता जान पड़ी।

प्रतिद्वन्द्वी गिरोहके आक्रमणसे सुरक्षाद्वी आवश्यकताएं राजादा जन्म हुआ। युद्धने राजा गो जन्म दिया। युद्धने एक प्रथान या अप्रगम्य को मार्ग दी। क्याकि सुरक्षाके लिए, एक सम्मिलित और अनुशासित कर्यकद्वीकी आवश्यकता थी। इस प्रमार युद्धने दलद्वी एकता और प्रथानके अधिकारमें शृङ्खि की। सहज युद्धनेता राजा बन बेटे। जैसे मारतीय राजदूत राजा अग्ने दलके सैनिक नेता थे इन प्रदार मुद्दोंके द्वारा राज्योंकी स्थापना हुई।

इन प्रथानोंने बाह्य आक्रमणों ही से अपने गिरोहकी रक्षा और व्यवस्था नहीं की

करन् अन्तरिक् व्यवस्थाकी सम्बन्धों द्वारा अग्नी जनताको जीवन और सम्पत्तिकी सुरक्षा भी प्रदान की ।

आरम्भिक चालने राज्यके संगठनमें नुस्खा और सामाजिक संगठन एक अलिंगनी तत्त्व था । आज भी इसका यहुत ही बड़ा महत्व है, सभ्यताके विद्यासे इसका महत्व क्य नहीं हुआ है ।

इस प्रधार राज्यकी प्रारम्भिक परिमाणा इस प्रधार होनी चाहिए :—

जहाँ कहीं भी मानव समाज अधिकारी विद्यमान हो, जो व्यक्तियों और दलोंकी जति विधि पर नियंत्रण रखता हो और जो स्वयं उस नियंत्रण नियमके बन्धनमें न हो, वही राज्य-पति है ।

**राज्यकी उत्पत्तिके सिद्धान्त** — राज्यकी प्रकृतिके सम्बन्धमें और अधिक विचार करनेके पूर्व इने राज्यकी उत्पत्तिके विभिन्न मिद्दोंका अन्तर देख लेना चाहिए । ये विभिन्न सिद्धांत हैं :—

१ सामाजिक समझौतेका सिद्धान्त, २ ईत्तरीय उत्पत्तिका सिद्धान्त, ३ शक्तिका सिद्धान्त ४ जैव या प्राणि सिद्धान्त ५ ऐतिहासिक या विद्यासदा सिद्धान्त ।

**सामाजिक समझौतेका सिद्धान्त** — सामाजिक समझौतेका सिद्धान्त यहुत पुराना है । दोटों इने अग्नी पुस्तक ‘प्रज्ञतंत्र’ में वर्णित किया है ।

इसका सबसे महान वीर योग्य समर्थक रुद्रो था । इस सिद्धांतने राज्यकी उत्पत्ति और प्रकृति दोनों ही की व्याख्या इरनेकी चेष्टाकी है ।

इस सामाजिक समझौतेके सिद्धान्तके अनुसार राज्यके जनके पूर्व आदमों प्रारूपित क्षेत्रसमें रहता था जहाँ पर नसुयम्ब जीवन नागरिक विभानके मंचालित नहीं होता था, इसके समर्थकोंमें से कुछ यह कहता है, कि ऐसे राज्यमें जीवन, एधान, गरीब, नंदा, निर्दय और अस्वद्यादीन ही होता था । दूसरी ओर स्त्रो वार्षिक रूपस्था होता है, कि यह आरम्भिक स्वर्गकी व्याख्या थी, जहाँ पर अग्रप स्वतंत्रता

अनन्द सीमा हीन थी ; जहाँ पर एकताका साम्राज्य था ; जहाँ पर विपानकी जंजीर और राज्यका भार लोगों पर नहीं था ; जहाँ न कोई प्रजा थी और न कोई राजा । हसोका एक महान बाक्य है कि “आदमी स्वतंत्र पैदा हुआ, पर वह अत्येक स्थान पर जंजीरमें ज़क़हा हुआ है ।”

परन्तु प्राकृतिक राज्यमें स्वतंत्रता अवश्यित थो, क्योंकि उसमें हस्तक्षेप करने वालोंको सजा देने वाली कोई सता न थी । इसीलिए लोगोंने आपसमें एक समझौता किया, जिसके द्वारा उन्होंने मुख्या और संगठित सम्रशयकी सदस्यताके बदले अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रताको उसके सुपुर्द किया । यहाँसे राज्यकी उत्तरित हुई, जो जनताको रायसे हुए एक समझौते पर आधारित है । हाव्युमा कहना है कि जनता द्वारा एक बार प्रदत्त अधिकार राजा के हथमें रद्द गया, जो पूर्ण रहेग और विना संदेह स्वतंत्र या । लाकड़ा कहना है कि राजा नहीं, बरन् जनता शक्तिशाली थो । रुसोंने जनताको पूर्ण रुपेण शक्तिशाली होनेकी यिज्ञा दी है ।

इस विद्यान्तने अठाहवी और उच्चासवी शताब्दीमें यूरोप और अमेरिकामें राजनीतिक विचारधाराओंके निर्माणमें काफी प्रभाव दाला । प्रांत और अमेरिकामें इसका विशेष प्रभाव पढ़ा । फ्रांसकी राज्य-कान्ति और अमरीकी स्वतंत्र्य-शासकी विचारधाराने अपनी शक्ति इसमें ही संचित की । आदमी स्वतंत्र पैदा हुआ, शासन करने के अधिकारका जन्म, जनताकी अपनी रायसे हुआ और सरकारकी शक्तिका प्रयोग, सर्वसाधारणकी भलाईके लिये होना चाहिये ।

यह बात इस भावना पर जोर देती है कि सरकारका अधिकार शासित जनताही औरसे प्राप्त हुआ है । इस प्रकार इसके द्वारा सरकारकी तानाशाही पर नियंत्रण रहता है । पर राज्यकी उत्तरिके सम्बन्धमें इसे सचा सिद्धान्त स्वीकार करना असम्भव है ।

नागरिक समाजको भिन्न किसी राज्यकी कल्पना करना कठिन है । यह अप्राकृतिक भी है । इस विद्यान्तमें स्वतंत्रताका वर्ध गलत समझ गया है क्योंकि

सच्ची स्वतन्त्रता उत्तराधित राज्यमें नहीं रह सकती। सच्ची स्वतन्त्रता एक नागरिक-समाज, एक राज्यके अन्तर्गत ही सम्भव है। इस प्रकार यह सिद्धान्त ऐतिहासिक और तर्क शास्त्र दोनों ही दृष्टिकोणसे गलत सिद्ध हुआ। इस सिद्धान्तसे अलगेचना इस आधार पर भी की गई है कि यह अद्वितीय स्थापित सत्ता धारने के लिये प्रेरित कारता है और दिसात्मक-क्रन्ति के लिये अद्वित करती है।

**ईश्वरीय उत्पत्तिका सिद्धान्त**—इस सिद्धान्तके अनुसार राज्यकी स्थापना ईश्वरने की। यह फिद्दान्त राजाके देवी अधिकारके सिद्धान्तके साथ सम्बन्धित है। जिसके अनुसार ईश्वरके द्वारा जुने हुए और देवी अधिकारसे शासन करनेवाले कहे जाते हैं। जिसपर द्विषोंको नतमेद न होना चाहिये। यह सिद्धान्त वर्तमान समयमें मृतप्राय हो गया है। कंसारमें ऐसा कोई भी गम्य समाज नहीं जो राज्यकी देवी उत्पत्ति या राज्यके देवी अधिकार पर विश्वस करता हो।

**शक्तिका सिद्धान्त**—इस सिद्धान्तके अनुसार राज्य शक्तिका आधारित है और शक्ति ही द्वारा इसी रूप होती है। यह सत्त्व द्वारा निर्वलको द्वारा बनाये जानेका परिणाम है। नागरिक समाजका जन्म सम्प्रदयके शक्तिशाली समस्याओं उत्तरके निर्वल प्रदर्शोंके जार नियन्त्रणहेतु हुआ। इस सिद्धान्तके अनुसार शक्ति ही औचित्य है।

यह सिद्धान्त पूर्णहेतु नहीं; परन्तु इउ अंशमें सत्य है। राज्यको निःरन्देश शक्तिकी आधारस्ता पहती है। परन्तु यह पूर्णहेतु ना शक्ति पर ही आधारित नहीं है। राज्यका एक द्वायी आधार यही जनताद्या नीति गमर्यन है।

राज्यका आधार इस्त्या है शक्ति नहीं—वर्तमान राज्यका वार्त्तिक आधार समस्त है। महान अन्नरेत्र राजनीतिक प्रीति कहा है—“राज्यका आधार इस्त्या है शक्ति नहीं।”

गणतन्त्रवादकी गतिके साथ, वर्तमान समयमें जनताकी सम्मति पर आधारित है। जानो और इटलीमें तानाशाही था जोर, गणतन्त्रवादको एक चुनौती था। जनताकी सम्मतिसे शासन करनेके सिद्धान्तके चुनौती था।

**प्राणि-सिद्धान्त** —प्राणि-सिद्धान्त या प्राणिवादका सिद्धान्त वृक्षों और जानवरोंकी भाँति, राज्यको भी एक जीवित प्राणों समझता है। और इसका प्रयोग पूर्णहपेण व्यक्तिवादसे छेकर समाजवाद तक से सिद्धान्तके समर्थनमें किया जाता है।

इस सिद्धान्तके अनुसार राज्यके व्यक्ति, जीवित शरीरके कीटाणुओंकी भाँति हैं, और वृक्षों और पशुभूमिके अङ्गोंकी तरह राज्यके अपने-अपने विशेष कार्य करते हैं और विकास और विनाशके विधानके अन्तर्गत हैं।

वह सिद्धान्त, इस हीठकोणसे कि यह गउड़के व्यक्तियोंको एक दूसरे पर निर्भर रहने पर जोर देता है। परन्तु गउड़के व्यक्तियोंकी उपमा, प्राणियोंके कीटाणुओंसे देना अतिशयोक्ति पूर्ण है। कीटाणुका व्यक्तियोंकी भाँति कोई धरण अस्तित्व नहीं होता, न उष्णकी कोई स्वतन्त्र इच्छा होती है। राज्य उष्णके सश्योंकी कार्यवाहीके फलस्वरूप अप्रसर होता है, परन्तु प्राणियोंके साथ ऐसा नहीं होता।

**ऐतिहासिक विकासवादका सिद्धान्त** —राज्य न तो कोई दैवी संगठन है क्यद मनुष्यके जान-वृक्ष कर किये गये प्रथाओंका फल ही है। यह प्राकृतिक विकासके द्वारा अस्तित्वमें आया है।

राज्यकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें ऐतिहासिक विकासवादका सिद्धान्त सर्वाधिक मान्य है। इस सिद्धान्तका केन्द्र-विन्दु यह है कि राज्य एक ऐतिहासिक उपज है। जिन तत्त्वोंने इसके विकासमें सहायता पहुँचायी है वे प्रमुख हमें तीन हैं—(१) सम्यता (२) शर्म और (३) राजकोतिक लेतता। राज्यों और अप्राप्यज्योंके लियाँक्षण्य और विनाशमें आविक कारणोंका बहुत बड़ा हाथ रहा है।

१—सम्यता एक्तादी एक्ताने ही चहे वह वात्तविक हो या कल्पित, पुराने समाजमें एक्तादी सूत्र प्रभाजित हुई। सत्ता सर्वप्रथम दल या परिवारमें दृष्टिगोचर हुई।

२—धर्मने भी बहुत ही मदत्तर्गं भाव अदा किया। धर्म अभी हाल ही में राजनीतिसे थलग किया जा सका है। परन्तु मानव समाजके आरम्भिक दिनोंमें, और उसके बाद भी बहुत दिनों तक मानव जीवन पर धर्मका बहुत बड़ा प्रभाव रहा है।

३—राज्यके विद्याएमें उच्चे मदत्तर्गं तत्त्व राजनीतिक चेतना रही है। जिसका अर्थ है—आन्तरिक व्यवस्था और वाद्य सुरक्षा जैसे संयुक्त घेयकी प्रसिद्धि, जो राजनीतिक संगठनके द्वारा ही सम्भव हो सकते हैं। राष्ट्रीय राज्य सर्वसामाजण के त्याग और उत्सर्गके फल हैं। परन्तु साकारे, राजाओं और वंशीयोंकी सरकारें थीं। राजनीतिक संगठन धीरे-धीरे अस्तित्वमें आये। अपने आरम्भिक कालमें उनको शायद ही गजनीतिक रुद्धा जा सके। राजनीतिक चेतना गतिशाली ही गयी, और धन्य तत्वोंसा मदत्त्व पटता गया, अन्तमें राज्य पूर्ण-हपेण भीतिह, सार्वजनिक और स्थानीय बन गया।

### सारांश

करोब-करोब स्वतः परिवार विस्तारित होकर दल हुआ और दल गिरोह और गिरोह राज्य बन गया।

गेटेल के अनुपार राज्य के निर्माण में ( अ ) सम्यता ( ब ) धर्म और ( च ) व्यवस्था तथा सुरक्षा की आपस्यक्ता की शक्तियों का हाथ रहा। राज्यकी उत्तरति के सम्बन्धमें विभिन्न विद्यान्त हैं।

जैसे—(१) सामाजिक समक्षीयों का विद्यान्त (२) ईस्तरीय उत्तरात्मा विद्यान्त (३) शक्ति व्यवस्था विद्यान्त (४) प्रानिराज्य का विद्यान्त (५) ऐतिहासिक विद्यान्त विद्यान्त—इसमें अन्तिम राज-पूर्ण धीर यही राज्यका जाता है।

प्रश्नः—

- १—वर्तमान राज्यके विकास पर प्रकाश ढालो ।
  - २—किन शक्तियों के द्वारा राज्यका निर्माण हुआ ?
  - ३—राज्य की उत्पत्ति का सचा सिद्धान्त क्या है ?
  - ४—आदेचनात्मक हमें राज्य की उत्पत्ति के यामाजिक समझोते के सिद्धान्तकी व्याख्या करो ।
  - ५—“राज्य एक जीवित, संगठित इकाई है, एक निजीव पद्धर्य नहीं ।” इस पर तुम्हारी क्या राय है ? ( कल० विद्व० १९४० )
  - ६—“राज्य नम शक्ति का फल है” राज्य के सिद्धान्त की सारता पर प्रकाश ढालो । ( कल० वि० १९८१ )
  - ७—“राज्य न तो दैयी संगठन है न मनुष्य की इधित विद्या का फल, यह प्राकृतिक विकास के फलस्वरूप अस्तित्व में आया है ।”  
इस कथन की व्याख्या करो, और उन अवस्थाओं की व्याख्या करो, जिनसे राज्य उत्पन्न हुआ है ( कल० वि० १९८८ )
  - ८—“राज्य वल्वानों के द्वारा दुर्बलों को दास बनाए जाने वा फल है राज्य की उत्पत्ति के सिद्धान्त से वया तुम सहमत हो ? कारण के साथ घरुलाओ ।  
( कल० विद्वविद्यालय १९४५ )
-

## अध्याय ४

### राज्य

हमने सामाजिक नानव समाज की उत्तरति और उष्णी ग्रहणि पर विचार किया है, हमने राज्य की उत्तरति और विकास का भी पता लगाया है। इस अध्याय में हम राज्य की ग्रहणि पर विचार करेंगे और उत्तर के बाद राज्य के विभिन्न अंगों पर प्रकाश ढालेंगे इसके लिए यह अवश्यक है कि, राज्य तथा अन्य समाज और संगठनों का अन्तर भली-भांति समझ लिया जाय।

राज्य और समाज—संक्षेप में समाज व्यक्तियों का एक समूह है, जो एक संयुक्त उद्देश्य से ग्रस्त आवद है। हम भी इस प्रकार के संगठनों से भली-भांति परिचित हैं जिने—साहित्यिक समितियां, व्यायाम-शाला, मन्दिर, शुम संघ इनमें से अधिक के उद्देश्य विशेष या सीमित हैं।

राज्य भी एक समूह है—राज्य भी एक समाज है, स्तोऽि कि यह भी मानव प्राणियों का एक समूह है जो एक संयुक्त उद्देश्य से आवद है। परन्तु राज्य अन्य समी प्रकार के समाज-संगठनों से भिन्न दृष्टिकोण से है कि, राज्य का उद्देश्य आपार सा संभागी है, विशेष या सीमित नहीं। यसकि सामा का व्रतम कर्तव्य आन्तरिक शान्ति और वरा सुरक्षा है, परन्तु राज्य का उद्देश्य वास्तव में, सीमित नहीं होना चाहिये, क्योंकि उनका उद्देश्य समाज की साधारण भव्यता करना है।

अन्य समाजों द्वारा उच्छा पर निर्भर करती है कोई उनका गदाय हो एहसाह है, या नहीं हो सकता, परन्तु राज्य की उच्छस्ता अनिवार्य है। यह उच्छा पर निर्भर नहीं है। यह अतिरिक्त विनियोग, यह या अन्य संगठनों के निर्देश की संरक्षा, उग्रों वशी ग्राय द्वारा निर्गंय को मानने की उच्छा पर निर्भर रहती

है। सदस्यों को कोई शारीरिक स्पृह में उनके मानने के लिए वाच्य नहीं कर सकता। दूसरी ओर राज्य, अपने सदस्यों को अपने भाषेश्वर या विद्यान को मानने के लिए वाच्य का सकता है। इसी लावार करने या अनिवार्यता में राज्य की सारता निहित है।

अन्य संगठन, संसार के किसी भाग से सदस्य बना सकते हैं, परन्तु राज्य की सदस्यता दूसरी अपनी सीमतक ही सीमित है।

एक आदमी एक साय ही करे संगठनों जैसे, हृत्य, थ्रम संघ, सामाजिक सेवा समिति के सदस्य हो सकता है, परन्तु कोई भी व्यक्ति एक समय में एक से अधिक राज्यों का सदस्य नहीं बन सकता। अन्य संगठनों के प्रतिकूल राज्य एकमात्र राज्यनिति चाहता है, ( तुम एक से अधिक राज्य के प्रति वफादार नहो हो सकते ) और राज्य की शक्ति और अधिकार का अन्त नहीं है।

संशेष में, राज्य, व्यक्तियों का समूह है, जिसका उद्देश्य सभी सम्भव उपायों से हमारे जीवन को खुशहाल बनाना है। राज्य का साधारण उद्देश्य, सर्वसाधारण का हित साधन है। इस पिस्तृत और व्यापक उद्देश्य ने ही इसे विशेष महत्व प्रदान किया है।

राज्य हमारे, सामाजिक महल की चोटी है। और सभी संगठन राज्य के मातृहृत हैं इसकी विदेशिता, इसकी महानता में है।

राज्य के कार्य और उद्देश्य—राज्य के द्वारा सामाजिक जीवन ही सम्भव नहीं है, वहिं वह इस सामाजिक जीवन को विस्तृत और समृद्ध भी बनाता है।

राज्य की परिभाषा—समाज के साधारण दिवां को देख-रेख करने के लिए जब एक सम्प्रदाय का राजनीति संगठन होता तो, राज्य अस्तित्वमें आता है, दम पूछे देख चुके हैं कि, इतिहास में राजनीतिक संगठन का यह प्रवाह धीमा और कमोत्तर रहा है। एक बार स्थापित हो जाने पर राज्य में कुछ तत्व भा जाते हैं। ये सभी तत्व गांवर द्वारा की गयी राज्य की निम्नाद्वित परिभाषा में आ गये हैं—

‘राजनीतिक विद्यान और वैधानिक कानून के अनुसार, राज्य, यम या अधिक अवस्थियों का समूह है, जो स्थायी रूपमें निश्चित भूमिका अधिकार जमाये हैं, जो व्यापक नियंत्रण से स्वतन्त्र या कर्तव्य-करीब स्वतन्त्र है, और जिसके पास एक संगठित सरकार है, जिसके आदेश का बद्दा को जनता पालन करती है।’

राज्य की आवश्यक बातें - उपरोक्त तथा अन्य छितनी ही परिभाषाओं के अनुसार राज्य की आवश्यक बातें निम्नलिखित हैं— १) आवादी, (२) सीमा, (३) सरकार और (४) प्रधान।<sup>(५)</sup> राज्य की प्रथम आवश्यक बात आवादी है। यिन आदमियोंके राज्य को स्थापना नहीं हो सकती। राज्य तभी अस्तित्व में आता है, जब यह जनता का उत्तु भाग राजनीतिक दृष्टिकोण से संगठित होता है। इसकी सीमा का कोई अन्त नहीं। इसकी कोई सीमा करीब देह करोड़ है और यीन की अवसरक्षा करीब ८५ करोड़। आवादी का विभाजन—नागरिक, विदेशी और प्रवासी के रूपमें हो सकता है।

(२) जबतक उसकी जनता के पास एक निश्चित सीमा नहीं होगी राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। एक सानाक्षय जाति राज्य को स्थापना नहीं कर सकती, क्योंकि अन्यजील राज्य नहीं होता। सानाक्षय जाति का अनन्य नेता या प्रधान हो सकता है, अनन्य संगठन हो सकता है, परन्तु तो भी यह राज्य की स्थापना नहीं कर सकती। जबतक यह गिरोह इसी स्थान पर स्थायी रूपमें पस नहीं जाता, राज्य का निर्माण नहीं होता।

राज्य की विभिन्न सीमाएँ हो सकती हैं; कोई कुछ ही वर्गमील का हो सकता है, जैसे मोरों और कोई लाली वर्गमील की सीमा में फैला हुआ हो सकता है जैसे—स्यु, जिसकी सीमा अखण्ड लाला वर्गमील से भी अधिक है।

राज्य का निर्णय एक मात्र सीमा ही से जैसे जानने और यीन नहीं करना पर्याप्त है। सीमा और स्थिति का महत्तर अधिक है, और अधिकांश दृष्टि के द्वारा

राज्य की राज नीतिक, आधिक और सेनिक दक्षि निर्भर करती है। सीमा से प्रजा-तांत्रिक सरकार की स्थापना में कोई वाधा नहीं पड़ती।

(३) इसके पश्चात् सरकार का स्थान थारा है। यह भी राज्य का एक आवश्यक अंग है। किसी निश्चित भूमि पर स्थायी रूप से निवास करने वाले लोग ही राज्य की स्थापना नहीं कर सकते। इसके लिए आवश्यक है कि वे राजनीतिक दल में संगठित हों, क्योंकि राज्य, हमारे सार्वजनिक कार्य के संचालन और हमारे सार्वजनिक हितों के साधन के लिए ही संगठित होता है। सरकार राज्य की मद्दी-नीरी है और इसी मद्दीनीरी के द्वारा राज्य के अधिकारों का प्रबोग होता है।

(४) अन्त में प्रधानता का स्थान है जो राज्य की सबसे प्रमुख बात है। राज्य का निर्माण, व्यक्तियों की गतिविधि, पर नियंत्रण रखने और उनका पश्चराशन करने के लिए हुआ। इसलिए राज्य का अपनी सीमा के भीतर के सभी व्यक्ति, समाज, दल और संगठनों पर नियंत्रण रखने के लिए महान्, एकमात्र असमित और अन्तिम अधिकार होना चाहिए। राज्य के इस महान् अधिकार का नाम प्रधानता है। जैसा कि बोडिन ने कहा है, राज्य इसलिए प्रधान है कि, यह सभी को आदेश देता है और अन्य कोइं भी इसे आदेश नहीं दे सकता।

प्रधानता आन्तरिक और बाह्य दोनों ही है। राज्य के लिए यह प्रधानता आवश्यक है।

एक निश्चित भूमि पर वर्षा हुई जनता, जिसके पास अपनी सरकार भी है, राज्य का निर्माण नहीं कर सकती। यह विदेशी नियंत्रण से स्वतंत्र होना चाहिए। अन्य शब्दों में उसे बहु प्रधानता प्राप्त होनी चाहिए। इसी प्रकार उसे आन्तरिक मामलों में भी प्रधान होनी चाहिए।

राज्य को यह महानता या महान् अधिकार उपर्युक्त सभी आन्तरिक तथा बाह्य कार्यों में होनी चाहिए। इसीका नाम प्रधान शब्द है और राज्य का सार-तत्त्व उसकी प्रधानता ही सरकारों में अन्तर्निहित है।

**वैधानिक प्रधानता**—वैधानिक प्रधानता का वर्ष राज्य की महान शक्ति है—कल्पनी दृष्टिकोण से उसका नहान धर्मिकार है। कानून के अनुसार प्रिंटेन में महान शक्ति का धर्मिकार राज्यांठ और पालियामेंट के हाथ में है और वही वैधानिक स्वर में प्रधान है।

दूसरी ओर राजनीतिक प्रधानता उस राजनीतिक शक्ति का धर्मिकार की ओर निर्देश करती है, राज्य में जिसके आदेश का पालन होता है। राजनीतिक स्वर में वह युग्मतन प्रधान है, जिसके आदेश का राज्य के नागरिक पालन करते हैं” (आपसी प्रिंटेन में सचाट की पालियामेंट वैधानिक प्रधान है, परन्तु राजनीतिक प्रधानता वही के मत-शताभ्यों के हाथ में है। क्योंकि अन्त में मत-शता का समूह ही राज्यांठ और पालियामेंट को अपनी राय मानने को लाचार करता है।

**सार्वजनिक प्रधानता**—राजनीतिक प्रधानता से एक ऊर्ध्व भाग सार्वजनिक प्रधानता का स्थान है। इस जानते हैं कि प्रेटिनिंग में निष्ठा मत-शता राजनीतिक स्वर में प्रधान है। परन्तु वास्तविक हमें प्रिंटेन में वह की पूरी जनता मत-शता है, अन्तिम राजनीतिक शक्ति और राजनीतिक प्रधानता, जनता के हाथ में है। इस प्रकार अन्तिम स्वर में जनता ही प्रधान है। सार्वजनिक प्रधानता, जिनके अनुसार प्रधानता जनता के हाथ में समझी जाती है। इनके नाम से कहे रामर्पंड हय द्वारा अद्याद्यो शताब्दी में ऐसित की गयी।

दो महान राष्ट्र फ्रांस और अमेरिका ने इस नारे को धरनाया और उन्होंने जनता की प्रधानता पर जोर देकर दो महान व्यक्तियों के पदबत दो महान आगुनिक प्रधानता की स्थापना की। यार्स्वनिक या जनता की प्रधानता धात्र वर्णमान राज्यांठ के लिए परमास्तक मानी जाती है। यह गणतंत्रवाद की आधार-क्षिति है।

इस प्रधार एव्यमें ४ प्रमुख शर्तें सन्मिलित हैं—(१) आशारी (२) गोका (३) समठन का सचार और (४) प्रधानता। सुदृष्टिक्षेत्र के राज्य की “नमनप्रिदित परिवार में सारी शर्तें या वही हैं—

एक निश्चित सीमा के भीतर कानून के लिए संगठित जनता को राज्य अथवा राष्ट्रकदर्ते हैं, किन्तु वर्तमान कालमें बादशाहीके लोप होनेसे राष्ट्र शब्द ही काप्रयोग शुद्ध होता है।

क्या भारत एक राष्ट्र है—इनने देखा है कि राष्ट्र के चार अनिवार्य अंग हैं—आवादी, सीमा, सरकार और प्रधानता या सार्वभौम शक्ति। किसी भी राष्ट्रमें इन चारों बातों का होना आवश्यक है। परन्तु क्या भारत में चारों बातें पायी जाती हैं? भारत की आवादी बहुत बड़ी है, उसकी सीमा भी बहुत बड़ी है, उसकी एक सरकार भी है, परन्तु १५ अगस्त १९४७ तक वह स्वतंत्र नहीं था। आन्तरिक या बाह्य प्रधानता उसे प्राप्त न थी।

क्या डोमिनियनोंमें राष्ट्र हैं—कनाडा, आस्ट्रेलिया, आयरिश-फ्री स्टेट, दक्षिणी अफ्रिका, न्यूज़ीलैण्ड (योर १५ अगस्त १९४७ के पश्चात्) भारत और पाकिस्तान ग्रिटिंग डोमिनियन बन गये हैं। प्रॅन जटिल और मतभेद पूर्ण है। इस बातमें सम्देह नहीं कि डोमिनियनों के आज आन्तरिक मामलों में, तथा बाह्य मामलों में भी जैसा कि वह दावा करते हैं, स्वतंत्र हैं। अगर डोमिनियन राष्ट्रों को प्रधानता प्राप्त है तो वह अवश्य राष्ट्र है।

उनके राष्ट्र की वैधानिक और अन्तर्राष्ट्रीय स्थीरता तभी सम्भव हो सकती है जब कि वह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की तरह अपनी प्रधानता की घोषणा कर दें। जबतक वह ऐसा नहीं करते वह बास्तव में राष्ट्र नहीं हो सकते हैं, परन्तु वैधानिक हप्तमें वह राष्ट्र नहीं कहे जा सकते और ब्रिटेन से तथा परस्पर का उनका सम्बन्ध, ब्रेट ब्रिटेन के समान भार्गादार के हप्तमें है जैसा कि, वेस्टमिनिस्टर विधान में कहा गया है।

राष्ट्र और सरकार—साधारण भाषामें “राष्ट्र” और “सरकार” का प्रयोग एक ही अर्थ में होता है। परन्तु राष्ट्र की बनावट पर विचार करने से इनका अन्तर सम्मुख आता है। राजनीतिक विज्ञान के छात्रकोंदोनों का अन्तर यह है कि, “राष्ट्र, राजनीतिक हप्तमें, राजनीतिक समझौते हैं, और सरकार उस संगठन का प्रदर्शन है। राष्ट्र सम्पूर्ण है और सरकार उसका एक

भाल है। सरकार राष्ट्र के प्रतिनिधि या यंत्र है जिसके द्वारा राष्ट्र अपनी इच्छा का निर्माण कर उसे कार्य स्पर्श परिष्ठ करता है।

जैसा कि गार्नर ने कहा है, सरकार उस एजेंसी, मैजिस्ट्रेसी या संगठन का समूहिक नाम है, जिसके द्वारा राष्ट्र की इच्छा का निर्माण, उसका प्रदर्शन और उसकी पूर्ति होती है। जिस प्रकार एक पशु का नस्तिष्क स्वर्य वह पशु नहीं, एक कारपोरेशन का बोर्ड आफ डायरेक्टर्स स्वयं कारपोरेशन नहीं, उसी प्रकार सरकार राष्ट्र का एक प्रमुख अङ्ग है, स्वयं राष्ट्र नहीं है।

### Fact राष्ट्र और सरकार के भेद -

(१) राष्ट्र में पूरी जनता सम्मिलित है, परन्तु सरकार उसके एक भाग ही से बन सकती है।

“सरकार” या “शासन यंत्र” आदिनियों के उस छोटे से संगठन की ओर निर्देश द्वरा होता है जो राष्ट्र के यंत्र का नियंत्रण करते हैं और शासन-प्रबन्ध चलाते हैं।

(२) सरकार अल्पकालीन होती है, (वे परिवर्तित हो सकती है या उनका अन्त हो सकता है) परन्तु राष्ट्र स्थानी है।

सरकार की स्वरेता और बनावट में महान परिवर्तन होनेपर भी राष्ट्र चलता रहता है।

ददारण के लिए सामाज्यशाही के स्थान पर प्रबातीय की स्थाना हो सकती है (जैसा कि फ्रांस में राज्यमन्ति के बाद हुआ)। एक राज पराने का अन्त होकर दूसरे की स्थाना हो सकती है, (जैसा कि अफगानिस्तान में भूतपूर्व शाहाह अमानुद के स्थान पर इरानीय शाहाह नादिर खां के गरी पर बैठनेपर हुआ) परन्तु राष्ट्र का जीवन भेंग नहीं होता है।

(१) किंगी भी व्यक्ति को सरकार के विरुद्ध कोई अधिकार हो सकता है, परन्तु ऐपनिह सर में उष्ट्र के विरुद्ध उसे कोई अधिकार नहीं रहता है।

राष्ट्र द्वारा कभी अधिकारी की नीत या दोउ है। यदि युद्ध अधिकार

## राष्ट्र -

व्यक्ति को और कुछ सरकार को प्रदान करता है। जनर वर्सार जनरा जनराम्पार को मौर कानूनी अपहरण करती है (अगर वह उसकी समति पर अधिकार करती है या उसेकैद करती है) तो उस व्यक्ति को वैयानिक हृष में इसकी क्षति पूर्ति करने का अधिकार है। वह सरकार के विरुद्ध भी अपने अधिकार को मनवा सकता है।

परन्तु किसी भी व्यक्ति को राष्ट्र के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति द्वारा राष्ट्र के विरुद्ध जाने का अर्थ स्वयं अपने विरुद्ध जाना है। राष्ट्र के विरोध करने का अधिकार एक मात्र नैतिक है। यह अधिकार कदाचि वैयानिक नहीं हो सकता है।

(४) राष्ट्र अधिकांश भावात्मक है और सरकार स्थूल है।

सितम्बर १९३९ में प्रेट विटेन ने जो जर्मनी के विरुद्ध युद्ध प्रोपित किया, वह वास्तव में उपरोक्त दोनों देशों की सरकारों के निर्णय से हुआ, जिनका नेतृत्व चेम्बरलेन और हिटलर के हाथों में था। राष्ट्र स्वयं कभी कार्य नहीं करता, कार्य सरकार ही करती है।

जनता, जाति और राष्ट्र—अब “जनता” का “जाति” और “राष्ट्र” से थेणी विभाग करना धावद्यक है। राष्ट्र एक राजनीतिक सामान्य प्रत्यय है। यह सुख्तः एक खास वर्ग के लोगों के गुजनैतिक संघ की ओर संकेत करता है। किन्तु जनता और राष्ट्र जेसे सामान्य प्रत्यय की ओर संकेत करनेवाला संघ अपेक्षाकृत कुछ ज्यादा गमोर होता है।

फिलहाल हमलोग “जनता” और “राष्ट्र” का ही थेणी विभाग करें, जिसमें पहले जहाँ कि संपूर्णतः जाति सम्बन्धी या जाति विषयक भावना है, वहाँ दूसरा जाति विषयक एकता एवम् राजनीतिक संघ की ओर संकेत करता है।

किन्तु जब “जाति” और “राष्ट्र” का थेणी विभाजन किया जायगा, तो हम लोग जाति की राजनीतिक दृष्टि की ओर ध्यान, न देंगे, बल्कि उन अमान्य गद्दरे तत्वों पर जोर देंगे, जो लोगों के संगठन को एक राष्ट्र में विकसित होने देता है।

जाति—एक आदर्श जाति की परिभाषा इस तरह है कि समाज का एक

भाग भौगोलिक एवम् प्राकृतिक सीमाओं द्वारा दुनिया के शेष भागसे अलग रहे—यहाँ के बाशिन्दों की एक जातीय उत्पत्ति हो—एक ही भाषा का व्यवहार करें—सम सभ्यता, सम रीति और मानसिक या नैतिक गुण देख हों एवम् एक ही प्रकार की विद्या और मौखिक विवरण हो। आज के धार्मिक सद्विष्णुता के युग में धार्मिक मतभेद, जो पहले मुख्य तत्व समझा जाता था,—अब कोई महत्व नहीं रखता।

जाति और उसकी परीक्षा—वात्तव में ऐसा शाश्वत हो कोई जाति है, जिसमें उपरोक्त सभी बातें मौजूद हों। राजनैतिक विचारकों का अपने ही में मतभेद हो जाता है, जब वे विभिन्न तत्त्वों, जिनसे किसी राष्ट्र का निर्माण होता है, को सम्बन्धित विशेषताओं का वर्णन करते हैं। किसी एक राजनीतिक कथन है कि समजातीय किसी राष्ट्र को अस्तित्व को स्थिर करने की सुधरे मुख्य परीक्षा है। दूसरे के लिए सभ्यता का संघ ही जाति की परीक्षा है, किन्तु उसके लिए सभ्यता की एक जातीय उत्पत्ति से विशेष महत्व नहीं है। इस, स्विट्जरलैंड, कनाडा एवम् अन्यान्य राष्ट्रों को उदाहरण रूप में हम देते हैं, कि एक जाति में भी एक भाषा व एक धर्म नहीं होता है। अतः यह निश्चित है कि उपरोक्त वर्णित सभी बातों का एक साथ होना सभव नहीं, जब तक कि एक राष्ट्र का निर्माण करने में सभी का साथ न हो। थोक्ष ही बहुत है और इस तरह के दृष्टान्तों की इतिहास में कमी नहीं है, जिसके द्वारा हम जानते हैं कि किसी राष्ट्र का अस्तित्व उसके जाति और धर्म संघ से नहीं, बल्कि उसके आर्थिक और राजनैतिक तत्त्वों से है।

जाति उस समय राष्ट्र बन जाती है, जब वह सोचती है कि वह एक राष्ट्र है। स्वेगलर का कथन है कि राष्ट्र न तो भाषा सम्बन्धी या राजनैतिक या जीव विद्या सम्बन्धी अस्तित्व है, बल्कि आत्मिक या आध्यात्मिक अस्तित्व है। रेनन के अनुसार विशेष एक ही भाषा व्यवहार करना या एक ही जातीय गुण के होने से ही किसी राष्ट्र

## राष्ट्र

का निर्माण नहीं होता है, बल्कि अतीत में किसी महत्वपूर्ण विद्या द्वारा जाने एवम् भविष्य में भी उसी तरह पूर्ण करने की मनोवृत्ति से ही किसी राष्ट्र का निर्माण हो सकता है : अन्य साधारण चाह द्वारा राष्ट्र के विभिन्न वर्गों को एक दूसरे के निकट लाकर, वह आपस का बन्धन, सालोसाल और भी गद्दरा होता जाता है । आपसी रीति-रस्म और मानसिक एवम् नैतिक गुण दोपों की इस तरह चुन्दि होती है ।

क्या हिन्दुस्तानी एक जाति है ?—रश्वमी आलोचकों में से कुछ इसकी मानने को तैयार नहीं होंगे, कारण हिन्दुस्तान की रीति-रस्म, बोलचाल, धर्म, जाति आदि एक दूसरे से भिन्न हैं । किन्तु असल बात पर वे ध्यान नहीं देते हैं कि—उपरोक्त विभिन्नताओं के रहने के बाबजूद भी आपस में मौलिक एकता है जो सभी भारतीय सम्बन्ध और रीति-रस्म से मिलते-जुलते हैं ।

हिन्दुस्तानी एक जाति है, चूंकि सभी भारतीय इस बात को महसूस करते हैं कि वे एक जाति हैं । सभी भारतीय लापसों यद्यानुभूति में जकड़ित हैं, आत्म चेतना से रंगे हुए हैं, एवम् राजनैतिक आत्म-दृढ़ता से उत्तेजित किए गये हैं । राष्ट्रीयता की भावना उभय रीति-रस्म और सम्भन्ध, महाभारत काल से आजतक के उभय राज-नैतिक परम्परागत, अतीत में संस्कृत और कारसी की एवम् वर्तमान में अप्रेजी हिन्दी की उभय भाषा तथा हिन्दू-मुसलमान और अंग्रेजी काल में स्थापित किये हुए संबुक्ष कानून और शिक्षा केन्द्र पर ही आधारभूत है । निःसन्देह उपरोक्त तत्त्व राष्ट्रीयता के लिए उदना जोरदार नहीं है, जितना कुछ अन्य यूरोपीय राष्ट्रों का है । अतः भारत में राष्ट्रीयता को भावना का अन्य जातियों की तरह उनका विकास हुआ है ।

यह बताया ही जा सकता है कि राष्ट्र के निर्माण के लिए सभी तत्त्वों का एक साध होना आवश्यक नहीं है । कुछ ही पर्याप्त है । यहांपर शिल्प-सम्बन्धी जाति की तो आवश्यकता ही नहीं है ।

भारतीयों को एक बड़े जाति में परिवर्तित होने में तो धार्मिक महामेद अधिक

दिनोंतक रोड़े नहीं अटका सकता है। इस तरह के परिवर्तित होने के नियम कुछ नैतिक भावना के लोगों एवं राजनैतिक तथा आधिक विचार के बगों के मन में ही उठता है। भारतवासियों को अधिक से अधिक एकता के सूत्र में बाधता ही राष्ट्रीयता की आधारिक नीति है। संसार के अन्य राष्ट्र भारत के संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थान पाने से तो अब भारत को राष्ट्र मानने लगे हैं।

**राष्ट्रीयता—**जिमर्न के अनुसार राष्ट्रीयता किसी नियत देश से सम्बन्धित विशेष प्रकार की गहरी भावना, सम्बन्ध और प्रतिष्ठा के संघ-बद्ध मनोभाव का ही रूप है।

राष्ट्रीयता को आत्मिक सिद्धान्त या मनोभाव कहकर भी वर्णित किया गया है, जो जनता को संघ-बद्ध करता है और जो जाति विषयक उत्सत्ति, साधारण निवास, भाषा की पहचान, एक से रीति रिवाज, राष्ट्रीय आदर्श, महत्वाकांक्षा, धार्मिक विश्वास तथा नैतिक और भौतिक हितों की समानता से बनती है।

**राष्ट्र और राष्ट्रीयता—**आत्मम में राष्ट्र और राष्ट्रीयता दोनों ही एक अर्थ में प्रयुक्त थे और आज भी बहुत से प्रमुख लेखक इनका उसी अर्थ में प्रयोग करते हैं। परन्तु वर्तमान विचारधारा के अनुसार इन दोनों शब्दों में विभिन्नता मानी जाती है। वर्तमान समय में एक राष्ट्र में अन्य बातों के अतिरिक्त राजनीतिक एकता का आभास होता है, इसका अर्थ एक ऐसे जन-समूह से है जो अन्य सबसे भिन्न हैं, उसकी अपनी राजनीतिक एकता है, अपनी राष्ट्रीयता है और दूसरी ओर इसका अर्थ जनता के एक ऐसे समूह से है जो मौलिक जातीयता, भाषा-परम्परा, इतिहास या स्वार्थ की एकता से सम्बन्धित है और इनका राजनीतिक संघ-बद्धता से कोई संबन्ध नहीं। दूसरी ओर एक राष्ट्र का अर्थ मानवता के एक नियित भाग से है, राष्ट्रीयता एक भावात्मक नैतिक सिद्धान्त की ओर निर्देश करती है जो राष्ट्र का भावार है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जब मानवता का एक भाग ( अ ) राष्ट्रीयता की भावना से प्रोत्साहित होकर ( ब ) एक राज्य के स्वर में संगठित है या संगठित होने योग्य है तभी राष्ट्र बनता है।

## राष्ट्र

राष्ट्रीयता को सिद्धान्त-एक जाति एक राष्ट्र—वर्तमान राष्ट्र का आधार राष्ट्रीयता का सिद्धान्त-एक जाति एक राष्ट्र है। हर एक जाति का एक अलग राष्ट्र होना चाहिए, हरएक राष्ट्र में एक जाति होनी चाहिए। राष्ट्रीयता के आधार पर राष्ट्र के संगठन के सिद्धान्त का समर्थन उस विश्वव्यापी इच्छा से होता है जिस के द्वारा दुर्बल जातियों का शोषण बन्दकर उनके साथ आर्थिक और राजनीतिक न्याय करने को प्रेरणा मिलती है। जो राष्ट्र अपनी मुलामी के विषद् विद्रोह करते हैं उनको इस सिद्धान्त से बल प्राप्त होता है। यदि जातियों के अत्म-निर्माण का आधार है जिसके लिए प्रेसिडेंट विल्सन ने जोरदार शब्दों में सिफारिश की थी। इसके बिना संसार में सच्चा मण्टंत्र, प्रजातंत्रवाद और शान्ति असंभव हैं।

**वर्तमान जाति-राष्ट्र**, एक जाति एक राष्ट्र—वर्तमान समय में प्रायः प्रत्येक जातिका संगठन अपने ही राष्ट्र से हुआ है। जैसे—चीन और इसका संगठन उस रूप में नहीं हुआ है तो अपना राष्ट्र प्राप्त करने की चेष्टा करता है जैसे—भारत।

आदर्श सम्मन जाति राष्ट्र की स्थापना संभव नहीं है और न यह सभी अवस्थाओं में नियित ही है। कभी-कभी गहूदियों जैसी एक कौम की राजनीतिक एकता में जो विश्व के विभिन्न भागों में रहते हैं, प्राकृतिक वाधावे उपस्थित होती हैं। इसी सिद्धान्त को मजबूत बनाने के लिए छोटे-छोटे कितने ही जाति-राष्ट्र का सुजन करना पड़ेगा। बहुत से जाति-राष्ट्रों की उपस्थिति से अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध की जटिलता में तृदंड होगी।

राष्ट्रीयता कहीं तक वर्तमान राष्ट्र का संतोषपूर्ण आधार है?—जिमर्ने ने राष्ट्रीयता की राजनीतिक स्थीरता के प्रति इस आधार पर आवाज़ की है कि इससे राष्ट्र का आधार न्याय प्रजातंत्र सार्वजनिक सम्मति, नेतृत्वता या विश्वव्यापी मानवता न होकर पश्चात्पूर्ण तानाशाही जैसी कोई दूसरी वस्तु होगी। वर्तमान राष्ट्र के आक्षमणात्मक जातीय आधार पर संगठन के प्रति एक विश्वव्यापी असंतोष की भावना फैली हुई है।

संयुक्त राष्ट्र-संघ इस भावना का एक हृषि है। संयुक्त अमेरिका और सोवियत यूनियन जैसे संयुक्त राष्ट्र इतने सच्चल हुए हैं कि लोग अज्ञात एक विश्वसंघ की कल्पना करने लगते हैं।

---

### प्रश्नावली

- (१) समाज और राष्ट्रीय नेतृ बताओ और संक्षेप में उनके सम्बन्ध वर्णन करो ( घू० पी०-इस्टर बोर्ड १९३० )
  - (२) राज्य की परिभाषा लिखो और उसके अद्देश पर प्रश्नाश ढालो ( कल० विद्य० १९३३ )
  - (३) एक राष्ट्र, एक जाति का समूह है जो एक निश्चित सीनी के भीतर समृद्धि है। व्याख्या करो ( कल० विद्य०-१९३७ )
  - (४) जाति की आवस्थक पहचान क्या है ? जाति और राष्ट्रसत्ता सरकार का अन्तर बताओ ( कल० विद्य० १९२८ )
  - (५) यहू क्या है ? क्या भारत एक राष्ट्र है ? ( कल० विद्य० १९३० )
  - (६) राष्ट्र और सरकार का प्रभेद बताओ। ( कल० विद्य० १९३१ )
  - (७) राष्ट्र का क्या अर्थ है ? राष्ट्र और राष्ट्र-सत्ता के बीच अन्तर बताओ।
  - (८) राष्ट्रोत्तरा के प्रमुख अंग क्या हैं ? क्या राष्ट्रीयता वर्तमान राष्ट्र का एक संतोषदूर्ज आधार है ?
  - (९) क्या यह बात ठोक है कि भारत एक जाति है। भारतीय जातीयता के विकास पर प्रकाश ढालो ( घू० पी० बोर्ड १९२९ )
  - (१०) राष्ट्र का क्या अर्थ है ? राष्ट्र, समाज और सरकार इन्हीं (अन्तर बताओ। (घू० विद्य० १९४८) )
-

## अध्याय ५

### स्वतंत्रता और अधिकार

स्वतंत्रता क्या है—सकृत के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ अवरोध या दस्ता के विपरीत अवस्था है। साधारणतया स्वतंत्रता का अर्थ अवरोध के अभाव से समझ जाता है। परन्तु स्वतंत्रता एक नकारात्मक अवस्था ही नहीं है। इसका अर्थ उस शक्ति से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने स्वतंत्र इच्छानुसार अपने व्यक्तित्व का विकास करता है और उसमें कोई वाह्य रुद्धिवट नहीं होती। कोई भी व्यक्ति एक मात्र अवरोध के अभाव में ही सुखी नहीं रह सकता। वास्तवमें कई अवस्थाओं में यह अवरोध, नियम और अनिवार्यता प्रसन्नता के लिए आवश्यक है। स्वतंत्र व्यक्ति अपनी इच्छानुसार कार्य कर सकता है। जैसे, अगर आपको अपनी गति-विधि को स्वतंत्रता है तो आप आजादी से जहां चाहें आ-जा सकते हैं और कोई भी आपकी गति-विधि पर प्रतिबन्ध नहीं लगा सकता।

परन्तु अगर ध्यान से देखा जाय तो स्पष्ट हो जाता है कि साधारणतया स्वतंत्रता का अर्थ अवरोध से मुक्त है। परन्तु ऐसी स्वतंत्रता एक अन्यचारणीय नहीं है सकती। वास्तव में एकाधिकारणीय स्वतंत्रता या किसी भी अवरोध का अभाव स्वतंत्रता के बढ़ान को अभिशाप बना देगा। उदारहरणार्थ अगर आपकी गति-विधि को स्वतंत्रता असीमित है तो आपके पहोसी को अपने मकान में निवास करने को स्वतंत्रता संकट में होगी। क्योंकि वैसी अवस्था में आप कभी भी अपने उस पहोसी के मकान में प्रवेश कर सकती स्वतंत्रता में वाप्ति पहुंचा सकते हैं, इसीलिये सच्ची स्वतंत्रता असाधनता से फिल है।

इस प्रकार दो प्रकार की स्वाधीनता है—एक बनावटी, जब कि आदमी को उसके

सभी इमित कायों' के करने के स्वतंत्रता हो। द्वितीय, वास्तविक जिसमें मनुष्य को कर्तव्यपूर्ण करने की स्वतंत्रता हो। द्वितीय स्वाधीनता ही वास्तविक स्वाधीनता है, प्रथम तो एक प्रकारकी अराजकता है।

सामाजिक जीवन के लिए विधान आवश्यक है। क्योंकि सार्वजनिक भलाई के लिए सार्वजनिक नियमों के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। अगर आपको हत्या करने की स्वाधीनता न दी जाय तो इससे लापकी धपनी स्वतंत्रता संकट में नहीं प्रतीत होगी। अगर विधान आपको अपने बच्चों की शिक्षा देनेके लिए लाचार करता है तो इससे स्वाधीनता में वापा उपस्थित नहीं होगी।

इस प्रकार स्वतंत्रता एक नाय अवरोध का अभाव ही नहीं है, बहिक यह एक अधिक निर्माणात्मक बस्तु है। लाल्ही के अनुसार स्वतंत्रताका अर्थ ऐसे वातावरण को प्रदाएँ रखना है जिसमें मनुष्य को अपने विकास के सर्वधेष्ठ साधन उपलब्ध हों। इस प्रकार स्वतंत्रता उन क्षिणियों और नुविधाओं का केन्द्र है। जो राज्य के अन्तर्गत मानव के एवंतम द्वित के लिए आवश्यक है।

### स्वाधीनता के भेद

**स्वाभाविक स्वतंत्रता**—स्वाभाविक स्वतंत्रता वह है जिसका उपयोग मनुष्य स्वभाव की काल्पनिक अवस्था में कर सकता है जब कि सभ्य समाज का अस्तित्व न हो। ऐसा लगता है कि इस प्रकार की स्वाधीनता असीमित भी क्योंकि इसपर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कोई राज्य नहीं था। परन्तु वास्तव में स्वाभाविक अवस्था में कोई स्वतंत्रता नहीं थी क्योंकि इसमें मनुष्य अपनी इच्छा-पूर्ति के लिए स्वतंत्र था, क्योंकि जीवन की ऐसी अवस्था जो दारीरिक हूपमें बलवान है उन्हीं को अच्छी लगेगी। दुर्बलों को इसमें द्वितीय प्रकार की स्वतंत्रता नहीं होगी। औह, अगर होगी भी तो बल्यानों को कृपाते। ऐसे राज्य को अराजकतापूर्ण राज्य कहा जा सकता है और अराजकता में वास्तविक स्वतंत्रता नहीं है। यदुपयोगके बिना स्वतंत्रता का कोई अस्तित्व नहीं।

**नागरिक स्वाधीनता**—नागरिक स्वाधीनता वह है जिसका उपयोग व्यक्ति राज्य के अन्दर या सुन्न समाज में करता है और मुख्यतः इसके अन्तर्गत धार्मिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वाधीनता, कार्य और गति-विधि की स्वतंत्रता और वैधानिक दृष्टिकोण से एकता का समावेश है। इसो ने कहा है कि राजनीतिक समाज की स्थापना से मनुष्य इसी भी प्रकार के असीमित धर्मिकरण से हाय धोता है जो स्थाभाविक अदृश्य में उसे प्राप्त थे और उसे नागरिक स्वतंत्रता और स्वामिल प्राप्त होते हैं। राष्ट्र नागरिक स्वाधीनता का सज्जन करता है जिसका संगठन विधान के द्वारा होता है और निरंकुश राज्य के बदले वैधानिक शासन की स्थापना करता है। नागरिक स्वतंत्रता के अन्तर्गत वह सभी अधिकार आते हैं जो वैधानिक हैं और जो व्यक्तिगत तथा सरकारी इस्तज्जेपों से उपचारी रक्षा करते हैं, जैसे गति-विधि की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है।

**स्वतंत्रता और अधिकार**—क्या व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राज्य के अधिकार के बीच कोई मतभेद है? इस बात को देखते हुए कि राज्य के अधिकार नियंत्रण लगाते हैं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का धर्य नियन्त्रण का अभाव है बाहर देखने पर ऐसा लगता है कि वास्तव में दोनों के बीच मतभेद है।

गम्भीरतापूर्वक विचार करने पर पता चलता है कि स्वतंत्रता और अधिकार सहयोगी और एक दूसरे के समर्थक हैं। वे परस्पर विरोधी नहीं हैं। राष्ट्र या सरकार की स्थापना जो व्यक्तियों की गति-विधि पर नियंत्रण करने के लिए होती है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नष्ट नहीं करती। इसके विपरीत राष्ट्र वास्तविक स्वतंत्रता की जन्म देता है और सभी के लिए सुलभ और निश्चित बनाता है। अराजकता का अन्त कर राष्ट्र सभी के लिए सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करता है और इससे कुछ थोड़े से लोगों की प्राकृतिक स्वतंत्रता को ही बाधा पहुंचती है। मदा-नियेष का विधान जो सरकार द्वारा लागू होता है उसका धर्य व्यक्तिगत स्वाधीनता में बाधा पहुंचाना नहीं है। उसका उद्देश्य सभी के लिये सर्वाधिक स्वतंत्रता प्राप्त करना है। इसलिए विधान

स्वतंत्रता की एक आवश्यक घर्त है। एक मात्र वैधानिक स्वर्गे कार्य करके ही कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपयोग बिना किसी दूसरे को स्वतंत्रता में पापा पहुंचाये कर सकता है। इस प्रकार विधान स्वतंत्रता का वास्तविक रहक भी है। जो लोग यह सोचते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता राष्ट्र के अधिकार के प्रतिकूल है उनका सोचना भ्रमात्मक है, क्योंकि राष्ट्र और व्यक्ति के बीच कोई मतभेद नहीं है। इन्हें यह नहीं भूलना चाहिये कि स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति को अपनी मनवाही इच्छाओं की पूर्ति का अधिकार प्रदान करना नहीं है। इससे स्वाधीनता नहीं, भराजकता का साक्षात्य विस्तृत होगा। राष्ट्र इसलिये विधान बनाता है कि नागरिकों को अपनी और समाज की भलाई के कारों में मापा न रखस्थित हो। राष्ट्र का जितना ही विद्युत होता जाता है उतना ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता का राष्ट्र के अधिकार के साथ समन्वय होता है। एक आदर्शपूर्ण राष्ट्र में विधान पूर्ण है और स्वतंत्रता प्रिय नागरिकों को कोई शिकायत नहीं रहती। ऐसे राष्ट्र में सभी प्रधार के मतभेद दूर कर दिये जाते हैं और व्यक्ति अपने आदर्शों का राष्ट्र के साथ सामग्री स्थापित करता है।

इस प्रकार हम इस निर्देश पर पहुंचे कि राष्ट्र के अधिकार स्वतंत्रता के विरोधी नहीं बल्कि स्वतंत्रता प्राप्ति के सर्वोत्तम साधन है। इसलिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उस स्वतंत्रता के आधार मुख्यगठित राष्ट्र के अभिकार के बीच कोई मतभेद नहीं हो सकता। यदि यात ठीक है कि स्वाधीनता की भावना व्यक्तिगत सभा राष्ट्र के विद्यास की ज़ब दे।

**राजनीतिक स्वतंत्रता—** राजनीतिक स्वतंत्रता जनताको अतंत्रता का क्षेत्र ही नहीं प्रदान करती बल्कि राष्ट्र के सचालन में उसे अधिकार भी प्रदान करती है।

राजनीतिक स्वतंत्रता उसे कहते हैं जहाँ पर जनता या उसके प्रदुमनको उस देशमें उसका अधिकार के सचालन का अधिकार होता है। दूसरे शब्दों में राजनीतिक स्वतंत्रता संग्राम प्राप्त राष्ट्रों या गणराज्यिक राष्ट्रों में पासी जाती है। इहें

अन्तर्गत मतदान और सांवेदनिक पद प्राप्त करने के अधिकार आते हैं। एक राष्ट्रीय राजनीतिक स्वतंत्रता के अभावमें भी बहुत कुछ नागरिक स्वतंत्रता का उपयोग कर सकता है। लास्टी के अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए दो शर्तें आवश्यक हैं ( १ ) सांवेदनिक शिक्षा ( २ ) निष्पक्ष और स्वतंत्र समाचार-पत्र।

**आधिक स्वतंत्रता**—आधिक क्षेत्रों में भी स्वतंत्रता का बहुत बड़ा महत्व है। वास्तवमें स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक या सभी नागरिक स्वतंत्रता नहीं प्राप्त हो सकती। आधिक स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति के दैनिक जीवन की व्यवस्था और उसके प्राप्त के साधन हैं। व्यक्ति को वेकारी का भय न हो और वह भावी अभाव से ग्रसित न हो। आधिक स्वतंत्रता के अभाव में वास्तविक स्वतंत्रता नहीं प्राप्त हो सकती। जहाँ पर लोगों के अधिकार दूसरों की इच्छा पर निर्भर करते हैं वहाँ वास्तविक स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए वर्तमान राष्ट्रीय व्यक्ति के आधिक स्वतंत्रता प्राप्त की चेष्टा कर रहे हैं। आधिक स्वतंत्रता के अन्तर्गत व्यक्ति के काम करने के अधिकार लघुत्तम पारिश्रमिक, खेतों और कारखानों में काम करने के निर्धारित घण्टे एवं अवकाशकी व्यवस्था संघ-बद्ध होने के अधिकार, युद्धापा, बीमारी, वेकारी, दुर्घटना आदि के लिए व्यवस्था में आते हैं। हमारे नये राष्ट्रीय विधान के अन्तर्गत भारतीय जनता की आधिक स्वतंत्रता को पर्याप्त व्यवस्था होना है।

**राष्ट्रीय स्वाधीनता**—स्वतंत्रता शब्द व्यक्ति और राष्ट्र दोनों के लिए समान रूपसे लागू होता है। कोई भी राष्ट्र या देश उस अवस्था में स्वतंत्र समझा जाता है जब कि उसको अपनी सुरक्षा हो और उसके लाल छिठो विदेशी सत्ता का नियंत्रण न हो।

राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अस्तित्व स्वाधीन राष्ट्र में ही संभव है जहाँ पर जनता स्वतंत्र है और सत्ता स्वयं उसके हाथों में है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के बिना व्यक्ति को नागरिक, राजनीतिक या आधिक स्वतंत्रता बहुत कम प्राप्त हो सकती है।

**स्वतंत्रता की रक्षा**—यह बात सर्व-विदित है कि जहाँ पर विशेष ग्राह की

मुविधायें कुछ लोगों को प्राप्त हैं वहाँ स्वतंत्रता के लिये भारी यत्ना है। जौन स्ट्रुअर्ट नित ने कहा है कि आपारण्टया स्वतंत्रता एवं अर्थ राजनीतिक शासकों की तजाशाही के विरुद्ध लोक लोक लेना है। असीनित राजनीतिक यकि स्वाधीनता का यत्न है।

हमने देखा है कि स्वतंत्रता गट्-यकि के विरोधी नहीं, इसके विपरीत स्वतंत्रता प्रति उच राष्ट्र द्वारा दर्जित होती है और वही उसकी रक्षा करता है। परन्तु राष्ट्र का संचालन मनुष्य द्वारा होता है जिसका दुरुपयोग संभव है। इसलिए यह आवश्यक है कि मनुष्य अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहे ताकि सरकार या अन्य कोई उस स्वाधीनता को दबने सके। सचुक राष्ट्र अमेरिका की तरफ जिन देशों का विचान लिया हुआ है उसे अधिकारों का पोषण-पत्र कहते हैं। इंग्लैंड की तरफ जिन देशों का विचान लिखित नहीं है वहाँ के आपारभूत सिद्धांत धारा सभाओं की विभिन्न धाराओं, जनता की सम्मति तथा प्रसुत न्यायाधीशों के निर्णय पर निर्भर करता है। यह स्मरण रखने की बात है कि स्वतंत्रता की रक्षा विचान में उसे लियारह नहीं की जा सकती बल्कि उसकी रक्षा जनता की जागरूकता और अपने अधिकार के साथ किसी भी प्रदार के अवैधनिक इस्तेषेप न सहन करने की भावना और उसकी रक्षा के लिए आपसद्वत्ता पढ़ने पर उसके लिये मरते तक प्रसुत होना चाहिये।

स्वतंत्रता एवं गृह्य धारात जागरूकता है और स्वतंत्रता की कुंजी राहस है। भारत के महान् भेता लोकमान्य तिलक ने ढीक ही कहा है कि 'स्वाधीनता दमारा जन्म दिल अधिकार है।'

परन्तु उस जन्म दिल अधिकार की रक्षा जनता के हाथ में है।

### प्रश्नावली

( १ ) स्वतंत्रता चन्द जी आज्ञा रहे। क्या यह अधिकार का उद्योगी है ?

( फर्ड०-१९२६ )

( २ ) नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता एवं अंतर बताओ। एक

नागरिक के जीवन में उनके सम्बन्धित महत्व का वर्णन करो। (नागपुर विद्वं १९५६)

(३) नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तथा विधान से क्या सम्बन्ध हो ?  
(कल० १९२८)

(४) निप्रलिखित की व्याख्या करो—राजनीतिक अधिकार की स्थीरता स्वतंत्रता एक अनिवार्य शर्त है (कल० १९३८)

(५) कानून स्वतंत्रता की शर्त है, व्याख्या करो। (कल० १९३२)

(६) कानून की परिभाषा बताओ। (कल० १९३१)

(७) राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रतापर संक्षिप्त नोट लिखो (कल०-१९३२).

(८) कानून और स्वतंत्रता का संबंध बताओ। (कल० १९३८)

(९) निम्नांकित की आलोचना करो—

कानून स्वतंत्रता की शर्त है। (नागपुर १९३८)

(१०) स्वतंत्रता किस रूप में कानून का सज्जन करती है। (कल० १९३५)

(११) क्या कानून बिना स्वतंत्रता संभव है। (कल० १९३७)

(१२) सबी स्वतन्त्रता की पहचान इस रूप में होती है कि उसके सारा कानून नागरिकों को अपने विकास का सर्व-थ्रेष्ठ साधन उपस्थित करता है।

व्याख्या करो कानून और स्वतंत्रता का संबंध बताओ ? (कल० १९३९)

## अध्याय ६

### स्वतंत्रता और समानता

पूर्वाध्याय में हम लोग देख चुके हैं कि राज्य नियम बना कर सब के लिए स्वतंत्रता की परिभाषा बतलाता है एवं उसकी रक्षा करता है। चूंकि स्वतंत्रता सबकी भलाई का दावा रखती है इसलिए यह समानता की ओर निर्देश करती है। परन्तु समानता और स्वतंत्रता एक नहीं। निरंकुश के अन्तर्गत सभी व्यक्ति समान रूपसे दास हैं इस प्रकार यह समान तो है, परन्तु स्वतंत्र नहीं।

स्वतंत्रता के बिना सभी समानता संभव नहीं। उसी प्रकार समान के बिना सभी व्याधीनता समभव नहीं है। समानता की भावना स्वस्पता की भावना है। इस प्रकार की समानता स्वतंत्रता के साथ अनिवार्य स्मृति संबन्धित है।

**स्वतंत्रता और समानता—**प्रजातंत्रवाद के तीन प्रमुख नारे—स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृ-भावना है। प्रारूपिक स्वतंत्रता की व्याख्या हम कर चुके हैं। अब हम स्वतंत्रता और समानता के सम्बन्ध पर प्रछारा छालेंगे। स्वतंत्रता का सिद्धान्त यह है कि हर एक व्यक्ति को अपने आत्म-विद्याम के लिये पूर्ण मुकिधा प्राप्त हो। सभी व्यक्तियों को समान धरातल पर रखा कर दो और उन्हें अपनी योग्यता व्य सर्व थ्रेष प्रयोग करने दो। युद्ध समय के बाद पाओगे कि यह एक दूसरे से भिन्न है। युद्ध महान है और अधिकार वैष्ण नहीं। क्योंकि मुकिधाये समान होते हुए भी सब की योग्यताये एक समान नहीं थी। यह विभिन्नता प्रारूपित है क्योंकि दो भाद्री समान नहीं होते हैं। नवुप्य में योग्यता को ही विभिन्नता नहीं होती किंतु उन्हीं द्वय और भवनाये भी अलग—अलग होती हैं। इसलिए

साधारणतया यह कहा जाता है कि स्वतन्त्रता और समानता एक दूसरे के विपरीत है, परन्तु वह सत्य नहीं। भारत भावना का मिदान्त स्वतन्त्रता और एकता के तश्चुल्य है। समानता का अर्थ एक समाज व्यवहार से नहीं है, इसका अर्थ यह है कि समाज में दिसी के विरुद्ध कोई विरोध नहीं होगा। साधारणतया हम ऐसा सोचते हैं कि समाज में हम जो असमानता देखते हैं वह प्राकृतिक है पर यह ग्रन्थ, अप्राकृतिक एवं बनावटी है। आज जो बहुत लोग धनवान हैं और दूसरे गरीब हैं वे योग्यता और अयोग्यता के बारण नहीं बल्कि प्राप्ति सुविधाओं और असुविधाओं के कारण हैं। एक घनी का लड्डा विरासत में एक मात्र धन ही नहीं पाता बल्कि उसे सुविधायें भी प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार उमड़ लिये सफलतायें आयान होती हैं क्यों कि उसके लिये सभी दरवाजे खुले होते हैं। दूसरी ओर गरीब के लड्के को अपनी गरीबी के साथ साथ सामाजिक दुव्यवहार के साथ भी संघर्ष करना पड़ता है इसके लिये सभी दरवाजे बन्द रहते हैं। इसके लिये उसे अपने जीवनमें सफलताओंके लिये काशिश करनी पड़ती है। उसके लिये स्वतन्त्रता नहीं।

समानता का यह अर्थ नहीं कि सभी को एक ही ढाँचे में ढाल दिया जाय। समानता का अर्थ राष्ट्र के द्वारा सभी लोगों के साथ नागरिक और राजनीतिक अधिकारों में एक समान धर्ताव करना है। इसका अर्थ समाज के प्रति एक व्यक्ति को एक समान सुविधायें प्रदान करना है। इन प्रकार स्वतन्त्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरा सभव नहीं।

समानता के भेद—साधारणतया पांच प्रकार की समानतायें होती हैं ( १ ) नागरिक, ( २ ) राजनीतिक, ( ३ ) सामाजिक, ( ४ ) स्वानाविक, और ( ५ ) आर्थिक समानता।

**नागरिक समानता—**नागरिक समानता का अर्थ यह है कि सभी नागरिकों को एक समान नागरिक अधिकार और स्वतन्त्रता प्राप्त हो। नागरिक समानता के धंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति और सरकार के इस्तेवेष से रक्षा होती है।

भारत में जबतक छुआ-छूत का भेद तथा अन्य नागरिक असुविधायें दूर नहीं होती हैं तो नागरिक एकता प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा था—“अरपृथक्ता हमारे लिए अभशार है।”

**राजनीतिक समानता**—राजनीतिक समानता के अन्तर्गत सभी नागरिकों को शासन प्रबन्ध में समान अधिकार प्राप्त हैं और वे सभी सार्वजनिक पदों के समान स्पष्ट अधिकारी हैं। पूर्णस्वेच्छा राजनीतिक समानता के लिए यालिनमताधिकार आवश्यक है। पहिले ब्राह्मणलाल नेहरू ने बतलाया है कि आर्थिक स्वतंत्रता के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं।

**सामाजिक समानता**—सामाजिक समानता का अर्थ यह है कि जाति, रङ्ग, पंद या वर्ग के आधार पर किसीको विशेष मुक्तियाँ न प्रदान की जायें। सामाजिक या राजनीतिक समानता की जाति या रङ्ग के आधार पर स्वीकार करने से संसार में स्थायी शांति की स्थापना नहीं हो सकती। सामाजिक समानता की प्राप्ति बहुत ही छठिन है और शाश्वत सोचियत रूप के अतिरिक्त संसार के और किसी भी देश को यह प्राप्त नहीं। समाज का उत्तर वर्ग, शूद्रदिव्याली, मध्यवर्ग और थनिक वर्ग के समें विभाजन, यामजिक एकता में एक बहुत बड़ी बाधा है। सामाजिक एकता प्रदेश कानून बनाकर स्थापित नहीं की जा सकती। यह जनता को राय, परम्परा और सचालन के द्वारा ही सम्भव है।

**स्वामानिक समानता**—कहा जाता है कि जन्म लेते समय सभी समान हैं। यह समानता स्वामानिक समानता है। परन्तु स्वामानिक समानता एक अविपक्ष भावना है। यद्यपि बाहर से एक दया दूसरे वर्त्ते के समान है परन्तु जब बहरे घड़ने लगते हैं तो उनमें विभिन्नतायें प्रदर्शित होने लगती हैं। समाज द्वारा स्वामानिक असमानता को सार्वजनिक फ़िल के लिए सदन बरना चाहिए।

**आर्थिक समानता**—आर्थिक समानता क्य उद्देश्य हमों अद्वितीयों को भन और भायके संघर्ष में एक उमान बनाना है। समाजवाद का यही आर्द्धा है।

समाजवाद आधिक समानता की ही भित्ति पर खड़ा है। क्योंकि आधिक समानता के बिना अन्य समानता संभव नहीं हो सकती। इसीलिए समाजवाद को सर्वप्रेष्ठ स्वाधीनता का आधार माना जाता है। हेराल्ड लास्ट्री ने आधिक समानता के सम्बन्ध में कहा है कि इसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वाभाविक योग्यता और शुक्र को विकसित करने की समान मुविधा प्राप्त होती है। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा है कि प्रजातन्त्र का उद्देश्य साम्पत्तिक असमानता को दूर करना होना चाहिए इसका उद्देश्य अमीरको गरीब बनाना नहीं बल्कि गरीबको अमीर बनाना है सोशियत इसने व्यक्तिगत सम्पत्ति को नष्टकर पूर्णलूपेण आधिक समानता की स्थापना की है। सम्पत्ति का एक वर्गविशेषके हाथमें जाना राष्ट्र के लिए घातक है। इसलिए सनाजवाद कहता है कि या तो राष्ट्र सम्पत्ति को अपने अधीन रखे या राष्ट्र का नियंत्रण करेंगे। यह बात अवश्यक स्पष्ट नहीं कि वर्तमान राष्ट्रसमूह सोशियत इसके उदाहरण मानने को अनुत्त हैं परन्तु सभी वर्तमान राष्ट्र वर्तमान असमानता को दूर करने की चेष्टा कर रहे हैं। स्वतंत्रता और असमानता वर्तमान नागरिकताके आदर्श और वास्तविकताके रूपमें निहित हैं। अस्तु की कुताप्र बुद्धि ने बहुत दिन पहले इसका अनुभव किया था कि समानता की स्थापना करना व्यान्ति की सबसे शक्तिशाली जड़ है।

### प्रश्न

( १ ) स्वतंत्रता और समानता के बीच क्या सम्बन्ध है ?

( २ ) समानता के द्वितीय मेद हैं ?

# अध्याय ७

## नागरिकता

नागरिक शास्त्र की परिभाषा नागरिक के रूप में मनुष्यका अध्ययन बतायी गयी है। इसलिए नागरिकता नागरिक शास्त्र के अध्ययन का महत्वपूर्ण भाग है।

**परिभाषा—**नागरिक राष्ट्रीय समाज का एक सदस्य है।

राष्ट्र के सदस्य रूप में नागरिक—नागरिक राष्ट्र का एक सदस्य है और इसलिए वह राष्ट्र द्वारा प्राप्त सार्वजनिक हित का भागी है। राष्ट्र की रक्षा का दायित्व भी उसपर है जिसके लिए उसके कुछ कर्तव्य हैं।

**नागरिकता के भेद—**यद्यपि सभी नागरिक, नागरिक-अधिकारों का उपयोग करते हैं परन्तु इसमें सभी राजनीतिक अधिकार सम्मिलित नहीं हैं। दूसरी ओर वर्तमान समय में ऐसे भी उदाहरण हैं जब कि गैर नागरिक मत दान की राजनीतिक सुविधाओं का उपयोग करते हैं जैसा कि कुछ अमीरी के राज्यों में है। इस प्रकार नागरिक दो भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। पहला—जो राजनीतिक तथा नागरिक दोनों ही अधिकारों का उपयोग करते हैं, और दूसरा—जो एक मात्र नागरिक अधिकारों का ही उपयोग करने के अधिकारी हैं।

कुछ देशों में यह अन्तर उस सीमा तक पहुच गया है कि इन दो प्रधार के नागरिकों के लिए दो अलग-अलग शब्दों का प्रयोग दोता है। उदाहरण के लिए प्रांसुमें एक मात्र जिन लोगों को पूर्ण राजनीतिक अधिकार प्राप्त है नागरिक कहा जाता है। दूसरी ओर अन्य सभी व्यक्तियों को राष्ट्र के अन्तर्गत रखते हैं। उनको जातीय कहते हैं। जहाँ पर समाज के सभी व्यक्ति समान राजनीतिक अधिकारों के अधिकारी नहीं हैं वहाँ पर नागरिक शब्द का प्रयोग पूर्ण अधिकारियों के लिए ही किया जाता है।

प्राकृतिक और अप्राकृतिक नागरिक—वैयानिक रूपमें प्राकृतिक और भप्राकृतिक दो प्रकार के नागरिक होते हैं। जन्मजात नागरिक ही प्राकृतिक नागरिक है और विदेशी जो नागरिक बन गये हैं उप्राकृतिक नागरिक हैं। राष्ट्रों में प्राकृतिक नागरिकों को प्राकृतिक नागरिकों से अधिक अधिकार प्राप्त है उदाहरणार्थ स्वामाधिक नागरिकों द्वारा जिन सभी राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग होता है वे अप्राकृतिक नागरिकों को प्राप्त नहीं हो सकते। बुछ राष्ट्रों में अप्राकृतिक नागरिक प्राकृतिक नागरिकों की तरह सभी सर्वजनिक पदोंके अधिकारी हैं।

सोधारणतया नागरिक का प्रयोग सभी के लिए होता है जो विदेशी नहीं हैं। इसलिए नागरिक की स्थिति की व्याख्या करते समय विदेशी से इसका अन्तर समझना आवश्यक है।

**विदेशी**—विदेशी एक लोग हैं जो राष्ट्र के अन्तर्गत रहते हैं और किसी दूसरे राष्ट्र के प्रति बफादार होते हैं। वात्सविक अर्थ में विदेशी उस राष्ट्र का सदस्य नहीं इसलिए नागरिक अधिकारों को प्राप्त करके भी वह सबौच नागरिक अधिकारों से वंचित रहता है। जिस राष्ट्रमें वह रहता है वहाँ के विधानसे वह वंधा हुआ है। इसलिए वह सभी प्रश्न के टैक्स और करोंके देने के लिए वाध्य है। विदेशी दूतावास के सदस्य जैसे बुछ विशेष सुविचाप्राप्त लोग इसमें बरी हैं। सभी विदेशी जिस देशमें रहते हैं उसके दोवालों और फौजदारों अदलतों के निर्णय को मानने को वाध्य हैं। विदेशियों की बहुत सी असुविधायें वर्तमान समय में धीरे धीरे ढूँढ़ती जा रही हैं।

इंग्लैण्ड में १८७० के पूर्व विदेशियों को बहुत कम साम्पत्तिक अधिकार प्राप्त थे परन्तु उक्त वर्ष के निटिश नेचुरलीजेशन एकट के अनुसार स्थायी और अविभागित सम्पत्ति विदेशियों द्वारा भी उसी प्रकार अनिवार्य और खर्च की जा सकती है जैसे प्राकृतिक नागरिक द्वारा। परन्तु अपवाद के स्वर्ग में कोई भी विदेशी किसी निटिश अदान का मालिक नहीं हो सकता। प्रायः प्रत्येक राष्ट्र में इस समय नागरिक

अधिकारों के लिए विदेशीयों तथा नागरिकों को समानाधिकार प्रदान करने, को प्रवृत्ति देखी जाती है। परन्तु राजनीतिक अधिकारों के सम्बन्ध में अभी भी विभिन्नता है।

**गरिक और विदेशी—**(१) नागरिक और विदेशी के बीचका अन्तर संश्लिष्टः निम्न प्रकार है। एक नागरिक एक राजनीतिक संगठन का वास्तविक दस्य है परन्तु एक विदेशी निवासी मात्र है।

(२) नागरिक राष्ट्र के प्रति वफादार है परन्तु विदेशी उस राष्ट्र के दीवानी और फौजदारी विधान के अन्तर्गत होते हुए भी जहाँ पर वह रहता है और कर देता है दूसरे राष्ट्र के प्रति वफादार है।

(३) जहाँ तक नागरिक अधिकारों का सम्बन्ध है अधिकारा आधुनिक राष्ट्रों में नागरिक और विदेशी एक समान हैं परन्तु कभी कभी एक विदेशी कुछ साम्पत्तिक अधिकारों से वंचित रहता है।

(४) नागरिक सभी राजनीतिक अधिकारों का उपभोग करता है, परन्तु विदेशी को कुछ ही अधिकार प्राप्त होते हैं।

**नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है—**नागरिकता जन्म से या कृत्रिम अप्राकृतिक रूपमें प्राप्त की जा सकती है।

**जन्म—**विभिन्न देशोंमें जन्म से नागरिकता की प्राप्ति के अलग अलग नियम हैं। मुख्यतः दो सिद्धांत हैं। पहला यह है कि बच्चा अपने माता पिता की नागरिकता को प्राप्त करता है और दूसरा यह है कि जिस राष्ट्र की सीमाके अन्तर्गत वे पैदा होते हैं उसके प्रति उन्हें वफादार होना चाहिए। कुछ राष्ट्रों में प्रथम और कुछ में दसरा सिद्धांत स्वीकार किया जाता है।

प्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जैसे कुछ देशोंमें एक मिथित सा सिद्धांत माना जाता है। त्रिटिया सीमा के अन्तर्गत विदेशी माता पिता के बो पुत्र पैदा होने हैं वे त्रिटिया नागरिक हैं। दूसरी ओर त्रिटिया माता पिता की

जो सन्तानें विदिश सीमा से बाहर पैदा होती हैं वे भी जन्मतः विदिश नागरिक माने जाते हैं। वैसी ही हमारी भारतीय कानून सी होती चाहिये।

एक विदिश जहाज विदिश द्वीप समूह का एक भाग माना जाता है इसलिए पृथ्वी के किसी भी भाग में विदिश जहाज पर पैदा हुआ वज्रा प्राकृतिक विदिश प्रजा समझा जाता है। प्रत्येक राष्ट्र में एक समान सिद्धान्त के अमाव में द्विगुणित नागरिक को उदाहरण पर्याप्त पाये जाते हैं।

**अप्राकृतिक नागरिक**—विदेशियों को विधिगत राजनीतिक सगठन का सदस्य स्वीकार करने और उसे अप्राकृतिक नागरिकों अधिकार प्रदान करना अप्राकृतिक हमारे नागरिक बनना कहते हैं। एक व्यक्ति कुछ शर्तों की पूर्ति करने पर प्राकृतिक नागरिक बनता है ये शर्तें विभिन्न राष्ट्रों में विभिन्न हैं। कीर्ण-कीरीब सभी देशों में अप्राकृतिक नागरिक होने के लिए वहां पर निवास करना आवश्यक है। यह अवधि विभिन्न राष्ट्रों में मिल-मिल है।

विदिश विद्यान के अन्तर्गत उस व्यक्ति का विदिश सीमा में ५ वर्ष तक निवास करना या विदिश सरकार की नीकरी करना आवश्यक है। सच्चिदता और अज्ञानेजी भावा का ज्ञान भी आवश्यक है।

कुछ थोड़ी सी मुविद्याओं के अतिरिक्त एक नागरिक और एक अप्राकृतिक नागरिक को मुविद्याओं और अधिकारों में बहुत कम अन्तर है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अध्यक्ष और उगाध्यक्ष का पद जन्मना नागरिक को ही प्राप्त हो सकता है।

**अप्राकृतिक नागरिक** के अन्य तरीके—मिलिखन हम में भी अप्राकृतिक नागरिक बन सकते हैं।

(१) विवाह—विवाह के बाद जो को नागरिकता पुष्ट को नागरिकता हो जातो है। जैसे कोई पाकिस्तानी महिला किसी भारतीय पुरुष के साथ शादी करे तो वह भारतीय नागरिक हो, जायगी।

(२) वैधानिक स्वीकृति—एक नागरिक पिता और विदेशी माता का

अवैध बच्चा बाद में दोनों के बीच शादी होने पर अपने पिता की नागरिकता को प्राप्त करता है।

(३) स्थावर सम्पत्ति—मैकि इको जैसे कुछ राष्ट्रों में भूमि क्य करके भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है।

(४) नौकरी—कुछ राष्ट्रों में विदेशी राज्य की नौकरी करके भी अप्राकृतिक नागरिक बन सकते हैं।

(५) दीर्घकालीन निवास—ब्राज़िल जैसे कुछ राष्ट्रों में दीर्घकालीन निवास करके भी एक व्यक्ति अप्राकृतिक नागरिक बन सकता है।

नागरिकता का नाश—(१) विवाह (२) विदेशी नौकरी (३) त्याग

(४) दीर्घकालीन अनुगस्थिति और (५) बहुत बड़े अपराधों के अपराधी होने तथा दूसरे राज्य में अडाकृति के नागरिक बनने से नष्ट होती है।

(६) बहुत से राष्ट्रों में शादी करने के बाद खी अपनी नागरिकता को त्यागकर अपने पुण्य के देशको नागरिकता प्राप्त करती है।

(७) कुछ देशोंके विधानानुसार जो नागरिक विदेशी सरकार की नौकरी स्वीकार करता है वह अपना नागरिक अधिकार खो देता है।

(८) स्थल या नव सेना से भागने वाले नागरिक कुछ राष्ट्रोंमें अपने अधिकार खो देते हैं।

(९) अधिकांश राष्ट्रों में दीर्घकालीन अनुगस्थिति नागरिकता के खोनेका कारण है।

(१०) धृणास्पद अपराधों के अपराधी नागरिकता से हाथ धोते हैं।

(११) अधिकांश रूपमें नागरिकता तब नष्ट होती है जब कि नागरिक अपने देशको छोड़कर दूसरे देशमें अप्राकृतिक नागरिक बन जाता है। पूर्व समय में इसके लिए उसको सरकारकी स्वीकृति आवश्यक थी परन्तु अब अप्राकृतिक नागरिक को ही सरकार द्वारा लिए जाते हैं।

प्रश्नावली

- .( १ ) नागरिक को रुपरेखा क्या है ? नागरिक और विदेशी का अन्तर बताओ । ( कल० १९२० )
- .( २ ) एक प्राकृतिक और अप्राकृतिक नागरिकका अन्तर बताओ । ( कल० १९३१-३३ )
- .( ३ ) नागरिकता प्राप्त करने के कौन से विभिन्न तरीके हैं । ( कल० १९३२ )
- .( ४ ) नागरिकता से तुम क्या समझते हो । नागरिकता प्राप्ति के कौन से विभिन्न मार्ग हैं ? ( नागपुर १९३७-३९ )
- .( ५ ) नागरिक से क्या समझते हो ?
- .( ६ ) सावधानी से बयान करो, क्या तुम एक नागरिक हो ?—

## अध्याय ८

### नागरिक अधिकार और कर्तव्य

अधिकार वह शक्ति है जो समाज द्वारा स्वीकृत हो चुकी है। अधिकार राष्ट्र द्वारा स्वीकृत दाता है, परन्तु यद्य अधिकार का असूर्य सिद्धान्त है। अभी कुछ ही वर्षों पूर्व दासता वैधानिक थी, दासों के मालिक उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें कैद रखते थे। विधान उन मालिकों के दबे का समर्थन करता था और राष्ट्र ने इसे स्वीकार किया था, परन्तु यद्य दासा अधिकार के रूपमें स्वीकृत नहीं होना चाहिए था।

अमरीका के गृह-युद्ध ने मानव भावनाओं में कान्ति उत्पन्न की और दासता गैर कानूनी समिति की गयी।

अधिकार क्या है?—अधिकार वे शक्ति और गारण्टी हैं जिन्हें राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक के लिए स्वीकार करना चाहिए। जिसके बहु समाज में अपना सबोत्तम विकास कर सके। नागरिक को अपने ही लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए अच्छे जीवन की खोज करनी पड़ती है। अगर उसको अपने आदर्श के अनुसार जीना है तो उसे शक्ति की भी पूर्ति करनी पड़ेगी।

वैधानिक और नैतिक अधिकार—अधिकार, अगर वह नैतिक विधानपर आधारित हे तो नैतिक है। यद्य जातिके नैतिक सम्मति के समर्थन पर आधारित है। अधिकार राष्ट्र द्वारा समर्पित होता है जब कि वह उसे लागू करता है, या उसको स्थापित करता है तो उसे वैधानिक अधिकार कहते हैं।

वैधानिक अधिकार मनुष्य के अन्तर्गत की वह धरता है जो राष्ट्र की सम्मति और महायता से दूसरों को किया नियंत्रण रखता है।

वैधानिक अधिकार—नागरिक और राजनीतिक —जो अधिकार

जीवन और समति की रसा और उपभोग से सम्बन्धित हैं वे सम्भवता की निशानी हैं और उन्हें हम नागरिक अधिकार कहते हैं। दूसरी ओर राजनीतिक अधिकार वे हैं जिनके द्वारा नागरिक को अपने राष्ट्र की सुखाद में भाग लेने का अधिकार है जैसे—मतदान और सर्वजनिक पदों को प्राप्त करने के अधिकार।

नागरिक और राजनीतिक अधिकार कर्तव्य-करीब एक ही समझे जाते हैं। उदाहरणके लिए विचारों और भाषणों स्वतंत्रतामें नागरिक और राजनीतिक दोनों ही अधिकारी हैं। अधिकारी होनेवा अर्थ दावेदार होना नहीं है क्योंकि वह कर्तव्य रहित है।

**कर्तव्य**—कर्तव्य एक एहसान है। किसी भी बात के प्रति एक व्यक्ति का कर्तव्य तभी है जब कि वह कुछ करने या न करने के लिए वाध्य हो।

**वैधानिक और नैतिक कर्तव्य**—अधिकार की तरह कर्तव्य भी नैतिक और वैधानिक होता है। नैतिक भावनाओं द्वारा परिचालित कर्तव्य नैतिक कर्तव्य है।

राष्ट्र द्वारा निहित कर्तव्य वैधानिक कर्तव्य है। समाज की नैतिक सम्मति गरीबों और रोगियों के प्रति कुछ अपने कर्तव्य पूरे करने के लिए वाध्य करती है। समाज की सद्भावना ही हमें इस ओर प्रेरित करती है। यह नैतिक कर्तव्य है। परन्तु वैधानिक कर्तव्य नितान्त विपरीत है उसकी पूर्ति वैधानिक अनिवार्यता के रूप में करनी पस्ती है। राष्ट्र उसके लिए वाध्य ढर सकता है।

**नागरिकता के अधिकार और कर्तव्य**—वर्तमान राज्य में राज्य का गठन करना जनता का अधिकार है और वकाशी और राजभक्त के साथ राष्ट्र की सेवा करना जनता का कर्तव्य है। वर्तमान राष्ट्र अधिकांश प्रशासनिक हैं कुछ योंगे से देशों में तानाशाही भी है।

**अधिकार और कर्तव्य का सम्बन्ध**—अधिकार में कर्तव्य निहित है

अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के साथ सम्बद्ध हैं। अधिकार में एहसान छिपा है। सामाजिक भलाई के कार्य करने का उन्हें अधिकार है। 'समाज के अद्वितीय करने का अधिकार मुझे नहीं है इसलिए मुझे अपने इच्छानुसार कार्य करने का अधिकार नहीं है।

राष्ट्र द्वारा जब मुझे कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं तो मुझे राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखना चाहिए। उदाहरण के लिए दूसरों के आकर्षण से मेरी शिक्षा करने का अर्थ यह भी है कि मैं स्वयं दूसरों पर आकर्षण न करूँ। राष्ट्र जब मुझे शिक्षा देता है तो मेरा यह कर्तव्य है कि मैं उस शिक्षा का प्रयोग समाज की भलाई के लिए करूँ। जिस प्रश्नार काम न करने वाला खाने का अधिकारी नहीं उसी प्रकार जो अपना कर्तव्य पूरा न करे उसे कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए। हमारे सभी अधिकारों के साथ कर्तव्य की शर्त यही हुई है और उनका उद्देश्य सर्वजनिक हित है। राष्ट्र के प्रति मेरे कर्तव्यों का अर्थ राष्ट्र के आदर्शों के प्रति मेरी अखण्ड अनुगमिता होनी चाहिए।

( १ ) मेरे अधिकार में तुम्हारा कर्तव्य भी अन्तर्निहित है। स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण करने का मेरा अधिकार इस बात की ओर संकेत करता है कि तुम उसमें बाधा न पहुँचाओ। मेरे अधिकार के प्रति मेरा कर्तव्य भी तुम्हारे उसी प्रकार के अधिकार की ओर निर्देश करता है। स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण करने का मेरा अधिकार किसी के द्वारा अवश्य नहीं होना चाहिए इसमें मेरा भी यह देखना कर्तव्य है कि और सभी लोगों को स्वाधीनता पूर्वक भ्रमण के अधिकार भी अवश्य न हो।

( २ ) राष्ट्र मेरे तथा अन्य लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखता है इसलिए हमने हमें प्रत्येक आदमी का यह कर्तव्य है कि उस राष्ट्र की सहायता करे बिसहे जार हमारी रक्षा का भार है। जैसा कि क.ख.ग. आदि सभी म्युडिशन राष्ट्र से अधिकार का दावा करते हैं उसी प्रकार उनमें हमें प्रत्येक म्युडिशन राष्ट्र के प्रति कर्तव्य भी है।

( ४ ) जो अधिकार देवि के स्वर्में होते हैं और जो कानून द्वारा लागू किए जाने चाहिए वे अपनी शक्ति मानवता के नैतिक उद्देश्य से प्राप्त करते हैं। वे व्यक्ति के जीवन के सर्वोत्तम प्रयोग के साधन हैं। इसी आधार पर उनके लिए दावा किया जा सकता है, वे स्वीकार किए जाते हैं और उनका प्रयोग होता है। इस प्रकार व्यक्ति को अपने जीवन के सर्वोत्तम विकास के लिए उनके प्रयोग का अधिकार है। व्यक्तिको भाषण स्वतंत्रता का दावा इसलिए करना है कि वह सज्जीवन के लिए आवश्यक है। व्यक्ति को उसका प्रयोग सज्जीवन के लिए करना चाहिए। नागरिक के अधिकार और कर्तव्य की इस निम्न व्याख्या करेंगे।

वर्तमान प्रजातांत्रिक राष्ट्र में नागरिक के अधिकार—व्यक्ति को अधिकार इसलिए दिये जाते हैं कि उनके बिना वह अपना सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता और इसलिये भी कि समाज की भलाई स्वतंत्र, प्रसन्न और सन्तुष्ट नागरिकों पर निर्भर करती है।

नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के विकास से नागरिकता के अधिकारों की सूची बढ़ती जाती है परन्तु ये अधिकार और इनके प्रयोग की सुविधायें सभी देशों में एक समान नहीं हैं।

एक अविकसित राष्ट्र में अपेक्षाकृत कम अधिकार स्वीकृत हुए हैं और एक विकसित राष्ट्र में अधिक अधिकारों की स्वीकृति और गारंटी दी है।

**मौलिक अधिकार—अधिकार घोषणा पत्र**—अधिकारीय वर्तमान विधानों में मौलिक अधिकार घोषणा पत्र रहता है। यह स्वतंत्रता की रक्षा का एक उत्तर है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का एक पवित्र घोषणा पत्र है। ये अधिकार मौलिक इसलिये कहे जाते हैं कि ये स्वतंत्रता, नागरिकों की सर्वाधिक द्वित को प्रोत्ति के लिए आवश्यक हैं। इसलिए ये अधिक पवित्र माने जाते हैं।

इनमें से कुछ अधिकार नागरिक हैं। कुछ राजनीतिक और आधिक हैं। ये राष्ट्र के विधान में इसलिए परिणत होते हैं कि उन्हें विशेष शक्ति और उल्लंघन प्राप्त

हो और नागरिकों को इसके द्वारा स्वतंत्रता की सुरक्षा मिले। वैधानिक रूपमें कार्यकारिणी या धर्म सभा इन अधिकारों का अपहरण नहीं कर सकती। इसलिए ये सुरक्षित हैं। ये अधिकार विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न हैं परन्तु इनमें से जो अधिक महत्वपूर्ण हैं वे सभी देशों में एक से हैं जैसे व्यक्तिगत स्वाधीनता, आत्म प्रकाशकी-स्वतंत्रता, संवाद पत्र की स्वाधीनता, संगठन और गतिविधि की स्वतंत्रता और विधान की दृष्टि में समानता।

इन मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त नागरिकों को कुछ और भी अधिकार प्राप्त होते हैं परन्तु इनमें से कोई भी अपने में पूर्ण नहीं कहा जा सकता। इसी की भी सार्वजनिक भलाई के विषद् कान करने की आज्ञा नहीं दी जा सकती। सभी अधिकार दूसरों के अधिकारों और सामाजिक भलाई के आधार पर सीमित हैं। एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र के नागरिक और राजनीतिक अधिकार निम्नलिखित हैं।

**नागरिक अधिकार—( १ )** जीवन के प्रति अधिकार में व्यक्तिगत स्वाधीनता सन्निहित है जो बहुत ही व्यापक है। यह न केवल जीवन की रक्षा बल्कि शारीरिक अल्पान्तर या डियो प्रबार के प्रतिक्रिया नि-करता है। विदेशी साम्राज्य से भी त्राण पानेका एक नागरिक अधिकारी है। इस प्रकार आन्तरिक और काष्ठ दोनों सुरक्षा इसमें सन्निहित है। जीवन के प्रति अधिकार आत्म रक्षा के लिए शक्ति के प्रयोग की भी बात बतलाता है। वैधानिक रूपसे एतदर्थ शब्द से छोड़कर चलना भी जायज है।

**( २ ) सम्पत्ति के अधिकार—** सम्पत्ति के प्रति अधिकार से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक अपनी समृद्धि के उपयोग के लिए निश्चिन्त रहता है। इसी भी स्वतंत्रि का निवासस्थान उसका छिला है जिसमें रिना वैधानिक अनुमति या वाहर के कोई प्रवेश नहीं कर सकता।

व्यक्तिगत पूँजीबाद और साम्पत्तिक संगठन यही अधिकार प्रधान शक्ति है। साम्पत्तिक

भधिकार किसी भी तरह सार्वजनिक भलाई के विरुद्ध नहीं जाना चाहिये। समाजवादी अचिंगत साम्राज्यिक अधिकार का अन्त करना चाहते हैं।

हमने पहले ही कहा है कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से सम्बन्धित हैं। ऐस्थिति हमें अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए आवश्यक सम्पत्ति का अधिकार भी प्राप्त होना चाहिए। जो धन स्वयं अपने परिश्रम से मैंने अर्जित नहीं किया है या जो सामाजिक भलाई के विरुद्ध है या जो समाज में मेरी गतिविधि के लिए आवश्यक नहीं है उसपर मेरा अधिकार नहीं होना चाहिए।

(३) धार्मिक विश्वास को स्वतंत्रता—इसमें नागरिक के विचार और पूजा अर्चन को स्वतंत्रता सम्मिलित है। स्वतंत्र देशों में इस अधिकार में हस्तक्षेप सद्य नहीं। इस स्वतंत्रता का सबसे महत्वपूर्ण अंश मस्तिष्क की स्वतंत्रता है। जर्मनी में इस स्वतंत्रता का अपहरण जो यहृदियों के विरुद्ध बगावत के हृष्में हुआ था जर्मन जनताके नागरिक अधिकार का अपहरण था।

(४) गति विधि का अधिकार—नागरिक को स्वतंत्रतापूर्वक विचरण करने का भी अधिकार है जो शक्ति के तानाशाही प्रयोग के द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता।

इंगलॅण्ड में अगर अवैधानिक रूप में कोई आदमी गिरफ्तार किया जाता है तो वह उसके लिए क्षतिग्रूहितका दावा कर सकता है। अपर कोई अंग्रेज बिना मामला चलाये कारागृह में बन्द किया जाता है तो हेवियस कारपस एकट के अन्तर्गत आवेदन-कर अपने को कोर्ट में दावित करने के लिए गिरफ्तार करने वाले को बाल्य कर सकता है ताकि उस पर वैधानिक रूपमें मामला चलाकर यह निर्दिष्ट किया जाय कि वह अपराधी है या नहीं। इस प्रकार वह अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। पर भारत में ऐसी बात नहीं।

(५) नियम पत्रको स्वाधीनता—नागरिकों को लेने देने की स्वतंत्रता

होनो चाहिए जिसकी शर्तें दोनों ही दलों के लिए बद्ध होंगी। उद्योग व्यवसायों को सम्मति और विश्वास के लिए यह स्वतंत्रता आवश्यक है।

( ६ ) उद्योग व्यवसाय तथा अन्य कार्यों की स्वतंत्रता—नागरिकों को अपनी इच्छानुसार छिसी भी उद्योग व्यवसाय या कार्य को हाथ में लेनेका अधिकार है। परन्तु वे ऐसा कोई कारबार नहीं कर सकते जो समाजके हितोंके विरुद्ध हो। इसलिए समाजको मर्यादा उद्योग और अफीम उद्योग पर रोक लगाने का अधिकार है।

( ७ ) भावाभिव्यक्ति एवं संवाद पत्र स्वाधीनता—संसार की सत्त्व के दमन करने के कारण बहुत महगी दीमत चुकानी पड़ती है। भावाभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत ही कीमती अधिकार है। सभी स्वतंत्र देशों में नागरिकों को इमानदारी से अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है बशर्ते उसके द्वारा दूसरों पर अभियोग न लगाया जाय। वह राजदौद्धत्वक अनैतिक या अपमान पूर्ण न हो।

छिसी की विचारधारा को अवश्य करने का अर्थ यह होगा कि उसकी कल्पना और विचार शुरू करने के दृष्टिकोण में सहायता करती है। यह अधिकारी वर्गों की तानाशाही के विरुद्ध एक सखल अक्ष है जिसके द्वारा जनता अपनी शिक्षायतों को दूर करा सकती है। प्रायः प्रत्येक स्वतंत्र भालोचना नागरिक और राजनीतिक मुधार के लिए एक दाकिशाली प्रेरणा रहती है। दूसरों ओर भावण की स्वतंत्रता को मताशीके गुरु-युग आन्दोलन का जन्म होता है। जो सरकार भालोचना को स्वीकार नहीं कर सकती वह अपनी छवि स्वयं खोदती है। कोई भी व्यक्ति अपनी सच्ची सम्मति को प्रकट किए यिना अपने नागरिक कर्तव्यों पूरा नहीं कर सकता।

इंगलैण्ड के विरीत भारतीय समाचार पत्रों को अंगरेजी शासनदाल में बहुत दम स्वतंत्रता प्राप्त रही है। इस सम्बन्ध में फाफी भालोचनायें हुई हैं परन्तु आज्ञा है कि हमारी एप्ट्रीय सरकार संवाद पत्रों की स्वतंत्रता का वचित भादर करेगी।

( ८ ) सार्वजनिक सभा और संगठन की स्वाधीनता—नागरिकोंको शान्तिपूर्वक गुणे मेंशन में एकत्र होने और सार्वजनिक हित के लिए संगठन करनेका अधिकार है। यह नागरिक अधिकारों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक हितके सभी कामोंमें सार्वजनिक आलोचना और इमानदारी से अपने भाव व्यक्त करने की स्वाधीनता होनी चाहिए। शक्ति के प्रयोग को तभी दूर किया जा सकता है जब कि सार्वजनिक विचार, विमर्श और आलोचना को उचित स्थान दिया जाय।

भाषण की स्वतन्त्रताके साथ-साथ संगठन और सार्वजनिक उभा का अधिकार समन्वित है। वर्तमान संसार में एक व्यक्ति अपने अन्य शक्तियों के साथ मिलकर भी अपने भाव व्यक्त कर सकता है।

( ९ ) विधानकी समानता—यह नागरिकका एक बहुमूल्य अधिकार है। अगर विधान ऊंच और नीच, धनी और गरीब या अपने अधिकारियों और समानता के बीच पश्चात रुकता है तो शास्त्रविक न्याय नहीं हो उकता। दैधानिक एकता की मानना अंगरेजी 'हलआय ला' से निकला है।

(१०) शिक्षा और कामका अधिकार—सभी सभ्य देशों में जनता की नैतिक, बीद्रिक और भौतिक भलाई को अधिकाधिक स्वीकृति मिलती जाती है। यह विचारधारा जोर पड़हती जाती है कि जनता की शिक्षा और उसके लिए कार्य की व्यवस्था करना राज्यका कर्तव्य है। इसलिए कितने ही देशों में प्रारम्भिक शिक्षा नियुक्त और अनिवार्य है और वेकारों की जीविकाका प्रबन्ध करने के लिए राज्य बाच है।

शिक्षाका अधिकार—नागरिकता की परिभाषा अपने व्यक्तिगत निर्णय को जनता की भलाई के लिए प्रदान करने को कहा गया है। इसलिए इसका धर्य यह हुआ कि जनता को ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो उसको नागरिक बनाने में सहायता पहुंचाये। अगे चलकर शक्ति उन्हीं के हाथों में आती है जो एक मात्र अपने ही लिए सोचते और काम करते हैं। जिन नागरिकोंमें इसका अभाव होता

है वे दूसरों के दास होते हैं। प्रत्येक नागरिकको इतनी शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए जो अपने सम्बन्ध में उचित निर्णय कर सके।

**कामको स्वतन्त्रता—नागरिकको काम करने और अपने धर्म के लिए बेतन पाने का भी अधिकार है।** जिसके बिना नागरिकता सम्भव नहीं। काम करने के अधिकार के साथ-साथ बेदारी के विश्वदृ प्रबन्ध करने का अधिकार भी है। उचित बेतनके अधिकार के साथ साथ उचित घटे कामका भी अधिकार सम्बन्धित है। जिसके बिना लोगोंको मशीन की तरह लगातार काम ही करना पड़ेगा। अवकाश के बिना नागरिक सोचने और समाज को भलाईके लिए काम करने में असमर्थ है।

**(११) विवाह तथा परिवार सम्बन्धी स्वतन्त्रता—नागरिकों को अपनी दृष्टानुसार विवाह करनेकी स्वतन्त्रता है।**

परिवार के अधिकार, जैसे बच्चोंके अभिभावक होने का वापका अधिकार सुरक्षित है। परन्तु यह याद रखना चाहिए कि विवाह तथा अन्य परिवारिक अधिकारोंका प्रयोग सामाजिक हित का ध्यान रखते हुए करना चाहिए। इसीलिए राज्य नागरिकोंके अधिकारोंको सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जिससे सार्वजनिक हितके विश्वदृ उनका प्रयोग होने पर वह उचित कारखाई कर सके। इस सम्बन्ध में हम शादी कानून का उदाहरण दे सकते हैं।

**(१२) पोस्ट, डाक, तार टेलीफोन आदिकी स्वतन्त्रता—सभी स्वतन्त्र देशों में अधिकार पत्र व्यवहार का सम्मान दिया जाता है। यद्यपि बहुत ही अपेक्षाएँ परिस्थिति और सार्वजनिक संस्टट के गमन पत्र तथा अन्य अधिगत पत्र व्यवहारी रूप अधिकारी दस्तीब पर सहते हैं।**

**(१३) प्रवास और राष्ट्रसे सुखाकारी स्वतन्त्रता—भरादूरके अतिरिक्त नागरिक को अपनी दृष्टानुसार राष्ट्र की छीमाए यादर जाने का अधिकार देना चाहिए और जब कहीं यह यादर भी हो तो उस गमन भी उसे अपने ही राष्ट्र से**

सुखा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए जगत में रहनेवाले एक भौंगरेज की देख रेख टोचियो स्थित निधि राजदूत के अधिकार में है।

( १४ ) सांस्कृतिक एवं भाषागत अधिकार—प्रत्येक नागरिक को अपने दल के अनुसार सांस्कृतिक एवं भाषा सम्बन्धी अधिकार है। इस अधिकार को सभी राष्ट्रों ने स्वीकार किया है। अल्पमत वालों के अधिकार को रक्षा के लिए यह बहुत ही महत्व-पूर्ण है।

( १५ ) सामाजिक जीवन की सुविधाओं के अन्य अधिकार

### राजनीतिक अधिकार

उपर्युक्त अधिकार नागरिक और आर्थिक अधिकार हैं और वह निम्नलिखित राजनीतिक अधिकारों से भिन्न हैं। सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार, मतदान का अधिकार, आवेदन का अधिकार, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के अन्तर में बहुत कम विभिन्नता देखी जाती है। वास्तव में बहुत से अधिकार दोनों ही में खाते हैं।

( १ ) धारा सभा और न्याय विभाग के अतिरिक्त और सभी सार्वजनिक पद को प्राप्त करने के समान अधिकार—प्रजातान्त्रिक राष्ट्र में एक बहुत ही बहुमूल्य अधिकार है। राष्ट्र के सर्वोच्च पद के लिए जितना अधिकार सबसे धनी व्यक्ति को है उतना ही सबसे गरीब को भी। नागरिक ही इस अधिकार के अधिकारी है विदेशी नहीं।

( २ ) मतदान—मतदान का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक अधिकार है। मतदान ही के द्वारा एक प्रजातान्त्रिक राष्ट्र में, नागरिक अपनी राजकार में भाग लेता है। प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त के अनुसार राष्ट्र के सभी पुण्य स्त्री को मतदान का अधिकार होना चाहिए, परन्तु सभी देशों में सभी व्यक्तियों को मतदान का अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। विदेशी नावालिंग, पागल,

खी एवं अन्य अयोग्य व्यक्तियों को मतदान का अधिकार नहीं है। सम्भाति या शिक्षा योग्यता की भी एक शर्त है। पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं था। परन्तु आज अधिकार या इसका और कुछ अप्रणाली पूर्ण देशों में महिलाओं को मतदान का अधिकार है।

जनता का विचार है कि समति मतदान की शर्त नहीं होनी चाहिए और जब देशों में आरम्भिक शिक्षा आनिवार्य है वहाँ इसका महत्व नहीं।

(३) आवेदनका अधिकार— प्रत्येक नागरिकको उचित अधिकारियोंके पास व्यक्तिगत या सामूहिक रूपमें अपनी विचायतोंको दूर करनेके लिए आवेदन करनेका अधिकार है।

राष्ट्रके विरोध करनेका अधिकार—इन कभी-कभी राष्ट्रके विरोध करनेके नागरिक अधिकार सम्बन्धी बातें करते हैं। परन्तु यह वैधानिक अधिकार नहीं है क्योंकि ऐसा होनेपर राष्ट्रको अपने ही विरोधमें नागरिकोंकी सहायता करनी पड़ती, यह नूर्ख़ाज़ाभरी बात है। राष्ट्रके विरोधका अधिकार एक नैतिक अधिकार है और इसका प्रयोग असाधारण नैतिक महत्वके संकटकालमें ही किया जा सकता है।

बोई भी राष्ट्र जो नैतिकताकी रक्षा करता है वह वास्तवमें उचित है। अगर राष्ट्र कोई आज्ञा देता है और किसी व्यक्तिकी आत्मा उसे माननेकी सलाह नहीं देती तो उस व्यक्तिको राष्ट्रकी उस आज्ञाको अस्वीकार करनेका नैतिक अधिकार है। क्रान्तिका अधिकार इसी अधिकार पर आधारित है। परन्तु प्रत्येक अवस्थामें व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत स्वार्थके बदले सार्वजनिक हितकी बातें सोचनी चाहिए। क्वांति का नैतिक अधिकार अस्वीकार नहीं किया जा सकता, परन्तु इसका प्रयोग उसी अवस्थामें उचित कहा जा सकता है जबकि इसके परिणामको पूर्ण रूपसे तौल लिया गया हो कि वह दुरा नहीं भला ही होगा।

## नागरिकके कर्तव्य और दायित्व

अधिकारोंके साथ-साथ नागरिकोंके कर्तव्य और दायित्व भी हैं। वर्तमान समयमें नागरिकके अधिकारके साथ-साथ कर्तव्यका भी उतना ही जोर देनेकी प्रव्याहै। नागरिक के यह अधिकार नैतिक और वैधानिक दोनों हैं और उनके लिए स्वाग, चाहस और अनुशासनकी आवश्यकता है। उसका अपने परिवार, पक्षोंसे और साथी नागरिकों तथा पूरे समाजके प्रति कर्तव्य है।

**राष्ट्रके प्रति उसके सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य निम्नलिखित हैः—**

( १ ) वफादारी—प्रत्येक नागरिक को अपने राष्ट्रके प्रति वफादार रहना चाहिए। उसे सभी शत्रुओं से राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए और अपराधीं तथा राष्ट्रदोषके दबानेमें राज्यकी सहायता करनी चाहिए। राष्ट्र, राष्ट्रकी रक्षाके लिए इधियार प्रदूष करनेको मांग कर सकता है। वह नागरिकोंकि लिए कुछ समय तक अनिवार्य सैनिक शिक्षाकी घोषणा कर सकता है। राष्ट्र की रक्षा करने तथा अपने वकाशारीका परिचय देने के लिए नागरिकों प्राण भी न्योछावर छरनेके लिए प्राप्त रहना चाहिए।

( २ ) आज्ञा-पाठन—प्रत्येक नागरिकको विधानके माननेके महान कर्तव्यों को निभाना चाहिए। सच्चे नागरिकही पढ़ान और किसी भी चीज से अधिक विधान को माननेमें है। विधानका निर्माण समाज की भलाईके लिये होता है। इसलिए जो इसे मानता है वह हृदय से समाजकी भलाई चाहता है। विधानके सम्मान और राष्ट्रके दंगठन के प्रति आदर से ही अच्छे नागरिक बनते हैं। ऐसे भी अवधुर भा सकते हैं जब कि समाज विरोधी विधानोंके विरुद्ध सार्वजनिक रायका संग्रह करना पड़े। बहुत योंहे अवसरों पर विधानको अस्तीकार करना नैतिक रूप में उचित बहा जा सकता है पर ऐसी अवस्थाओं में सावधानी से विचार कर लेना चाहिए कि क्या इस समस्थानका समावान अन्य प्रकार से इससे अच्छे रूपमें नहीं हो

सकता। विधान के सम्मान पर अगर एक बार चोट पहुँची तो वह हमारे शामाजिक स्वयंस्था को कम्पायमान कर सकता है।

( ३ ) करो' की अदायगी—एक नागरिक को बाह्यकरण तथा आन्तरिक विद्रोह से राज्य की रक्षा करने के लिए अपने प्राण तक देने को प्रस्तुत रहना चाहिए। राज्य के संचालन के लिए उसे उन करों को भी समुचित रूप में अदा करना चाहिए जो उसके ऊपर वैधानिक रूप में लगाये गये हैं।

( ४ ) मतदान का समुचित प्रयोग—नागरिक को मतदान का अधिकार है। उस मत का प्रयोग भलो-भाँति सोच-समझकर करना चाहिए। एक प्रजातांत्रिक राज्यमें जनता को जो राजनीतिक शक्ति प्राप्त है उसका प्रयोग वह मतदान के द्वारा करती है। वर्तमान प्रजातांत्रिक राष्ट्र में दलगत सरकार का रिवाज है। वहुमत दलराज्य का संचालन करता है। इसलिए नागरिकों को उस दल को चुनना चाहिए जो उसके राष्ट्र का संचालन अच्छी तरह कर सके। उसे दलोंके कार्य कम और उम्मेदवारों की योग्यताके सम्बन्धमें विचार खिमर्श करना चाहिए। जनता जबतक अपने मतको एक पवित्र धरोहर नहीं समझेगी अच्छी सरकारकी स्थापना नहीं हो सकती। अपने मतका प्रयोग करते समय उन्हें समाजकी भलाईका स्मरण रखना चाहिए। जो नागरिक अपने मत दानमें बेइमान या उदासीन होते हैं वह समाजके हितोंके विष्वद जाते हैं।

( ५ ) प्रारम्भिक शिक्षा और काम—जिस प्रकार शिक्षा और काम अधिकारकी बातें हैं उसी प्रकार वे कर्तव्य भी हैं। प्रत्येक भले नागरिकको अपने बच्चोंको कम-से-कम आरम्भिक शिक्षा देना अपना कर्तव्य समझना चाहिए। अधिकांश आधुनिक राज्य इसके लिए उसे बाध्य करता है। शिःसित जनताका निहित स्वार्थ वाले शोषण नहीं कर सकते।

नागरिकका कर्तव्य यह भी है कि वह कुछ रचनात्मक कार्य करे और दूसरोंका भार बन कर न रहे।

(६) साधारण सेवामें— अन्तमें नागरिकका कर्तव्य है कि वह समाज की सभी समय सेवाएं करे। उसे विश्वस्त सार्वजनिक पदोंको स्वीकार करनेके लिए प्रस्तुत रहना चाहिए और इसके लिए दुरा नहीं मात्रना चाहिए। सेवाकी इस भावनाकी सार्वजनिक उत्साह कहते हैं। नागरिक जीवन जैसे स्वायत्त शासन के कार्य, सामाजिक सेवा कार्य आदि में सक्रिय भाग लेना चाहिए।

जनतामें सार्वजनिक उत्सोहाभावके कारण ही नगर तथा देहातोंके कार्य सहजता-पूर्वक सम्पन्न नहीं किए जा सकते। सार्वजनिक पदोंको स्वीकार करनेमें भले व्यादमियोंकी उदासीनता और अनिच्छाके कारण कुरे और सार्थी लोग उन पदोंपर पहुँच जाते हैं और उनका प्रबोग अपने संकुचित स्वार्थ सिद्धिके लिए करते हैं।

### प्रश्नावली

(१) अधिकारमें कर्तव्य अन्तर्निहित है व्याख्या करो। (नागपुर १९३१) वर्तमान राष्ट्रमें नागरिक के महत्वर्ण अधिकार क्या हैं। (कल० १९२७)

(२) नागरिकके अधिकार के साथ उसके कर्तव्य, हैं भी व्याख्या करो और अपने देशके किसी नागरिकका उदाहरण दो। (कल० १९४०)

(३) (क) नागरिकताकी व्याख्या करो। (ख) एक नागरिकके अधिकार और कर्तव्य क्या हैं? (कल० १९२८)

(४) एक नागरिक और प्रवासीके बीच अन्तर बताओ। नागरिकके मौलिक कर्तव्य क्या हैं? (कल० १९३९)

(५) भावणकी स्वतंत्रता और समाचार-पत्रकी स्वतंत्रताएं क्या समझे हो? (कल० १६३३)

(६) अधिकार और कर्तव्य साध साध चलते हैं व्याख्या करो। (कल० १९३८) अधिकार कर्तव्यका प्रतिलिपि है व्याख्या करो। (यू० पी० बोर्ड १९२२)

(७) अधिकारकी परिभासा क्या है। एक नागरिकके नागरिक अधिकार क्या है? (कल० १९३१)

(१) अगर तुम्हारे नगरका मुविचिपल बोर्डका चुनाव अनुचित है या निःस्वार्थ वाले उसमें दस्तक्षेप करते हैं, तो इसके प्रति तुम्हारा कर्तव्य यथा है ? (कल० १९३८)

(२) (अ) सार्वजनिक सभा, (ब) भाषणकी सतन्नताके प्रति एक नागरिकके क्या अधिकार हैं ? (कल० १९३८)

(३) एक वर्तमान राष्ट्रोंमें नागरिक अधिकार और उसकी सुविधायें क्या हैं ? क्या नागरिकके कुछ दार्शनिक भी हैं ? (कल० १९३८)

(४) वर्तमान राष्ट्रोंमें नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यकी विवेचना करो। (कल० १९३५-४०)

(५) नागरिकता के अधिकार और कर्तव्यपर होटा निवन्ध लिखो। (कल० १९३७)



# अध्याय ९

## आदर्श नागरिकता

हमने एक नागरिक के अधिकार एवं कर्तव्य की व्याख्या पढ़ाई ही को है। सम्प्रस्तुतें समाज लेना चाहिए यह नागरिकता प्रजातंत्री सरकार के अधीन ही प्राप्त हो सकती है। स्वाधीन देशके नागरिक के अन्दर अपने अधिकार एवं कर्तव्यों को समझने की योग्यता होनी चाहिए।

## आदर्श नागरिकता के तत्व

प्राइसके कथनानुसार युद्ध भारतनियंत्रण, एवं कर्तव्य शान एक नागरिक के लिए अनिवार्य है।

( १ ) जिस देशके नागरिक को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हपमें सरकार संचालन में हाथ बंटाना होता है उसे युशाप्र युद्ध होता ही चाहिए। व्यक्ति-विशेष के मानसिक एवं चारित्रिक गुण सरकारी कायों में ही प्रकट होते हैं। उसे साधारण शान एवं वास्तविक शान का होना जहरी है।

( २ ) भारतनियंत्रण एक इकार की आज्ञानुसारिता है जिसके अभाव में अच्छे नागरिक बनने में सन्देह है। एक नागरिक को अपनी इच्छाओं का हनन-कर जाति की इच्छाओं को रखना चाहिए। राष्ट्र के अस्तित्व रक्षा की यह पदलो शर्त है। अगर प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार ही कार्य करना शुरू करे तो नागरिक समाज का गठन नहीं हो सकेगा। व्यक्ति को राष्ट्र के नियमों का पालन करना होगा क्योंकि इस प्रकार की आज्ञा पालन सर्वहित के लिए जरूरी है। पर आज्ञानुसारिता भय से आतोकत होकर उचित नहीं है। लास्को ने आधिक आज्ञाकारी होने को भी पातक मतलाया है।

( ३ ) अन्तमें एक अच्छे नागरिक को कर्तव्य ज्ञान होना। जहरी है। यह एक व्यापक शब्द है जिसका तात्पर्य न केवल नियम पालन बल्कि और भी अधिक है। एक नागरिक को यह उभी नहीं भूलना होगा कि उसका महान दायित है। उसे जातिके प्रति अपनी सेवायें अर्पित करनी हैं।

उसे विदित होना चाहिए कि जाति को भलाई करने के लिए वह जो कुछ भी कर सकता है उसे करना ही होगा। कानून एक नागरिक को निर्दिचत कर्तव्य पालन के लिए बाध्य करता है जैसे देशके रक्षार्थ युद्ध करना, घायलों की सेवा करना, अपने बच्चोंको पढ़ाना, एवं कर चुकाना आदि। अद्या नागरिक इस कर्तव्य का पालन यह समझकर नहीं करता कि कानून उसे ऐसा करने को बाध्य कर रहा है बल्कि वह राष्ट्र की भलाई को दृष्टिगत करके ही यह कार्य करता है। इसके अतिरिक्त बहुत से ऐसे कार्य हैं जैसे मतदान आदि जिनके लिए राष्ट्र व्यक्ति पर दबाव नहीं दे सकता। इस कार्य को नागरिक अपनी मुद्दि द्वारा ही संचालित होकर सम्पन्न करता है।

### आदर्श नागरिकता के रोड़े

आधुनिक प्रजातंत्र के जनने में आवश्यकता इस बात की है कि सरकार जनता की और जनता द्वारा मनोनीत सरकार हो। इसलिए व्यक्ति के गुण और सेवा की महान अवदाहनता है। अगर एक नागरिक चेवरूर या गूर्ज है अगर वह स्वाधीन है अगर वह दलगत भावनाओं द्वारा संचालित हो रहा है तो वह देश की प्रगति में रोहा होगा। क्योंकि अच्छी नागरिकता के मार्ग के रोड़े देश के प्रगति पथ के भी रोड़े हैं। भारतमें सामाजिक अयोग्यता एवं वर्ग तथा जातिमेद एवं अच्छी नागरिकता के मार्ग में अनेक रोड़े हैं। कटुतापूर्ण साम्प्रदायिक मतभेद एवं धर्मान्धरा सनात के सत्यानाश को पहुँचाते हैं। भयावह निरक्षरता, अनुदारता, एवं अत्यन्त गरीबी के कारण वह बहुत पीछे पड़ गये हैं जिसके परिणाम स्फूर्त उन्हें

नागरिक अभिधार भी प्राप्त नहीं होते। नागरिक अभिधारामात्र होनेवर अच्छी नागरिकता प्राप्त नहीं हो सकती।

धन दम अच्छी नागरिकता के माने के रोधी पर कम हो प्रशासा चालेंगे।

( १ ) एवं प्रथम दम अद्वानता एवं जड़ता का निक करेंगे जो बाजान एवं अनुभव के विषय है।

अगर वह मूर्ख है तो जिस सामाजिक कार्यमें भी वह भाग लेगा उसमें उगमे कुछ भलाईकी आदा नहीं रहेगी। वह सामाजिक कार्यों के योग्य नहीं है। उसी अद्वानता से राष्ट्र के उम्मेद एक उमस्या उपस्थित हो जाती है।

'जान ही शक्ति है'। इसी राष्ट्र की प्रगति एवं साहत उसके नागरिक के अनुभव एवं उत्तरदायित्व के ज्ञान पर ही निर्भर करता है।

अपने नागरिक को शिशित बनाना राष्ट्र का कर्तव्य है जिससे वह अच्छे नागरिक बन सके। प्रजातन्त्रयाद की सफलता शिशितों की पर्याप्त तांदृश्या पर ही निर्भर करती है। यणतन्त्र समूह शासन में अभिदृत, हो जा सकता है अगर औसतन नागरिक मूर्ख या अद्वान हो।

( २ ) दूसरे बाद आत्मपरता आती है जो आत्म नियंत्रण के विवरीत है। जिस देशके नागरिक आत्म-नियंत्रण नहीं रखते वहाँ मुकुर्भ्य सरकारकी इथायना नहीं हो सकती। अगर प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अपनी गुणिता का ध्यान रखे तो महान अवर्धे उपस्थित हो जायगा। प्रजातन्त्रो शासन के अन्दर व्यक्ति को व्यु-  
तांदृश्यक दल के उम्मेद गुणों टेक देने होता है अन्यथा कोई सरकार चल नहीं सकती।

३—हिस भी नागरिक वर्तम्य योग में बहुत से रोधे हैं जो उसकी प्रगति के माने में वापक होती है। ये हैं—(क) उदाहीनता, (ख) व्यक्तिगत व्याप्ति, (ग) दस्तगत कलद।

(क)—ऐसा कहा गया है कि प्रत्येक आदमी का कार्य हिसी भी व्यक्तिगत का कार्य नहीं है। इस प्रकार सार्वजनिक कार्यों के प्रति सापारण जनता की एक उदाहीनता की ही भावना है पर्योक्ति वह ऐसा रामरक्षा है कि इस उत्तरदायित्व में कितने ही आदमियों के भाग हैं। परन्तु सार्वजनिक कार्यों की इस प्रकार की उदा-

सीनता समाज के लिए बहुत ही हानिप्रद है। सार्वजनिक कार्यों के इस उदासीनता के अतिरिक्त वर्तमान राष्ट्र की विस्तृत सीमा व्यक्तिगत नागरिक के सीमित क्षेत्र और प्रतियोगिता के हित जैसे—खेल-कूद, उद्योग, व्यवसाय आदि उपकी उदासीनता में वृद्धि करते हैं।

आवश्यकता होने पर प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक दायित्व के प्रति प्रस्तुत रहना चाहिए। उसे मतदान का एक गम्भीरतापूर्ण कार्य समझना चाहिए और सार्वजनिक पक्ष को स्वीकार करने के लिए हमेशा प्रस्तुत रहना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग के बिना महान कार्यों की सफलता और सार्वजनिक हित सम्मत नहीं।

कार्यों की उदासीनता के साथ साथ विचारों की उदासीनता भी है। भले नागरिक को अपने प्रति इस स्थ में सोचना चाहिए कि उसे समाज का भी हित साधना है और यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि स्वतन्त्रता का मूल्य निरंतर सचेतना है और सच्ची चेतना स्पष्ट और स्वतन्त्र विचार धारा से उत्पन्न होती है।

(ल) व्यक्तिगत स्वार्थ अच्छी नागरिकता के पथ में बहुत बड़ी वाधा है। व्यक्तिगत स्वार्थ की सिद्धि मर्तों को क्य करके करों आदि को न अदा करके विशेष स्थान तथा उद्योगों को विशेष सुविधा प्रदान करके तथा सरकारी ठेके आदि का दुरुपयोग कर जनता के हितों पर कुठाराघात करके होती है। व्यक्तियों के मत्तिझक में स्वार्थ की भावना अभी भी कई रूपों में फार परती है। कभी कभी हम देखते हैं कि एक व्यक्ति अपने कर घटाने, अपने सम्बन्धियों को नौकरी दिलाने, अपने मुहल्ले की उच्चति में सार्वजनिक रूपये खर्च करने और अपने उद्योग व्यवसायों के लिए विशेष लाभ प्राप्त करने की चेष्टायें करते हैं। इस प्रकार समाज को उसके उचित मांगों में से वित रखते हैं। मत की विकी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए सार्वजनिक हित की हत्या कर के ही की जा सकती है। धारा सभा के सदस्यों की स्वार्थ भरी इच्छा उचित कर को नियंत्रित करने में वाधा पहुँचाती है। कर भार

कुछ वर्ग के व्यक्तियों पर दूसरे वर्ग के व्यक्तियों से अधिक पड़ सकता है। सार्वजनिक कोष का प्रयोग एक क्षेत्र को बाद देकर दूसरे क्षेत्र के विकास में खर्च हो सकता है और भी बहुत से तरीके हैं। जिनके द्वारा स्वार्थ की भावना हमारे नागरिक कर्तव्य की उचित पूर्ति में बाधा पहुँचा सकती है।

एक भले नागरिक को सर्वदा इस बात के लिए आगाह रहना चाहिए कि दूसरे स्वार्थ की भावना उसके सार्वजनिक चरित्र को न दूषित करे।

(ग) दलगत कठह—वर्तमान गणतान्त्रिक देशों में दलगत व्यवस्था आवश्यक है और दलगत उत्पाद यदि वह स्वस्थ और निमोनितम् है तो सुन्दर राजनीतिक संघटन में सहायक होता है। जिन ईर्ष्या या स्वार्थ की भावना के द्वारा व्यवस्था प्रतिमोगिता निरुन्देह भवती है।

परन्तु दलगत कठह कुछ अस्वस्थकर बातों को भी जन्म देती है और यह अधिकांश वर्तमान गणतान्त्रिक राष्ट्रों में पायी जाती है। दलगत भावना स्वतन्त्र विचार में बाधा पहुँचा रहती है इसके द्वारा व्यक्ति सल की नहीं बल्कि धर्मने दल को विजय चाहता है। यह विभिन्न दलों के समर्थकों के बीच धैर्यता की भावना पैदा करती है और व्यक्ति को राष्ट्र-द्वित के बदले दलगत द्वित का समर्थक बनाती है। एक भले नागरिक को हमेशा इस बात के लिए सावधान रहना चाहिए कि उसका दलगत उत्पाद राष्ट्र के प्रति उसकी वकादारी में बाधा नहीं पहुँचायी।

नाइस के अनुसार इसका प्रतिकार—(१) शासन-व्यवस्थाओं उन्नति—विद्यान एवं सभा समितियों का संशोधन (२, आचार नीति में सुधार—उच्चाद्धरों की शिक्षा देकर जनता की चारित्रिक एवं आधारितिक उन्नति करना है।

(क) सरकार शासन-व्यवस्थामें सुधार—अगर सरकार सुविधा-वालिता से काम लेती हो, अगर वह मोलिछता को दशा देना चाहती हो अगर जनता को पढ़-दिलत करना चाहती हो तो इस प्रकार की सरकार

एक क्षण भी ठहरने योग्य नहीं है उसमें सुधार होना ही चाहिए। राष्ट्र विशेष की जनता की बहादरी प्राप्त करने के लिए राष्ट्र का गठन इस प्रकार होना चाहिए जिससे जनता अपने अधिकार को सुरक्षित समझे और राष्ट्र को सदैव अपना माने।

(ख) जनता का सुधार-आचार नीति में सुधार—एक राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के द्वारा ही जनता के अरित्र और उसकी संस्कृति में सुधार हो सकता है। नागरिक आदर्श की सच्ची प्राप्ति के लिये नागरिकों में नागरिक गुणों का विकास ही एक मात्र पर्याप्त नहों है बल्कि उदासीनता वैयक्तिक स्वार्थ और अस्वस्थकर दलगत कलह यथा सत्त्वे नागरिक बनने के पथ में वाधा पहुँचने वाली बातों को दूर करना ही आवश्यक है।

### प्रश्न

(१) अच्छे नागरिक के क्या भावशक गुण हैं? राष्ट्र के प्रति नागरिक के क्या दायित हैं? (नाग० १९३६-३७)

(२) अच्छे नागरिक के पथ में रुकावटें हालने वाली कौन सी बातें हैं।  
(कल० १९३८-४०)

(३) अच्छे नागरिकों के पथकी प्रमुख वाधाओं पर विचार करो। (कल० १९३९)

४) साक्षानी से बतलाओ कि क्या तुम एक नागरिक हो। (कल० १९४३,

## अध्याय १०

### भारतीय नागरिक

हमने इसके पूर्व एक आधुनिक सम्बन्ध राज्यके नागरिकोंके अधिकार का वर्णन किया है और उन प्रतिबन्धोंकी ओर भी संकेत किया है। जिनके अन्तर्गत नागरिकोंको अपने इन अधिकारोंका प्रयोग करना चाहिए। भारतमें इसके अतिरिक्त कुछ और भी प्रतिबन्ध हैं जिनका हम संशोधनमें वर्णन करेंगे।

(२) व्यक्तिगत स्वतन्त्रता—सर्वप्रथम यह उल्लेखनीय है कि नागरिकोंके अधिकार और स्वतन्त्रता तभी वास्तविक समझे जा सकते हैं जब कि वे न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकें और कोई भी प्रतिबन्ध जिसपर न्यायालयमें विचार नहीं किया जा सके तानाशाही है। इसलिए ऑर्डिनेन्चा एवं रेगुलेशनके द्वारा जो कानून न्यायालयोंकी विना परवाह किये बनाये जाते हैं और जब विधान कार्यकारिणी को अखिल शक्ति देता है तो अधिकार और स्वतन्त्रताका अपहरण होता है।

जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो उसपर साधारण न्यायालय में मामला बढ़ाना चाहिए। परन्तु भारतमें कार्यकारिणीके अधिकारियोंको इतना अधिकार दिया गया है कि वे किसी भी व्यक्तिको विना न्यायालयमें उपस्थित किये अनिश्चित काल तक जेलमें ढाले रख सकते हैं। ऐस्ट इण्डिया कम्पनीके समय में इष्य प्रशारके द्वारानकी आवश्यकता हो सकती थी। ब्रिटिश दारान कालमें भी किसी प्रकार यदि चीज चल सकती थी परन्तु १५ अगस्त १९४७ के पश्चात् इस प्रशारके कोई विधान चाल नहीं रहना चाहिये।

(२) आवगमन, निवास और प्रवास के अधिकार—इनमें यह देखा है कि नागरिक का एक साम्यान्य अधिकार यह है कि वह स्वतंत्रता पूर्वक जहाँ चाहे था जा सके और राज्य के अन्तर्गत जहाँ चाहे निवास कर सके। अपराधियों आदि की गतिविधि पर बुल्ल वैधानिक प्रतिबन्ध हो सकते हैं परन्तु भारत में विटिय राज्यों के अन्तर्गत नागरिकों पर अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध लगे हुए थे।

अगर भारत विद्या साम्राज्य एक है तो उसके नागरिकों को साम्राज्य के किसी भी भागमें स्वतंत्रता पूर्वक निवास करने का अधिकार होना चाहिए। परन्तु दक्षिणी अफ्रीका ने सोजिगएक्ट और एशिया के भूमिका आदि के द्वारा भारतीय जनता पर जो प्रतिबन्ध लगा रखा है उसके समावान नये संयुक्त राष्ट्र संघके इस्तेषेप पर भी संभव नहीं हुआ। दक्षिणी अफ्रीका में भारतीयों को आज भी वहाँ के निवासियों के समान अधिकार प्राप्त नहीं हो सके। यही नहीं बर्मा और सिलेन जैमे बंशोंमें भी भारतीय प्रवासियों के विषद्व कई प्रकार के विधान पास हुए हैं। अगेपे हमें इस सम्बन्ध में सतर्क रहने की भारी आवश्यकता है।

(३) सार्वजनिक पद प्राप्ति के अधिकार—सार्वजनिक पदों को प्राप्त करने के सभी लोगों को समान अधिकार दिया गया। अब अब कि हम स्वतंत्र हो गये हैं भारतीय और यूरोपियनों के बीच पक्षपात का प्रश्न नहीं उठता। परन्तु यह टक्केबन्धीय है कि हमारे चिंदशी द्वासांकों के पश्चात् पूर्ण दृष्टि के कारणही जो सभी विभाग के उच्च पदोंपर अपने आदमियों को रखना ही तुल्सिसंगत समझते थे आज हमें टेक्निकल तथा अच्छे ऐतापति आदि अनुभवी और मुयोग्य व्यक्तियों का अभाव लटकता है।

( ४ ) स्वतंत्र मताभिव्यक्ति के अधिकार—विटिश साम्राज्य के अन्तर्गत कार्यकारिणी के अधिकारियों को इतने तानाशाही अधिकार प्रदान किये गये थे कि मताभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नाम मात्र की रह गयी थी। वही अधिकारी स्वयं विधान बनाते थे और न्याय के नाम पर स्वयंउसका संचालन भी करते थे ।

( ५ ) भारतीय समाचार पत्रोंकी स्वाधीनता—भारतीय दंड विधान की धाराके 'अंतर्गत' मान हानि तथा राजदोषके अंतर्गत दायित्वके अतिरिक्त किम्बल प्रोसेज्योर कोडके १९ वां धाराके अंतर्गत भी प्रेसकी तलांशी ली जा सकती है तथा पुस्तकें और समाचार पत्र जैसे किये जा सकते हैं । इसके अतिरिक्त पोस्ट-फ़ाक्स और समुद्री चुगी ऐक्ट, देशी राज्य सुरक्षा एकट आदिके द्वारा भारतीय समाचार पत्रोंपर विटिश नौकरशाहीने अनेक प्रकारके प्रतिबन्ध लगारखे थे ।

विटिश साम्राज्यके आरम्भकालमें भारतीय प्रेसोंपर अनेक प्रकारके बहुत ही आपत्तिजनक प्रतिबन्ध लगे हुए थे । वेलेजलीके समयमें एक भारी प्रतिबंधात्मक आज्ञा लगी थी । लार्ड मेटकाफने कहुतसे प्रतिबंधोंको दूर किया ।

चन् १८७८ में लार्ड लिड्नके समयमें स्वीकृत बर्नावयूलर प्रेस एकटने समाचार पत्रोंकी स्वतंत्रता पर भारी कुराराधात किया । इस प्रकार १९०८, १९१९, १९२२, १९३० और १९३२ में विभिन्न प्रकारके आदिनेस्स और कानूनोंके द्वारा भारतीय प्रेसोंकी स्वतंत्रताका अपहरण किया गया ।

( ६ ) व्यक्तिगत पत्रव्यवहारकी स्वाधीनता—व्यक्तिगत पत्र-व्यवहारमें इस्तेंशेप सर्वजनिक भलाईके नामपर न्यायसंगत कहा जा सकता है परन्तु कार्यकारिणके अधिकारियोंको इतना अधिकार नहीं होना चाहिए कि वे छोटी-छोटी बातोंके आधार पर उसका हुस्सेदारी करें । स्वतंत्र देशोंमें व्यक्तिगत पत्र व्यवहार के साथ तभी इस्तेंशेप किया जाता है जब कि अधिकारियों को यह बात मालूम होती है कि उक्त पत्रकी बातें राज्यके लिए बहुत ही संकटप्रद हैं । परन्तु भारतमें प्रिटिश साम्राज्यके अंतर्गत छोटी-छोटी बातोंमें भी व्यक्तिगत पत्र-व्यवहार

में दृस्तक्षेप होता रहा है और साधारण समवयमें भी व्यक्तियोंके पत्र अधिकारियों द्वारा पढ़े जाते रहे हैं।

(७) सम्मेलन एवं जनसभाका अधिकार—विटिश नौकरशाहीके भी समय भारतीयोंको यह स्वाधीनता थी परं गवर्नरजेनरल को यह सुविधा छीन लेनेका सदैव अधिकार रहता था। १९०८ के दण्ड विधान संशोधित ऐक्टसे द्वितीय भागके अनुसार उन्हें उक्त सुविधा दी गयी थी। गवर्नर जेनरलकी इस 'शक्तिशो न्तानाशाही कइ सकते थे क्योंकि उनकी शासन परिपदके आदेशके विरुद्ध किसी न्यायालयमें मामला नहीं चलाया जा सकता था। भारतीय जनताने जनसभा विदेषकों वैधानिक या अवैधानिक सम्बित करनेके लए न्यायालयकी सदैव मांग की। पर नौकरशाहीके कानोपर जूँ तक भी नहीं रेंगी।

१९११ के आरत्तिजनक सभा ऐक्टके मुताबिक जिस क्षेत्रमें यह ऐक्ट लागू हो वहां पर किसी प्रकारकी सभा नहीं हो सकती। पर विटिश नौकरशाहीने १४४ धाराका दुहरायोगकर जनसभा सम्बन्धी नागरिक अधिकार पर ये कुछाराधात डिया।

नौकरशाही ने यद काम आलो वरा प्रल्यालोचनाओंसे बचनेएवं विरोधी प्रचारको रोकनेके लिए ही किया करती थी। यह नागरिक अधिकार कोई नयी चीज नहीं है। प्राचीन भारतमें जनताको बोलने और आलोचना करनेका पूरा अधिकार था। महाभारतके शान्ति पर्वसे प्रमाणित होता है कि प्राचीन भारतमें यह अधिकार बहुत व्यापक था। उसमें लिखा है:—

अतीत दिवसे वृत्तं प्रशंसन्ति नवा पुनः

गुप्तैश्वरैरनुमर्ते पृथिवी मनुष्यार येत

जानोत यदिमे वृत्तं प्रशंसन्ति न वा पुनः

कथिदोचेजननदे कट्टिद्राङ्गे चमेवश

जनता द्वारा कड़ आलोचनाके कारण ही रामचन्द्रने सीताका परित्याग किया था।

शिक्षा और काम—इस आज स्वाधीन होनेके पश्चात उपर्युक्त अधिकार सम्बन्धी चाहे किसी प्रकारको मांग करें पर विदित नौकरशाहीकी तानाशाहीके अन्दर हमें ये अधिकार प्राप्त नहीं थे । प्रगतिवादी प्रजातन्त्री देशोंमें प्रारम्भिक शिक्षा ही जहाँ नहीं है बल्कि निःशुल्क भी साधन्साध्य परमावश्यक है । जर्मनीमें न केवल निःशुल्क शिक्षा बल्कि प्रारम्भिक छात्रोंको निःशुल्क पुस्तकें एवं अन्य शैक्षणिक साधन प्रदान किये जाते हैं । पर भारत में नौकरशाही ने जनस्तिति को कुबलने को जो चेष्टा की वह सर्वथा निन्दनीय है ।

वेकारी के सम्बन्ध में तो भारत को पूछना ही नहीं है । पश्चिम के कर्मचारियों की योग्यता एवं इन्हिके अनुग्राह ही कार्य करना पड़ता है । वह काम चाहता है अतः काम उसे मिलना ही चाहिए । अगर उसे कोई काम नहीं मिलता तो उसके भण्णन्योग्य की व्यवस्था राष्ट्र को करनी होगी ।

‘कॉम्प्रेस और भारतीय नागरिकों’ के अधिकार—भारतीय नागरिकों के सम्बन्ध में १९३१ में करांनी कॉम्प्रेस ने जो प्रस्ताव पास किया उसका त्रिक करना अग्रासणिक नहीं होगा । इस प्रस्ताव को उपस्थित करते हुए महात्मा गांधी ने कहा था ‘यह उन दोनों के लिए है जो व्यवस्थायिका के सदर्शन नहीं, जो विधान के प्रदन को उलझन पूर्ण बनाना नहीं चाहते तथा जो देशकी शासन व्यवस्था में सक्रिय भाग नहीं लेते ।’ इसका तात्पर्य यह था कि गरीब जनता वास्तव में स्वराज्य का मतलब स्पष्ट हपेण समझ जाय । प्रस्ताव में यह भी बतलाया गया कि शासन शक्ति भारतीयों के हाथ में आते ही यह विधान लागू कर दिया जायगा । जनता के शोपण को रोकने के लिए राजनीतिक स्थापी-नता को आधिक स्वाधीनता बतलाया, (१) प्यक्किंगत सम्पत्ति चालू रहेगी, (२) प्रमुख उद्योगों पर अधिकार कर राष्ट्र मूल्य कर आदि के दुर्घटों को दूर करेगा,

(३) सैनिकों की संख्या में कमी कर सैनिक खर्ब घटाया जायगा। प्रथम प्रस्ताव को पास कर कांग्रेस ने राजाओं एवं जमीदारों के भय को दूर किया। कांग्रेस की योजना क्रान्तिकारी नहीं थी इसीलिए १९३६ में समाजवादियोंने क्रान्तिकारी समाजवादी योजना उपस्थित करने की मांग दी।

**कांग्रेस का स्वाधीनतापत्र—मौलिक अधिकार सम्बन्धी कांग्रेस की घोषणा से स्वाधीनता सम्बन्धी कांग्रेस के उद्देश्यों का पूरा ज्ञान हुआ।**

### मौलिक अधिकार

- (१) (क) प्रत्येक भारतीय को मिलने जुलने, विचार स्वतंत्र्य एवं शस्त्रविहीन द्वान्तिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार रहेगा। पर विधान एवं नैतिकता के विरुद्ध ऐसा अधिकार नहीं होगा।
- (ख) प्रत्येक भारतीय को धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्वाधीनता रहेगी। पर इससे जनशांति पर कोई आघात न हो।
- (ग) अन्यसंख्यकों की भाषा, संस्कृति एवं लिपि की रक्षा की जायगी।
- (घ) धर्म, जाति या वर्ग के बिना भेद-भाव माने सभी भारतीय विधान के समक्ष बराबर हैं।
- (च) सरकारी नौकरी प्राप्त करने, व्यापार चालू करने आदि में धर्म या जाति के कारण किसी भी भारतीय को किसी प्रकार की विशेष सुविधा नहीं दी जायगी।
- (छ) सरकारी सड़कें, कुर्स, स्कूल तथा वे संस्थायें जो व्यक्ति द्वारा भी जनता के हित के लिए दी गयी हैं सभी प्रवेश पा सकेंगे।
- (ज) अस्त्र-शस्त्र सम्बन्धी नियम में संशोधन के पश्चात् प्रत्येक भारतीय को अस्त्र शस्त्र लेकर चलने का अधिकार और कर्तव्य है।
- (झ) गैर वैधानिक रूपमें किसी भी व्यक्ति की स्वाधीनता पर आघात नहीं किया जायगा और न तो उसकी सम्पत्ति छीनी ही जा सकती है।

(२) भार्मिक मामलों में राष्ट्र तटस्थ रहेगा ।

(३) चुनाव व्यवस्थमताभिकारानुसार होगा ।

(४) राष्ट्र निःमुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा । शैक्षणिक संस्थाओं का उद्देश्य जनता के उत्साह को बढ़ाना एवं छात्रों को मानसिक प्रगति की ओर ले जाना तथा राष्ट्रीयता का प्रचार करना होगा । शिक्षा देते सभी विशेष विचारों को कुचलने की जेष्ठा नहीं की जायगी ।

(५) राष्ट्र किसी प्रकार की उपाधि नहीं देगा ।

(६) प्रत्येक भारतीय का भारत के कोने-कोने में घूमने, निवास करने एवं व्यापार चालू करने का अधिकार होगा ।

(७) कानून के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपराधी नहीं है तो उसे कदमी दण्ड नहीं दिया जायगा ।

(८) गंगा वैधानिक रूप में पोस्ट, तार, डाक के मामले में व्यक्तिगत मोफतीय बातें नहीं खोली जायंगी ।

(९) किसी भी व्यक्ति को किसी अधिकारी या जनना के प्रतिनिवि के विरुद्ध आवेदन पत्र देने एवं शिकायत करने का अधिकार है । यह काम राष्ट्रीय और व्यक्तिगत दोनों हस्तों में हो सकता है ।

(१०) आधिक दण्ड नहीं दिया जायगा ।

### मजदूरों के अधिकार

(१) राष्ट्र भौद्योगिक मजदूरों के स्वाधीनों को सशा करेगा तथा उनके लिये उचित वेतन, कार्य की स्वास्थ्यकर शर्तें, सोमित्र घण्टे, मालिहो और मजदूरों के भगाँडे को मिटाने के लिए उचित न्यायालय तथा उद्घासा एवं वेदारी के कारण आधिक क्षति पूर्ति करने के लिए राष्ट्र उचित बधान बनायेगा ।

( ३ ) इच्छा के विरुद्ध एवं उचित मुआविजे के बिना किसी भी व्यक्ति को काम करने के लिए लाचार नहीं किया जा सकता ।

( ४ ) स्त्रियों पर विशेष ध्यान दिया जायगा विशेषकर उन पर तो और ध्यान रहेगा जिनके बच्चे हैं । प्रसव-काल के लिए सरकार विधान बनायेगी ।

( ५ ) अल्यावस्था के बच्चे किसी फैक्टरी में काम नहीं करेंगे ।

( ६ ) अपने स्वार्थों के रक्षार्थ मजदूर यूनियन बनाने को स्वतन्त्र रहेंगे ।

### कर और व्यय नीति

( ७ ) जमीन कर की पद्धति में सुधार होशा तथा इस प्रकार की व्यवस्था की जायगी जिससे छोटे छाटे किसानों को कृषि सम्बन्धी कम से कम कर देना पड़े । पैदावार मारी जाने पर कर भी माफ होगा, इसी प्रकार की व्यवस्था जमीदारों के साथ भी है ।

( ८ ) निश्चित रकम तक की सम्पत्ति से ऊपर की सम्पत्ति पर ही मत्यु कर बसूल किया जायगा ।

( ९ ) पार्वेवर्ती देशों के साथ सूनित नीति बरती जायगी तथा सेना घटाकर धार्धों कर दी जायगी जिससे व्यय कम हो सके ।

( १० ) सिविल विभागों के व्यय और वेतन दोनों घटायें जायगे । विशेष विशेषज्ञ के अतिरिक्त किसी भी सरकारी कर्मचारी को ५०० रुपये से अधिक वेतन प्राप्त नहीं होगा ।

( ११ ) नमक कर बढ़ा दिया जायगा ।

### आर्थिक और सामाजिक योजनाएँ

( १२ ) राष्ट्र स्वदेशी वस्त्रों के प्रयोग को प्रोत्साहन देगा और इस प्रकार की नीति अलित्यार करेगा जिससे विदेशी वस्त्र और सूत का अभाव न हो ।

( १३ ) मरणान को नियिद्ध कर दिया जायगा ।

( १४ ) राष्ट्रीय स्वार्थों के लिए ही मुद्रा विनिमय और मुद्राचलन कर प्रयोग होगा ।

## भारतीय नागरिक

( १५ ) राष्ट्र प्रसुख औद्योगिक केन्द्र, खानों एवं यातायात के समस्त साधनों पर अधिकार करेगा ।

( १६ ) कृषि सम्बन्धी कर्ज को समाप्त करने के लिए उचित कार्रवाई की जायगी ।

( १७ ) स्थानीय अधिकारियों के जरिये राष्ट्र ग्रानीजों के मनोविनोद, क्षेत्रीय शिक्षा, कृषि मुभार, चरखे को प्रोत्साहन तथा अन्य देशी कलाओं को जाप्रत करने की चेष्टा करेगा ।

( १८ ) स्थानीय सैनिकों के अतिरिक्त नागरिकों को भी सैनिक शिक्षा दी जायगी जिससे रक्षा के समय वे काम आयें ।

## प्रश्न

( १ ) भारतीय नागरिक अधिकार का प्रयोग कहाँ तक करते हैं ?

( २ ) दमाचार पत्र की स्वतंत्रता से क्या लाभ है ? क्या तुम भारत में पत्र स्वाधीनता पर किसी प्रकार के रोक के पक्षपाती हो ? ( कल ० १९२९ )

## अध्याय ११

नागरिकतासे सम्बन्धित परिवार, गाँव,

### नगर, देश एवं विश्व

पहले हमलोगोंने नागरिकके उभावका रिक्त छिपा है। बास तौररर हमलोगोंने नागरिकके कर्तव्य और अधिकारका भी वर्णन छिपा है। नागरिकको केन्द्र मानकर अनेक परिवारी बनायी जा सकती हैं जिसमें दयुतम परिवर्ति परिवार है। इसके बाद गाँव या नगर है। महत्तर देश एवं महलम विष्व है। अतः नागरिकतासे सम्बन्धित परिवार, गाँव, नगर एवं विश्व के अध्ययनकी आवश्यकता है। इस प्रकारका अध्ययन दो विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा हो सकता है।

प्रथम आधुनिक नागरिककी स्थितिकी परीक्षा, स्थानीय राष्ट्रीय एवं सांसारिक दृष्टिकोणसे उपके अधिकार एवं कर्तव्यको व्याख्या है। द्वितीय मनुष्यके नागरिक ज्ञान एवं उन वातांके ज्ञानके कर्मिक विकास एतिहासिक अध्ययन भी यह हो सकता है। इस प्रान्तकी संक्षिप्त विश्लेषणमें हमकोग जानकी दो पद्धतिर्थोंको एक बद्द करनेही चेष्टा करेंगे।

नागरिकता और परिवार—कोई भी पर्यावरक परिवारकी प्रसुखताको अत्यधीर नहीं कर सकता, जो परिवार सम्बन्ध गुणन्वयण एवं नागरिकताका अध्ययन स्थान है। परिवारका स्थानादिक वियान यह है कि नवयुवक अपने मां बाप पर सुरक्षा निर्भाय करता है। प्राचीन कल्पमें केवल माता पिता और वृद्धोंमें ही परिवारका गठन नहीं होता था। परिवार में बुढ़ाबोंकी भी यशसा होती थी।

यहाँ यह अच्छी तरह समझेना चाहिए कि कानूनों भावहस्ती स्वीकार करनेकी जो बात उठी वह प्राचीनहालमें परिवारके सुरक्षितादी मातहस्तीकाही एक विस्तृत रूप है। अतः नागरिकतादा प्रारम्भिक ज्ञान परिवारिक विद्यालय द्वारा ही प्राप्त हुआ। यद्यपि कालबद्धमें शर्कः शने परिवारिक अनुशासनस्थी तात्त्व घटती गयी तथापि परिवार नागरिकताके अध्ययनका प्राविनिक स्थन है अनेक इटिडोजों में परिवार राज्यका ही अनुल्प है। क्योंकि सामाजिक एवं नागरिक व्यक्ति परिवारिक जीवनमें ही विद्याम् प्राप्त करते हैं। परिवारमें ही सर्व प्रदम् व्यक्ति सर्वहित पर विचार करता है। अनेक परिवारके द्वितीय कानून करता है। इस ज्ञानसे अच्छी नागरिकतादा एक तत्त्व उम्मदाय के हितार्थ व्यक्तिके नियमी स्वार्थका ल्याग है। अगत्तकोम्यके शुद्धादेश पारिवारिक जीवन सामाजिक जीवनका स्थावी विद्यालय है जो सरकार एवं अनुशासन दोनोंसे शब्द अर्थके सदृश सम्बद्ध है।

इसके अतिरिक्त एक नागरिक को पारिवारिक उद्देश्य के रूपमें भी कुछ वर्तमानों का पालन करना पड़ता है। उदाहरणलेखन माँ बप का यह देखना कर्तव्य है कि उनके बच्चे उद्देश्य सुविधित एवं सच्चात्मिक ही। इसके अतिरिक्त परिवार की उचित आधिक स्थिति पर ही सम्प्रदय का मगल निर्मर करता है। परिवार की आधिक स्थिति इस प्रदार की होनी चाहिए जिसमें स्वावलम्बन, अध्यवसाय एवं सेवा-भावना को प्रोत्साहन मिले। इस प्रदार सामाजिक मंघ के रूपमें परिवार सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है।

नागरिकता और प्राम या नगर—परिवार से बाहर निकलकर द्वितीय विस्तृत क्षेत्र एक नागरिक को प्राम या नगर मिलता है। इसी सम्बन्धी जीवन अतीत करनेके लिए जब अनेक परिवार एक ही स्थान पर आहर यम जाते हैं तो एक प्रम वा विद्यास होता है। इस और दर्शन को पूँढ़के परदान् नगर का विद्याम् हुआ। बहुत बड़ी मंच्चा में लोग उस केन्द्र की ओर दौड़ने लगे जहाँगर

शाही कचहरी तथा पवित्र तीर्थ स्थान था। इस प्रकार गांव और नगरमें तादात्म्य सम्बन्ध है क्योंकि वे एक दूसरे से स्वतंत्र बिल्कुल ही नहीं हैं। जब गांव खायान, कच्चो माल एवं एताहश अन्यान्य वस्तुएँ नगरों को देता है तो इनके बदले में नगर भी पक्का माल एवं प्राम में अप्राप्य अन्य आवश्यक वस्तुएँ देता है। नगर और सभ्यता में कितना गहरा सम्बन्ध है इसे दम पश्चिम को दृष्टिपात करके मजे में समझ सकते हैं। भारत में सुसंस्कृत कला को स्थान बद्द करने एवं सस्कृति का प्रमुख केन्द्र नगरों को बनाने की चेष्टा की गयी है।

एक ग्राम के निवासी एक सम्प्रदाय बनाते हैं। उनकी सर्वनिष्ठ समस्या होती है। प्राचीन भारत में एक भारतीय ग्राम स्वशासित होता था जिसमें सबको उचित स्थान प्राप्त था। धर्म विभाजन के आधिक सिद्धात पर ही वर्ग व्यवस्था कायम हुई थी। पर आज यद्यपि बहुत से वर्ग अपने प्राचीन पेशों को अपनाये हैं पर आधिक सिद्धांतानुसार धर्म विभाजन का स्वप तो बिल्कुल ही नहीं रह गया है। आज ग्राम आधिक हाइकोण से संतुष्ट बिल्कुल ही नहीं है।

आधुनिक दाल में ग्रामीण समस्यायें अनेक हैं जिनमें शिक्षा, व्यास्था, सफाई, सहकें, पानी की व्यवस्था एवं दवा दाढ़ का प्रबन्ध करना प्रमुख हैं। जब तक राज्य और जनता पारस्परिक सहयोग से काम नहीं करेंगे तब तक इन समस्याओं का समाधान असम्भव है। इन समस्याओं के समाधानार्थ दूर नागरिक को लगातार परिश्रम करना ही होगा। अपने ही क्षेत्र में निर्मित ग्रामोण बोर्ड की सेवा करने के लिये भी उन्हें प्रस्तुत रहना चाहिए।

नगरों की भी समस्यायें करीब वही हैं जो ग्रामों की हैं। पर नगरों की समस्यायें इतनी आवश्यक हैं कि किसी भी हालत में व्यक्ति विशेष के ध्यानकर्पण तक उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। सड़क बनाना, बिजली का प्रबन्ध, पानी की व्यवस्था इत्यादि म्युनिसिपैलिटी को करना पड़ता है। जिस नगर में एक नागरिक रहता है उसके शासन के प्रति उसे उदासीन नहीं रहना होगा। उसे समझना

चाहिए कि नगर के स्वास्थ्य एवं सुव्यवस्था का उत्तरदायित्व दस पर भी है। नागरिक प्रगट में उसे अपना कोटा जमा करना ही पड़ेगा। संक्षेप में उसे नागरिक हान का विचास करना ही पड़ेगा।

**नागरिकता और देश—**नागरिकता से सम्बन्धित परिवार, आम एवं नगर पर विचार करने के पधार अब हम लोग नागरिकता से सम्बन्धित देश पर विचार करेंगे। 'देश' शब्द भौगोलिक है। जब 'राष्ट्र' का विचार यह बहन करता है तो इसका राजनीतिक महत्व बहुत बड़ा हो जाता है। जब हम एक नागरिक को आम या नगर निवासी के रूप में देखते हैं तो इमारा हाइकोण स्थानीय हो जाता है। पर जब हम एक देश पर विचार करते हैं तो इमारा हाइकोण राष्ट्रीय बन जाता है।

व्यक्ति अपने आम या नगर की स्थानीय सीमा से निकल कर यद्दा तक कि ग्रान्तीय सीमा को भी पारकर एक बहुत बड़े परिवार और बहुत बड़े स्वार्थ पर विचार करता है। इस प्रकार देश, राज्य और राष्ट्र का विचार प्रकट होता है। इस प्रकार राष्ट्र के नागरिक होने के कारण एक व्यक्ति को विस्तृत दायरा बनाता चाहिए। उसे समझना चाहिए कि निभिन्न स्थानीय स्वार्थों की पूर्ति कैसे होगी। इससे आगे बढ़कर समस्त देश का स्वार्थ साधन कैसे हो सकेगा। उसे अपने राज्य के प्रति बहादुर होना चाहिए जिसका वह लघुत्तम सदस्य है।

**विश्व की नागरिकता—**जब एक शक्तिशाली राजा या सेनापति ने सफलता पूर्वक लड़ाई करके विजित देश पर आधिपत्य स्थापित किया ठीक उसी क्षण मान्महाज्यवादी विचारों का उद्घाव प्रारम्भ हुआ। सैनिक उत्साह एवं सर्वभौम यत्ता के विचारने द्वय और और प्रोत्साहन दिया। तत्यथात् आर्थिक ढारणों से साम्राज्य का धनना और विगड़ना शुरू हुआ।

प्राचीन भारतमें हिन्दू एवं बौद्ध राजाओं के अन्दर विलृत साम्राज्य था। सिकन्दर के तत्वान्वयन में प्रीसवालों ने एक विस्तृत साम्राज्य की नींव ढाली जिसका फैलाव भारत के पंचायत ग्रान्ततक था। रोमन साम्राज्य यूरोप, एशिया और अफ्रीका

के विस्तृत भूभाग में फैला हुआ था। आधुनिक समय में वृटिश साम्राज्य व्यावसायिक अनुसन्धान एवं साम्राज्यवादी उत्साह के कारण ही इतना सुविस्तृत हो सका है। कभी वृटिश साम्राज्य विश्वके द्वे भागमें फैला था। आज चूंकि भारत और लंका को भी औपनिवेशिक राज्य प्राप्त होगया है अतः वृटिश साम्राज्य, वृटिश राष्ट्रमण्डल के हो रहपर्यंत हो गया है। प्राचीनकाल में वेवल विजेता ही नागरिकता की पूरी सुविधा प्राप्त कर सकता था।

**विश्वके नागरिक—**हमलोगों ने परिवार से सम्बन्धित नागरिकता कांडिक किया है, इसके अतिरिक्त प्राम, नगर देश एवं विश्व की भी नागरिकता। हम सभक्ष तुके हैं। पर आजकल नागरिकता के क्षेत्र को और विस्तृत कर देनेकी भावना भी उठ रही है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क यथा सामाजिक, व्यार्थिक एवं सांस्कृतिक प्रतिदिन निकटसे निकटतर होता जा रहा है। अब यह बच्चों तरह जूत होने लगा है कि आधुनिककालमें मानवीय समस्याओंका समाधान एक देश विशेषके कारण नहीं संभव हो सकता है।

गत महायुद्धसे ही आधुनिक विश्वके बहुतसे देशोंमें भयानक और आक्रमणात्मक राष्ट्रीयताका विस्फोट होने लगा है। अगर गुलामोंकी मुक्तिके लिए यह उत्साह उबल रहा हो तब तो इसका स्वागत चारों ओर होगा। कारण एक स्वाधीन देश विश्वमें शान्ति एवं अमन कायम करनेके लिये सक्षम हो सकता है जिसके अभावमें मानवीय प्रगति स्वप्रवत है। लेकिन जहाँ यह राष्ट्रीयता स्वार्थी एवं आक्रमणकारी रूप धारण करती है वहाँ उसका विकास रोक हो देना चाहिए।

अब यह समय आ गया है जब कि एक व्यक्तिको अपने देशकी सोमा पारकर विश्वको नागरिकता पर विचार करना चाहिए। भयानक समस्याओं के समाधानार्थ अन्तर्राष्ट्रीय विचार जरूरी है। यह सोचना भयानक भूल है कि अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण स्वार्थ पर आधात है। जो राष्ट्रीय विचारधारा मानव कल्याणका विरोधी है उसे प्रथय नहीं देना चाहिए। विश्वका नागरिक किसी चीजको न केवल स्थानीय

या राष्ट्रीय दृष्टिकोण बहिक अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोणसे देखता है। इन्हों विचारोंके अभावके कारण 'लोग अन्त नेशन्स' असफल रहा।

### ग्रन्थ

- ( १ ) नागरिकता पर परिवारका क्या प्रभाव है प्रकाश ढालो।
- ( २ ) एक नागरिकके ( क ) प्रामोणज्ञेन्न ( ख ) मुनिसिपल टाउन में क्या उचित कार्य है ब्याख्या करो। ( कल० १९३० )
- ( ३ ) एक परिवारके कार्यों पर प्रकाश ढालो। ( ढोका १९४२ )

## अध्याय १२

### सरकार के अंग एवं शक्ति का विभाजन

देश विशेष की सरकार के हाथों में जितनी शक्ति है उसे हम खास तौर पर व्यवस्थापिका, शासन सम्बन्धी एवं न्याय सम्बन्धी विभागों में बांट सकते हैं। समस्त आधुनिक राज्यों में ये हीनों शक्तियां विभिन्न हाथों में बटी रहती हैं। अतः हम आधुनिक राज्य के तीन अंग ही पाते हैं—व्यवस्थापिका, शासन परिषद् एवं न्याय सम्बन्धी। व्यवस्थापिका का काम कानून बनाना, शासन परिषद् का काम विधान लागू करना तथा न्याय विभाग विशेष केस में कानून के प्रयोग की जांच करना है।

सर जॉन मैरियट द्वारा की गयी खास व्याख्या से स्थिति सुस्पष्ट हो जायगी। हमें सर्व सुपरिचित विभाग पुलिस से ही प्रारम्भ करना चाहिए। व्यवस्थापिका द्वारा घोषित कानून को लागू करना ही पुलिस का काम है। उदाहरण स्वरूप सड़कों पर घूमने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए जो नियम बनाये जाते हैं उनके अनुसार काँय करना पुलिस का काम है। मान कीजिए एक बाइसिकिल पर चढ़ा हुआ व्यक्ति सन्ध्या के बाद भी बत्ती नहीं जलाकर चलता है। वह उस व्यक्ति को रोककर उसका नाम लिख लेगा अगर वह व्यक्ति अपना नाम बताने से अस्वीकार करता है तो उसे थाने में जाना पड़ेगा। अन्ततोगत्वा उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा जो उस मामले में न्यायाधीश का काम करेगा।

मजिस्ट्रेट के समक्ष पुलिस अपना व्यापार देगी और गिरफ्तार व्यक्ति अपना व्यापार देगा। इसके बाद मजिस्ट्रेट अपना निर्णय सुनायेगा। अगर पुलिस की बात सत्य बिकली तो कानून तोहने के अपराध में उसे दण्ड दिया जायगा। अतः अगर तुम ऐसा कोई कानून छारते हो जो समाज के विपरीत रहता है तथा जो कानून के

विपरीत है तो तुम्हें दण्ड का भागी होना पड़ेगा और पुलिस जो व्यवस्थापिका द्वारा घोषित कानून की रक्षक है तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी। अब न्यायाधीश ही निर्णय करेगा कि तुमने गलती की है या नहीं और अगर तुमने गलती भी है तो दण्ड के भागी बनोगे जिसको कार्य हृप में परिणत करना ही पुलिस का काम है।

इस प्रकार वर्तमान सरकारों को व्यवस्थापिका, न्याय एवं शासन तीन भागों में विभक्त करने हैं। इन विभागों के अनुसार शक्तियों का भी विभाजन है।

### शक्ति-विभाजन

इसके सिद्धान्त और लाभ—शक्तियों के विभाजन सम्बन्धी सिद्धान्त माटेस्कू की प्रसिद्ध पुस्तक 'स्ट्रीट आव लॉज' में वर्णित है। इंगलॅण्ड की सरकार की पद्धति से माटेस्कू बहुत ही अधिक प्रभावित हुआ था। केवल एवं अमरी की आन्दोलन के नेताओं ने भी इसे अच्छी तरह अपनाया। इसे हम निम्नलिखित तीन भागोंमें विभाजित कर सकते हैं :- शक्ति और अधिकार के केन्द्रित हो जाने से अनाचार वा उद्भव होता है। व्यक्ति को स्वाधीनता को सुरक्षित रखने के लिए (१) व्यवस्थापिका, शासन एवं न्याय की शक्तियों विभाजन हाथोंमें जाने चाहिए, जिनमा उपरोक्त व मिशन-मिशन प्रकार से कर करें (२, प्रत्येकको अपनेही क्षेत्र तक समित होना चाहाए। (३) प्रत्येक क्षेत्र स्वतंत्र और सावेमीम होना चाहिए शादि जस्तीहै। ग्रामीन क्षालमें जब शक्ति हा विभाजन नहीं था तो बात कुछ और ही थी। निरंकुश शासक के हाथों में तीनों शक्तियों केन्द्रित थीं। राजा के शब्द हीविधान थे। राजा कानून को लागू करता और इसको न माननेयाले को सजा देता। इस प्रकार राजा विधान निर्माता, प्रधान शासक एवं एकमात्र न्यायाधीश होता था। इस प्रकार की व्यवस्था के कारण व्यक्ति की स्वाधीनता सदैव खोती गयी क्योंकि उसके अधिकार राजा की मर्जी पर थे। एक ही व्यक्ति या विभाग के हाथमें अधिक

शक्ति देना केवल घातक ही नहीं सरकार की कमज़ोरी भी है। आधुनिक सरकारों का कार्य तभी बढ़िया ढंग से चल सकता है जब विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न व्यक्ति उत्तरदायी हों।

### इसकी आलोचना

पूर्णरूपेण शक्ति का विभाजन न तो संभव है और न ऐसा किया ही जा सकता है। वास्तव में कुछ हद तक शक्ति विभाजन स्वाधीनजा के लिए उचित है पर पूर्णतया विभाजन तो विलुप्त ही निर्धक है। सम्पूर्णतः सरकार पर विचार करना चाहिए कि उसके कौन-कौन से भाग एक साथ मिलकर काम करे जो हितकर भी हो सके।

वास्तवमें बहुत से राज्यों में व्यवस्थापिका का बहुत बड़ा अधिकार शासन परिषद् पर होता है। बहुत से देशों में व्यवस्थापिका पर शासन परिषद् का ही प्रभाव होता है। ग्रेट ब्रिटेन में शासन परिषद् के सदस्य जो विभिन्न विभागों के प्रधान भी होते हैं विधान को भी संचालित करते हैं। शासन संचालन एवं शासन परिषद् पर व्यवस्थापिका का भी बहुत बड़ा अधिकार है।

यद्यपि सभी विभाग बराबर माने जाते हैं पर बातें वैसी नहीं। गार्नर का कथन है कि समस्त सरकारों के अध्ययन के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि व्यवस्थापिका सर्व शक्तिशाली एवं न्याय सबसे कमज़ोर विभाग है। एक प्रजातंत्री राष्ट्र में वास्तव में जनमत ही सर्व शक्तिशाली है।

### भारतमें शक्ति विभाजन

विदिशा हृकूमत के समय यद्यपि भारत में भी शक्ति विभाजन था पर वास्तविक सत्ताशासन परिषद के ही हाथ में थी। भारतीय शासन "परिषद का विशेषाधिकार" एवं स्वीकृति अधिकार प्रमुख हैं। साधारण विधान पद्धति के अभाव में शासनपरिषद किसी ग्रन्ति विशेष को दण्ड दे सकती है। भारतमें एक ही व्यक्ति के अधीनशासन

एवं न्याय दोनों अधिकार हैं उदाहरणस्वरूप एक बिलायीश शासन एवं न्याय दोनों शक्तियों का मालिक है। बंगाल के भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीश सरिचर्वर्ड का कथन है कि, 'एक व्यक्ति जो न्यायाधीश एवं मुकदमा चलाने वाला दोनों है न्याय नहीं कर सकता। एक ही व्यक्ति पुलिस, न्यायाधीश एवं मजिस्ट्रेट के से हो सकता है।' भारत की न्यायपद्धति में संशोधन करने को जितनी अधिक आवश्यकता है उतनी अधिक आवश्यकता थोर किसी चीज की नहीं। भारत के न्यायाधीशों को शासनपरिषद के नियंत्रण से निकलकर कान करने को वही आवश्यकता है।

### व्यवस्थापिका

व्यवस्थापिका राष्ट्र का सर्वप्रथम एवं प्रमुख अंग है। लास्टी का व्यञ्जन है कि 'शासन एवं न्यायसम्बन्धी शक्तियाँ व्यवस्थापिका की घोषित इच्छा से ही अपनी सीमा प्राप्त करती हैं।'

इससे राष्ट्रकी इच्छा को प्रकाश मिलता है। व्यवस्थापिका कानून रखनाती है, इस उद्देश्य से विलम्ब विचार करती है, तथा अर्थ पर नियंत्रण रखती है और बजट पर विचार करती है। पार्लिमेण्ट सरकारों में यह शासनपरिषद पर अधिकार रखती है तथा उस उद्देश्य से शासनपरिषद को नीति और शासनपर विचार करती है। आकिमपर अधिकार रखने के लिए शासनपरिषद का भी मनोनयन यद्दी करती है। बहुत से देशों में शासन परिषद पर दोपारोपण करने एवं दुश्चरित्रताके लिए न्यायाधीशोंको मुख्ताज करने का भी इसे अधिकार है। इस प्रकार व्यवस्थापिका न केवल विधान-निर्मातृ अपितु आलोचक एवं नोहिनिमातृ मंस्या भी है।

### व्यवस्थापिका का निर्माण

व्यवस्थापिका या तो एक ही परिषद् या दो परिषदों की होती है। बहुत से अमेरिका राष्ट्रों, मेरे, अंग्रेज, द्योते हैं एक नज़र परिषद् एवं एसेस निम्न परिषद्। निम्न परिषद् सदैव निर्वाचित होती है तथा दोनों में यह सर्वधेष्ठ एवं

शक्तिशाली है। यह सर्वधेष्ट सत्ता है तथा कर सम्बन्धी एवं अन्य खर्च सम्बन्धी समस्त अधिकार इसके अन्दर निहित है। उच्च परिषद् पैतृक अधिकार नकोन बन तथा संकुचित निवाचन से चलता है जैसा कि प्रेटेंट्रिटेन और जापान में है। इसके आगे इन सदस्य भी होते हैं जैसा कि कनाडा में पाया जाता है। बहुत से देशों में उच्च परिषद का भी चुनाव होता है। यह चुनाव सीमित एवं निम्न परिषद की अपेक्षा दीर्घकालोन होता है। उच्च परिषद के सदस्यों के लिए काफी शिक्षा एवं उच्चकी आवश्यकता होती है।

**उच्च परिषद की भलाइयाँ—**निम्न परिषद में बिना पूरा विचार किए जल्दाजी में जो कानून स्वीकार किया जाता है उसे उच्च परिषद् रोकता है। यह परिषद् विद्वानों का परिषद् इच्छिये कहा जाता है क्योंकि इसके सदस्य अनुभवी, शृङ्ख एवं निम्न परिषद् के सदस्यों से अधिक विद्वान होते हैं। उच्च परिषद् निम्न परिषद् को इच्छाओं पर कुठराशात् नहीं कर सकता केवल देर करता है एवं विचार के लिए पर्याप्त समय ले सकता है। विलक्षण पुनः विचारार्थ भेजकर वह उस पर ठड़े दिल से नौर करने का नौका देता है।

**इससे हानियाँ—**आवे सिए का कथन है, जो आज भी सत्य ही भाना जाता है कि अगर उच्च परिषद् निम्न परिषद् के साथ निलंबन कर करता है तब तो ठोक है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो नलंबा ही विगड़ जायगा। चूँकि उच्च परिषद् पूँजीवादीयों की ओज़ है अतः प्रगतिवादी शक्तियों के विरुद्ध पूँजीवादी ताक्तों का ही समर्पन करती है। अतः प्रजातंत्रजाद एवं नवदूर्णों के लिए इसका असित धरता है।

दो पर्याप्तों को व्यवस्थात्विका की कु-शालोक श्रो० लक्ष्मी का कथन है कि यह कोई फ़रार नहीं कि उच्च परिषद् जल्दाजी रोकता है। व्याकुल कोई कानून विधान-नुस्तिका में सहज में ही प्रवेश नहीं पाया। विलक्षण एक

एक धारा पर काफी विचार विमर्श एवं विद्वान्वयास्वा की जाती है जिससे राजनीतिक वर्तमान स्थिति में उच्च परिषद् को जलदवाजीवाला फायदा गायब हो गया है।

भारत में उच्च परिषद् प्रजातंत्रवाद के लिये नहीं था। यह तो प्रगतिवादी विरोधी संस्था मात्र थी।

### शासन परिषद्

शासन परिषद् राष्ट्र की इच्छा द्वारा संचालित होतो है। शासन परिषद् के कार्य विभिन्न विभागों के संचालन, शासन एवं प्रबन्ध हैं।

### शासन परिषद् का निर्माण

शासन परिषद् में राजा या अध्यक्ष एवं शासन से सम्बन्धित समस्त पदाधिकारियों के साथ सचिव सम्मिलित है। उच्च पदाधिकारियों में अध्यक्ष सर्वदा निर्वाचित होता है जिन्होंने राजा का पद पैतृक है। मंत्रियों की नियुक्ति व्यवस्थापिका के मनोनीत सदस्यों में से राजा या अध्यक्ष के द्वारा होती है। निम्न या स्थायी परिषद् उन व्यक्तियों से घनती है जो उच्च पदाधिकारी या विशेष नियुक्त समिति द्वारा नियुक्त किये गये हैं। यद्यपि शासन परिषद् का मुख्य काम शासन करना है तथापि व्यवस्थापिका और न्याय विभाग के साथ भी इसका निकट सम्बन्ध है। व्यवस्थापिका को शुलोना, भंग करना और कुछ कालतक के लिये टाल देना भी इसका काम है। व्यवस्थापिका द्वारा स्वीकृत विधानानुसार यह विधान के संचालन क्रम को ठीक करती है एवं आवश्यकतानुसार विशेषाधिकार का भी प्रयोग करती है। न्यायीयों की नियुक्ति, अनुशासन की कार्रवाई, अपने अफसरों के विश्व सेनिक न्यालय द्वारा जांच एवं न्यायालयों द्वारा दण्डित व्यक्तियों को क्षमा कर देने की शक्ति भी इसमें है। शासन परिषद् अनेक विभागों में बंटी है। समस्त शासन परिषद् का प्रधान

अध्यक्ष या प्रधान मंत्री होता है। हर एक विभाग अलग सचिव के तत्त्वावधान में है जिसके नीचे विभाग के स्थायी प्रधान हैं। प्रमुख विभाग ये हैं :-(१) सैनिक विभागके तत्त्वावधानमें सुरक्षा या युद्धदफ्तर, नौसेना और हवाई शक्ति। (२) पराष्ट्रीय कारों के लिये पराष्ट्रीय दफ्तर। (३) अमन और शांति, पुलिस और बन्दी-गृह आदि की देख रेख के लिये गृह विभाग (४) अर्थ विभाग जो राष्ट्र की सम्पत्ति का नियन्त्रण एवं देख भाल करता है। (५) शिक्षा विभाग। (६) उद्योग और धर्म तथा (७) यातायात हैं। अन्य विभाग कृषि, जन स्वास्थ्य, व्यापार और आवागमन आदि हैं।

निरंकुश और स्थायी सिविल सर्विस दो प्रकार के शासन हैं। प्रजातांत्रिक सरकार जनता की इच्छा और आवश्यकता की पूर्ति करती और उसे उन्नतिशील बनाती है। कल्यान और उत्साह प्रजातंत्र के प्रमुख अंग है। परन्तु इससे कभी कभी खतरा और अन्यान्य चुराइयाँ भी हो जाती हैं। निरंकुश शासन अकाल्पनिक और नियमित होता है। लेकिन यह अनुभव और यतानु-रक्ति के अनुसार चलता है अतः दैनिक शासन में इसे काफी सफलता मिलती है। आधुनिक प्रजातन्त्री सरकारें कुछ हद तक प्रजातंत्री एवं कुछ हद तक निरंकुश आधार पर नियमित होती हैं। अध्यक्ष या मंत्री जनता की इच्छाओं में परिवर्तना-नुसार आते जाते रहते हैं, इसलिये वे प्रजातन्त्री व्यक्ति हुये। दैनिक शासन व्यवस्था स्थायी सिविल सर्विस के हाथमें है। जो निरंकुश आधार पर कायम है। स्थायी सिविल सर्विस में विशेषज्ञों का वह दल सम्मिलित है जिसको बहुत बड़ा शान और योग्यता प्राप्त है, जिनकी नियुक्ति प्रतिस्पद्धी परीक्षा द्वारा होती है। स्थायी सिविल सर्विस की शक्ति इतनी बड़ी गई है कि प्रेट ब्रेट के समान राष्ट्र भी निरंकुश कहा जाने लगा है। भारत में स्थायी सिविल सर्विस की महत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता लेकिन राजनीति में इन्हें बोलने का अधिकार नहीं होना चाहिये। राष्ट्र की नीति जनता द्वारा तुने गये उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा

हो निर्धारित होनी चाहिये। जनता के अभावों की व्यंजना होनी चाहिये तथा शासन परिपद् शीघ्रातिशीघ्र एवं स्वते दर पर उनकी पूर्ति करे। प्रजातंत्री एवं द्वितीय सरकार की यही अच्छा ही है। अबतक भारत की निरंकुश सरकार अनुत्तरदायी थी जिसे नीति निर्धारण का भी अधिकार था। जनता के अविद्वास और पूँजीवादी नवोद्युति द्वारा संचालित सरकार जनता की इच्छाओं की नहीं पूर्ति करती थी।

### न्याय विभाग

न्याय विभाग विभिन्न साधनों द्वारा कानूनों की प्राप्ति, उनकी व्याख्या एवं मामला विशेष में उनके प्रयोग का स्पष्टीकरण करता है। न्यायाधीश फौजदारी मामले में अपराधियों को सजा देकर एवं दीवानी मामले में पंच का काम करके न्यायकी रक्षा करता है। न केवल व्यक्ति-व्यक्ति विकार राष्ट्र और व्यक्ति के बीच के भी मताङ्गों का वह निपटारा करता है। ऐसा श्रावः देखा जाता है कि न्यायाधीशों को वेसे कानूनों की व्याख्या करनी पड़ती है जिसकी व्याख्या का आधार अप्राप्य है। वैसी स्थिति में न्यायाधीशों को परम्परानुगतिकताके आधारों पर चलना पड़ता है। उस केस के लिये जज विधान-निर्माता का काम करता है। इसलिये हमें जज द्वारा निर्मित विधोन भी प्राप्त है जो न्याय और अधिकार के साथ निर्णय में सहायक है। न्यायाधीशों को वैधानिक महा पंडित एवं निष्पक्ष होना चाहिये। न्यायाधीशों की निष्पक्षता के रक्षार्थ उन्हें व्यवस्थापिका और शाशन परिपद के नियंत्रण से मुक्त कर देना चाहिये। न्याय-विभाग की यह स्वाधीनता, उचित बेतन, स्थायी पट्टा एवं कार्यालय से न हटाने के आद्वासन द्वारा सुरक्षित होनी चाहिये। जजों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर होनी चाहिये जसमें दल, सम्प्रदाय या राजनीतिक भावनाओं को प्रथय नहीं मिलना चाहिये।

## प्रश्न

- १—शक्ति विभाजन के सिद्धान्त का वर्णन करो। क्या प्राचीन सिद्धान्त उचित है।
- २—शक्ति विभाजन के उपयोगों का वर्णन करो और भारतीय स्थिति को ध्यान में रखकार उनपर प्रकाश डालो (क० यु० १९२५)
- ३—टिप्पणी लिखो—
  - (क) शासन परिषद् (ख) उच्च परिषद् (ग) न्याय विभाग।
- ४—सरकार के कार्यकारी सिद्धान्तानुसार शक्ति का विभाजन न केवल असम्भव बल्कि यह अहंकारी भी है। इस कथनकी पुष्टि करो। (क० वि० १९२४)
- ५—आधुनिक सरकार तीन भागों में बँटी है—व्यवस्थापिका, न्याय विभाग और शासन परिषद—इसकी चर्चा करो। (क० १९३५)
- ६—सरकार के प्रधान अंग कौन-कौन से है तथा उनके कायों पर प्रकाश डालो (क० १९४१) क्या राजनीतिक स्वाधीनता के लिये शक्ति विभाजन का होना जरूरी है? (क० १९४१)
- ७—आधुनिक राष्ट्र की शक्तियों का वितरण कैसे होता है? (क० १९३८)
- ८—व्यवस्थापिका के प्रति शासन परिषद के सम्बंधों को टीक करने के लिये किन-किन बातों की आवश्यकता है? शासन परिषद और व्यवस्थापिका के साथ न्याय विभाग का क्या सम्बन्ध होना चाहिये (य० पी० बोड० १९३८)
- ९—व्यवस्थापिकाकी दो परिषदों पद्धतिके कारणों पर प्रकाश डालो। (क० वि० १९४१)
- १०—व्यवस्थापिका का कार्य केवल विधान बनाना ही नहीं है, एक प्रजातन्त्री राष्ट्र में व्यवस्थापिका और कौन-कौन छाम बरती है? (क० वि० १९४२)

## अध्याय १३

### सरकार के कार्य

वर्तमान सरकार के कार्यों का जिक्र करने के पहले हमें उनसे सम्बन्धित विभिन्न विचारों का अध्ययन कर लेना होगा। क्योंकि जनता राष्ट्र के आदर्श और सरकार के उचित संचालन में एकमत नहीं है। यह प्रश्न बड़ा ही प्रमुख है क्यों कि राष्ट्र के कार्यों से इसका बहुत बड़ा सम्बन्ध है जो हमारे जीवन के हर पहलू का निर्णयिक और निर्माता है। स्वतः यह प्रश्न उठता है कि व्यक्ति के कार्यों पर नियंत्रण करके राष्ट्र बहाँ तक उचित करता है। इसलिये व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए सरकारी कार्यों का पूर्ण ज्ञान रखें। इसको इस स्थ में समझना चाहिये कि इस विषय से सम्बन्ध दो ही सिद्धान्त मान्य हैं। १—व्यक्तिवादी २—समाजवादी। व्यक्तिवादी सिद्धान्तानुसार राज्य के कार्य संकीर्ण सीमाओं से आवद होते हैं जिसमें व्यक्ति को स्वेच्छानुसार बढ़ने की सुविधा होती है। ऐस्किन समाजवादी सिद्धान्तानुसार सरकारी कार्यों का विस्तार इस प्रकार होना चाहिये जिससे दमात समाज की भालाइ हो सके।

### ‘भराजक सिद्धान्त’

ठभुर्युक दो सिद्धान्तों की विस्तृत व्याख्या के पूर्व हमें दूसरे दृष्टिकोण पर भी विचार कर लेना है जिसे भराजक सिद्धान्त कहते हैं। यद्यपि स्पष्ट स्पेष्ण राष्ट्र के कार्यों की व्याख्या में इसे स्थान प्राप्त नहीं है वर्यों कि एक भराजकवादी के लिये राष्ट्रमहान् युगाइ है जिसका यह अन्त चाहता है। भराजकवादी सिद्धान्त इस आधार पर निर्मित है कि व्यक्तिवादी सिद्धान्त का यह वीभत्स स्प

है। व्यक्तिवादी और अराजकवादी हर प्रकार के नियंत्रण को बुरा मानते हैं। व्यक्तिवादी कुछ सिद्धान्तों को स्वेच्छा करता है इसीलिये वह राष्ट्र की भाव-दयवत्ता बतलाता है। लेकिन अराजकवादी हर प्रकार के नियंत्रण को बुरा मानता है इसीलिये राष्ट्र की भी अनावश्यक मानता है। अराजकता के माने शासन का अन्त है। अराजकता उस प्रकार के समाज की स्थापना करना चाहती है जिसमें व्यक्ति स्वशासित होता है जिसमें वह संघों के प्रति स्वतः वफादारी प्रकट करता है तथा जिसने ताकृत के द्वारा दुर्कृत नहीं की जा सकती। अराजकवादी सरकार को स्वाधीनता का दुर्मन समझता है। वह बतलाता है कि कुछ निहित स्वाधियों के द्वारा ही सरदार का संबलन होता है और राष्ट्र दमन के सिद्धान्त पर निर्मित होता है जो अराजकवादी समाज में अप्राप्य है। अराजकवादी समाज की अनियंत्रित स्वाधीनता में ही व्यक्ति का पूरा विकास सम्भव है। अराजकवादी प्रभागों द्वारा समस्त नियंत्रणों को बुरा, राष्ट्र की अनावश्यक बतलाया जाता है। व्यक्तिवादी सिद्धान्तों पर दृष्टिपात्र करने से ये बातें प्रकट हो जायेगी।

### अराजकवादी सिद्धान्त की कीमत

(ग्रे) डॉ डेव्हे ब्राह्मन ने अराजकवादी सिद्धान्त की कीमत निम्नांकित बतलाई है।

(इ) अराजकवादी समाज अवस्था की उचित लालोचना करता है यद्यपि उसके द्वारा प्रत्यावृत्त समाचार उचित नहीं हैं। (ख) अराजकवादी व्यक्ति के स्वशासन अधिकार पर खूब जोर देता है। (ग) राष्ट्र के प्रकृति और अधिकार को लालोचनात्मक चर्चा के अध्ययन के कारण विद्ववादी चुनौती ने समाज को बहुत बड़ी भलाई की है।

(घ) अराजकता को विद्वास है कि अगर व्यक्ति को स्वेच्छा पर छोड़ दिया जाय तो पुरुलिया और सेना के द्वारा आरोपित राज्य के कर्तव्य अधिक अच्छी तरह निभाये जा सकते हैं।

## व्यक्तिवादी सिद्धान्त

अराजकवादी के सदृश व्यक्तिवादी भी हर प्रकार के नियन्त्रण को बुग मानता है थीर राष्ट्र की हर प्रकार की शक्ति के विस्तार को व्यक्तिगत स्वाधीनता द्वारा ही प्राप्त समझता है। पर अराजकवादी के विपरीत वह राष्ट्र को इसलिये जहरी समझता है भगव वह नहीं रहेगा तो एक व्यक्ति का स्वार्थ दूसरों के अधिकारों का अपहरण करेगा। व्यक्तिवादी सिद्धान्तानुसार राष्ट्र की शक्ति का विस्तार वही तक होना चाहिये जहां तक वह शान्ति, अमन एवं सुरक्षास्थापना में सुर्योदय हो सके। इससे आगे वह अपेक्षित नहीं। व्यक्तिवादी वह कभी नहीं चाहता कि राष्ट्र के हाथ में विधान निर्माण, गरीबों वेकारों की सहायता एवं शिक्षा आदि की व्यवस्था रहे। राष्ट्र, पुलिस संस्था के अतिरिक्त अधिक आगे नहीं जाने पाये। केवल शान्ति स्थापन, अपराधियों को दंड देना, आदि ही उसके कार्य हों। यह कार्य समाप्त होने पर उसके कर्तव्यों की इतिहासी हो जाती है।

## व्यक्तिवादी के अनुकूल प्रमाण

(क) मरुष का वास्तविक उद्देश्य अपनी शक्ति का उप हृद तक विकाश करना है जहां वह पूर्णता को प्राप्त हो जाय। राष्ट्र इस प्रकार के व्यक्तिक विकास के लिये दारग नियन्त्रण का काम करता है। इस प्रकार के कार्य राष्ट्रीय एकता के लिये जहरी हैं समाज को एक जायज स्तर पर ले जाना ही राष्ट्र का काम है। राष्ट्र मौलिकता को चूर चूर करता एवं व्यक्तिगत चरित्र को समाप्त करता है।

(ख) व्यक्तिवाद वैज्ञानिक आधार पर टिका हुआ है योकि विकासवाद के साथ साथ इसका संचालन होता है। यह सभी को विकास का समान अवसर प्रदान कर योग्यतावादीय की नीति को चारितार्थ करता है।

- ( ६ ) यही सिद्धान्त इसलिये सत्य है क्योंकि मनुष्य अपने स्वार्थ को चाहता है और स्वयं यही जानता है कि उसका स्वार्थ कहाँ है ।
- ( ७ ) व्यक्तिवादी इसलिये संतुष्ट रहता है क्योंकि उसका सिद्धान्त विस्तृत आधिक सिद्धान्तों पर आधारित है । उद्योग के संचालन में हरतक्षेप न करने की नीति से ही अच्छी औद्योगिक उन्नति हो सकती है । अगर औद्योगिक होड अनियंत्रित रूप से चलेगी तभी उत्पादनकर्ता आधिक उपजा संबंधे वेतन निमनस्तर तक चला आयेगा तथा उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि होगी ।
- ( ८ ) राष्ट्र को सर्वेक्षा समझना अमात्मक है । यह उम्म व्यक्ति से अच्छी नहीं है जो इसका निर्माण करता है । राष्ट्र की आवश्यकता जितना व्यक्ति समझता है, उससे अधिक राष्ट्र नहीं समझता ।

### व्यक्तिवादी सिद्धान्त की आलोचना

व्यक्तिवाद मूल है और कोई भी समाज शुद्ध व्यक्तिवाद पर आधारित नहीं रह सकता । व्यक्तिवादी सिद्धान्त की आलोचना निम्नांकित कारणों से की जा सकती हैः—

( क ) व्यक्तिवादी राष्ट्र को बुरा मानता है । जो सर्वधा अमात्मक है । इतिहास बतलाता है कि राष्ट्र ने मानव सभ्यता को कभी अवृद्ध नहीं प्रत्युत आगे बढ़ाया है ।

( ख ) व्यक्तिवादी का यही सिद्धान्त राष्ट्र केवल नियंत्रण के लिये है विलकुल ही अमात्मक है । आधुनिक सभ्यता के विकास के साथ ही साथ राष्ट्र के प्रबन्ध एवं राज्य की अवस्था की आवश्यकता प्रतीत हुई । आधुनिक जीवन की समस्यायें इतनी उल्लंघन पूर्ण हो गई हैं कि केन्द्र एवं प्रान्त के सहयोग के बिना उनका समाधान संभव नहीं हो सकता । राष्ट्र को बड़ा चढ़ाकर बतलाने एवं लाभ को कम कराने को चेष्टा कर व्यक्तिवादी ने गलती की है ।

(ग) व्यक्तिवादी स्वाधीनता की अमात्मक कल्पना करता है। यह उमम करतों वह और गलत करता है कि राष्ट्र स्वाधीनता का शब्द है। सरकार और स्वाधीनता एक दूसरे के शब्द नहीं। इसके विपरीत बुद्धिमानी से सुगठित एवं उचित रीति से निर्दोषित राष्ट्र व्यक्ति के नैतिक, बौद्धिक एवं शारीरिक बोधता को बढ़ाता है। स्वार्थियों द्वारा उपस्थित विभ्र बाधाओं को राष्ट्र सदेव दूर करता रहता है।

(घ) नियन्त्रण सर्वे बुरा ही नहीं होता है। चरित्र निर्माण के लिये अनुशासन एवं नियन्त्रण को आवश्यकता है। समाज की हत्याकर व्यक्तिगत लाभ के लिये वैयक्तिक मद्दता को व्यक्तिवाद ने वर्धय बढ़ाया है।

(ङ) यह कहना भी सत्य से परे है कि हरेक व्यक्तिवादी राज्य की अपेक्षा अपने स्वार्थों का अच्छा ज्ञान रखता है। उदाहरण स्वरूप सफाई, शिक्षा एवं नाबालिग श्रम के सम्बन्ध में व्यक्ति की अपेक्षा राष्ट्र को अच्छा अनुभव है।

(च) आधिक द्वेषमें स्वाधीनता का वर्ध एकाधिकार है। अतः समाज के स्वार्थ के लिए राष्ट्र का नियंत्रण जरूरी है। जब तक राष्ट्र की सहायता प्राप्त न हो तब तक धनियों के साथ गरीबों का स्वार्थ नियत नहीं हो सकता।

(छ) विश्व की वर्तमान समस्या को ध्यान में रखकर तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था को देखकर राष्ट्र का नियंत्रण जरूरी है। जबतक कर, चूंगी आदि सम्बन्धी राष्ट्र की सहायता प्राप्त न हो तो तबतक राष्ट्रीय उद्योग विदेशी उद्योगों की तुलना में नहीं उठक सकते।

### समाजवादी मिद्दान्त

व्यक्तिवादी विचारधारा के ठीक विपरीत समाजवादी विचारधारा है जो मनुष्य के कार्यों में दृस्तक्षेत्र करने के लिए सरकार की बहुत बड़ी शक्ति की काव्यक्षमता प्रतीत करती है।

## समाजवादके पक्षमें प्रमाण

- (क) व्यक्तिवादी के विवरीत समाजवादी राष्ट्र पर पूरा विश्वास रखता है तथा अपनी अत्यधिक भलाई के लिए इसे जहरी समझता है। अतः सामूहिक रूप से जनता के स्वार्थों की वृद्धि की आवश्यकता समाजवादी हर प्रकार से समझता है। सम्पत्ति के विषय वितरण को वह अधूरा समझता है। अतः वह सम्पत्ति का समान वितरण के आधार पर जहरी बतलाता है।
- (ख) समाजवादी कहता है कि समाजवाद न्याय के आधार पर ठिका हुआ है। उसके अनुसार प्रकृति के स्वाधीन उपहार जमीन और खाने जनता (शासन) के अधिकार में होती चाहिये। इत पर एकाधिकार नहीं होना चाहिए। जमीदार का उनपर उसी प्रकार अधिकार नहीं है जिस प्रकार दवा एवं धूप पर बद्द अधिकार नहीं कर सका।
- (ग) समाजवादी उत्पादन के समस्त साधनों पर शासन का अधिकार करना चाहता है। जनता के लिए लाभप्रद समस्त नौकरियों को भी वह हस्तगत करना चाहता है। जनता की ओर से टेलीफोन, फैक्टरी आदि सामग्री पर राष्ट्र का अधिकार होना चाहिए। दूसरे शब्दों में समाजवादी वर्तमान आर्थिक व्यवस्था का अन्त चाहता है। जिसमें मजदूरों का शोषण कर पूजीपति मोटा ताजा होता जाता है। वास्तविक उत्पादन कर्ता मजदूर बहुत ही कम पाता है जब कि पूजीपतियों के हाथ में आय का बहुत बड़ा भाग चला जाता है।
- (घ) वर्तमान आर्थिक व्यवस्था से धनी और धनी तथा गरीब और गरीब होता जाता है। इस प्रकार सम्पत्ति और ऐश्वर्य की बड़ी असमानता फैली हुई है। जनता, का. नगरपाल, शोषण, देता, है। राष्ट्र जो, कि. जनता, का. रक्षा है अत्यसंख्यक पूजीपतियों से आम जनता की रक्षा अवश्य करे।

## समाजवादी सिद्धान्त की आलोचना

समाजवादी विद्वान्त के विपरीत प्रमाण निम्नांकित हैं—

- ( क ) समाजवादी मजदूरों के श्रम को वित्त बढ़ा करता है। अगर समति एकत्र करने की भावना का अन्त हो जाय तो जनता प्रश्नश्रम करने से अनिच्छा प्रकट करेगी। मानवीय प्रयत्न कम होगा तथा समस्त प्रगति का अन्त हो जायगा। समाजवादी सिद्धान्त यह है कि मूर्ख, सुस्त एवं काहिलों को भी योग्य अध्यवसायों एवं परिश्रमी व्यक्ति के उत्पादनमें नाजावज हिस्सा बटानेका मोका मिलेगा।
- ( ख ) राष्ट्र की योग्यता और सुव्यवस्था की अत्यधिक इत्पन्नाकर समाजवादी गल्ती करता है। समाजवादी राष्ट्र से जिन-जिन कायाँ को आशा करता है उन-हन कायाँ को सम्पन्न करना राष्ट्र के लिए असंभव है।
- ( ग ) समाजवाद व्यक्तिवाद को चोट पहुंचाता है। क्योंकि राष्ट्र हर प्रकार की व्यवस्था करता है जिससे व्यक्तिगत कार्य को प्रथ्रय नहीं मिलता।

**परिणाम—व्यक्तिवाद** एवं समाजवाद की चर्चा तथा आलोचनात्मक अध्ययन के पदचात हम इस निष्ठय पर पहुंचते हैं कि दोनोंमें से कोइं भी विलुप्त दोक ही नहीं हैं वर दोनों में सत्त्वांश है।

**परिवर्तित विचारधारा—वर्तमान सरकार के आपके कर्तव्यों के कारण यह विचारधारा बदल गयी है।** अब इस प्रकार का विटण्डावाद चल नहीं सकता क्योंकि आज कोई भी सरकार व्यक्तिवादी नहीं। आधुनिककाल में व्यक्तिवाद का सिद्धान्त कहीं भी लागू नहीं हो सकता। इसी प्रकार समाजवाद या माम्यवाद भी समस्त राष्ट्रों का सिद्धान्त नहीं है। मत्य तो यह है कि राष्ट्र के वैधानिक दखलक्षेप का विभाजन असंभव है क्योंकि समाज की अवश्यकता एवं अवस्था के अनुसार ही सीमा बांधी जा सकती है।

राष्ट्र के बल पुलिस नहीं—समाज की असम्यावस्था में राष्ट्र के बल पुलिस के ही सदृश या पर सभ्यता के विकास के साथ यह दृष्टिकोण भी बदल गया। सर्वहित के लिए राष्ट्र का हस्तक्षेप न्यायोचित एवं शास्त्र है। पुलिस राष्ट्र के विचार ने सभ्य राष्ट्र के लिए रात्मा साफ कर दिया।

**समाजवाद का विस्तार और उसकी द्रुत प्रगति—वास्तव में आधुनिक समस्त राष्ट्र बहुत से ऐसे कार्य करते हैं जो व्यक्तिवादी विचारधारानुसार उनके क्षेत्र से बाहर पहते हैं। उदाहरणस्वरूप ग्रेट ब्रिटेन में ओल्डएजपेन्शनस् एकट, समाजवाद को प्रगति के उदाहरण हैं। इंग्लिश पार्लियामेण्ट ने आवास, स्वास्थ्य और कारखाना सम्बन्धी कानून बनाकर समाजवाद की ओर कदम बढ़ाया है। प्रांस और जर्मनी में भी अनेक समाजवादी कानून बन रहे हैं। भारत में भी मजदूर कानून समाजवादी आधारपर निर्मित हैं। समस्त रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राफ आदि राष्ट्र द्वारा संचालित हैं जो समाजवाद का प्रमुख अंग है। जनहितकारी समस्त नौकरियाँ न्युनिसिपल या कारपोरेशन व्यवस्था के ही अन्दर हैं। व्यक्ति की महत्ता पर जोर देकर व्यक्तिवादी अच्छा ही करता है। पर आज के समाज में फूलने फलने के लिए व्यक्ति को अकेले छोड़ देना हितकर नहीं क्योंकि ऐसो स्थिति में अधिक सक्षम व्यक्ति कमज़ोरों को दबाकर शोषण करने लांगे। इच्छे अतिरिक्त बहुत से ऐसे भी कार्य हैं जो व्यक्तिगत क्षेत्रद्वारा सम्पन्न नहीं ही सकते अतः यहाँ भी राष्ट्र को हस्तक्षेप करना पड़ता है। नागरिक का सामाजिक और सांस्कृतिक मंगल जितना एक नागरिकके साथ सम्बन्धित है उतना ही राष्ट्र के साथ भी। राष्ट्र जो कि प्राचीन व्यक्तिवादी के विचारानुसार पुलिस राष्ट्र से अच्छा नहीं है, नागरिक के हित साथक एवं उसके स्वायों के अभिभावक के स्वयं में अपने को स्वीकार करता है। राष्ट्र नागरिक की नैतिक, आधिक एवं राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करता है। आधुनिक राष्ट्र के अन्तर्गत सामाजिक, आधिक एवं राजनीतिक अधिकार विलुल मुरक्खित हैं।**

## सरकारी कार्यों का वर्गीकरण

राष्ट्र के कार्यों के विभिन्न सिद्धान्तों पर पढ़ते ही हमने प्रकाश डाला है। अब हम उनका वर्गीकरण करेंगे। सामूहिक पर सरकारी कार्यों को दो भागों में विभाजन करते हैं। प्रथम अगर राष्ट्र को अपना अस्तित्व कायम रखना है तो ऐसे भी कार्य हैं जिनको करना अत्यावश्यक है। इन्हें मौलिक आवश्यक कार्य कहते हैं। तुड़ोविल्सन ने इन्हें वैधानिक कार्य बतलाया है। और द्वितीय बहुत से ऐसे कार्य हैं जिन्हें गैर जल्दी कार्य कहते हैं।

**वैधानिक या जल्दी कार्य—**इनके अन्दर ( १ ) बाह्य सुरक्षा को हिफाजत, ( २ ) घरेलू अमन और शान्ति को स्थापना आती हैं। ये राष्ट्र के प्रारम्भिक और मौलिक कार्य कहलाते हैं। अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए राष्ट्र को ये कार्य करने ही होंगे।

**बाह्य सुरक्षा की हिफाजत—**बाह्य सुरक्षा का तात्पर्य बाहरी खतरे से सुरक्षा है चाहे वह खतरा सैनिक आक्रमण हो या अन्तर्राष्ट्रीय अधिकार में हस्तक्षेप। अतः राष्ट्र को विदेशी आक्रमण के मुकाबले के लिए समर्थ होना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए राष्ट्र स्थलसेना, नौसेना एवं वायुसेना रखता है तथा आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र को रक्षा के लिए नागरिकों को शास्त्र प्रदण करने के लिए भी निर्मिति करता है। शान्तिकाल में भी राष्ट्र को विदेशी शक्तियों के साथ समर्थ होना स्थापित करने एवं अपने अन्तर्राष्ट्रीय स्वार्थकी देखभाल करने में समय व्यतीत करना पड़ता है। बाहरी सुरक्षा के लिए शक्तिशालीसेना, नौसेना एवं वायुसेना को ही केवल आवश्यकता नहीं है, यह एवं परराष्ट्रीय तुष्टिमता पूर्ण नीतिपर भी सुरक्षा निर्भर करती है।

**आन्तरिक शान्ति स्थापन—**हर एक सरकार को देश के अन्दर शान्ति एवं अमन कायम करना पड़ता है। जबतक देश के अन्दर अमन कायम न हो तबतक इसी प्रकार की उन्नति असंभव है। अतः शान्ति स्थापनार्थ सरकार को उतना ही अपिक परिधम करना पड़ता है उतना ही अच्छा प्रबन्ध करना पड़ता है जितना एक नागरिक को ऐसे कार्य में सरकार के साथ सहयोग करना पड़ता है। पूंजीवादी

ध्यवस्था के अन्दर राष्ट्र को जीवन और सम्पत्ति की रक्षा के लिए विधान बनाना पड़ता है। जिस राष्ट्र के अन्दर जीवन और सम्पत्ति अरक्षित रहे उस राष्ट्र के तत्त्वावधान में कोई भी व्यक्ति जीवन व्यतीर करना नहीं चाहेगा। अपराधों को दूर करने के लिए राष्ट्र पुलिस संघटनको नज़्बूत बनाता है। अपराधियों को दण्ड देने के लिए राष्ट्र फौजदारी अदालतों की भी व्यवस्था करता है। न केवल हिंसा प्रत्युत हर प्रकार के हस्तक्षेप से भी राष्ट्र सम्पत्ति की रक्षा करता है। अतः राष्ट्र दीवानी के मुकदमों का भी फैसला करता है जिससे राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक अपनी सम्पत्तिका समुचित उपयोग कर सके।

**गैर जरूरी कार्य—**गैर जरूरी कार्यके राष्ट्र के लिए अत्यावश्यक नहीं हैं। दधारि सामाजिक लाभ के लिए समाजवादी राष्ट्र इन्हें भी अपने हाथों में स्थाना है। इन हाथों से राष्ट्र की जनता नीतिक और व्यावहारिक दृष्टि से कुशल होती है। ये कार्य राष्ट्र द्वारा सम्पादित होते हैं क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि अगर वैयक्तिक हाथों में ये कार्य छोड़ दिये जायें तो इनका सम्पादन असम्भव होगा। हरएक देश को आवश्यकता के अनुसार हर देश के जरूरी कार्य जिन्हें भिन्न भिन्न होते हैं। ये गैर जरूरी कार्य निम्नांकित हैं—

( १ ) उद्योग एवं व्यवसाय का संचालन—राष्ट्र को सिवके, तौल के हिसाब-किताब एवं ट्रेड लाइसेन्स की भी देखभाल करनी पड़ती है इसे कस्टम की भी देखभाल करनी पड़ती है जिसका सम्बन्ध आयात और निर्यात मालसे है। फैक्टरियों की कार्यविस्था को भी देखभाल इसे करनी पड़ती है। फैक्टरी कानूनों में अत्यधिक शृद्धि इस बातका सबूत है कि हाल के दिनों में इसकी महत्ता बढ़ गयी है।

( २ ) जन उपयोगी उद्योगों की देखभाल—आवकल जनता से सम्बन्धित समस्त उद्योगों को राज्य अपने अधिकार में करने की व्यवस्था कराता है। न केवल पोस्टल एवं टेलीग्राफ प्रत्युत रेलवे, ट्रामवे एवं टेलीफोन आदि उद्योगों को भी राज्यके द्वारा समालित होनी चाहिए। जलकल व्यवस्था, विद्युत ध्यवस्था आदि भी व्यक्ति के हाथों से निकलकर राज्यके हाथों में चर्ची जानी चाहिये।

(३) जनस्वास्थ्य, सफाई और चिकित्सा की व्यवस्था—आजकल जनताके स्वास्थ्यों की ओर राष्ट्रका ध्यान अनुदिन आहुष्ट हो रहा है। स्वास्थ्य और सफाई प्रत्येक राष्ट्रके ध्यानादर्शन के बिषय हैं। नागरिकोंके सहायतार्थ अस्पतालों की व्यवस्था हो रही है। राष्ट्र भोपाली व्यवस्था की ओर अधिक ध्यान दे रहा है।

(४) शिक्षा—राष्ट्र अपने नागरिकों की न केवल व्यावहारिक दम्पति की ओर ही ध्यान देता है अपितु राष्ट्रको समस्त नागरिकों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है।

(५) गरीबों एवं बृद्धों की चिन्ता—राष्ट्र समस्त समाज की भव्याई की व्यवस्था तो करता ही है पर गरीबों, बृद्धों एवं कमज़ोरों के लिए विशेष विधान बनाता है। गरीबी की समस्या राष्ट्र ही सुलझाता है। जबतक गरीबी देश में अट्ठा जगाए रहती है तबतक राष्ट्रको संखेव यह देखना पड़ता है कि कहीं गरीबी के कारण गरीबों का अन्त न हो जाय। इसके अतिरिक्त राष्ट्र को कमज़ोरोंकी भी देखभाल करनी पड़ती है जो अपने भरण-पोषण के लिए स्वयं परिश्रम नहीं कर सकते। आजकलके कुछ राष्ट्रों ने बृद्धोंको पेशने दी जाती हैं तथा सप्त्रूद्वारा गरीबों के लिए खेरातपर बने रहते हैं।

### प्रश्न

- (१) आधुनिक सरकारके कुछ कार्यों का जिक्र करो। (कल० १९२८)
- (२) संशिस नोट लिखो :—
  - (अ) व्यक्तिवादी सिद्धान्त (ब) समाजवादी सिद्धान्त एवं (ग) आराजकवादी सिद्धान्त।
- (३) राष्ट्र के कार्यों का वर्णन करो। ‘कहते हिं नागरिकों के हर जीवन क्षेत्र में राष्ट्रका मांगलिक सम्बन्ध है।’ क्या यह विचार ठीक है? (कल० १९३८-४०)
- (४) राष्ट्र के जहरी और अतिरिक्त कार्यों के बीच अन्तर बतलाओ। बंगाल सरकार द्वारा सम्पादित कार्यों का जिक्र करो और यह भी बतलाओ कि वे जहरी हैं या अतिरिक्त। (कल० १९४८)
- (५) आधुनिक राष्ट्र के कार्यों का वर्णन करो। (दाका १९२३)

—————

## अध्याय १४

### सरकारके रूप

#### अरस्तूका वर्गीकरण

राष्ट्रके अन्दर सार्वभौम रहता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के संघर्षानुसार भरत् ने सरकारीका वर्गीकरण किया है। अगर सार्वभौम सत्ता एक ही व्यक्ति के अन्दर निहित हो तो उसे एकाधिकार कहते हैं, मगर यदि सत्ता कुछ व्यक्तियों के हाथ में हो तो उसे निरंकुश शासन कहते हैं। परन्तु भागर उसे उसी अनेक व्यक्तियों के हाथ में हो तो उसे राष्ट्र शासन-विधि कहते हैं। जब इस शक्ति का प्रयोग स्वार्थार्थी होकर होने लगा, एकाधिकार अत्यान्शार, निरंकुशता के कारण अल्प जन शासित राज्य एवं गणतंत्र के हाथ में परिणत हो गया। इस प्रकार भरत् के कथर्षानुसार परिवर्तित हुए अनान्शार, अल्प जन शासित राज्य एवं गणतंत्र हुए। भरत् ने एकाधिकार गिरष्ट जन राज्य एवं गणतंत्र हीन सरकारी स्पीकरा जिक किया है। जिसमें प्रथम एक व्यक्तिका राज्य द्वितीय कुछ व्यक्तियों का राज्य एवं तृतीय बहुती का राज्य है।

सरकार—निरंकुश और प्रजातंत्री—भभी कल तक सरकारी का वर्गीकरण या तो निरंकुश या प्रजातंत्री दो ही भूमि में किया जाता था। जब एक ही व्यक्ति के हाथ में सत्ता निहित हो, जो संघर्षानुसार राष्ट्र का शासन, प्रबन्ध एवं नियन्त्रण करता हो तो उसे निरंकुश सरकार कहते हैं। प्रजातंत्र के विकासके साथ ही साथ निरंकुशता प्राचीन पड़ती जा रही है। इसका अद्दा प्रमाण अक्षणनिष्ठान है। जब वास्तविक रहता राष्ट्र के हाथ में हो तथा प्रतिनिधियों का एक दल शासन, प्रबन्ध एवं नियन्त्रण करता हो तो इसका भूमि जैसे भूमि हो जाएगा। यह शुद्ध प्रजातंत्री सरकार है। अपरीची रिपब्लिक एवं विटिश सरकार दूसरे प्रश्नविद्वि

उदाहरण हैं क्योंकि दोनों सरकारें जनताओं मजबी पर चलती हैं। आज प्रजातंत्र लोकप्रिय सरकार को कहते हैं; अरस्टूके सदृश एक समूह के शासन को नहीं।

### (अ) राजतंत्र

जब सार्वभौम सत्ता एक ही व्यक्तिके द्वारा में निर्दित हो तो उस सरकारको राजतंत्र कहते हैं। राजतंत्र पैतृक होता है। यद्यपि रोम के राजा के सदृश कुछ प्राचीन राजाओं का भी मनोनयन होता था। आज भी एक राजा का मनोनयन हो सकता है। अफगानिस्तान का स्वभीव राजा नादिर खाँ मनोनीत राजा था। पर गढ़ी के लिए एक राजा का पैतृक अधिकार राजतंत्रका प्रमुख अंग है। नगर व्यवहार में इस अंग को छोड़ दिया जाय तो आयुनिक अध्यक्ष एवं राजा के बीच कोई विशेष अन्तर नहीं दिखलायी पड़ेगा। राजतंत्र को (क) निरंकुश, या नियंत्रण रहित (ख) वैधानिक या सीमित राजतंत्र दो भागों में बांटा जा सकता है।

(क) निरंकुश राजतंत्र—निरंकुश राजतंत्र के अन्दर हर प्रकार के सरकारी इच्छा को ही प्रधानता होती है। उसकी शक्ति उसी की इच्छाओं तक सीमित होती है। निरंकुश शासन का सर्वोत्तम उदाहरण प्रांतके चौदहवें लुइ थे जिनकी अद्यमन्यता (मैं ही राज्य हूँ) निरंकुश शासन को स्थितिपर प्रकाश दालती थी।

सम्य संसार के राष्ट्रों में निरंकुश राजतंत्र अब पुरानी भात पड़ गयी है। टक्की के मुन्तान, रूस के जार एवं जर्मनों के कैसर के पश्चात इसका अन्तिम रूपेण बनत हो गया। बहुत से उदारचेता राजतंत्र शासक भी हो गये हैं जिनको जनता का बहुत बड़ा समर्पन प्राप्त था। इन राजाओं में अयोक, अकबर और पीटर महान के नाम लिये जा सकते हैं। लेकिन उदारचेता राजतंत्री शासक अपने पोछे भी उसी प्रकार का उत्तराधिकारी छोड़ जाय यद्य कोई जरूरी नहीं है। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि योग्यशासक के अयोग्य उत्तराधिकारी भी हो जाते हैं। यदा

तक कि उदारचेता निरंकुशता भी आपत्तिजनक है क्योंकि इससे जनता की स्वाधीनता एवं उत्साहपर बहुत बड़ा आघात पहुंचता है।

(ख) सीमित राजतंत्र या वैधानिक राजतंत्र—सीमित राजतंत्र उसे कहते हैं जिसमें शासक की शक्ति सीमित होती है। जनता का उत्पर नियंत्रण होता है तथा राष्ट्रद्वारा निर्मित विधानानुपार उसे कार्य करना पड़ता है। कभी कभी शासक स्वेच्छानुषार अपने अधिकारों को समर्पित कर स्वयं वैधानिक शासक हो जाते हैं। १५ अगस्त १९४७ को भारतीय स्वाधीनता के बाद भारत के अनेक राजाओं ने अपने समस्त अधिकारों को समर्पित कर स्वयं वैधानिक प्रधानमंत्री बनना ही स्वीकार किया। कभी कभी सफलता पूर्ण प्रस्तावों द्वारा ये विधान राजाओंपर लादे जाते हैं। वह राजा वैधानिक प्रधान फूटलाता है जो राज तो करता है पर शासन नहीं।

### (ब) अभिजाततंत्र

जब सार्वभौम सत्ता कुछ व्यक्तियों के हाथ में हो तो उस सरदारी स्व को अभिजाततंत्र राज्य कहते हैं।

अभिजाततंत्र सर्व कुछ व्यक्तियों के राज्य को कहते हैं। प्राचीन प्रीकृत इस प्रकार के राज्य को सर्वोत्तम शासन कहते थे क्योंकि शिष्टजन राज्यसत्ता का संचालन कुछ योग्य व्यक्तियों द्वारा होता था जिनकी सख्त्या अलगात्यल होती है। कालईल का कहना है कि मेधावी व्यक्तियों द्वारा शासित होना मूल्यों का काम है। इस प्रकार की सुविधा मेधावी व्यक्तियों को सदैव प्राप्त होगी। अतः यह कहना कठिन है कि जो व्यक्ति सत्ता प्राप्त करते हैं वे सर्वदा अच्छे और बुद्धिमान ही होते हैं। शिष्टजन शासित राज्य अल जन शासित राज्य के रूपमें परिणित होता है जिसके अन्दर सत्तान्नाम थोड़े से लोग अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर कार्य करते हैं। शिष्टजन शासित राज्य शुद्ध, सम्पत्ति, पैदाशही, या सैनिक संघ पर आधारित हो सकता है। अभिजात शासित राज्य की कठिनाइयाँ (१) शासन के

## सरकारके रूप

लिए न्यायी, मेभावी व्यक्ति की असंभव प्राप्ति (उ) यह कहना कि कुछ ही लोग सर्वहित का ध्यान रखकर कार्य करेंगे—है।

### (स) प्रजातंत्र

प्रजातंत्रवाद का तात्पर्य जनता की सरकार है। एशियन लिफ्ट ने प्रजातंत्री सरकार की परिभाषा, जनता की सरकार, जनता द्वारा सरकार एवं जनता के लिए सरकार बतलायी है। प्राचीन प्रीक राज्यों में गुलामों को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं था। इसलिए यीक परिभाषा में प्रजातंत्रवाद का तात्पर्य बहुतों की सरकार था पर जनता की सरकार नहीं। प्रजातंत्रवाद की आधुनिक कल्पना, 'वह सरकार जिसमें सबको द्विसा हो' है। यह परिभाषा प्रजातंत्री भादशों के साथ ही लागू हो सकती है पर प्रजातंत्रवाद के साथ यह लागू नहीं हो सकती क्योंकि आधुनिक अनेक राज्यों में इसकी यही रूप प्राप्त है। प्रजातंत्रवाद का आधार राजनीतिक उमानवा है।

अमीं भी बहुत-सी ऐसी सरकारें हैं जो कहने को तो प्रजातंत्री हैं पर उनमें सभी को समान राजनीतिक अधिकार नहीं प्राप्त हैं। संभवतः अभीतक विश्व में कहीं भी वास्तविक प्रजातंत्रवाद की स्थापना नहीं हो सकी है। सरकारों कायों में भाग लेने के लिए नागरिकों का विभाजन उम्र, वर्ग, जाति, समस्ति एवं शिक्षा के आधार पर हुआ है। पर समस्त युसम्युदेशों की प्रचृति राजनीतिक उमानवा एवं बालिग मताधिकार की ओर है। सर्वान्नपूर्ण प्रजातंत्री सरकार के तत्वावधान में प्रत्येक व्यक्ति को मत देने, बैठने एवं पढ़भार प्रदण करने के समान अधिकार प्राप्त होंगे। अतः प्रजातंत्रवाद (क) शुद्ध या प्रत्यक्ष और (ख) प्रतिबन्ध मूलक या अप्रत्यक्ष है।

(क) शुद्ध या प्रत्यक्ष प्रजातंत्रवाद—जब राष्ट्र की इच्छा का अभिव्यञ्जना राष्ट्र को समस्त जनता के द्वारा होती है तो उस प्रजातंत्रवाद को शुद्ध प्रजातंत्रवाद कहते हैं। शुद्ध प्रजातंत्रवाद स्वीद्वैरलैण्ड में ही प्राप्त है जहाँ कानून

स्वीकार करने, कर लगाने, स्वये की स्वीकृति देने, एवं राष्ट्र के पदाधिकारियों को नुसने के लिए जनता की सभा होती है अर्थात् समस्त जनता एकत्र होकर उपर्युक्त काम करती है। शुद्ध प्रजातन्त्रवाद का प्राचीन रूप प्रीत्यमें पाया जाता है जहाँ ऐपेन्स नागरिकों को एसेम्बली एवं, कोर्ट में भाग लेने का अधिकार था तथा कम्पे खमी को सरकारीपदोंपर सुशोभित होने का मौका मिलता था प्राचीन प्रोसेस के नगर राज्य में इसका शुद्ध रूप पाया जाता है क्योंकि ये राज्य छोटे थे। इसके अतिरिक्त प्रीत्य के नागरिक राजनीतिक कार्यों में अपना अधिक समय व्यतीत करते थे और गुलाम गृहकार्य करते थे।

(ख) अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि मूलक प्रजातन्त्रवाद—आज के यहे राष्ट्रों में शुद्ध प्रजातन्त्रवाद असंभव है क्योंकि बहुत अधिक जनता के लिए एक साथ एकत्र होना असंभव है। सरकारी विधान में सबकी राय संभव नहीं है। आधुनिक सरकारों के कार्यों के लिए समस्त जनता की बैठक कार्यकारी भी नहीं हो सकती। इस प्रशार के समस्त राष्ट्रों में हमें प्रतिनिधि मूलक प्रजातन्त्रवाद ही संभव है। चूंकि समस्त जनता का एकत्र होकर सरकारी कार्यों में भाग लेना असंभव है एतदर्थे हमें नुसाब करना पड़ता है। जब सरकारी कार्यों को मुलमुने के लिए प्रतिनिधियों को बैठक होती है तो उसका तात्पर्य समस्त जनता की ही आवाज है। यद्यपि प्रतिनिधियों द्वारा ही कार्य होता है। पर यास्तविक सत्ता जनता के ही हाथ में मानी जाती है।

प्रतिनिधि सरकार सर्वोत्तम सरकार है—आज सर्वोकृत हो चुका है कि यत्तमान वस्तुस्थिति में प्रतिनिधि सरकार ही सर्वोत्तम सरकार है। विस्तृत क्षेत्र एवं जन सभ्या के द्व्यात से आधुनिक राष्ट्रों में शुद्ध प्रजातन्त्रवाद असंभव है। जब कि राष्ट्रवद शासित राज्य एवं राज्य तंत्र राष्ट्र के लक्ष्यों को पूर्ति नहीं कर सकता।

मिलके कपनानुसार अच्छी सरकार के हो सिद्धान्त हैं। प्रथम, समाज में

उत्तरित अच्छाई को यह कहीं तक सुरक्षित रखता है। द्वितीय, भविष्य की भलाई को यह कहीं तक बढ़ाने की चेष्टा करता है। उनके विचरणमार प्रतिनिधि सरकार दोनों सिद्धान्तों की पूर्ति करती है। आधुनिक विचारक ग्राइस और लास्की ने भी स्वीकार किया है कि प्रतिनिधि सरकार ही सर्वोत्तम है। ग्राइस के कथनानुसार प्रतिनिधि सरकार अपने उत्तरदायित्व के द्वारा जनता की नीतिकृता को बढ़ाती है। लास्की भी यही बतलाता है कि उत्तरदायित्वके ज्ञान को बढ़ाकर यह उत्साह को भी बढ़ाती है। संज्ञेप में राजनीतिक जागरण के द्वारा प्रतिनिधि सरकार मनुष्यों के गुण को बढ़ाती है। लास्की का पुनः कथन है, 'राष्ट्र के सेनानितिक वक्य की पूर्ति के लिए किसी अन्य प्रकार की सरकार में क्षमता नहीं।'

यह समझ देना चाहिए कि प्रतिनिधि सरकार का आवश्यक गुण यह है कि यह हर हालत में प्रतिनिधि मूलक हो। त्रिभिंश भारत में भारतीयों को मतदान का अधिकार दिया गया था पर १४ प्रतिशत भारतीय से अधिक मतदान नहीं दे पाए थे। इस प्रधार से निमित सरकार प्रतिनिधि मूलक सरकार नहीं हो सकती है। प्रतिनिधियों के मनोनयन में साम्प्रदायिकता को भी प्रमुखता दी जाती थी। वहस्त-विक प्रतिनिधि सरकार में उन भाइयों के लिए कोई स्थान नहीं जो जनता के प्रतिनिधि नहीं हैं। भारतीय च्यवस्थापिदा में मनोनीत प्रतिनिधियों की उत्तिर्फत प्रतिनिधि सरकार के लिए महान घातक है।

**राज्यों का आधुनिक वर्गीकरण—आधुनिकतम सरकारी रूप—आज उपर्युक्त सरकारी वर्गीकरण विक्षुल ही निकम्भा है क्योंकि आधुनिक सरकारों के वास्तविक रूपों को समझने में इसमें सहायता नहीं मिलती। इसके अनुसार इन्हें राजतंत्र है परन्तु इस और उसी भी गत महायुद्ध के पहले राजतंत्र ही थे। पर आज उनमें हितना अन्तर हो गया है। त्रिभिंश सरकार का स्व तो राजतंत्रवादी अवश्य है पर यह वास्तव में प्रजातंत्रवादी ही है। नामके लिए त्रिटेन की शक्ति राजा के अंदर निहित है पर वास्तव में जनता ही भाग्यनिर्णयिक है।**

अतः नाम की कोई विशेष कीमत नहीं। आजकी परिवर्तित स्थिति में प्राचीनतम् वर्गीकरण भाजे केवल ऐतिहासिक कीमत की वस्तु है।

### (द) तानाशाही

सरकार को सुन्दरतम् एवं सर्वशक्तिशाली बनाने के विचार के कारण तानाशाही का आविभाव हुआ है। तानाशाही सरकार द्वा रु भी प्रतिनिधि सरकार हो सकता है लेकिन नियंत्रण एवं निर्देश एक ही व्यक्तिके हाथ में है जो तानाशाह कहलाता है। तानाशाह कुछ परमर्शदाताओं की सहायता से शासन करता है। तानाशाह खोखाचाजी या चुनाव के द्वारा शक्ति प्राप्त करता है। प्रथम महायुद्ध के बाद यूरोप ने इटली में मुसोलिनी की तानाशाही हो जाने दी। इसी प्रशार जर्मनी में हिटलर को तानाशाही हुई। एक प्रजातंत्री राष्ट्र के सिद्धांत-विहीन एवं स्वाधीन प्रतिनिधियों की कमज़ोरी से लाभ उठाकर तानाशाह अग्रनी शक्ति प्राप्त करता है। सरकार के कुप्रबन्ध से वे व्याप्ति फायदा उठाते हैं।

‘सरकारी कार्यों’ में हाथ बढ़ाने में जब किसी राष्ट्रकी नागरिक कमज़ोरी दिखलाते हैं तो तानाशाही को प्रोत्साहन प्राप्त होता है। तानाशाही राजतन्त्र से फरक है क्योंकि तानाशाही का यह पैनृक नहीं होता। अग्रने उद्देश्य एवं तरोंकों में अन्तर के कारण एक तानाशाह अल्याचारी से भिन्न है। वह अल्याचारी के सदृश निरंकुश हो रहकता है पर वह स्वाधीन नहीं। इसमें तानाशाही प्रजातन्त्रवादी सरकार से फरक है। यह एक व्यक्ति का राज्य है जिसमें बहुतों को सशन नहीं। अधिक एवं महायुद्ध के द्वारा के कारण तानाशाही का आविभाव होता है। कुछ भाजे के वर्गीकरण नोचे दिए जाने हैं :—

### (१) शासन परिषद् या अध्यक्ष मूलक सरकारी रूप

शासन परिषद् इलेंड की शासन परिषद् एवं अध्यक्ष मूलक सरकार अमरीकी गणराज्य के आपार पर बनती है। एक देश का शासन परिषद् और व्यवस्थापिका के दोनों स्थापित सिद्धान्तों के आपार पर वर्णित हिया जाता है।

(क) शासन परिपद - व्यवस्थापिका की समिति के द्वारा जिस सरकार का संचालन होता है उसे ही शासन परिपद कहते हैं। ब्रिटेन की शासन परिपद सरकार का तात्पर्य यह है कि शासन का नियंत्रण (१) एक मन्त्रिमण्डल के हाथ में निहित है जो (२) पार्लमेण्ट की एक समिति है जिनका मनोनयन (३) पार्टीके सदस्यों में से ही होता है। चुनाव के दूसरे गुप्त बेठक होती है। पारा चमा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व इसी पर होता है तथा यह परिपद तभी तक आकिस में रहती है जबतक पार्लमेण्ट में इसका बहुमत है तथा जब तक पार्लमेण्ट का इस पर विश्वास है। ब्रिटेन में शासन परिपद ही वास्तविक परिपद है। राजा के बल वैधानिक प्रधान है। यही शासन परिपद राजा के नाम पर राज्य करती है। वही सचिव शासन परिपद में भाग ले सकते हैं जो प्रमुख विभागों के रक्षक हैं। साथ ही साथ ये सचिव पार्लमेण्ट के सदस्य अपने विभागों के प्रधान, तथा व्यवस्थापिका एवं शासन सम्बन्धी कार्यों से भी ये सम्बन्धित हैं। शासन परिपद न केवल शासन चलाती बल्कि विधान के मार्ग को भी प्रदर्शित करती है। शोषन परिपद सरकार की उत्तरदायी एवं सफल तथा प्रजतन्त्री सरकार है। शासन परिपद व्यवस्थापिका एवं मन्त्रित्व उत्तरदायित्व इसके प्रधान गुण हैं। इसके विपरीत शक्ति उठ पार्टी नेताओं के हाथ में आजाती है जो शासन परिपद में भाग लेते हैं तथा पार्लमेण्ट को निकामी बना देते हैं।

शासन परिपद सरकार उत्तरदायी सरकार का एक रूप है जो व्यवस्थापिका के प्रति शासन के लिए उत्तरदायी है। इकलौंड से ही यह डंग सुसम्भ्य संसार के विभिन्न भागोंमें कैला है। विदिश केविनेट सरकार का अनुकरण औपनिवेशिक क्रिटिय देशों में सूझ हुआ है जिनका अन्यतम सुन्दर्य विदिश सरकार से है।

जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन के पार्लमेण्टरी डंग विहुल निकम्मे सिद्ध हुए क्योंकि इन्होंने तानायाही के लिए मैदान साक कराया। —

१५ अगस्त १९४७ के बाद भारत में भी उत्तरदायी सरकारको स्थापना हुई

है। माटफोर्ड सुधार के कारण उत्तरदायी सरकार, भारत ने स्थापित हुई पर इस प्रकारकी सरकारोंकी स्थापना केवल प्रान्तों में ही हुई। १५ अगस्त के घोषणासुसार पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई है। अबतक केन्द्र में उत्तरदायी सरकार नहीं थी पर अब केन्द्र में भी भारतीय उत्तरदायी सरकार चल रही है।

( स ) अध्यक्ष मूलक सरकार—विटिश वेबिनेट सरकारके विपरीत हमारे समझ अमरीकी सरकार भी आती है जिसे अध्यक्ष मूलक सरकार कहते हैं। अध्यक्ष मूलक सरकार रिपब्लिक के अध्यक्ष के तत्वावधानमें निमित सरकारको कहते हैं। केबिनेट सरकार से मित्रता प्रचल रखने के लिए दो बातें बतलायी गयी हैं। प्रथम बात यह है कि अध्यक्ष स्वयं अमरीकी व्यवस्थापिका के नियन्त्रण से बाहर है। शासन परिषद व्यवस्थापिका के नियन्त्रण से बाहर है पर विटिश दृंगसे यह बात नहीं। अतः इस प्रशारकी सरकारको अध्यक्ष मूलक सरकार कहते हैं। दूसरी विशेष बात यह है कि कंप्रेस भी शासन-परिषदके नियन्त्रण से बाहर हैं। अतः इस प्रचारके सरकारको कांप्रसनल सरकार भी कहते हैं।

अमरीकी सरकार के कार्य और शक्ति में महान अन्तर है। अध्यक्ष व्यवस्थापिका का सदस्य नहीं तथा विटिश वेबिनेटके विपरीत इसके नियन्त्रणसे स्वतंत्र भी होता है। राज्यके विभिन्न पदोंपर नियुक्त होनेवाले सचिव अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किये जाते हैं जो उनके सहयोगी भी होते हैं।

ये व्यवस्थापिका के न सदस्य ही होते और न इसके द्वारा निर्भयता ही है। शासनका प्रशान, अमेरिकाका अध्यक्ष अमरीकी बनता द्वारा तुना जाता है। अमरीकी बनताके प्रति ही अध्यक्ष उत्तरदायी हो सकता है। राजनीतिक दृष्टि से यह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। जहरत पड़ने पर उसका देपारोपण भी यिद्या जाता है तथा उसे आकस्मा गहर किया जा सकता है।

### ( २ ) एक घद एवं संघ सरकार

इसी घटीकरणके जितान्तरे शालिका केन्द्रीकरण है यही सरकारको ( १ ) एक घद

( ३ ) एवं एष दो भाषों में विभाजित हरते हैं।

(क) एक बद्द सरकार—एक बद्द सरकार उसे कहते हैं जब समस्त सरकारी शक्तियाँ एक केन्द्रके अनुर्गत सर्वजीम-सत्ताके अन्दर केन्द्रित हो जाय। एक बद्द सरकार में केन्द्रीय सरकार सुभिलित है जब कोई क्षेत्र इतना विस्तृत हो जाता है कि एक ही केन्द्रीय सरकार के लिए उसका शासन असम्भव हो जाता है तो विभिन्न स्थानों के लिए स्थानीय सरकारें बनाई जाती हैं पर इस प्रकार निश्चित सरकारें केन्द्रीय सरकार के ही इगत पर चलती हैं। स्थानीय सरकारें केन्द्रीय सरकार के ही अन हैं और केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त अधिकारों का ही उपभोग कर सकती हैं। बृद्धि सरकार एक बद्द सरकार है। अतः समस्त ग्रेट ब्रूटेन का शासन लन्दन स्थित वेस्ट मिनिस्टर द्वारा ही होता है। फ्रांस, इटली और जापान इसके दूसरे उदाहरण हैं।

(ख) संघ सरकार—एक बद्द सरकार के अलावे संघ सरकार वह सरकार है जिसमें सरकारी शक्तियाँ केन्द्रीय सरकार और विभिन्न स्थानीय सरकारों में विभाजित हैं जिनको नियाकर एक संघ बनता है। एक बद्द सरकारके विपरीत केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकारें संघ विधान से ही अधिकार प्राप्त करती हैं। संघ सरकार के कुछ उदाहरण अमेरिका, स्वीटजरलैंड, कनाडा और अस्ट्रेलिया हैं। एक बद्द सरकार से अलग करने के लिए हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि संघ सरकार द्वैय सरकार है। न्यूयार्क का नागरिक परामृशीय कायी में न्यूयार्क स्थित परामृशीय सरकारके अधीन है। संघीय कायों में उसे अमरीकी सरकार के भी अधीन रहना पड़ता है। संघ सरकारके अन्दर केन्द्रीय सरकार के विपरीत स्वायत्त सरकार भी होती है। अम से लोग संघ सरकारको केन्द्रीय सरकार समझ लेते हैं पर यात ऐसी नहीं है। यह केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकार के योग से बनती है। इस प्रकार की पदति के अनुसार प्रान्तीय सरकारें संघ या केन्द्रीय सरकार से पूर्ण स्वतंत्र हैं। संघ सरकार और केन्द्रीय सरकारोंकी शक्तियोंकी परिभावा विधान द्वारा स्पष्ट होती है। उनका विभाजन इस प्रकार होता है जिससे

एक दूसरे के अधिकार में हस्तक्षेप न हो। इस प्रकारके विभाजन में हर एक सरकार अपने क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्र और सार्वभौम होती है। यहाँ हम संघ की प्रमुख तीन बातें बतलायेंगे।

(१) विधान की सार्वभौमिकता (२) संघ और प्रान्तीय, रियासतीय स्थानोंवाले सरकारों की शक्तियों का विभाजन (३) संघ सम्बन्धी अधिकारों के निर्माण और विधान के स्पष्टीकरण के लिए न्याय विभाग की स्थापना है।

**संघ से लाभ और हानि—**(१) संघ से प्रधान लाभ यह है कि एकता द्वारा बड़ और बढ़पन की प्राप्ति होती है। छोटेछोटे राष्ट्रों की स्वाधीनता हमेशा खतरे में रहती है और जागहक नागरिकों को इसमें उतनी सुविधा प्राप्त नहीं हो सकती जिननी सुविधा काफी ताकतवर और धनी राष्ट्र में प्राप्त होती है। (२) केन्द्र से दृट जाने वाली शक्ति और केन्द्रकी और जाने वाली शक्ति के बीच यह शक्ति सन्तुलनका काम करता है। इसे विभिन्नता में एकता कहते हैं। प्रान्तीय स्वायत शासनाधिकार के बावजूद भी केन्द्रीय सरकार एकता और पारस्परिक सहयोग की जननी है।

**हानि—**(१) दैर्घ्यासन से क्षीणता प्रकट होती है। (२) किसी भाग के निकल जाने की हर समय आशंका रहती है।

**संघ में शक्तियों का विभाजन—**केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन पूर्ण और अन्तिम नहीं हो सकता खासतौर पर केन्द्रीय सरकार सभी प्रान्तीय नागरिकों के स्वाधीनों की रक्षा करती है। गुरुगंगा, रेलवे, पोस्ट टेलीफोन, करेन्सी एवं यिकेका अधिकार केन्द्रीय सरकार को प्राप्त है। केन्द्र से रातंत्र स्थानीयशासन के लिए प्रान्तीय सरकार ही उत्तरदायी है।

**कनाडा और अमेरिका में अवशिष्ट अधिकार—**उप और प्रान्तीय-प्राचारों के बायों में विभिन्नता बनवाने हुए एक लिस्ट बनानी पड़ती है। त्रिमुक्त

बनुसार हर एक को अपने क्षेत्र-विशेष में ही कार्य करना पद्धता है। पर इस प्रकार की तालिका अनिवार्य नहीं हो सकती। संघ सरकार को इस प्रकार का अतिरिक्त अधिकार है। इस प्रकार की व्यवस्था कनाडा में है।

**अमेरिका में संघका सरीका**—अमेरिका से ही संघ की व्यवस्था प्रारम्भ हुई। जिसने राजदों की ओर से संघ बनता है वे संघ तो चाहते हैं पर एष्टता नहीं। संघ बनाते समय प्रान्तीय सरकारें अपने लिए कुछ विशेष अधिकार बचा लेती हैं। कनाडा की सरकार ऊरर से ही प्रारम्भ हुई और केन्द्रीय सरकार के विकेन्द्री-करण से ही नीचे आयी। विभिन्न प्रान्तोंके सहयोग से कनाडा के संघ का निर्माण हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि कनाडा की संघ सरकार अमेरिका की संघ सरकार से मजबूत है। कनाडा की सरकार प्रान्तीय सरकारोंपर विशेष अधिकार का भी प्रयोग कर सकती है। क्ष्य प्रकार भारतीय सरकार भी कनाडा के ही सदृश संघीय सरकार होगी। संघ सरकार की प्रमुख बातें ये हैं।

( १ ) निभिन्न क्लौर्स का अस्तित्व जिन्हें अपने विधान, अपनी सरकार एवं अपने क्षेत्र में सार्वभौम अधिकार प्राप्त हो ( २ ) सर्वनिष्ठ बल्टुओं की व्यवस्था के लिए सर्वनिष्ठ सरकार एवं विधान का होना।

### अमेरिका और संघ विचारों की प्रगति

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सरकार सन्डेहपूर्ण संघीय सरकार है। इसकी राजधानी वाशिंगटन है। सर्वनिष्ठ स्थायों के स्थालसे ४८ राज्योंने मिलकर अपनी संघ सरकार बनायी है पर वे अपनी क्षेत्रीय सरकार भी रखते हैं जिनकी अलग अलग राजधानी हैं तथा जिन्हें वे अधिकार सुरक्षित हैं जिनको उन्होंने संघ सरकार को समुद्र नहीं किया है। गत ५० वर्षों से संघ की ओर विश्व की प्रवृत्ति है। संयुक्तराष्ट्र अमेरिका के प्राचीन संघ के अतिरिक्त स्वीटजरलैण्ड, कनाडा, आस्ट्रेलिया एवं दक्षिण अमेरिकामें भी संघ सरकारें चल रही हैं। नवीन विधानानुसार भारतीय सरकार भी संघ द्वारकार

होगी। मध्यकाल में त्रिन प्रकार क्यूडल पद्धति की ओर जनता का विशेष ध्यान था, १५ वीं और १६ वीं शताब्दी में जैसे निरंकुशता की ओर जनता की प्रवृत्ति रही उसी प्रकार आजकल संघ की ओर जनता झुक रही है। सेइविक ने भविष्यवाणी की है कि भारती सरकार की रूपरेखा संघ के आधार पर अधिक संभव हो सकती है। आख्ती का भी कथन है कि स्वभावतः समाजका आधार संघ ही हो सकता है।

**संघको वैधानिक कठिनाइयाँ—**संघ को विशेष कठिनाइयाँ (क) विधान के हंशाधन सम्बन्धी हैं जो एक संघ के अधीन बहुत ही उल्हो दोते हैं। (ख) संघ में मांगी जा निर्णय भी बहा ही बलक्लर्ण होता है। आधुनिक संघ सरकार का आवश्यक अग संघ न्यायालय है जो संघ के क्षेत्र एवं विधान सम्बन्धी निर्णय देता है। ऐसी व्यवस्था अमेरिका में है।

### भारतीय संघ

विटिश मरकार द्वारा प्रस्तावित समाधानानुसार भारतके लिए संघ की ही व्यवस्था सर्वोत्तम बनलायी गयी है जिसमें विटिश भारत एवं भारतीय रियासतें शामिल होगी। इसके निम्नांकित कारण बतलाये गये हैं।

(१) विभिन्न राज्य, व्यवस्थापिद्या एवं स्थानों एकता का समाप्त किए जिन भारतको एकता को कायम रखने का एक मात्र तरीका संघ हो होगा। जिसमें विटिश भारत एवं भारतीय रियासतें एक ही राष्ट्रीय सरकार के तत्त्वावधान में छाप करेंगी।

(२) संघ सरकार के द्वारा ही भारत के सदूच महादेश का मुकाबला हो सकता है तथा भारत की शोषण उन्नति सभव हो सकती है।

(३) भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के तृतीय विटिश सरकार संघ के रूप में शार्त उपरिपत्ति करना चाहती थी।

(४) संघ सरकार के अन्दर स्थायत सरकार या प्रान्तीय स्थापीनता समिलित है। प्रान्तीय स्थापीनता या स्थायत स्थापन से स्थानीय कायों में विशेष सहुलियत

हो सकती है। स्वायत्त शासन से जनता अपना प्रबन्ध स्वयं स्वेच्छापूर्वक कर सकेगी। इससे नागरिकोंको काफी शिक्षा भी मिलेगी। गोलमेज सम्मेलन में भारत ने संघ सरकार एवं उत्तरदायी सरकार की मांग की थी। भारतीय विधान पारिषद ने भारतको यूनियन का स्वप दिया है, पर अभी इस विषय पर वाक्यनुवाद होता रहा है। तथापि सप की भलाइयों को उपेक्षित नहीं समका जा सकता। इससे भारत को राजनीतिक एकता प्राप्त होगी।

एक बद्ध एवं संघ सरकारों की तुलना—एक बद्ध सरकार अपेक्षाकृत सरलता तूक चलती जा सकती है। इसके कारण प्रबल राष्ट्रीय जागरण एवं समस्त देशमें शान्ति एवं सुखवस्था कायम हो सकती है। पर वहे राष्ट्र के लिए यह संभव नहीं हो सकता क्योंकि एक ही केन्द्र से शासन संभव नहीं। उस देशमें भी यह असंभव है जहाँ राष्ट्रीयता के साथ स्थानीय देशभक्ति का भी जोर हो। त्रिपुरा देशमें अच्छे राज्य हीं जो यूनियन होना चाहते हैं पर उभयिति नहीं, इससे स्थानीय स्वराज्य और स्वायत्त सरकार की रक्षा होती है। भारतीय संघ सम्बन्धी प्रश्न के वाक्यनुवाद में सभी सरकार की व्यावहारिकता पर प्रकाश ढाला गया है। केवल संघीय सरकार के तत्त्वावधान में ही बहुत बड़े क्षेत्र का शासन हो सकता है, स्वायत्त सरकार की रक्षा की जा सकती है। सघ सरकार बहुत बड़ी सहानुभूति एवं नागरिकता के हानकी तहाना करती है। ब्रादपु ने यूनिटरी सरकार को तुलना में सघ सरकार के निम्नांकित दोष बताये हैं:—(१) पर राष्ट्रीय कायों के समादन में कमज़ोरी, (२) यह सरकारी कायों में कमज़ोरी, (३) अपेक्षाकृत कुशासन क्योंकि राज्यों की बगावत एवं निकल जाने को हुर बक्स संभावना होती है, (४) वैशालिक एवं शासन सम्बन्धी कठिनाइयाँ, (५) द्वेष सरकार के कारण आपति, अपव्यय एवं देर होती है।

### प्रश्न—

- (१) 'प्रजातंत्रवाद को वास्तव में विभाजित करते हैं' प्रलक्ष और प्रतिनिधि 'मूलक' इसकी व्याख्या करो। (फल १९३५)

(२) संघ तौरपर संघ एवं एक बद्द विधानों में अन्तर बतलाओ। केबिनेट एवं अध्यक्ष मूलक सरकारी में क्या अन्तर है।

(३) किस दद तक यह कहना ठीक है कि प्रतिनिधि मूलक सरकार सर्वोत्तम सरकार है ( कल० १९३४ )

(४) विभिन्न सरकारी तरीकों का संशिष्य वर्णन करो तथा उनके गुण एवं दोषोंपर भी प्रकाश ढालो ( कल० १९३६ )

(५) संघ सरकार के विभिन्न रूप कौन-कौन से हैं। इसके गुण और दोषों को भी बतलाओ ( कल० १९३९ )

(६) कौन-कौन से प्रयान सरकारी रूप हैं प्रजातंत्री सरकार का आमदौर पर दोष होते हुए भी क्यों प्रश्न ह किया जाता है। ( यू० वी० बोर्ड १९३० )

(७) केबिनेट सरकार एवं अध्यक्ष मूलक सरकार में अन्तर बतलाओ उनके गुणों पर प्रकाश ढालो ( कल० १९४० )

(८) इस महायुद्ध का सबसे बड़ा अनुभव यही है कि दसु राष्ट्रों की रक्षा के लिए संघ सरकार ही सर्वोत्तम है। यह भारत के लिए तो और भी जरूरी है। इसकी व्याख्या करो और संघ सरकार के गुणों को बतलाओ। ( कल० १९४२ )

(९) सरकारों का उपयोगी और संतोषग्रद वर्गीकरण करो। ( दाढा १९४२ )



## अध्याय ३५

### प्रजातन्त्री या लोकप्रिय सरकार

सरकारी हैंपें दमलोगों ने प्रजातंत्रवादपर पहले ही प्रचाश दाखा है। इसी प्रकृति पर पर्वालोचनामुद्द दिठिगत अवैष्टित होगा क्योंकि आजकल हर प्रधार के सरकारी हैंपें प्रजातंत्रवाद सर्वोत्तम है। दमलोगों को यह अच्छी तरह जात है कि प्रजातन्त्री सरकार के अन्दर जनता को प्रश्न या अप्रश्न तौरपर अधिकार प्राप्त है। छोटे-छोटे राज्योंमें ही प्रत्यक्ष अधिकार सभव हो सकता है पर आजकल यह कारण नहीं हो सकता। अतः प्रतिनिधि मूलक प्रजातंत्रवाद ही कारण है। प्रतिनिधि मूलक प्रजातंत्रवाद वास्तविक प्रजातंत्रवाद नहीं है। प्रजातंत्रवाद का आधार समाजता है। वास्तव में आजकल विश्वमें वास्तविक प्रजातंत्रवाद को स्थापना नहीं हो सकी है, पर विश्वकी लाख-लाख जनता या यह अतिम लक्ष्य है जिसकी प्राप्ति के लिए अपार अम किया जा रहा है।

### प्रजातन्त्री सरकार

प्रजातन्त्री सरकार को उत्तरदायी सरकार कहते हैं। क्योंकि इस स्थ में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है जो जनता के प्रतिनिधियों के महयोग से चलती है।

आधारभूत सिद्धान्त—लोकप्रिय सरकार इस सिद्धान्त पर आधारित है कि सरकार जनता की स्वीकृति पर ही निर्भर रहे। प्रत्येक अनुभवी नागरिक को सरकारी काग्जों में भाग लेने का पूर्ण अधिकार ही। यह जनता के विश्वास एवं सहयोग पर डिक्टी हुए है। योग्य नागरिक शासकों का जुनाव करता है जो समाज के 'स्वाधी' की रक्षा करते हैं। अब्राहमलिङ्कन ने साधारण मनुष्यों के साधारण ज्ञान की प्रशंसा करते हुए कहा था “कुछ लोगों को सब दिन और सब लोगों को कुछ दिन

धोखा दिया जा सकता है, पर सब लोगों को सब दिन धोखा नहीं दिया जा सकता। उन्होंने लोकप्रिय सरकार को 'जनता को, जनता द्वारा एवं जनता के लिए' सरकार के नाम से अभिहित किया था।

### लोकप्रिय सरकार के गुण

(अ) लोकप्रिय या प्रजातंत्री सरकार सर्वोत्तम सरकार है, क्योंकि इसमें छिसों भी वर्गको विशेष सुविधा नहीं निलंबित तथा सभी को सुनान राजनीतिक आधार प्राप्त होते हैं।

(ब) लोकप्रिय सरकार ही ऐसी सरकार है जिसमें शासितों के प्रति उत्तरदायित्व का पालन हो सकता है।

(ग) लोकप्रिय सरकार कौमदी हित रक्षा का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि मिलके कथनानुमार, '(१) व्यक्ति के अधिकार और लायों की रक्षा तभी हो सकती है जब वह स्वयं अपने पैरोंपर खड़ा होने की क्षमता रखता है। (२) सर्वसाधारण की उन्नति की काफी ममानना होती है क्योंकि अधिकाधिक जनता सरकारी लायों में भाग लेती है।

(घ) लोकप्रिय सरकार प्रगतिशीली एवं शिक्षाप्रद ताक्षत है वास्तविक प्रजातंत्री सरकार हर प्रकार से जनता की उन्नति करती है तथा राजनीतिक चेतना बढ़ाती है। उक्त सरकार मानवता की सेवा के 'भाइशों' से प्रेरित होकर काम करती है तथा परिवर्तित आवश्यकता एवं स्थिति के अनुरूप अपने को बनाती है।

लाड ग्राइषका कथन है कि 'व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिवर्तन उसकी राजनीतिक मुक्ति से ही निलंबित है, उत्तरदायित्व के महत्वरूप शान के द्वारा ही व्यक्ति को उच्च पद प्राप्त करने का मुभयमार निष्ठा है।' लोकप्रिय सरकार इस चेतना को सदैव जाप्रत करती है।

(छ) प्रजातंत्रकार शासितों के इच्छानुमार चलता हुआ सरकारी समाज स्था से मान कर चलता है। अहं लोकप्रिय सरकार के प्रति शासितों की दोहरी शिक्षाप्रद

नहीं रह जाती है। अगर उन्हें किसी प्रकार की शिकायत भी हो तो उसे वह आसानी पूर्वक मुक्तमा सकता है। वह एमायानपूर्ण वैज्ञानिक होता है। इस प्रकार कान्तिकारी भावनाओं से भी मुक्ति मिलती है। उस प्रकार की सरकार को जिसमें जनता का दायर नहीं होता, कान्ति को सदैव आशंका रहा करती है।

( छ ) प्रजातंत्रवाद संस्थ, आगरक एवं तीन नागरिकता का प्रमुख स्थान है। इसमें जनता को सरकारी कार्यों के सम्बन्ध में जानने का पूरा मौका मिलता है। जनता को सरकारी कार्यों का व्यावहारिक हाल होता है। दर प्रधार की गलती करके तथा उनसे अनुभव प्राप्त हर जनता काफी फायदा उठाती है।

### .लोकप्रिय सरकार की आलोचना

( क ) प्रजातंत्री सरकार में बहुसंख्यकों का शासन होता है, अतः गुण की अपेक्षा संस्था का अधिक ध्यान दिये जाता है। लेकिने लोकप्रिय सरकार की आलोचना करते हुए इसे दरिद्र मूखी एवं अदोषों को सरकार बतलाया है। औसतन नागरिकों के पास सरकारी विषयों पर विचारने के लिए समय, अनुभव एवं योग्यता नहीं होती। वे अपनी ओर से इस पर विचार करने का भार दूसरों पर छोड़ देते हैं। इनमें समाचार एवं पत्रिका, सम्पादक तथा खिलेमा एवं रेडियो इत्यादि हैं।

( ख ) सरकारी कार्यों में भाग लेने के लिये जितनी योग्यता की आवश्यता होता है उसका ल्याल कर यह भ्रामक विचार फैल गया है कि प्रत्येक मनुष्य ब्राह्म है। इससे सरकारी कार्यों में सुव्यवस्था का अन्त होता है।

( ग ) प्रजातंत्री सरकार चँकि समस्त जनता की प्रतिनिधि सरकार है अतः वह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं।

( घ ) प्रजातंत्री सरकार अपव्ययी होती है, क्योंकि कोय अनुभव रद्दित जनता के दायर में है अतः इसका उपयोग उचित रूप से नहीं होता।

( च ) लार्ड ब्राम के कथनानुसार प्रजातंत्री सरकार एक ही नीति लगातार

चालू नहीं रख सकती। और न यह आन्तरिक और बैदेशिक नीति ही यिर रख सकती है।

(७) मेन और टेक्की सदृश्य लेखड़ी का भान है कि प्रजातंत्री सरकार न तो अस्तु तरकार और न काफी स्वाधीनता ही देती है।

लार्ड श्राइम के कथनानुसार आधुनिक लोकप्रिय सरकार के प्रधान दुरुण ये हैं।

(१) जनता के जीवन पर अर्थ का अभिशास प्रभाव, (२) राजनीति के पेशे का रूप देने की प्रवृत्ति, (३) अपव्ययी शासन, (४) शासन सम्बन्धी चुद्धि को समझने में असफलता (५) दलगत भावनाओं एवं चिन्हानों का भान, (६) मत प्राप्त करने योग्य विधान एवं शासन आदि।

### परिणाम

जहाँ लोकप्रिय सरकार की आलोधना कोई कितना भी क्यों न करे पर आजकल के दिनों में प्रजातंत्र की धारा को रोकना असमर्प है। विश्वक प्रत्येक सम्य देशों में इसका न्यूनाधिक मात्रा में प्रचलत है। टेक्की के सदृश छद्म आलोचक का भी ध्यन है कि यह एक नाजुक औजार है जिसको मुचारु रूप से चलाने के लिए जनता को महान् उत्तरदायित्व समझने की आवश्यकता है। यहाँ विस्तृत के कथनानुसार स्वायत शासन एक मुण है जो काफी अनुशासन के आधार पर टिका हुआ है। मैत्रीनी ने प्रजातंत्रवाद को मदान नेतृत्व के धन्दर छड़के द्वारा सबसी भलाई का साधन बतलाया है।

प्रजातंत्रवाद में स्वाधीनता और उत्तरदायित्व—लोकप्रिय सरकार की दर्ती पिलोडाई एवं रोगर्स ने लोकप्रिय सरकार की सफलता की आवश्यक दर्ती निम्न-सिखित बतलायी है :- (१) विश्वसनीय जनमत का अस्तित्व (२) यह जनमत तंत्र और सुध्यवस्था हो (३) इष्टकी अभिव्यञ्जना के द्वित एवं पर्याप्त साधन हो (४) अधिकारी व्यक्ति एवं नियंत्रण रखने के लिए वैधानिक तरीका मौजूद रहे (५) एक योग्य शासन द्वारा गठन भी अत्यावश्यक है।

मिलने सुकृत्ता को निनांकित चर्ते देख की है :—(१) उसे प्राप्त करने की इच्छा एवं योग्यता जनता को होनी चाहिए (२) इसको रक्षा के लिए वह लड़ने को सदैव प्रस्तुत हों (३) आवश्यकता पड़ने पर नागरिक कर्तव्य और उसकी रक्षा की इच्छा और योग्यता जनता में हो जिससे निरंकुश, राज्यतंत्र एवं प्रतिक्रियावादी सरकार प्रतिनिधि सरकार की स्थान प्रहण न कर सके।

### प्रजातंत्र नवीन सतरं—तानाशाही का उत्थान

तानाशाही वह सरकारी रूप है जिसमें एक ही व्यक्ति के हाथमें समस्त अधिकार चला जाता है या एक ही दल देश का शासक बन जाता है। मुसोलिनी और हिटलर इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। यह सैनिक सरकार वा एक रूप है जिसका विकाश रोमन प्रजातन्त्रवाद से हुआ है। वहाँ संकटकाल में ७ वर्षों के लिए एक ही व्यक्ति के हाथमें अधिकार दिया जाता था। १९३४ को लड़ाई के बाद यूरोप में आधुनिक तानाशाही का विकास हुआ। विजेता राष्ट्रविट्टेन, फ्रांस एवं अमेरिका ने विश्व के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिये। इटली यद्यपि एक सदायक राष्ट्र मात्र था पर वह नींव ढंकेल दिया गया। जर्मनी को लज्जाजनक शान्तिदाता कबूल करनो पड़ो। हिटलर और मुसोलिनी ने विचार किया कि जबतक फ्रांस, विट्टेन और अमेरिका पर सैनिक सफलता प्राप्त नहीं होती विश्व विजय की कमना व्यर्थ होगी। अतः कमज़ोर प्रजातंत्री सरकारों पर वे चटपट हाथी हो गये। उन देशों में एक दल का राज्य हुआ। इस प्रकार तानाशाही ने पुनः सिर उठाया। यह राष्ट्रीय साम्राज्यवादी और सैनिक सरकारें थीं।

जब राज्य द्वार प्रकार के सामाजिक और वैयक्तिक कार्यों पर नियन्त्रण रखता है तो वह पूर्णतावादी राज्य कहा जाता है। अतः आजकल सब पूर्णतावादी राज्य कहा जायगा। सार्वभीम, सर्वशक्तिमान, निरकुश अधिकारी के रूप में जब राज्य सामाजिक, राजनीतिक आधिक एवं वैयक्तिक कार्यों को हस्तगत कर लेता है तो उसे पूर्णतावादी राज्य कहते हैं जो सामाजिक और आर्थिक योजना एवं सैनिक

शासन को इस्तिर्दि के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को ही स्वाल रखता है। सूची की सेविन्  
यत सरकार तानाशाही कही जाती है। सूचीमें सर्वंहारावर्ग की तानाशाही है  
जिसका तात्पर्य १९ प्रतिशत जनता का प्रशासन है। ब्रिटेन और अमेरिका में  
पूँजीवितियों का प्रशासन है जिसका तात्पर्य वहुसुल्खानों की अधिक शुल्कामी है।

**प्रजातन्त्रवाद** यनाम तानाशाही-उनके लक्ष्य और आदर्श—तानाशाही  
के गुण—प्रजातन्त्रवाद की अपेक्षा तानाशाही में निम्न विशेषताएँ हैं।  
(१) इससे पूर्ण राष्ट्रीय एकता काम सुखी रहती है (२) यह जलदबाजी और तीनता से  
कार्य करती हैं तथा दीप्र निर्णय कर सकती हैं (३) परन्राष्ट्रीय कार्य को युद्धकाल में  
यह अधिक सफलता पूर्वक करती है (४) पूँजीवादी पदलि को अधिगृह उनके के  
लिए इसमें विशेष क्षमता है (५) नागरिकों में आत्म त्याग, मिश्रता एवं देशभक्ति  
को भावना जाप्रसं द्वारा होती है।

तानाशाही के दोष—तानाशाही के कुछ महान दोष हैं (१) यह सैन्यबल पर  
निर्भर करती है। इसमें जनताके अधिकारोंको स्वीकृति नहीं है। अतः लड़ाई अधिक  
समय है (२) समाजता के आधार पर सभी राष्ट्रीयोंको शान्ति पूर्ण जीवन व्यतीत  
करने की मुविधा नहीं रहती (३) स्वतन्त्र भाषण, स्वतन्त्र विचार आदि की स्वापीनता  
छोन ली जाती है (४) व्यक्ति को बलमूर्चक अधीन रखा जाता है (५) अमेरिका  
अधिकार समाप्त होता है जिससे राज्य गरोब होता जाता है।

तानाशाहीकी अपेक्षा प्रजातन्त्रवाद अचान्ना तो है, पर अनेक दोषों में तानाशाही  
ने इसका स्थान प्रदान कर दिया है। प्रजातन्त्रवाद की असफलता पूँजीवादी  
प्रजातन्त्रवाद की असफलता है। प्रजातन्त्रवाद की असफलता के कारण पूँजीरतियों  
ने तानाशाही की शरण ले ली है। प्रजातन्त्रवाद का आधार स्वापीनता, समाजता एवं  
अनुभावना है। तानाशाही शुल्कामी और सेनिक-शक्ति पर निर्भर करती है।

## प्रजातन्त्री या लोकप्रिय सरकार

### प्रश्न

- (१) उत्तरदायी सरकार से तुम क्या समझते हो ? (कल० १९२६)
- (२) प्रजातन्त्रवाद की व्याख्या करो। प्रजातन्त्रवाद में विधान निर्माण की पद्धति पर प्रकाश ढालो। (कल० १९२७)
- (३) प्रतिनिधि प्रजातन्त्री सरकार के गुण दोष की चर्चा करो। (कल० १९२८)
- (४) लोकप्रिय सरकार के गुण-दोषों पर संक्षिप्त प्रकाश ढालो। (कल० १९२९)
- (५) उत्तरदायी सरकार से तुम क्या समझते हो ? क्या बड़ाल और भारत की सरकार उत्तरदायी सरकार के उदाहरण है ? (कल० १९३१)
- (६) लोकप्रिय सरकार क्या है ! इस प्रकार की सरकार के लिए आवश्यक वस्तुओं पर प्रकाश ढालो। (कल० १९३२)
- (७) प्रजातन्त्री सरकार के गुण दोषों पर प्रकाश ढालो। (कल० १९३९-४१)  
क्या प्रजातन्त्रवाद जीतित रह सकता है ? (कल० १९४१)
- (८) प्रजातन्त्री सरकार और तानाशाही में तुम किसको पसन्द करते हो ?  
अपने उत्तर वा कारण बताओ। (दाका १९४२)
- (९) पूर्णतावादी राज्य के लक्ष्य क्या है ? प्रजातन्त्री के राहेदय से वे कैसे भिज़ है ? (कल० १९४२)
- (१०) सरकारों के सन्तोषग्रद और लाभदायक बर्गीकरण करो। (दाका १९४३)
-

# अध्याय ३६

## जनमत

‘दर प्रकार की सरकारें चाहे कितनी भी बुरी क्यों न हों अपने अधिकार के लिए जनमत पर ही निर्भर करती है।’ (त्रूम)

### जनमत क्या है?

वह राय कभी भी जनता को नहीं होगी, जबतक कोई को बहुसंख्या इसे क्वूल न कर ले। इससे यह तात्पर्य नहीं कि समस्त मनुष्य एक ही प्रकार सोचते हों बल्कि मौलिक बातों के सम्बन्ध में सबकी राय एक ही हो। यद्यपि गैर बहसी बातों पर उनके मतभेद हैं पर जहसी बातों के सम्बन्ध में वे सहयोग के लिए पूर्ण प्रसन्न हैं।

“दर प्रकार की दलगत भावनाओं के बावजूद में सरकार की कोमत को सभी क्वूल करते हैं जिसका रदना अनिवार्य समझा जाता है। इसमें राष्ट्रीय रिचारों का भी ख्याल रहना पड़ता है। एक राय जिसना ही अधिक समर्पण प्राप्त कर सके उतना ही अधिक लोकप्रिय कहा जाता है। इसी भी मानव समाज में वही जनमत मान्य हो रहता है जो सभी के द्वारा स्वीकृत माले ही न हो पर जनता द्वारा मनोनीत कुछ अर्द्ध अनुभवों व्यक्तियों को मान्य हो जिन्हें भगवा निर्गम देनेका पूरा अधिकार प्राप्त हो।”—सिल्वाइ और सोयरस।

लोवेल के अध्यनालयार ‘इसी राय को जनमत प्राप्त करने के लिए बहुमत ही पर्याप्त नहीं है और न तो एर समति को ही आवश्यकता है।’

## लोकप्रिय सरकार और जनमत

इमने देखा है कि लोकप्रिय सरकार का यह तात्पर्य कहाँपि नहीं कि जनता प्रख्युत होयेग शासन करे। इसके विपरीत प्रत्येक प्रजातंत्री सरकारों का सचालन प्रतिनिधियों द्वारा ही हाता है। जनमत के द्वारा ही प्रतिनिधि जनता से निष्ठ समर्क रखते हैं। उदाहरण स्वरूप जब जनमत सामाजिक सुधार चाहता है तो सरकार या व्यवस्थापिका नुपचाप नहीं बैठ सकती। उन्हें जनमत को मानता नहीं पड़ेगा। कानून बनते हैं और उन्हींके अनुसार देश का शासन होता है। इस प्रकार प्रजातंत्री देश में कानून और जनमत में तात्पर्य सम्बन्ध संरेख रहता है। इस प्रकार लोकप्रिय सरकार उसे कहते हैं जो जनमत द्वारा प्रभावित हो। लांबल के कथनानुसार जनमत किसी प्रकार की फट नहीं बल्कि मेयादी राय होनी चाहिए।

**जनमत द्वारा सरकार का निर्माण—जनमत द्वारा सरकार का निर्माण** यह समझ कर उचित नहीं ठहराना चाहिए कि जनमत ठीक ही है बल्कि यह समझ कर उचित ठहराना चाहिए कि एक दल या एक व्यक्ति को राय की अपेक्षा यह अधिक ठीक है। जब यह ज्ञात हो जाता है कि सरकार का संचालन जननत के ही आवार पर है तो देश में अधिक शान्ति और सतोष का मान होता है तथा इससे कानून के लोकप्रिय होने एवं राष्ट्र को रक्षा में अधिक संभावना रहती है।

## लोकप्रिय नियन्त्रण का अर्थ

लोकप्रिय सरकार का निर्णय दो प्रकार से हो सकता है [ १ ] सरकारी कारों में जनता का किउ दद तक सहयोग है, [ २ ] सरकारी प्रतिनिधियों के लिए दिये गये मत की ओमत छिटनी है। इस प्रकार लोकप्रिय सरकार के रूप को अपेक्षा गुण अधिक विवेचन को वहनु है। सबसे बड़ी जांच यह है कि सरकार जनमत की कई तक परवाह करती है।

**लोकप्रिय सरकार के तत्व-जनभव द्वारा निर्वचन—**ग्रिटेन के सदरा अनियमित राज्यतन्त्र के लंदर भी लोकप्रिय सरकार बन सकती है। सरकार के तत्व सुर में नहीं बल्कि जनमत सरकार के प्रति अन्यमनसक या अयोग्य हो तो लोकप्रिय नियन्त्रण कदाचि सभव नहीं हो सकता। शक्ति और नियन्त्रण उन घोड़े लोगों के हाथ में खला जाता है जो भरे दोने के साथ ही साथ स्वाधी भी होते हैं। इच्छा परिणाम शासन की कुम्भवस्था है। इस प्रकार के राष्ट्र में जो बन दूभर हो जाता है। अन्याय और संघट का खतरा सदैव विद्यमान रहता है और सदैव जनता के जागरण पर ही तानाशाही से मुक्ति की सम्भावना हो सकती है। अतः नागरिकशास्त्र का अध्ययन उतना ही जहरी है जितना यह बहा है। जनता को यह समझ देना चाहिए कि उनके ही प्रबलसे जनता की भलाई हो सकती है।

### जनमत के विकास और प्रकटीकरण के साधन

आधुनिक प्रजातन्त्री राष्ट्रों का सफल शासन जनमत प्राप्ति के साधन पर ही निर्भर करता है। जनमत के द्वारा ही प्रतिनियुक्त सरकार के प्रतिनिधि हर समय जनता के निष्ठ सम्पर्क में रहते हैं। इस प्रकार जागरूक विश्वात एवं साक्षात्कर जनमत शासन की कुम्भवस्था को ठीक करता है। अतः समल एवं मुख्यदर्शित शासन के लिए जनमत प्राप्ति के साधन को मुस्त करना सरकार का छत्तेव्वु है। जिन साधनों से जनमत प्राप्त दिया जा सकता है वे मुख्यतया (१) शैक्षणिक संस्थायें (२) समाचारपत्र (३) चैन (४) दल (५) दिनेमा एवं रेडियो हैं।

(१) **शैक्षणिक संस्थायें—**पर पर चूंकि ये दोनों की शिशा-दीर्घ सभव नहीं है अतः इसका उत्तरदायित्व विद्यालयों को देयाना पड़ता है। सूल, देवेज एवं विस्विद्यालयों में ही भावों नागरिकों को देयार दिया जाता है। दोस्रे दो दृष्टिकोणों में से एक परिपुष्ट होता है क्षीर मत नियंत्रित दरने के दोष बताता है। क्षणे

विद्यार्थी जीवन की समाप्ति के पूर्व राजनीति में सक्रिय भाग लेने की आशा एक विद्यार्थी से भले ही न को जाय पर काउंसल की चाश-विद्याद समिति में उपस्थित प्रस्ताव से भावी राजनीतिज्ञ की कल्पना होने लगती है।

विद्यार्थी जीवन में छात्रों के मतिष्क में जो विचार घर कर रहे हैं वह विद्यार्थी जीवन के बाद भी बहुत दिन तक बना रहता है। इस, जर्मनी एवं युद्धोत्तर चीन की द्वालत के अध्ययन के पश्चात इस यह अच्छी तरह समझ सकते हैं कि शैक्षणिक संस्थाओंका बहाँ तक प्रभाव पड़ता है। प्रजातन्त्रवाद के लिए शिक्षा निहायत जहरी चीज़ है। प्रत्येक शासनरूप और निरंकुश सरकार यह अच्छी तरह जानती है कि उल्लं साधा करने के लिए जनता को नूर्ख रखना जहरी है। शिक्षा से प्रजातन्त्रवाद पुष्ट होता है अतः अनिवार्य शिक्षा की बहुत आवश्यकता है।

(२) समाचार पत्र—समाचार पत्र जनस्वार्थ सम्बधी समाचार और मत व्यक्त करता है। ताजी खबरों पर टिप्पणी देना तथा उनके सम्बन्ध में जनमत व्यक्त करना ही इसका काम है। समाचार पत्र हमलोगों को शिक्षा देता है चाहे वह समाचार पत्र की अनुसारे और तुराइ के अनुसार अच्छा हो या बुरा। जनता की शिक्षा की नूदि के साथ समाचार पत्रों का महत्व बढ़ गया है। अतः आज राष्ट्र के जीवन में समाचार पत्रों का महत्व पूर्ण स्थान हो गया है। जब समाचार पत्र एक दल या व्यक्ति के स्वाधीनों की रक्षा करने लगता है तो उसका महत्व घट जाता है। देशके समाचारपत्रों पर सरकार का अधिकार नहीं होना चाहिए। क्योंकि सरकारी समाचार पत्र स्वाधीनता को रोक भी सकती है। कुछ स्वाधीन पूँजीपतियों का भी पत्रों पर अधिकार अनुचित है जैसा कि ब्रिटेन और अमेरिका में देखा जाता है। समाचार पत्र बुराइ और मलाइ दोनों कर सकता है। अतः यह सूब अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए जिससे जनता को खराबी न पहुँच सके। बहे-बहे देशों में समाचार पत्रों द्वारा ही प्रजातन्त्र संभव हो सका है अब इसकी आवाज बहुत

वही सख्त तक पहुंचने सकते हैं। स्वतन्त्र समाचार पत्र के लिना अन्यायी सरकार का अन्त नहीं हो सकता। अतः जनस्वार्थ के लिए सख्तापत्र के विवेचनार्थ समाचार पत्रों को स्वतन्त्र होना चाहिए। समाचार पत्र शासकों के अन्याय को प्रकट करता है। शासन परिषद की बुराइयों एवं स्वार्थों को प्रकट करता तथा जनता की स्वाधीनता को रक्षा करता है। पर जब समाचार पत्र जननत को छोड़कर व्यावसायिक रूप धारण करता है तो यह बहुत बड़ा खतरा भी हो जाता है।

(३) टर्मिन्च—जिस प्रकार समाचार पत्र जनता को जागृत करता है उसी प्रकार टर्मिन्च जनता के अप्रगत्य नेताओं के भाषण द्वारा राजनीतिक प्रश्नों में जनता को रुचि पैदा करता है। यह और पराष्ट्रीय राजनीति सम्बन्धी प्रमुख प्रश्नों पर प्रहार दालकर जापकरता जनता को अभिज्ञ बनाता है।

(४) दल—राजनीतिक दलों द्वारा बहुत बड़े पेमानेपर जनता की राजनीतिक जागृति होती है। दलगत प्रचार द्वारा ही साधारण नागरिक भी प्रमुख राजनीतिक बातों का ज्ञान हासिल करता है। अगर साधारण नागरिक को रुचि इष्ट तरफ पैदा न की जाय तो वह अपने देश के बास के अधिकारित और उछ नहीं कर सकता है। दल जनता में रुचि पदा बरते हैं जिसके लिना जनमत सर्वथा अप्रभव है।

(५) रेडियो और सिनेमा—शासा भीर जनमत को ल्परेहा रेडियो और सिनेमा द्वारा ही प्रष्टुत होती है रेडियो और सिनेमा का भवत्व भारत सरकार में समाचार पत्रों से भी अधिक है जहाँ की जनता अनुद छोने के कारण देखी और सुनी हुए बातों को अधिक समझ सकती है। अगर प्रणतिवादी और वार्तविक प्रतिनिधि संस्था हो तो व्यवरथायिका जनमत को प्रभावित होती है और जनता के अंदर की एक ओर मोहर्ती है। लैंडन मौजूदा परिस्थिती में यह न की दाकी अधिकत होती है और व जनमत को ही प्रभावित कर सकती है।

## कहु आलोचना के खिलाफ़ और उनकी सीमा

विद्यालय, समाचारपत्र, राजनीतिक दल, ग्रंथालय एवं सिनेमा ने जनमत को प्रभावित करने में जितनी शक्ति प्राप्त की है उनकी आलोचना भी की जा सकती है। बास्तव में वर्ण और दृग्गत स्वार्थ को आगे बढ़ाने में इसकी कहु आलोचना आज की भी जा रही है। जनमत के अनिश्चाली साधन पर एकदल या समूह नियंत्रण कर सकता है। इससे सबसे बड़ी बुराई यह है कि एक दल की बतौं तो जनता के नमस्त उपस्थित होती है पर उनमें दूसरा दल क्या कहता है इसपर विलुप्त प्रकाश नहीं होता जाता। चूंकि एक पश्चीम हाईट में मामला उत्पन्न होया आता है, अतः निर्णय भी एक पश्चीम ही होगा। जनतक दोनों दलों की बात सामने न आये तब उनकी लोग जनना सम्बन्धी विषयावधि निर्णय नहीं दे सकते। निर्णय या वास्तविक जनमत के अभाव से राष्ट्र में राजनीतिक और आर्थिक बुराई कैदती है।

### प्रदर्शन—

- ( १ ) जनमत से क्या समझते हो ? लोकप्रिय सरकार को जनमत कैसे प्रभावित करता है। ( कल० १९२९ )
- ( २ ) जनमत की प्रहृति पर प्रकाश ढालो। जनमत का कानूनपर क्या प्रभाव पड़ता है। ( कल० १९३० )
- ( ३ ) जनमत निर्माण में समाचार पत्रों और दलों के 'कायों' का जिक्र करो।
- ( ४ ) आजदल जनमत निर्माण में कौन कौन से साधन हैं, इनकी ताकत और सीमाओं पर प्रकाश ढालो। ( कल० १९३४ )
- ( ५ ) 'प्रजातंत्रवाद के लिए जागरूक और तीव्र जनमत जरूरी है'। ( कल० १९३६ )
- ( ६ ) 'आधुनिक राष्ट्रों के सफलशासन जनमत निर्माण और प्रदाश के साधनों पर निर्भर करता है। ( कल० १९३८ )

## अध्याय १७

### दल, दलगत सरकार और दलगत पद्धति दल क्या हैं

दल उन शक्तियों का समूह है जिनके समय विशेष की राजनीतिक विचारधारा एक हो तथा जो उन विचारधाराओं के अनुसार कामकर सरकार संचालन की शक्ति प्राप्त करने को सक्षम एवं एक-बद्ध हों। प्रजातंत्रवाद में राजनीतिक दलोंका विशेष महत्व बड़ा गया है।

दल कैसे बनते जाते हैं? —‘इरएक कौम में जनर्भ सम्बन्धी विभिन्न विचारधाराये होती हैं। अप्रगत्य व्यक्ति विरोधी भावनाओं के विरोध के लिए तत्पर होते हैं। दूसरे लोग उनके समर्थन में उनके अनुयायी हो जाते हैं। अपनेभन के प्रचारार्थ वे एक बद्ध एवं संघ बद्ध हो जाते हैं’ ( प्राइम ) इसी प्रकार दल बनते हैं। दलके नेता के चरित्र, निर्णय, योग्यता, उत्साह, व्यक्ति एवं शानदार बहुत बातें निर्भर करती हैं। अपने उदाहरण एवं शिक्षा से वह योग्य व्यक्तियों को नुनता एवं आदर्शका निर्माण करता है तथा अपने देशकी सभी वस्तुओं से ऊर समर्पिता है। दर एक देशमें जहाँ लोकप्रिय सरकार चल रही है दलकी स्थापना होती है।

दल बनाम विरोधीपक्ष—‘दल व्यक्तियों का वह समूह है जो समूह प्रयत्न से निर्धारित उद्देश्य द्वारा प्रेरित होकर राष्ट्राय स्वार्थ को आगे बढ़ाता है। समृद्ध व्यक्ति एक ही विचारधारा के मानने वाले होते हैं’ ( प्राइम ) अतः दल मतदाताओं से सतत्य एवं स्वेच्छित संस्था है जिसके द्वारा अपने उद्देश्यकी प्रगति की जाती है। इसके विपरीत विरोधीपक्ष उन सिद्धान्त विदीन मनुष्यों का समूह है

जो न उचादर्श और न राष्ट्रीय विवारधारा बल्कि अपनी स्वार्थ चिदि के लिए एक बद्द होकर काम करते हैं।

‘राजनीतिकदलों’ के कार्य—दल का प्रमुखकार्ग जनमत को ‘सुशिक्षित करना एवं अपने अनुकूल बनाना है। दल जनकार्यों में रुचि पैदा करते हैं तथा प्रजात्रवाद को मजबूत बनाने में सहायक होते हैं। इससे अन्यायी सरकार की शृद्धि रुक्त है। परं राजनीतिक दलोंका प्रमुख उद्देश्य राजनीतिक सत्ता एवं सरकारी पद प्राप्त करना होता है। इसके लिये संस्थाको अवश्यरूप होती है। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये दलगत संस्था को निश्चित कार्य करने पड़ते हैं। जो निम्न हैं।

( १ ) जिन नीतियों में प्रभावित होकर दल खड़ा होता है उनका जोरों से प्रचार किया जाता है।

( २ ) चुनाव के पहले राजनीतिक प्रचार सावधार तरु खुब किया जाता है। यह कार्य बक्तव्य एवं समाचार पत्रों के द्वारा सम्पन्नकर जनमत प्राप्त किया जाता है।

( ३ ) धरकारी दफतरों के लिए दलगत उम्मेदवार चुने जाते हैं तथा दलके सदस्य एवं दूसरे लोग भी मत प्रदान के लिए उत्साहित किये जाते हैं।

( ४ ) अधिकार और शक्ति प्राप्त करने के लिए चुनाव लड़ा जाता है। चुनाव में अपने दलके पश्च में मतदेने के लिए जनता को बहुकाया जाता है और अपने दलके उम्मेदवार को विरोधी उम्मेदवार की अपेक्षा दोगुण एवं अच्छा बतलाया जाता है।

( ५ ) मतदाताओं के प्रति को गवी प्रतिज्ञा के पालन की घोषणा की जाती है और बतलाया जाता है कि चुनाव के बाद असुक्ष मुविधायें असुक्ष दल जनता को देणा। ऐसा भी नहीं होता है कि चुनाव में बहुमत प्राप्तकर दल बरणी प्रतिज्ञा भूल जाता है।

दलगत सरकार—व्यवस्थापिदा में बहुनत प्राप्त करने के लिए प्रत्येक दल प्रबलशील होता है क्योंकि बहुमतवाले दल को ही सरकारी कार्यों में हाथ बढ़ाने का जौदा निल्टा है। इस प्रकार अत्यसंख्यक दलको बहुसंख्यक का विरोधी दल बनाना पड़ता है। जब ताजी ताक्त प्राप्तकर अत्यसंख्यक दल बहुसंख्यक बन जाता है तो नवीन बहुसंख्यक दल ही सरकार बनाता है और पुण्यना बहुसंख्यक अत्यसंख्यक दोने के कारण विरोधी दल बन जाता है। इस प्रकार की सरकार को दल गत-सरकार कहते हैं। दलगत सरकार का आधार एक प्रजातंत्रवादी देश ने यह है कि बहुसंख्यक अत्यसंख्यक दल पर हावी हो सकता है। इस यह सकते हैं कि अपरसंख्यकों पर यह बड़ा अत्याचार है पर उचित श्रेष्ठ कार्य करने के लिये इससे अच्छा तरीका अब तक प्राप्त नहीं किया जा सका है।

अपवर्त्यदल और द्विदलीय पद्धति—अगर प्राप्त एवं जर्मनी सहश देशमें सीन या चार राजनीतिह दल हों तो इसे अपवर्त्य दल कहते हैं। अत्यधिकदलों का तात्पर्य अन्तरिक संघर्ष की शृंखला है जिससे राष्ट्रीयन्ति को गहरा आघात पहुंचता है। ऐसे देशों की सरकारें दूसरे दलों के सहयोग से बनती हैं जिन्हें भग दोने की आरंका सदैव बनी रहती है। इस प्रकार की सरकार कभी स्थायी और ताक्तपर नहीं हो सकती। मत्ता प्राप्त करने वाले दलको अपने समर्पन के लिए दूसरे दलवालों को घृत भी देना पड़ता है। इस प्रकार की दलीय पद्धति अनेक युगाइयों का कारण है जिससे पूर्णयोगी अस्थिरता एवं अन्यान्य राजनीतिक युगाइयों फैलते रहती हैं। इस स्थिरोंके विचारानुसार सर्वोत्तम राजनीतिक पद्धति यह है कि देशमें दो ही शाप्ती दावतपर एवं सुभवास्थित दल हों। अभी हालतह मिटेन में यही पद्धति थी। इस प्रदार की पद्धति के अनुगार बहुसंख्यक दल सरकार बनाता एवं अत्यसंख्यक दल का विरोधी बनता है। एक दल दूसरे पर लगात लगाता है। एक दल की सरकार कामी वापतपर रोती है जो बहुसंख्यक सरकारी अपेक्षा अधिक सुव्यवस्थित तरंग एवं सुखाह रूपसे काम करती है। इस प्रकार की सरकार वही सरकारी

पूर्णक काम इसलिए करती है जिससे कहीं उसकी गलतियोंके कारण विरोधी दलको लाम उठाने एवं मत-दाताओं को अपने पश्चम करने का मौका न मिल जाय।

विरोधी दल वाले भी अनुत्तरदायी आलोचना नहीं करते, क्योंकि वह सब्द्या एवं सत्ता प्राप्त करने के बाद अपने विचार सुसार उन्हें काम करना पड़ता है। इस प्रकार उत्तरदायित्व का पालन किया जata है। इस प्रकार द्विंदलीय पद्धति की सरकार काफी मजबूत होती है।

### दलीय पद्धति के गुण

(१) बहुत बही कौम के लिए दलकी आवश्यकता है। अगर दलगत व्यवस्था न हो तो राजनीतिक समस्या से बहुत से नार्गिरु अनभिज्ञ ही रह जाते हैं। दल के सहज संस्था के हो द्वारा नागरिक राजनीतिक समस्या एवं उसके समाधान से परिचित होते हैं। वास्तव में चुनाव की लड़ाई शिक्षा की लड़ाई है। जिस मतदाता को एक उम्मेदवार के विरुद्ध दूसरे उम्मेदवार को मत देने के लिए कहा जाता है उसे इस बात से पूर्ण परिचित कराया जाता है कि दल विशेष की नीति विरोधी की अपेक्षा अच्छी है। लाल्की के कथनासुसार दलों को विषय निर्धारित करना होता है, जिसपर जनता मत देती है।

(२) दल मत-दाताओं को मत-दान की प्रेरणा देकर जन-कांग में उनकी शक्ति पैदा करता है।

(३) प्रजातंत्रवाद के अन्दर सरकार को सुगति करने के लिए दलकी आवश्यकता है। जबतक व्यवस्थायिका के बहुमत की संभावना न हो तबतक कोई सरकार कारबाह नहीं हो सकती। अगर व्यवस्थायिका में कोई मजबूत दल समर्थन के लिए न हो तो सरकार कमज़ोर हो जाती है क्योंकि व्यवस्थायिका में मत प्राप्ति में सन्देह बना रहता है। अगर नागरिक अपने छोटे-छोटे मतभेदों को भुलाकर महत्वपूर्ण विषय पर एक मत नहीं हो जाते तो प्रजातंत्रवाद कमज़ा, बखेड़ा का साधन बन जायगा।

(४) दल निरंकुशता को ऐक्टा है। विरोधी दल की आलोचना के भव से सत्ता-प्राप्त दल संभल कर काम करता है।

### दोष

(१) दलगत पद्धति से दलगत भावना यैदा होती है, जो कभी-कभी दुराइयों का कारण बन जाती है। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जिस आधार पर दल का गठन होता है वह भूल जाया जाता है। ऐसी स्थिति में दल साधन के स्थानपर लक्ष्य बन जाता है। इसके अनुशासी आदर्शक के लिए, पार्टी के लिए विजय कामना करते हैं। कभी-कभी तो अनुशासी राष्ट्र के प्रति वकालारी के स्थान पर दल के प्रति वकालारी प्रबल कार्त हैं।

(२) दलगत पद्धति व्यक्तित्व को दो भागों में बटाती है। प्रथम, इससे व्यक्ति पार्टी पर अधिक निर्भर करता है। व्यक्तित्व की योग्यता को अपेक्षा व्यक्ति के साधन पर अधिक विचार दिया जाता है।” द्वितीय, दल के सदस्य को दलगत अनुशासनानुसार दल के सिद्धान्त के विरोद्ध मत प्रदान को अनुमति नहीं मिलती।

(३) अमेरिका के सदृश दल के कारण अनेक दुराइयों फैलती हैं, जहाँ दलपर कुछ व्यक्तियों का अधिकार हो जाता है जो व्यक्तिगत स्वार्थ से प्रेरित होकर ही अपने इच्छानुसार काम करते हैं।

(४) दलगत-पद्धति के कारण प्रमुख एवं योग्य व्यक्ति सरकारी दस्तर से बाहर नियमित दिये जाते हैं। ये पद उन्हीं व्यक्तियों के लिए सुरक्षित हैं जो दल के अनुशासन की मानते हैं। कभी-कभी दल के योग्य व्यक्ति भी अदिक्षा शुलगी के विरुद्ध बगात रह देते हैं। विरोधी दल के योग्य व्यक्ति सरकारी पदों पर इसलिए नहीं मिलते जाते यद्यपि सत्त्वा-प्राप्त दलके धरत्य पदों को भर देते हैं।

(५) दलगत पद्धति के अनुसार जनता की व्यर्थ चाहदगों को जाती है यद्यपि

मत प्राप्त करने के लिए ऐसा जहरी समझा जाता है। कभी-कभी मत प्राप्ति के लिए ही कानून बनता है जो कौमके स्वास्थ के लिए धातक सिद्ध होता है।

### नागरिक और दल

असुनिक प्रजातंत्रवाद के संचारन में दलगत सरकार की बुराइयाँ येहाँ उपस्थित करती हैं। अगर सभी नागरिक काफी सक्रियानी से काम लें और जनकार्यों में हार्दिक सहयोग करें तो इन बुराइयों का अन्त ही मुक्त हो। दलगत सरकार को बुराइयों का पता लगाना चाहिए तथा जनता के अंदर पूर्ण उत्तरदायित्व की भावता पैदा कर उनका अन्त करना चाहिए। अगर प्रजातंत्रवाद की रक्षा करनी है तो साधारण नागरिकों की निःस्वार्थ सेवा करनी होगी तथा उनके उत्तरदायित्व एवं ज्ञान की वृद्धि करनी होगी।

### प्रश्न

( १ ) एक प्रजातंत्री देश के राजनीतिक दलों के कार्यों की व्याख्या करो।

( कल० १९३५ )

( २ ) दलगत पद्धति के लाभ और द्वानिपर प्रकाश ढालो। ( कल० १९४२ )

( ३ ) राजनीतिक दल और विरोधी दक्ष में अन्तर बतलाओ। दलगत पद्धति के गुण और दोष बतलाओ। ( कल० १९३२ )

( ४ ) राज्य के कार्य और नागरिकों की धिक्का में राजनीतिक दल क्या कार्य करते हैं? ( य० पी० बोर्ड १९३० )

## अध्याय १८

### मतदाता

हमने पहले ही देखा है कि आधुनिक नागरिकों का सर्व प्रथम अधिकार मतदान है। आधुनिक प्रतिनिधि सरकार के द्वारा इसका महत्व और अधिकार हो गया है, कारण, आज नागरिकों को प्रतिदून्दी विषयों का ही भागीदारी नहीं करना पड़ता, बल्कि प्रतिदून्दी उम्मेदवारों में से एक को चुनना पड़ता है। जोही राज्य जलसंचया और सीमा क्षेत्र में विस्तृत हो जाता है तोही जनता या सरकारी कार्यों में ग्रत्यग्र भाग ले सकता असम्भव हो जाता है। तब ग्रत्यग्र प्रजातन्त्रवाद अग्रयण प्रजातन्त्रवाद का स्थ धारण करता है। ऐसी स्थिति में नागरिकों को प्रतिनिधियों का चुनाव करना पड़ता है जो उनकी ओर से सरकार का संचालन करते हैं।

### मतदान का तात्पर्य, इसकी प्रकृति और इसके कार्य

नागरिक जब सामूहिक रूप से इस कार्य का सम्मान करते हैं तो उसे चुनाव पड़ते हैं, एक को चुनना मतदान, चुनने वाला मतदाता एवं सामूहिक रूप से वे मतदाता बनाते हैं। मतदान का वर्णन्—(क) उस व्यक्ति को चुनता है जो सरकारी पदों पर विराजमान होंगे (स) जो जन कार्यों के प्रति स्वीकृति या अस्वीकृति देंगे। आधुनिक प्रजातन्त्रवाद या प्रतिनिधि मरक्केर की नींव या तत्त्व उपर्युक्त निवाचिन पर ही निर्भर करता है।

### आधुनिक राज्य और मतदाता

आधुनिक राज्य अपनी तात्पत एवं स्थायित्व प्रजातन्त्रवादी स्थ से ही ग्रहण करते हैं। प्रजातन्त्री सरकार ( १ ) नागरिक स्वाभाविता क्रियमा तात्पत यह है

कि कानून के समझ सभी बराबर हैं। (२) राजनीतिक स्वाधीनता जिसका तात्पर्य यह है कि सरकारी आयों में सबको समान अधिकार मिलेगा ; के यही दो स्पष्ट हैं।

पूर्ण प्रजातन्त्रवाद में सभी कानून के समझ समान हैं तथा सरकारी कायों में सबको समान अधिकार है। ८४ प्रकार का प्रजातन्त्रवाद भभी तक किसी देश में नहीं है तथापि प्रायः सभी आशुनिः दंशों की सरकारें किसी न किसी रूप में जनता द्वारा नियन्त्रित हैं किर वह नियन्त्रण किनना भी अधूरा क्यों न हो।

### लोकप्रिय नियन्त्रण एवं मतदाता

किसी सरकार पर लोकप्रिय नियन्त्रण का विचार मतदाता के आकार के द्वारा नहीं, अपिनुसरकार पर नियन्त्रण की प्रणाली के द्वारा किया जाता है।

### मतदाता के आकार

जितनी ही अधिक जनता को मत देने का अधिकार होगा उतनी ही लोकप्रिय नियन्त्रण की स्थापना होगी। मतदाता का आकार विभिन्न बातों पर निर्भर करता है यथा उम्म, जाति, नागरिकता, निवासस्थान, सम्पत्ति, शिक्षा एवं नीतिक शिक्षा आदि। किसी भी राज्य में हर एक व्यक्ति को मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है। उदाहरण स्वरूप अल्प वयस्क, पागल और दोषी मताधिकार से सर्वधा वंचित हैं। क्योंकि ये उक्तका उचित प्रयोग नहीं कर सकते। किन्तु उन्होंने ऐसे व्यक्ति भी हैं जो इसका उचित प्रयोग कर सकते हैं अधिकार से वंचित कर दिये गये हैं। सरकार को अत्यधिक लोकप्रिय घनाले के लिये मतदाताओं की संख्या बढ़ायी जा रही है। हमारी सरकार भी अब वयस्क मताधिकारानुसार जुनाव करके अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त करेगी।

**मतदान के मूलाधार—प्रजातन्त्रवाद** को कठिनतम समस्या मतदान का मूलाधार प्राप्त करना है। हमों एवं अन्य मौंच राजनीतिक विचारोंने १८ वीं शताब्दी में बतलाया कि चूँकि यार्डमैन अधिकार जनता को ही प्राप्त है, अतः प्रत्येक नागरिक को मताधिकार प्राप्त होता चाहिये।

जोन स्टुअर्ट मिल, लेडी, मेन एवं ब्यूट्यस्ली के कथनानुसार मतापिकार नागरिकों को नहीं मिलना चाहिये। पर यह वह अधिकार है जिसे कौम के हितार्थ योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को ही मिलना चाहिये। ऐसा देखा जाता है कि वयस्क मतापिकार के समर्पणों ने भी कुछ नियन्त्रण आवश्यक समझा है। उद्धरण स्वरूप अलगवद्धक, पाण्डल एवं विदेशियों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। अगराधी ही भी मतापिकार प्राप्त नहीं होता। कुछ ऐसे नियन्त्रण हैं जिन्हें वयस्क मतापिकार के पूर्ण योग्यता का प्रमाण मिलना चाहिये। दैध्यमिक, समर्पित, करदान का प्रबाधनरथ मतापिकार ही योग्यता के प्रमाण हैं। [ मिलके कथनानुसार 'निरक्षर व्यक्तियों को यह अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिये। साकारी अपव्यव को बचाने के लिये करदान संबोधन गुण है। जो कर नहीं चुकाते उनकी फ़जूलखची हो जाने की पूरी सम्भावना रहती है ]

खो या पुरुषों के पूर्ण विद्युत के बिना मतदान की कोई कीमत नहीं है। उद्धी या पुरुष मत देने के योग्य हाँ, तभी इसका उचित प्रयोग हो सकता है। खो या पुरुषों को अपनी भलाई स्वयं सोचनी चाहिये। लेडी एवं मेन का कथन है कि वयस्कमतापिकार की वृद्धि से उत्तरा सम्भा है। उनके अनुसार अनुवदयन्य जनता के हाथ में अधिकार चला जाता है। वे प्रबाधनवाद ही बुराइयों पर ही विवार करते हैं। यूरोप और अमेरिका में वयस्क मतापिकार की वृद्धि के सावन्नू भी उनकी भविष्यतानी सख्त प्रगतिगत नहीं हुए। पूर्ण वयस्क मतापिकार यूरोप और अमेरिका में लागू हिया गया है जहाँ पर दैध्यमिक और सामूहितिक परोक्षा को भी आवश्यकता नहीं समझी जाती है। आज सभी ऐसे वयस्क मतापिकार को छोर आकृष्ट हो रहे हैं।

दृष्टुमस्त्रे व्या आवश्यकता वही कि जनता को राजनीतिक उत्तरा उत्तरे उचित प्रयोग के सापे ही रहनी चाहिए। यात यह है कि गमत ग्रन्तिप्राप्ति देशी में शिशा आवश्यक है। ऐसा समझा जाता है कि उनका नामिनी ही शिशि

बनाना राज्य का प्रथम गुण है। मिल का कथन है कि जहाँ कर्तव्य मताधिकार की योग्यता का आधार शिक्षा हो वहाँ की सरकार समस्त नागरिकों को शिक्षित बनाये, क्योंकि व्यापक शिक्षा से ही व्यापक मत ग्रास होगा।

साम्पत्तिक परीक्षा के सम्बन्ध में करदान का दृष्टिकोण राजनीतिक अधिकार में दृढ़तम्भ करता है जो सर्वथा अनुचित है। ऐसा विदित होता है कि मतदान का मूलाधार छोटी या पुरुषों का पूर्ण विकास है यथापि इसमें भी कुछ नियंत्रण आवश्यक है। योद रखना चाहिए कि वयस्क मताधिकार अन्तिम लक्ष्य है, अतः स्त्री और पुरुषों को अपने अधिकार के उचित प्रयोग को ओर अग्रसर होना चाहिए। इससे केवल मताधिकार की ही दृद्धि नहीं बल्कि मानवता का विकास होगा, जिसपर प्रजातंत्रवाद की सफलता निर्भर करती है।

### वयस्क मताधिकार

भाज समस्त प्रजातंत्री देशों का द्वुकाव वयस्क मताधिकारानुसार प्रजातंत्री सरकार के निर्माण की ओर है। वयस्क मताधिकार प्रजातंत्री सरकार के निर्माण का आधार है।

**गुण**—वयस्क मताधिकार ही केवल एकमात्र तरीका है जिसके द्वारा राजनीतिक अधिकार की समान प्राप्ति हो सकती है। सम्पूर्ण देश के योग्य प्रतिनिधियों को तुनने का यह सर्वोत्तम तरीका है। वयस्क मताधिकारानुसार प्रतिनिधित्व निष्पक्ष होता है क्योंकि इससे विशेष प्रतिनिधित्व का अन्त होता है। दलों की हाकूत बदावर वयस्क मताधिकार नम्भीर राजनीतिक जीवन की नींव ढालता है जो राजनीतिक एवं आधिक आधार को मानकर एक ही तथा जहाँ साम्प्रदायिकता का नाम भी नहीं।

**विरोध**—ऐकी एवं मेनने इस विचार का साश्रूपेण विरोध किया है। वयस्क मताधिकार को उन्होंने धातक बतलाया है। ऐकी के कथनानुसार, 'या वित्त का शासन मूर्खों द्वारा होना है, या मेघावियों द्वारा।' वयस्क मताधिकार को उदार

और प्रगतिवादी समझता विज्ञ की वेवहूसी है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप सुझाओं अनुभवाद्वाहित एवं अयोग्य व्यक्तियों के हाथों में चली जाती है।

**परिणाम—** लाल विरोध के होते हुए भी बोसदी शताब्दी में वयस्क मताधिकार की विजय हुई है। इसके बावजूद भी अगर मतदान वेवहूसी या अवश्यक न हुए तो अन्यादी सरदार की समाजना रहती है। अतः हमें सदैव सचेट रहना चाहिए तथा जान मुझसे मिलके शब्दों में वयस्क मताधिकार के पूर्व व्यापक-शिशा संस्कार और राज्य का प्रयत्न करत्य है।

**भारत में वयस्क मताधिकार एवं पुरुष मताधिकार—** पुरुष मताधिकार का तात्पर्य यह है कि वयस्क पुरुषों को तो मताधिकार मिले पर नारी इसे बंचित रहें। पुरुष मताधिकार सीमित वस्तु है। आपुनिक मताधिकार वयस्क होना चाहिए जिसमें श्री-पुरुष नभी सम्मिलित हों। भारत के समस्त प्रगतिवादी दर्शकों ने वयस्क मताधिकार को प्रमाण दिया है। कारण इसके अनेक गुण हैं। इन्हु मताधिकार यमिति ने परदा पद्धति के कारण इस अधिकार को अमान्य घोषित दिया। इसका एक कारण यह भी बतलाया गया कि यहुसंघर्ष जनता निरापुर और मूर्ख है। उन्हें राजनीतिक और शासन सम्बन्धों अनेक कठिनाईयाँ बतलायी। आज भारत की १२ प्रतिशत जनता पर्ही लिखी है।

आम जनता पुस्तक और समाचार पत्रों को भी नहीं पढ़ सकती। यातांत्रिक खरें के लिए उन्हें मूर्ख ही समाज मिलता है जिसकी अनुभव शून्यता के कारण फायदा कुछ भी नहीं होता। अतः भारत के अमान्य और रेयनों को मताधिकार देना युद्धिमानी का कार्य नहीं समझा गया। पर वयस्क मताधिकार को इस अपार पर रोकना अन्याय था। परदा का अब अन्त हो रहा है तथा शासन उद्देश्यी कठिनाईयों का भी अन्त हो रहा है। भारत की जनता खींचकूल नहीं है तबा युद्धिमानों को बढ़ीयी छापता ही नहीं हो रहती। खिनेमा और

रेडियो के दिनों में ऐसी बात मुर्जतापूर्ण है। अगर निरक्षरता के ही आधारपर वयस्क मताधिकार रोका जा रहा है। भारत सरकार को इधर ध्यान देना चाहिए। जबतक पूर्ण निरक्षरता निवारण नहीं हो जाता तबतक के लिए रेडियो द्वारा या भनिविक्स्टरस्यंब्र द्वारा जनता को शिक्षित बनाना चाहिए। दूर एक गाँव में भनिविक्स्टरस्यंब्र (लाटड-स्टोक) का प्रबन्ध होना चाहिए। राजनीतिक दलोंके पूर्ण विकास के साथ समाचार पत्र, मिटिंग आदि द्वारा भी जनता के जागरण का कार्य हो सकता है।

नारी मताधिकार-निरोधियोंका कथन है कि राजनीति में भाग लेने से महिलाओं के नारीत्व की क्षति होगी तथा ऐसा करने से यह की शान्ति खतरे में पड़ जायगी। यह भी कहा जाता है कि सर्वाज को भशान्त यह के कारण महान आपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। महिलाओं का जगत पुरुषों से सर्वथा भिन्न है। पर महिला मताधिकार का विरोध सर्वथा गायब हो गया है। महिलाओं की नागरिक अधिकारिता का नतीजा यह होगा कि वे राजनीतिक अधिकारिता के कारण तच्छीक उठायेंगी। महिला होने के कारण उन्हें इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।

नारी मताधिकार के पक्ष में कहते हैं कि ( १ ) नैतिक और आधारितिक योग्यता के कारण ही मताधिकार प्राप्त होना चाहिए, जातिगत प्रतिवन्ध कोई प्रतिवन्ध नहीं, ( २ ) आत्मरक्षा के लिए महिलाओं को मताधिकार प्राप्त होना चाहिए, ( ३ , महिला मानदण्डों को राजनीति में प्रभावकारी क्षेत्र बनाना चाहिए। मिलके कथनामुक्तार, ‘सबसे बुरी बात यह होगी कि वे अपने घरके मालिक के आज्ञानुसार ही मत देंगो। अगर ऐसा हो तो भी कोई खराब नहीं। अगर वे अपने को समझती हैं तो अच्छा होगा, अगर नहीं तो भी कोई नुकसान नहीं।

### चुनाव के तरीके

चुनाव के तरीके पर भी बहुत कुछ बातें निर्भर करती हैं—मतदान प्रलक्ष होया अप्रत्यक्ष, मतदान गुप्तरूपि हो या आम जनता के सामने।

स्थानमें सुपश्चित बजे में मत देना पड़ता है। उसके बाद इनिह अफसर मतदात को गिनती के नतीजा की घोषणा करता है। अगर मतदान में अनावश्यक प्रभाव, गन्दे तरीके एवं अन्य एवाहन कार्य हुए हों जिसके पर्याप्त प्रमाण विरोधी उम्मेदवार द्वारा उपस्थित किये गये हों तो दुनः चुनाव हो सकता है जिसमें सभी काम नये सिरे से होते हैं।

### मतदाताओं की समस्या

मतदाताओं की समस्या में दो प्रमुख हैं (१) जन कारों में मतदाताओं के प्रभावकारी नियंत्रण की समस्या, (२) प्रतिनिधित्व की समस्या।

(१) मतदाताओं का नियंत्रण — मतदाताओं का आकार प्रजातंत्रवाद का नकली रूप है। अगर मतदाताओं को सामित अधिकार प्राप्त हो और वह भी अनियमित अधिकार हों तो वास्तविक सत्ता जनता और लोकप्रिय सरकार के हाथ में नहीं होगी, इस प्रकार मतदाता एक खिलौना हो जायगा। जहाँपर मतदाता सरकारी कारों में लगतार नियंत्रण रखता है वही पर प्रजातंत्री सरकार वास्तविक होगी। मतदाताओं का नियंत्रण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों हो सकता है। अप्रत्यक्ष नियंत्रण सावधान और सतर्क जनमत द्वारा होगा जो जनसभा, समाचार पत्र, प्रदर्शनों एवं राजनीतिक समाओं द्वारा नियंत्रण रखता है। सरकार पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण की विफलता से असतुष्ट होइर कुछ प्रजातंत्री दंशों को जनता ने प्रत्यक्ष रूपसे नियंत्रण के लिए दद्दा मचाया। मतदाताओं का प्रत्यक्ष नियंत्रण अवसर, (१) बारम्बार चुनाव (२) वापस बुलाना (३) जनमत गणना एवं (४) स्वतः उद्योग पर निर्भर करता है।

(१) बारम्बार चुनाव — जिस देशमें प्रायः चुनाव कार्य होता है वही के व्यवस्थापिकों ने निरंकुश होने की संभावना नहीं रहा करती।

(२) वापस बुलाना — कुछ दंशों में वापस बुलाने की प्रथा है। जिस क्षेत्र का प्रतिनिधि जनमत के विषद्भ जाता है उसे वापस बुला लिया जाता है। इस प्रकार से

वापस बुला लेना जनता का हृषिकार है जिसका प्रयोग किसी भी स्वेच्छाचारी प्रतिनिधि के विरुद्ध किया जा सकता है।

(३) जनमत गणना—प्रमुख समस्या उत्तम हो जाने पर जनमत गणना वाली व्यवस्था होती है। समस्त जनता पर बहुमत ग्राप होने पर कोई समस्या का समाधान निर्दाला जाता है या किसी कानून विशेष को उचित समझा जाता है।

(४) स्वतः उद्योग—मतदाताओं में से कुछ के स्वतः उद्योग पर व्यवस्थापिका को जनहित कार्य को जनता के समक्ष उपस्थित कर उसकी स्वीकृति छेनी होती है।

### प्रतिनिधित्व की समस्या

'मतदाताओं' की समस्या में प्रतिनिधित्व की समस्या प्रमुख है— अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व और विशेष स्वार्थों का प्रतिनिधित्व।

### अल्प संख्यकों का प्रतिनिधित्व

मिल ने समस्त जनता की सरकार की बहुसंख्यकों द्वारा नियंत्रित होने की कड़ी धारोंचना की है और इसे अन्याय और अप्रजातात्मिक बतलाया है। उसने आगे घोषणा की है कि प्रजतंत्री सरकार में भौतक के अनुमार अल्पसंख्यकों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। उसने यह स्वीकार किया है कि एक प्रजातंत्रवाद के अन्दर बहुसंख्यकों को शासन और अल्पसंख्यकों को भाजा पालन करना चाहिए। उसने यह भी बतलाया है कि अल्पसंख्यकों को भौतक के अनुमार प्रतिनिधि प्रेषण का अधिकार मिलना चाहिए। उसने भौतक के अनुमार प्रतिनिधि प्रेषण को स्वीकार किया है जो अल्पसंख्यकों के संकटों को दूर करने का एक मात्र साधन है। पर मात्र एवं अम्य यूरोपियन देशों में ग्राम अनुभव के आधार पर यह व्यर्थ चिद हुआ है। भौतक के आधार पर प्रतिनिधि प्रेषण असंभव एवं व्यर्थ बतलाया गया है। बहुसंख्यकों के अत्याचार से अल्पसंख्यकों की रक्षा में संघ शासन और स्वायत्त शासन को पर्याप्त सफलता मिली है।

अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिये लीग आव नेशन्स के प्रस्ताव—मध्य यूरोपियन राज्यों की साम्प्रदायिक समस्या से सम्बन्धित समाधान लीग आव नेशन्स ने प्राप्त किया था। इस सम्बन्ध में कानून के समक्ष समानता, भाषा, धर्म और सम्यता को रक्षा के अधिकार तथा शैक्षणिक, धार्मिक आदि मामलों में समान भाग प्राप्त करने की स्वाधीनता समिलित हुई।

**भारत की साम्प्रदायिक समस्या**—भारत की साम्प्रदायिक समस्या हिन्दू, मुस्लिम समस्या थी। दूसरे सम्प्रदायके लोगोंने भी विशेष अधिकार की मांग की थी। पंजाब के अल्पसंख्यकों सिखों को भी भुलाया नहीं जा सकता था। मुसलमान, प्रतिनिधि प्रेषण, सिन्ध के पृथक करण, सीमा प्रान्त में सुधार, तथा सरकारी नौकरियों में उचित हिस्से के लिए लड़ते थे।

**साम्प्रदायिक प्रतिनिधि प्रेषण**—प्रतिनिधि प्रेषण सम्बन्धी प्रश्न को स्पष्ट करते हुए स्वीकार किया गया था कि अल्पसंख्यकों को भी उचित प्रतिनिधि प्रेषण का अधिकार होना चाहिए। पर मगाड़ा चुनाव पद्धति पर था कि उनका चुनाव पृथक या संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र द्वारा होगा। भारत के समस्त सम्प्रदायोंने सुरक्षित सीटके अतिरिक्त संयुक्त निर्वाचन की मांग की पर लीग अपनी जिद पर अड़ी रही। साम्प्रदायिक प्रतिनिधि प्रेषण अराध्दीय, अप्रजातांत्रिक एवं ग्रतिक्रिया वादी था। इससे राष्ट्रीय भावना के प्रतिकूल साम्प्रदायिक भावना को ग्रोत्साहन मिलता था। भारत की समस्या साम्प्रदायिक नहीं सामाजिक और धार्मिक है। भारत में एक जाति गरीबोंकी है जिन में हिन्दू, मुसलमान, सिख एवं किशियन सभी आ सकते हैं।

इस भाविक गरीबी को दूर करने के लिए समस्त सम्प्रदायों के लोगों को एक साथ मिल कर काम करना चाहिए। उन्हें अलग अलग कोई काम नहीं करना चाहिए क्योंकि भारतीय विधान परिषद ने पृथक निर्वाचन को अस्वीकार कर साम्प्रदायिकता को दूर करने का क्षेत्र तैयार कर दिया है। अब नौकरशाही की 'झट

डालो और राज्य करों' ही नोटि नहीं चल सकती। इस विभाजन से अब जनता ही उत्तरि नहीं हो सकती है। पृथक निर्वाचन के ही कारण भारत का विभाजन हुआ। इससे राष्ट्रीयता को कामी शर्ति पहुंची है अतः इसे समस्त भारत को ही थब देसना और संभालना चाहिए।

### संयुक्त चनाम पृथक निर्वाचन

भारत में संयुक्त और पृथक निर्वाचन को ऐकर बहुत बाक्षविवाद हुआ है। पृथक निर्वाचन के ही कारण प्रतिक्रियावादी पाकिस्तान का जन्म हुआ। अगर भारत में संयुक्त निर्वाचन नहीं किया गया तो आज भी वह देश राष्ट्र का रुप धारण नहीं कर सकेगा। मिंट्रेस्ट फोर्ड ने कहा था कि भारत संयुक्त निर्वाचन के द्वारा ही अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को ठीक कर सकता है। अतः संयुक्त निर्वाचन के पश्च में निर्णय देकर विवान परिषद ने बहुत बड़ा काम किया है।

**पृथक निर्वाचन—साम्राज्यिक प्रतिनिधि प्रेस्ड बुरा है पर पृथक निर्वाचन तो और भी बुरा है।** आधिकार्य लोगों ने स्तोकार किया है कि १९०९ के पृथक निर्वाचन विभाजनका अन्त होना चाहिए। साम्राज्यिक प्रतिनिधि प्रेस्ड में प्रत्येक कौन अपने प्रतिनिधि के लिए मत देती है। उदाहरण त्वरत एक मुस्लिम पृथक निर्वाचन क्षेत्र में मुस्लिम के अतिरिक्त न तो कोई खड़ा हो सकता है और न मत ही दे सकता है। पृथक निर्वाचन अपने राष्ट्र के लिए ही बुरा नहीं है वहि उस जाति के लिए भी बुरा है जो इसी मांग करती है।

अल्लसंस्थक वेसी ही चीजों की मांग करते हैं। जो अल्लसंस्थकों के लिये और और बहुसंस्थकों के लिये हैं, इस प्रधार उत्तेजना फैलाने में सहायता मिलती है। पृथक निर्वाचन में उम्मेदवार सफाई, स्वास्थ्य एवं एताहा जनोपयोगी याती पर विचार न कर 'दिनुस्तान दिनुओं का' तथा 'इस्लाम खतरे में है' आदि याती पर विचार करते हैं। साम्राज्यिक हित के रक्षार्थ उम्मेदवार योचने हैं कि उन्हें उनकी

विचारधारा की रक्षा करनी है तथा दूसरे स्वाधीनों की परवाह नहीं करनी है। इस प्रकार पृथक नियंत्रण अदूत नुकसान पहुँचाता है। यह नुकसान न केवल राष्ट्र बल्कि उस जाति को भी है जो इसकी मांग करती है।

**विशेष स्वाधीनों का प्रतिनिधित्व—** कभी कभी सौदागरों, विद्विद्यालयों, जमीनदारों एवं कलाकारों को प्रतिनिधि प्रेयण का विशेष अधिकार दिया जाता है। यह व्यवस्था भारत में है। प्रजातन्त्री समाज में इसका विरोध होता है क्योंकि ये अप्रजातान्त्रिक कार्य हैं। इससे एक मतदाता को एकाधिक मतदान की सुविधा मिलती है तथा तदनुकूल कायदा होता है। जो दल या पार्टी राष्ट्रीय स्वाधीनों के विपरीत काम करती है उसको इससे काफी कायदा पहुँचता है।

### प्रश्न

- (१) मताधिकार के मूलाधार से तुम क्या समझते हो? (कल० १९३६)
- (२) क्या नागरिकता के लिये शिक्षा ही प्रमाण पत्र है या अन्य गुण भी जरूरी हैं। अगर ऐसी बात है तो वे कौन कौन हैं? (कल० १९३०)
- (३) पुष्पमताधिकार पर एक संक्षिप्त नोट लिखो जिसका सम्बन्ध भारत से हो। (कल० १९३३)
- (४) पृथक नियंत्रण न केवल राष्ट्र बल्कि बाह्य वाली जाति के लिए भी घातक है। इसकी व्याख्या करो। (कल० १९३१)
- (५) व्यापक मताधिकर को पहले व्यापक शिक्षा की आवश्यकता है। इसकी व्याख्या करो। (कल० १९३६)
- (६) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव के गुण और दोष पर प्रकाश डालो। (कल० १९३६)
- (७) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव के भेद बतलाओ तथा इनके गुण और दोष कौन कौन से हैं। (कल० १९३१)

- (८) तुम्हारे फत्यांसार मताभिकार के लिये कौन-कौन से गुग होने चाहिये ?  
क्या व्यापक मताभिकार की तुम्हारी इच्छा है । ( कल० १९३६ )
- (९) व्यवस्थापिका में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि प्रेषण के तरीकों पर प्रचाश ढालो । ( कल० १९३९ )
- (१०) भारत में व्यापक मताभिकार की समस्या पर प्रचाश ढालो । ( नागपुर १९३९ )
- (११) गुप्त मतदान से तुम क्या समझते हो । इसके पश्च और विपक्ष में प्रस्तानित मत उपस्थित करो । ( नागपुर १९३० )
- (१२) महिला मताभिकार के पश्च और विपक्ष में प्रमाण उपस्थित करो । ( यू० पी० बोर्ड १९३० )
- (१३) 'मतदान' शब्द, इसकी प्रकृति, सीमा और कार्य पर मत व्यक्त करो ।  
क्या तुम मतदाता हो ? अगर नहीं हो तो क्यों ?
-

## अध्याय १९

### स्थानीय सरकार

हर प्रकार के प्रत्येक आधुनिक राज्य में समूर्ण देश छोटे-छोटे भागों में बंटा हुआ है। इन लघु भागों के गृहकार्य स्थानीय जनता द्वारा व्यवस्थित होते हैं। इसे भारत में स्वायत्त शासन और पश्चिम में स्थानीय सरकार कहते हैं। इस प्रकार भारत के नगरों के लिये मुनिसपेलिटी एवं ज़िला, सबडिविजन और प्रामो के लिये कमश़ू़: ज़िला बोर्ड, लोकल बोर्ड एवं पंचायत होते हैं। इसी प्रकार फूंस एवं अन्य पश्चिमी देश भी छोटे-छोटे भागों में विभाजित हैं। स्वायत्त शासन के सम्बन्ध में आम विवार यह है कि स्थानीय कार्यों की देखभाल स्थानीय जनता अच्छी तरह कर सकती है। इस प्रकार स्थानीय संस्थाओं द्वारा जनता अत्यधिक स्वाधीनता का उपयोग कर सकती है। स्वायत्त शोसन के तीन कार्य हैं।

(१) गुरुतर भार से केन्द्रीय सरकार को सुविधा देना।

(२) अत्यधिक सुव्यवस्थित और अच्छा प्रबन्ध करना, क्योंकि स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये स्थानीय जनता के पास सुविधा और साधन दोना है।

(३) अपनी सरकार के संचालन कार्य में प्रत्यक्ष भाग लेने के लिये जनता को योग्य बनाना, स्वायत्त शासन के द्वारा जनता को स्वधीनता का उत्साह अधिक प्राप्त होता है। स्वायत्त शासन का एक यह भी उद्देश्य है।

### इंगलैण्ड और महादेश में स्वायत्त शासन

महादेश में स्वायत्त शासन—इंगलैण्ड अमेरिका की अपेक्षा अत्यधिक उदार है, क्योंकि पहला बहुत ही अधिक जागरूक है। तथापि फूंस एवं जर्मनी

की अपेक्षा हँगलैण्ड और अमेरिका का स्वायत्त शासन अधिक उदाहर है। क्योंकि इस पर उचांचिकारियों का अल्पतम नियन्त्रण है। इसके विरोत मांस, जर्मनी एवं फ्रांसीसी की स्वायत्त सरकारें केन्द्रीय सरकार के एजेंट हैं, जो इनपर काफी नियन्त्रण रखती हैं।

स्वायत्त शासन में दृष्टक्षेप कब चित्र है—वहार प्रबन्ध या अल्प-संस्कृत्यों के साथ अन्याय होने पर राज्य स्वायत्त सरकार के कार्यों में दृष्टक्षेप करता है तथा उसके शासन कार्य को भी स्वतः सम्भाल लेता है।

### स्वायत्त शासन के कार्य

स्वायत्त सरकार के प्रधान कार्य जन-नुसरण, स्वास्थ्य एवं सफाई है। इसके अतिरिक्त यातायात, जल कल व्यवस्था एवं प्रारम्भिक शिक्षा का भी प्रबन्ध इसे करना पड़ता है। चूंकि नागरिक क्षेत्रों को आवश्यकताओं ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं से भिन्न हैं, अतः नागरिक स्थानीय सरकारों के कार्य ग्रामीण सरकारों के कार्य से भिन्न हैं। नागरिक क्षेत्रीय सरकारों को विजली, कूदा साफ करना, कलाकौशल, मुजियम, पुस्तकालय, पार्क एवं खेल के मैदानों की व्यवस्था करनी पड़ती है। भारत में अभी तक स्थानीय सरकारों को पुलिस का प्रबन्ध नहीं करना पड़ता है और व मुनिसिपल व्यापार ही करना होता है। यही कारण है कि भारत में नागरिक जीवन उब कोटि का नहीं हो सका है।

### स्वायत्त शासन के लिये प्रधान शिक्षण केन्द्र

स्थानीय संस्थाओं की कीमत—स्थानीय शासन की सर्वोत्तम उपयोगिता यह है कि इसके द्वारा जनता स्वायत्त-शासन-कला की दिक्षा प्राप्त करती है।

स्थानीय शासन एवं स्थानीय नियन्त्रण का प्रसार न केवल इसलिये आवश्यक है कि मुद्रतकों केन्द्रीय सरकार की अपेक्षा स्थानीय आवश्यकताओं की दूरी के लिये यह अधिक उपयुक्त है बल्कि यह बहुत बड़ी धैर्यकालीन संस्था है। ‘स्थानीय सरकार’

जैसी शैक्षणिक संस्था सरकारका अन्य कोई अंग नहीं हो सकती। (वास्तु) इससे स्वावलम्बन और सहकारिता का भाव पैदा होता है। इसके अतिरिक्त जनता में कर्तव्य का ज्ञान पैदा होता है जिससे जनता को स्वावलम्बन का ज्ञान होता है। यह जनता को दूसरों के लिये काम करने की शिक्षा देती है तथा दूसरों के साथ मिलकर काम करने की भी भावना आप्रत करती है। इससे लोगों के अन्दर का स्वार्थ विनष्ट होता है। जिस चीज का असर हम लोगों पर प्रत्यधितः नहीं पहता उससे हम लोगों को वह उदासीन बनाता है। जो व्यक्ति प्राम की उन्नति में सक्रिय भाग लेता है वह राज्य की उन्नति में भी बैसा ही कर सकता है।

स्थानीय एकेडमियों के नागरिक राष्ट्र की नाकर अस्ते हैं। प्रत्यभिक्षु विद्यालय का स्थान विज्ञान के लिये जो है वही स्थान स्वाधीनता के लिये नगर-सभा का है। वे इसे जनता के समक्ष लाते और इसके उपयोग का तरीका बताते हैं। राष्ट्र स्वाधीन सरकार की पद्धति का निर्माण कर सकता है, पर नगर विधान के बिना स्वाधीनता प्राप्त नहीं की जा सकती। लड़ भागों की स्वायत्त सरकारों के कारण गुणों और आदतों का विकाश होता है। जो प्रजातन्त्रवादी देश के नागरिकों के लिये आवश्यक है। यह प्रजातन्त्रवाद के लिये न केवल सर्वोत्तम विद्यालय है बल्कि सर्वोत्तम विश्वम् स्थान भी है।

स्थानीय स्वायत्त शासन प्रजातन्त्र का सर्वोत्तम विद्यालय है और है इसको सफलता का सर्वोत्तम विश्वम् स्थान। (ब्राह्म)

### प्रश्न

- (१) स्वायत्त सरकार से तुम क्या समझते हो? स्वायत्त शासन के दर्तव्यों के विभिन्न प्रकारों पर प्रकाश दालो।
- (२) शैक्षणिक स्व पर प्रकाश ढालते हुये स्वायत्त शासन के दाम की चर्चा करो।

- (३) स्वायत्त शासन की बढ़ा सम्बन्धी जनता के विशेष ज्ञान के लिये स्थानीय संस्थाओं की कीमत बढ़ाओ। बंगाल में उन संस्थाओं की कार्यपद्धति पर प्रकाश ढालो। ( कल० १९३४ )
- (४) स्वायत्त शासन का प्राथमिक ज्ञान स्थानीय सरकारों द्वारा प्राप्त होता है। इस यथार्थता पर प्रकाश ढालो जिसमें बंगाल का विशेष विक्र रहे। ( कल० १९३६ )
- (५) स्वायत्त शासन की कला में जनता के शिक्षण के लिये स्वायत्त सरकार एक एजेंसी है इस पर संक्षिप्त ऐत्र लिखो। ( ढाका १९८८ )
-

## अध्याय २०

### राज्यका विधान

इसी देश का विधान वहाँ के लिखित वा अलिखित नियमों द्वा समृद्ध है, जो राज्य के उद्देश्यों को प्रचट करता है, अधिकारियों का निर्देश करता है तथा राज्य-शक्ति के प्रयोग की प्रणाली निश्चित करता है।

सभी आधुनिक राज्यों का एक अपना विधान है, जिसके अनुसार वहाँ की सरकारें आचारण करती हैं। अतः योग्य नागरिकता के लिये राज्य के विधान का ज्ञान अत्यावश्यक है।

#### लिखित और अलिखित विधान

विधानों को उपरोक्त दो प्रकारों में वर्गीकरण करने की पुरानी प्रणाली है। (१) लिखित विधान में राज्य के मूलभूत नियमों और सिद्धान्तों का एक नियमित प्रलेख के रूप में संप्रद होता है। जर्मनी, फ्रांस, संयुक्त-राष्ट्र तथा दूसरे नवीन संघटित राज्यों के लिखित विधान हैं। (२) अलिखित विधान में राज्य के नियमों, उद्देश्यों तथा सिद्धान्तों का कोई निश्चित प्रलेख नहीं होता। विधान का संप्रद वहाँ के आचार-व्यवहार, संप्रतिशाओं, परिनियमों, न्यायविभाग के निर्णयों आदि विविध साधनों द्वारा किया जाता है। न्यिटेन का ऐसा ही विधान है।

यद्यपि विधानों के उपरोक्त दो वर्ग हैं तथापि कोई भी विधान पूरा लिखित या पूरा अलिखित नहीं होता। लिखित विधानों के भी अलिखित अंश होते हैं जैसे कि अलिखित विधानों के लिखित अंश। वृष्टिश-विधान के कई मुख्य अंश लिखित हैं।

#### रुढ़ और परिवर्तनशील विधान

भाजकल विधानों के दो दूसरे तरह के वर्ग किये जाते हैं; रुढ़ और परिवर्तनशील।

**१—रुद्ध विधान**—रुद्ध विधान मण्डल ( लेजिस्लेटिव ) द्वारा वस प्रकार परिवर्तन या संशोधन नहीं किया जा सकता जैसा कि सामान्य विधियों ( लॉज ) का किया जाता है। अमेरिका का विधान रुद्ध है। वहां विधान को संशोधन करने के लिये नियोग प्रक्रिया का अनुसरण करना पड़ता है जिसका दब्ल्यू बड़ी के विधान में है। इस प्रकार रुद्ध विधान को परिवर्तन करने के पूर्व कई कठिनाइयों को हल करना पड़ता है।

विशद और नियत होने के कारण रुद्ध विधान स्थायी, दृढ़ तथा जनता के क्षणिक भावावेशों के आळमों को होल सकने में सक्षम होता है। किन्तु धी मेलाले के कथनात्मक ऐसे विधान में विशेष का सबसे बड़ा कारण यह रहता है कि जहाँ एक ओर शूट उपति पथ पर बढ़ता जाता है वहाँ विधान एक कदम द्विलने का नाम नहीं लेता। ऐसे विधानों की दृढ़ता कभी-कभी दुर्गुण हो जाती है तथा अपने अधिकार क्षेत्र की जनता के विकास में अटकाव उपस्थित करने के कारण अनाहत हो सकती है।

**२—परिवर्तनशील विधान**—परिवर्तनशील विधान मण्डल की साधारण पदति से दूसरे सामान्य विधियों के समान ही संशोधित या परिवर्तित हो सकता है। ब्रिटेन का विधान भड़ा ही लचोला है। टेनिसन के मतात्मक यह पीड़ी-दर-पीड़ी विकसित होता गया है। विधान मण्डल इसे विवाह सम्बन्धी किसी भी कानून की तरह ही बदल सकता है। इसके लिये कोई साधु प्रक्रिया अपेक्षित नहीं है। इसो कारण वृटिश विधान वहाँ की जनता के राजनीतिक विकास में बड़ा सहायक हुआ है। ऐसे विधानों के लाभ ये हैं—  
 (क) इनमें बड़ी प्रवरणशीलता ( एलस्टिसिटी ) तथा प्रदृष्टशीलता होती है।  
 (ख) उपरोक्त गुणों के कारण ये हिंसक विद्रोहों की आसानी से दबा सकते हैं। किन्तु इनमें दोष यह है कि इन्हें जनता के भावावेश के कारण बदलते रहता पड़ता है तथा

मौके-बेमौके राज्य की नीति में परिवर्तन होते रहने के कारण जनता के अधिकारों के संकुचित हो जाने का भय बता रहता है।

वर्गोऽकरण की तीसरी रीति के अनुसार विभानों के [क] १-कांति जात विधान, ( फूस अमरीका, जर्मनी तथा लूस के विधान ) २-विचासित विधान, ( वृटेन तथा भारतीय विधान ) [ख] ३-ऐकिक विधान ( यूनोटरी ) ( विटेन, फूस, इटली, जापान के विधान ) तथा ४-संघान ( फेडरल ) विधान ( संयुक्त-राष्ट्र, कनाडा तथा भारतीय विधान ) ये दो विधान एवं चार उप-विभान हैं।

भारतीय और ब्रिटिश विधानोंका संशोधन—विटेन में साधारण और वैधानिक विधियों में अन्तर नहीं किया जाता है। राज्य की नीति स्थिर करने या समाज आठवें जार्ज को राजगद से हटाने तथा पुस्तक का प्रकाशनाधिकार सम्बन्धी विधि बनाने की रीति एक सो ही है। वर्द्धा कोई भी विधेयक ( विल ) दोनों हाउसों को स्वीकृति तथा राजा को स्वीकृति ( जो एक शिष्टाचार मात्र है ) मिल जाने पर विधि ( लॉव ) बन जाता है। और इनमें से कोई भी एक विधि से अधिक महत्व के नहीं माने जाते। इन्हें जिस तरह पास किया गया उसी तरह रद भी किया जा सकता है।

१५ अगस्त १९४७ के पहले तक भारतीय विधियों ( लॉज ) का निर्माण ब्रिटिश शासन करता था पालियामेंट नहीं। परन्तु विधि प्रयोग करने के पहले इसकी सचना पालियामेंट को देता होती थी। ऐसी विधियों सदैव पालियामेंट के सर्वे निरीक्षण के अन्दर बनती थी। इस प्रकार ब्रिटिश पालियामेंट भारतीय विधान के संशोधन में अपना पूर्ण नियंत्रण रखती थी।

### प्रश्न

१—'विधान' शब्द से आप क्या समझते हैं? लू और परिवर्तनशोल विभानों के गुण-दोष बताइये। ( उल० २६, ४५ )

२—राज्य के विधान से आप क्या समझते हैं ? लिखित और अलिखित विधानों एवं सङ्ग और परिवर्तनशील विधानों की तुलना कीजिये । ( कल० १९२१ )

३—हड़ और परिवर्तनशील विधानों का अन्तर बताइये तथा भारत और ब्रिटेन के विधानों के संशोधन की प्रणाली बताइये । ( कल० १९३१ )

४—विधान के विविध स्वरूपों का परिचय दीजिये । इनके बांकरण को विधियों का टड़के बनाइये ।

५—छिंगी देश के विधान से आप क्या समझते हैं ? सङ्ग और परिवर्तनशील विधानों की तुलना कीजिये तथा उदाहरण दीजिये ।

६—प्रधान शासिन ( प्रेसिडेंसियल ) तथा मण्डल ( केन्सिट ) शासिन शासनों की तुलना कीजिये तथा इनके गुण-शोधों की चर्चा कीजिये । ( कलकत्ता १९४४, १९४६ )

— —

## अध्याय २१

### नागरिक आदर्श

#### नागरिक आदर्शों की प्रकृति और उनका महत्व

आदर्श, व्यक्ति अथवा राष्ट्र की प्रेरणा की नैतिक सीमा है। उच्च आदर्शों के बिना व्यक्ति और राष्ट्र ( नेशन ) ऊंचे नहीं उठ सकते। इतिहास साक्षी है कि सभी पुरले महान् राष्ट्र महान् आदर्शों से ब्रह्मित होते थे। प्राचीन भारत, ग्रीस, रोम, मिथ्र आदि देश उच्च आदर्शों का अनुसरण करते थे। अतः सभी आधुनिक राज्यों को अपने आदर्श स्थिर करना तथा अपने नागरिकों में उनका प्रचार करना चाहिये। हर जागपद (नागरिक) का कर्तव्य है कि वह अपने राष्ट्रीय आदर्शों को सीखे तथा अपनी कामताओं और कार्यों में उनका वर्तन करे।

सभी आदर्श नागरिक आदर्श नहीं हैं। व्यक्ति का ऐसा भी आदर्श हो सकता है जिससे दमाज का कुछ संबंध न हो। वे आदर्श, जिन्हें व्यक्ति किसी राजनीतिक समुदाय ( कम्युनिटी ) का सदस्य होने के नाते अनुसरण करते हैं, नागरिक आदर्श हैं। ये सभी नागरिकों के लिये समान हैं। इनमें से कुछ तो अन्तर्राष्ट्रीय आदर्श हैं। कुछ दूसरे समुदायों के आदर्श से भिन्न हैं। उश्छरणार्थ देशभक्ति, स्वाधीनता और समता अन्तर्राष्ट्रीय आदर्श हैं तथा हाराकिरी विशुद्ध जापानी।

सच्चा नागरिक आदर्श वह है जो सुन्दर सामाजिक जीवन प्रदान करे। मनुष्य अपनी भिन्नताओं का धनी है। विभिन्न कार्यों द्वारा हमारी मुख-सुविधा की दृढ़ हो रही है। चिन चनानेवाले चित्रधार, पट्ठर तरासनेवाले शिल्पी, मनोदर गीतों के रचयिता कवि, उच्च आदर्शों के प्रचारक शिक्षक, सत्य और मानवताएवी सन्त, कारण्यों के ध्रमिक, खेतों में हृल चलानेवाले कृपकों और वे मन जो समाज

सेवा के दूसरे विविध प्रयत्नों में उद्यम और इमानदारी से कार्य करते हैं ; नागरिक आदर्शों की प्राप्ति में मोगदान करते हैं। यद्यपि इनके कार्यों में बहुत अन्तर है परन्तु इनका उद्देश्य एक है—‘समाज की उन्नति’। अतएव इनमें से प्रत्येक उतना ही अच्छा नागरिक है जितना अच्छा कोई।

प्रत्येक राष्ट्र को अपने किसीरों को ऐसी शिक्षा देनी होती है जिससे वे अपने आदर्शों पर चलकर लक्ष्य तक पहुँच सकें। यही हम कुछ प्राचीन और अवाचीन राष्ट्रों के आदर्शों पर विचार करें।

एथेंस और स्पार्टा नगरों के शिक्षण का लक्ष्य सबोत्तम नागरिक प्रशुत करना था। किन्तु आदर्शों के भेद के कारण उनका शिक्षण भिन्न भिन्न प्रकार का था। स्पार्टा वाले वीरत्व को सबोत्तम गुण मानते थे जिससे अक्षियुद, कठिनाइयों और दुखों का बहादुरी से सामना कर पाके, जब तक एथेंस वाले सबोत्तम नागरिक से शारीरिक, बौद्धिक और रुचि सम्बन्धी पूर्णता की आशा रखते थे। रोम का आदर्श प्रायः एथेंस के समान ही था। प्राचीन भारतीय आदर्श वर्णाधर्म धर्मपर व्याख्यित था। इसमें बहुत से उत्तम गुण थे। परन्तु इसमें भवानक तुर्गुण भी थे। यह देश के कर्मकरों, शूद्रों तथा श्रियों को नागरिकता से वंचित रखता था। वर्णाधर्म आदर्श ने हमारे देश में नागरिक चेतना तथा स्वस्थ-राष्ट्रीयता के विकास में बड़ी व्यापक दर्शित की है ; इसे हम अस्वीकार नहीं कर सकते।

### नागरिक आदर्श और उनकी सिद्धि

निम्न लिखित आदर्श सभी आधुनिक राष्ट्रों को अपने नागरिकों में प्रचारित करना चाहिये—

१—नागरिकोंको स्वस्थ एवं सुखोम्य अवस्था होना चाहिये। नागरिक अधिकारी और कर्तव्यों की प्राप्ति एवं पूर्ति के लिये स्वस्थ शरीर अत्याकरण है। नागरिकों को अनिप्रदृष्टशोल होना चाहिये, जिससे वे विपरीत स्थिति के अनुकूल अपने को बना सकें।

२—हर नागरिक को देशभक्त होना चाहिये। उसे देशकी रक्षा के लिये लड़ने को सदैव प्रस्तुत रखना चाहिये। किन्तु ऐसी देशभक्ति, जिसके द्वारा एक देश दूसरे देश के शोपण, उत्पीड़न तथा स्वाधीनता-दरण करके समृद्ध हो, निन्दनीय एवं अनेतिक है। यदि अपना देश अन्याय पूर्वक दूसरे देश की रवाधीनता बिदलित करता हो तो ऐसे युद्ध में योगदान न करना ही सच्ची राष्ट्रीयता है। विश्व-हित को राष्ट्रीय स्वार्थ से ऊँचा स्थान अवश्य मिलना चाहिये।

३—नागरिकों को सामाजिक ( सोसियल ) होना आवश्यक है। जन-सेवा के लिये उन्हें शासन कार्य में योगदान करना चाहिये, पंचायतों में भाग लेना चाहिये, इमानदार गवाह बनना चाहिये और सार्वजनिक संस्थाओं, सभाओं और समितियों में प्रतिनिधित्व करने की योग्यता प्राप्त करनी चाहिये। अधिराष्ट्री ( एम्जीश्यूटिव ) के काबी के प्रति सतर्तता रखना, सामाजिक समस्याओंपर बहस करना और जनता की असुविधाओं के बिन्दु आवाज उठाना भी सामाजिकता के अंग हैं। सर्वसाधारण के हितों की प्राप्ति का प्रयत्न ही सामाजिकता का लक्ष्य है।

४—नागरिक को अपने देश के साहित्य, कला, संगीत और विज्ञान द्वारा अभिव्यक्त राष्ट्रीय भावना का सम्मान करने की योग्यता होनी चाहिये। इन क्षेत्रों में उसका अपना प्रयत्न राष्ट्रीय-संस्कृति के अनुकूल होना चाहिये। उस राष्ट्रीय संस्कृति के सभी सुन्दर अंगों का सम्बद्ध विज्ञास करना चाहिये।

५—विना सीन्दर्य बोध के कोई व्यक्ति सुयोग्य नागरिक नहीं कहा सकता। अक्षिगत घर, बघ, आभूषणादि की सुन्दरता रखने से मार्वीं तथा नगरी की, गांव तथा नगरों की सीन्दर्य-गृहि से देशकों तथा देश की सौन्दर्य-गृहि द्वारा योग्य नागरिक विश्व को सुखद बनाने के प्रयत्न में हाथ बेठा सकता है।

६—समुदाय का अन्तिम लक्ष्य उन्नति होना चाहिये। अंधविश्वास तथा विवेकहीन पश्चापात को हटाना चाहिये। आधुनिकतम् दृष्टिकोण को पेपण देना चाहिये। सामाजिक रौतियों तथा संस्थाओं में नशुग के अद्वृत्त सुधार करना

चाहिये। उद्योग और कृषि के उत्थान में विज्ञान का प्रयोग करता चाहिये। समुदाय के हितार्थ खोजों तथा आविष्कारों को प्रोत्पादित करना नागरिक आदर्श का प्रमुख धंग है।

नागरिक आदर्शों की प्राप्ति की शर्त—नागरिक आदर्शों की प्राप्ति के लिये निम्नलिखित आवश्यक शर्तें हैं :—

( १ ) प्रजातंत्र—प्रजातंत्र के बिना नागरिक—चेतनता का विकाश असंभव है। उपरोक्त स्थिति में नागरिकता की मुविधायें धोड़े से व्यक्तियों को प्राप्त होती हैं। सच्चे प्रजातंत्र का अर्थ केवल प्रौढ़ मताधिकार नहीं है किन्तु भौद्योगिक आधिक और सामाजिक समानाधिकार भी है। उन्नति की समान मुविधा मिले बिना जनता राज्य के प्रति विद्वास और श्रद्धा नहीं रख सकती।

( २ ) अनिवार्य नागरिक-शिक्षा—व्यापक और अनिवार्य शिक्षा नागरिकता की प्रत्येक आवश्यकता है। ग्रीसवालों ने इस तथ्य को दो सदृश वर्ष पहले पहचाना था। नागरिक आदर्शों की प्राप्ति के लिये नागरिक शिक्षा एक आवश्यक शर्त है।

( ३ ) नागरिक हित और सतर्कता—नागरिकों को शासन के कामों पर सतर्क दृष्टि रखनी चाहिये। इसके बिना शासन का उद्घात और नागरिक आदर्शों का विनाश हो जाना निश्चित है।

( ४ ) प्रगतिशीलता—प्रगतिशील दृष्टिकोण के अभाव में नागरिक आदर्शों का क्रमिक हास निश्चित है। भारत में प्राचीन गौरव का बड़ा बोलबाला है। फलस्वरूप यदी प्रगतिशील दृष्टिकोण की बड़ी कमी है। नागरिकों को उन्नति के लिये सर्वोत्तम प्रयत्न करना चाहिये। उनका दृष्टिकोण नर्तमान से भविष्य की ओर तथा राष्ट्रहित से विच्छिन्न की ओर केन्द्रित होना चाहिये।

### प्रश्न—

१—नागरिक आदर्श क्या-क्या हैं ?

२—वे नागरिक आदर्श, जिन्हें हिंसी आधुनिक राज्य के नागरिकों को ध्यान में रखना चाहिये, क्या हैं। उनको सिद्ध की दर्ते क्या-क्या हैं ?



## अध्याय २२

### राष्ट्रीयता

परिभाषा—गुलाम देशों में राष्ट्रीयता का अर्थ होता है स्वाधीनता प्राप्ति तथा राष्ट्र निर्माण का सतत् प्रयत्न, किंतु स्वाधीन देशों में इसका अर्थ राष्ट्र की गौरव तथा शक्ति वृद्धि की दृष्टि। रखना और इसके लिये संघर्ष करना है।

वह राष्ट्रीय मनोवृत्ति जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिये होनेवाले सक्रिय प्रयत्नों द्वारा अभिव्यक्त होती है राष्ट्रीयता कहलाती है।

१९१९ की वसाइ की सन्धि योरोप के कई राष्ट्रों की कामनाओं को पूर्ण करने में असफल रही। उनकी कामनायें थीं; 'अपना राष्ट्र, अपना राज्य', 'अपने राष्ट्र के लिये आत्मनिर्णय का अधिकार'। फलस्वरूप पुनः युद्ध की तैयारी हुई और राष्ट्रीयता की ज्वाला में विश्व को किर एक बार जलना पड़ा।

### राष्ट्रीयता और अन्ताराष्ट्रीयता

जिस प्रकार व्यक्तिगत स्वाधीनता के बिना व्यक्ति की उक्ति नहीं हो सकती उसी प्रकार राष्ट्रीय स्वाधीनता के बिना राष्ट्र समून्तर नहीं हो सकता।

मानवता के विकास और सभ्यता की अभिवृद्धि के लिये सभी राष्ट्रों को राजनीतिक स्वाधीनता एवं जातीय विशेषताओं, पैतृत गुणों, तथा संस्कृतियों के संरक्षण की स्वाधीनता भावद्यक है। कोरिया और भारत की स्वाधीनता इनके अपने सुखों के साधन-साध मानव-मुख की वृद्धि में सहायक होगी। हानिन के मता-नुजार राष्ट्रीयता अन्ताराष्ट्रीयता तक पहुँचने की उत्तम सहायता है।

राष्ट्रीयता के दुर्गुण—राष्ट्रीय स्वाधीनता को स्वीकार और समर्थन करते हुए भी इस राष्ट्रीयता के दुर्गुणों को भूत्वीकार नहीं कर सकते। दूषित राष्ट्रीयता

अत्यन्त संकुचित, अत्यन्त स्वार्थी और अत्यन्त हिमुक हो सकती है। इसके अन्दर अपने राष्ट्र का प्यार दूसरे राष्ट्रों के प्रति धृणा का रूप धारण कर लेता है। राष्ट्रीय गौरव और द्वित की चिता दुर्बल राष्ट्रों के शोषण एवं गुलामी का कारण बन जातो है। ऐसी राष्ट्रीयता का आदर्शवाक्य होता है “मेरा देश, मेरा राष्ट्र, मेरी जाति प्रथम, मानो या न मानो।” पर वास्तव में यह जीति गल्ज है, क्योंकि इसमें दूसरे के द्वित को कोई स्थान नहीं है।

मिछडे दो महायुद्धों में करोड़ों प्राण एवं अनन्त समर्पित का विनाश दूषित राष्ट्रीयता का परिणाम है। उन समरों के घाव अभी भरने भी नहीं पाये हैं कि तृतीय विश्वयुद्ध की तैयारी शुरू हो गई है। यदि विश्व को युद्ध की विभीतिका से मुक्त होना है तो ऐसी द्विसक एवं आक्रमक राष्ट्रीयता का अन्त आवश्यक है। एतर्थे तथायी अन्तराष्ट्रीय सहयोग और उद्घावना पहली जरूरत है। जिन दूसरे सम्भवता का गूलोच्छेद होकर ही रहेगा।

**अन्ताराष्ट्रीयता—आज** दुनिया के पेपित और शोषित लोगों के प्रति सद्गावना और सहानुभूति बढ़ रही है। मनुष्यता को सज्जी सेवा के लिये सभी राष्ट्रों में एक साथ मिलकर काम करने की प्रगति ज्ञा रही है। अन्ताराष्ट्रीय द्वित को राष्ट्रीय द्वित से बदकर मानने की प्रगति अन्ताराष्ट्रीयता कही जाती है।

**अन्ताराष्ट्रीयता का आदर्श—**किसी वर्ग या समुदाय के द्वित से मानवोंय द्वित को प्रमुखता प्रदान करने के कारण अन्ताराष्ट्रीयता राष्ट्रीयता से अवश्य ही ऊँचा है। वैज्ञानिक आवागमन की सुविधाओं ने विश्व का छोटा और राष्ट्रों की दूरी कम कर दी है। एक देश दूसरे देश के साथ इस प्रकार जुड़ गये हैं कि उनमें पारिवारिकता या पड़ोसीपन का भाव सा हो गया है। उनके आर्थिक तथा दूसरे स्वार्थी भी इस प्रकार सम्बद्ध हैं कि उनकी रक्षा के लिये सम्मिलित प्रयत्न आपेक्षित है। यदि युद्ध-बंजर जर्मनी भारतीय जूड़ नहीं खरीद सकता है तो भारतीय किसानों और जूड़ उद्योगपतियों में गरीबी शारी है। उनको गरीबी के कारण

विद्युत वस्त्र-व्यवसाय में खका लगता है जिसके कारण वहाँ के मजदूरों की दशा बिगड़ जाती है। अतएव पारस्परिक सहयोग द्वारा युद्ध को रोकना, दूषित राष्ट्रीयता को दबाना तथा अन्तर्राष्ट्रीयता को बढ़ाना आवश्यक है।

अन्तर्राष्ट्रीयता थोड़े से विचारशील व्यक्तियों का आदर्श है, स्वप्र है। परन्तु भाज का युग राष्ट्रीयता का है। सच्ची राष्ट्रीयता अन्तर्राष्ट्रीयता की विरोधिनी नहीं होती, वह तो उस ओर ही बढ़ाती है। जब विश्व के सभी गुलाम देश स्वतंत्र हो जाएंगे तथा सबको उन्नति की समान सुविधा मिलेगी तभी विश्व-सम्पुत्र के आदर्श का कुछ अर्थ होगा।

**अन्तर्राष्ट्रीयता और राष्ट्र-संघ—अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना से ही राष्ट्र-संघ ( लीग ऑफ नेशन्स ) की स्थापना हुई थी जिसका उद्देश्य विश्व भरमें प्रातृत्व और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापन करना था। पर उक्त संस्था निर्दल राष्ट्रों की रक्षा करने और महान् राष्ट्रों के लोभ को रोकने में असफल रही। जिससे अन्तर्राष्ट्रीयता के विचारों को बड़ी हानि हुई।**

**लीग का विधान—अस्तमित लीग के तीन प्रमुख विभाग पे, जिनमें परिषद् ( कॉमिटी ) प्रधान अधिकारी ( एमिक्रेटर ) थी। एक विश्व धर्मों से युक्त सभा ( एसेम्बली ) थी और एक स्थायी मंत्री-भवन जेनेवा में था।**

इन्हुंनी सर्वोत्तम कार्य जो लीग ने किया वह था अन्तर्राष्ट्रीय धर्म संघ की स्थापना। यह लोग की एक उपसमिति था। इस उपसमिति का उद्देश्य था विश्व के धर्मिणों की अवस्था में सुधार करना, इसके लिये संबन्धित राष्ट्रों के शासन से प्रशासी और वैधानिक विषयों में वरामदी करना तथा विश्व के धर्मिणों का निम्न-तम जीवन-स्तर के उत्थान के लिये अन्तर्राष्ट्रीय प्रदान करना। राष्ट्र-समूह के उत्थानधारन में अन्तर्राष्ट्रीय धर्म-संघ का यार्डिं अधिकारीशान देता था जिसमें सीग परिषद् तथा विभिन्न शासनों के धर्मिण-न्यतिनिधि, उपोक्तव्यतियों के प्रतिनिधि तथा

संघ के स्थायी कार्यकर्ता भाग ले रहे थे। जिनेका स्थित अन्तर्राष्ट्रीय भ्रम संघ के कार्यालय को अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक-कार्यालय कहा जाता है।

**विश्व की नवीन व्यवस्था:**—यद्यसब कोई अनुभव करते हैं कि युद्ध को बन्द करने के लिये एक नई व्यवस्था की आवश्यकता है। हिटलर ने अपने हांग की व्यवस्था की बात कही थी। रूजबेल्ट और चर्चिल ने एटलांटिक शासन पत्र (एटलांटिक चार्टर) की घोषणा की थी, जिसमें एक नई विश्व-व्यवस्था-संबन्धी उनका दृष्टिकोण था परन्तु एक बादश्य से अधिक इसका कुछ महत्व नहो है।

**एटलांटिक चार्टर की चार स्वाधीनताओं:**—वार स्वाधीनताओं के सम्बन्ध में रूजबेल्ट का एक प्राप्ति भाषण हुआ था जिसमें उन्होंने विश्व के सभी व्यक्तियों के लिये (क) अभिव्यक्ति की स्वाधीनता, (ख) धर्म की स्वाधीनता, (ग) बहुत से मुक्ति तथा (घ) भव से मुक्ति का सिद्धान्त स्वीकार किया था। चर्चिल और रूजबेल्ट ने उन राष्ट्रों के नागरिकों को जो युद्ध में उनके साथ थे, अथवा युद्धोत्तर व्यवस्था में उनके साथ रहते, उपरोक्त स्वाधीनताओं दिलाने योग्य व्यवस्था की व्यपरेखा प्रस्तुत की थी किन्तु इसमें अफिका तथा एशिया के लोगों के लिये (जो भी भारी जातियों की भ्रजा है) एक भी शब्द नहीं था। फ़र्ड बड़ ने ठोक ही कहा था कि यह मानवीय स्वाधीनता का युद्ध नहीं, केवल योरोपीय सभ्यता की रक्षा का युद्ध है। केवल योरोप ही मानवता का देश नहीं है, इन्हुंने विश्व में और भी देश हैं जहाँ को जनता को स्वाधीनता दिलाना अभी बाकी है। बिना उनकी स्वाधीनता के विश्व की नई व्यवस्था सफल नहीं हो सकती।

**डम्बरटन ओवर प्रस्ताव (अक्टूबर ७, १९४१)**—डम्बरटन ओवर सामर स्थान में संयुक्त राज्य अमरीका, ब्रिटेन, रूस तथा चीन के प्रतिनिधियों की बैठक हुई जिसमें वे विश्व की शान्ति तथा उन्नति के लिये संयुक्त-राष्ट्र-संघ की स्थापना के प्रस्ताव पर एकमत हुए। प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र के निम्न लिखित देशों नामे गये :—

(१) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा कायम रखना और इनके बाधक कारणों को रोकने की व्यवस्था करना तथा अन्तर्राष्ट्रीय महाद्वीपों को शान्तिशूर्ण ढंग से निपटाना ।

(२) विश्वन्धुत्व का प्रचार करना, राष्ट्र के पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देना तथा विश्व-शान्ति को दड़ करना ।

(३) विश्व की आर्थिक, सामाजिक तथा मानवीय समस्याओं के समाधान के लिये अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना ।

(४) पारस्परिक भलाई और उन्नति के कार्यों में सहयोग प्राप्त करने के लिये विश्व के राष्ट्रों को एक केन्द्रस्थल प्रदान करना ।

### संयुक्त राष्ट्र संघ का संघटन

संयुक्त राष्ट्र संघ के कई प्रमुख अंग हैं—

(क) साधारण सभा में संघके ५२ राष्ट्रों के प्रतिनिधि भाग छेते हैं तथा पूर्वोक्त उद्देश्यों की सिद्धि के लिये विचार करते हैं। यदि एक गुली संस्था है इसके द्वारा सदस्यों को एक मत देने का अधिकार है ।

(ख) सुरक्षा परिषद् का कार्य अन्तर्राष्ट्रीय महाद्वीपों को शान्तिपूर्वक निपटाने का प्रयत्न करना है। यदि वह ऐसा करने में असफल रही तो इसे विरोधी राष्ट्र के विरुद्ध बल-प्रयोग का अधिकार है। इस परिषद् के पांच सदस्य, ब्रिटेन, चीन, प्रांत, रूस और संयुक्त-राज्य-अमरीका हैं। प्रत्येक सदस्य को परिषद् के निर्णय को व्यर्थ कर देने का विशेषाधिकार प्राप्त है ।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय—इस न्यायालय में सभा द्वारा निर्वाचित विभिन्न राष्ट्रों के १८ न्यायाधीश रहते हैं। इसमें संघर्ष राष्ट्रों के आपसी महाद्वीप पर विचार किया जाता है ।

(घ) आर्थिक और सामाजिक परिषद्—इस परिषद् के १८ सदस्य-राष्ट्रों के प्रतिनिधि साधारण सभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। इसका कार्यक्षेत्र आर्थिक, सामाजिक तथा शाश्वत है ।

( छ ) सैन्याधिकारी समिति—यह अन्तर्राष्ट्रीय खड़ी दलों ( पुलिस फोर्स ) के नायकोंकी समिति [ कमिटी ] है।

( च ) सचिवालय ( सेक्रेटरियट ) उपरोक्त बंगों के बिंदा संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विस्तृत सचिवालय है जिसमें विभिन्न विभागों के सचिवों ( सेक्रेटरीज ) और दूसरे ऋणियों के कार्यालय हैं।

### संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायक संस्थायें

सं० रा० सं० के कई सहायक भंग हैं। आधिक और सामाजिक परिपद का एक आधिक-आयोग ( एकनामिक-कमोशन ) और एक सामाजिक-आयोग है। इनके सिवा यह अन्तर्राष्ट्रीय धर्म संघ, संयुक्त-राष्ट्र खाद्य और कृषि संघ, अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संघ तथा दूसरी संस्कृतिक, सामाजिक तथा मानवीय संस्थाओं का संचालन करती है। जिनमें संयुक्त-राष्ट्र साहाय्य एवं उन्नर्वास विभाग, संयुक्त-राष्ट्र शिक्षा, समाज और संस्कृति संघ, अन्तर्राष्ट्रीय आधिक-प्रणोदि ( नोनेटरी फंड ), अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास अधिकोप ( बैंक ) तथा कई और व्यापारिक युद्धोत्तर पुनर्निर्माण संस्थायें हैं।

**एटलांटिक शासन-पत्र ( चार्टर ) द्वारा कलिप्त सं०**

**रा० सं० का उद्देश्य**

संयुक्त राष्ट्र संघ सामूहिक प्रयत्नोंद्वारा विश्वशान्ति तथा सुरक्षा को स्थिर रखने तथा विद्वन की वन्नति के लिये कार्य करनेवाली मस्थाओं को सहायता देने के लिये है। इसका काम अन्तर्राष्ट्रीय महाङों को जाँच करना तथा शान्ति-नूर्झक समझौता कराना भी है। शान्ति स्थापन में असफल होने पर आधिक तथा राज-नीतिक दबाव डालना तथा आचारी की स्थिति में सैन्य प्रयोग करना भी इसके अधिकार में है।

सं० रा० सं० को सदस्यता—इसकी सदस्यता सभी शान्तिकामी राज्यों के लिये खुली है। जर्मनी और जापान के विरुद्ध युद्ध घोषित करने काले राज्य इसके प्रारम्भिक सदस्य थे। सब किसी सदस्य को शासन-पत्र (चार्टर) की जवहेला के सारण निकाल बाहर कर सकता है।

राष्ट्र संघ के शान्ति-सम्मेलनों के परिणाम ही इसकी सफलताएँ बता सकते। यदि यह कीग आव नेशन्स की तरह प्रबल-राष्ट्रों द्वारा नियंत्रित संघटन मात्र रहा तो इससे युद्ध-जर्मन, शान्ति-प्रियासित विश्व का कुछ भी उपकार नहीं हो सकेगा; यह निश्चित है।

### प्रश्न

१—राष्ट्रीयता की परिभाषा लिखिये। राष्ट्रीयता के सिद्धान्तगत विचार क्या हैं ?  
२—राष्ट्रीयता अन्तर्राष्ट्रीयता तक पहुँचने की उत्तम क्षमता है की विवेचना कीजिये। ( नाग० १९३७ )

३—राष्ट्र संघ के विधान और कार्यों का संशिष्ठ वर्णन कीजिये। ( कल० १९३६ )  
४—राष्ट्र संघ के क्या-क्या उद्देश्य थे ? ( कल० १९४४ )  
५—क्या राष्ट्र संघ को धरने दरेंस्तों की सिद्धि में सफलता मिली ? ( कलहत्ता १९३९, १९४४ )

६—‘एक राष्ट्र का एक राज्य’ तथा ‘भाषुनिक राज्य राष्ट्रीय राज्य है’ को विवेचना कीजिये। राष्ट्रीयता के विकास तथा राष्ट्रीय-राज्य के विचारों ने राज्यों के प्रमुख विद्वान्तों में मौलिक परिवर्तन उपस्थित किया है मनमाइये। ( कल० १९४० )

# **भारतीय शासन पद्धति**

# विषयानुक्रमणिका

विषय	पृष्ठ
१ भारतमें अंग्रेजी राज्य का प्रारम्भ और विकास	७
२ १९१९ और उसके बाद	१४
३ भारतीय संघ और उसका शासन विभाग	२७
४ भारत संघ संसद् ( पालिंपार्मेट )	३६
५ संघके सदस्य राज्य संघ और उनकी शासन प्रणाली	४७
६ संघके सदस्य राज्य और उनकी व्यवस्थापिका	५१
७ बर्तमान भारत शासन ( इंडिया गवर्नेमेंट )	५७
८ केन्द्रीय शासन व्यवस्थापिका	६५
९ केन्द्रीय शासन तथा प्रान्तीय शासनके बीच शासन विषयों का विभाजन	७१
१० प्रान्त समूह	७७
११ बर्तमान प्रान्तीय शासन विधि विभाग	७९
१२ बर्तमान प्रान्तीय शासन-विधि विभाग	८३
१३ निलों ( मंडलों ) की शासन व्यवस्था	९०
१४ देशी राज्य	९२
१५ न्याय विभाग	९६
१६ शासन को नौकरियों सम्बन्धी व्यवस्था	१०६
१७ आरक्षी और कारागार	१११
१८ स्थानीय स्वशासन	११४
१९ नगर क्षेत्रोंमें स्वशासन	११९
२० प्रामोज क्षेत्रोंमें स्वशासन	१२५
२१ नगर और ग्राम सम्बन्धी कुछ समस्याएँ परिचय	१३२
	१३८

# भूमिका

भारत भाज सम्पूर्ण सत्ताधारी देश है। दीर्घकालीन पराधीनता के कारण भाज भारत को विभिन्न राष्ट्रों और जातियों के साथ नवे रूप से संपर्क-स्थापना करनी पड़ रही है। परन्तु भारत के इतिहास में अत्यन्त प्राचीन काल से अनेक विदेशी राष्ट्रों के साथ ऐसिए संपर्क का उल्लेख है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता अफगानिस्तान, ईरान, अरब, मिथ्र, किलरतीन, चूनान, बह्रातेश, मलय जापान, मुमात्रा, श्याम, हिन्दूचीन, चीन आदि देशों में फैली थी। इन सभी देशों के साथ भारत ने अनेक शराबिद्यों तक मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध की रक्षा की थी।

## भारत और ईरान

इतिहास के प्रारंभिक काल में भारत और ईरान के निवासियों में एकता ही अर्थ-रक्त प्रवाहित था। इसके बाद भी इनमें पना छांस्कृतिक सम्बन्ध था। वैदिक-धर्म एवं जोरोस्ट्रियनवाद में वडी समता है। वैदिक संस्कृत तथा 'अवस्ता' की पहली भाषा मिलती-जुलती-सी है। भारत में पठान और मुगल शासन, कालमें फारसी भारत की राजभाषा रही। इस काल ईरानी और भारतीय संस्कृति का सम्बन्ध बीर दड़ गया। इन दोनों देशों की नाम-मुद्राओं की समता इनके निकट समर्पक की पुष्टि करती है।

जब ईरान ( पारस ) में मुस्लिम-धर्म का प्रचार हुआ तो द्वारा 'पारसी' का भारत चड़े आये और यहाँ बस गये। भारत की प्रसिद्ध व्यापारी 'पारसी' जाति उन्हों की सन्तान है।

पारस की खांडी के जल मार्ग से तथा स्थल मार्ग के द्वारा इन देशों में चर्चेटि का व्यापार चलता था। यह सम्बन्ध तब तक चलता रहा जब तक अंग्रेजी शासन ने भारत से दूसरे देशों का सम्बन्ध छिन्न-भिन्न न कर दिया।

## भारत और यूनान

रक्षा और भोगेलिक-स्थिति का अन्तर रखने पर भी सामाजिकता और सौसंस्कृतोध की समुन्नति के लिये इन यूनानियों के सांस्कृतिक सम्बन्ध में आये। यूनान का प्रसिद्ध दार्शनिक पैदागोरस भारतीय दर्शन से बहुत प्रभावित था। इसी सन् के प्रारंभिक दिनों में एगोलोनियस भारत के तक्षशिला विश्वविद्यालय में आया था। आश्र्वय की चात है भारत की मूर्तिगृहा यूनान की देत है। वैदिक तथा बौद्ध-धर्म मूर्तिगृहा के विरोधी रहे हैं।

यूनानी धर्म, दर्शन तथा गणित पर भारतीयता को अनिट छापा है।

भारत और यूनान के लोगों में वैज्ञानिक सम्बन्ध भी होते थे। भारत के प्रसिद्ध पतल (बन्दरगाह) भरोच हैं बहुतेरी यवन मुन्दरियों आया करलो थी। इस प्रकार द्वारा सांस्कृतिक सम्बन्ध बढ़ता जाता था।

## भारत और चीन

भारत और चीन का व्यागारिक समर्क बौद्ध-यात्रियों, नियार्थियों और नियुओं के कारण और भी बढ़ता गया। इनके गमतागमन से प्रायः एक सदृश वर्ग तक द्वारा सांस्कृतिक और धार्मिक सम्बन्ध अत्यन्त दृढ़ बना रहा। ऐसा की उठी उसी में चीन के केवल एक प्राची में तीन सदृश से अधिक बौद्ध नियु तथा दश सदृश भारतीय परिवार बने। १० नेट्रु ज्ञ बहुना है जि चीजो यादो हुवेनक्षांग की भारत-यात्रा दोनों देशों में राजनीतिक सार्क डी स्पतनार्य हुए थे। पन्द्रहो सदा में चीन का राज्यत्व स्वतंत्र बंगाल की राज्यभो में आया था।

स्पत और समुद्री जलमार्ग से चीन और भारत का व्यापार उत्तरोत्तर बढ़ा था। इन दोनों देशों पर विदेशी प्रभाव और प्रभुत्व एवं विद्वानों द्वाने तक द्वारा प्ला सम्बन्ध बना रहा।

## भारत और अख्य

वैज्ञानिक और दार्शनिक विचारों के आदान-प्रदान के क्षेत्र में हमारा अख्य बालों के साथ धनिष्ठ संपर्क था। अख्य देश के अनेकों द्वात्र भारत आये थे। व यहाँ से ज्योतिष, गणित और वैद्यक सीखकर घगडाइ गये। बादाद उस समय बहुत बड़ा सांस्कृतिक केन्द्र था वहाँ के गणित, ज्योतिष और हकीमी पर भारतीयता की अभिट छाप है। विदेशी राज्यों के प्रभुत्व हो जाने पर भारत और दूसरे देशों का सम्बन्ध टूट गया।

## भारत और दक्षिण-पूर्वी एशिया

इसा की पहली सदी में दक्षिण-पूर्व में भारत की उपनिवेश-स्थापना शुरू हुई। धोरे-धीरे सिंहल, बर्मा, मलाया, जापान, सुमात्रा, बोर्नियो, श्याम, कम्बो-डिया और चीन पर भारतीय-प्रभुत्व हो गया। इन सभी साहसिक व्यापारिक कारों के पीछे राज्य की शक्ति थी। इन देशों के साथ हमारा समृद्ध सामुद्रिक व्यापार होता था। देश को आधिक स्थिति को दृढ़ करने के लिये नवेन्ये बाजारों के लिये ही उपनिवेशों की स्थापना की गई थी। भारतीय आधिपत्य और वाणिज्य वस्तुओं के साथ यहाँ के धर्म और कला का प्रसार भी इन देशों में खूब हुआ, जिसका चिन्ह अभी भी इन देशों में पर्याप्त स्मृति से प्राप्त होता है। इन देशों में अभी भी संरक्षित नाम रखे जाते हैं। ( सुकर्ण के बदले सुकर्णो, इन्दोनेशिया, विपुल संप्राम पियुल संप्राम, याइलैंड ) :

\* शैलेन्द्र और माजापहित साम्राज्यों के संपर्क के कारण मलय और सुमात्रा तथा मलक्का भिड़ गये। इनकी आपसी लड़ाई ने अरबों को तथा पोर्तुगीजों को शक्ति प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया।

इसा की सोलहवीं शताब्दी में भारत के ऐस्तर्य से आकर्षित होकर शेंगीज, प्रासीधी, टच और थंप्रेज आदि जातियाँ भारत में व्यापार करने आयीं। देश

## भारत और अरब

वैज्ञानिक और दार्शनिक विचारों के आद्वान-प्रदान के क्षेत्र में हमारा अरब बालों के साथ घनिष्ठ संपर्क था। अरब देश के अनेकों छात्र भारत आये थे। वैद्यर्थी से ज्योतिष, गणित और वैद्यक सीखकर वगदाद गये। वगदाद उस सुमय बहुत बड़ा सांस्कृतिक केन्द्र था वहाँ के गणित, ज्योतिष और हकीमी पर भारतीयता की अभिट छाप है। विदेशी राज्यों के प्रमुख हो जाने पर भारत और दूसरे देशों का सम्बन्ध दृट गया।

## भारत और दक्षिण-पूर्वी एशिया

इसा की पहली सदी में दक्षिण-पूर्व में भारत की उपनिवेश-स्थापना शुरू हुई। धोरे-धीरे सिंहल, बर्मा, मलाया, जापान, सुमात्रा, बोनियो, श्याम, कम्बो-डिया और चीन पर भारतीय-प्रमुख हो गया। इन सभी साहसिक व्यापारिक छात्रों के पीछे राज्य की शक्ति थी। इन देशों के साथ हमारा समृद्ध सामुद्रिक व्यापार होता था। देश की आर्थिक स्थिति को दृढ़ करने के लिये नये-नये बाजारों के लिये ही उपनिवेशों की स्थापना की गई थी। भारतीय आविष्यक और वाणिज्य वस्तुओं के साथ यहाँ के धर्म और दला का प्रशार भी इन देशों में खूब हुआ, जिसका चिह्न अभी भी इन देशों में पर्याप्त रूप से प्राप्त होता है। इन देशों में अभी भी सकृत नाम रखे जाते हैं। (सुरुण के बदले सुकणों, इन्डोनेशिया, विपुल संप्राम पिकुल संप्राम, याइलैंड )।

\* शैतेन्द्र और माजापदित साम्राज्यों के संघर्ष के कारण मलय और सुमात्रा तथा मलेश्य मिह गये। इनकी आपसी लड़ाई ने अरबों को तथा पोर्तुगीजों को शक्ति प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया।

इसा की सोलद्वीं शताब्दी में भारत के ऐतर्य से आकर्षित होकर पोर्तुगीज, प्रासीसी, दच और अंग्रेज आदि जातियाँ भारत में व्यापार करने आयीं। देश

की तत्कालीन विश्वदूल स्थिति से लाभ उठा कर ये सभी योगीयों देश यहाँ राजनीतिक चतुर्पाय के लिये प्रतिस्पर्द्धा करने लगे। अन्त में अंग्रेज व्यापारियों ने अपने सभी प्रतिद्वन्द्वियों को पगस्त कर यहाँ अपना शासन स्थापित किया।

इसके पहले तक दृढ़ली के बेनिस और जनेवा के हाथ में भारतीय व्यापार की कुड़ी थी। उनमें पश्चिमोय और उत्तरी योगीयों के देशों को भारत से सीधा व्यापार की मुविधा प्राप्त नहीं थी। क्योंकि पूर्व के स्पलमानों पर उनका अधिकार नहीं था। भारत का समुद्र-मार्ग ढूढ़ने का यही प्रमुख कारण था।

## भारत और पोर्टुगीज

वेदान नामक व्यापारी के नेतृत्व में पोर्टुगीज लोगों ने हिन्दु राजा जामोरिन की राजधानी कालीकट में एक कारखाना खोला। तीन वर्ष याद वहाँ उन्होंने इसान अलबुक्के के अधीन एक किला बनाया। १५०६ई० में अलबुक्के ने गोमा जीत लिया और १५१० में वहाँ आग्रह-दाता हिन्दु-राजा के राजमहल को जला दिया तथा उसकी राजधानी कालीकट दराल कर लिया। भारतीय राजा के पाप अमृते तथा दमरे धार्मिक नहीं थे यही कारण था कि वे पोर्टुगीजों को नहीं रोक सके। इनका राजाजय जारी रहा के देशों में फैल गया। जब पोर्टुगीज अमृत-पन ऐकर अपने देश लौटे तब इनके एशर्य को देखाकर दमरे योगीय राजा जल डंडे तथा उन्होंने पूर्ण से व्यापार करने की ठाकी।

## भारत में डचों का आगमन

स्पेन की गुआमो को तोहका सेलवी मदी में दब लेंग घायी गए। तब उन्होंने पूर्व के साथ व्यापार आरंभ किया। भारत-पितृ निरन्तर उनका प्रबन्ध किया। आगरा, पटना, अहमदाबाद तथा सूरत में भी इनकी छोड़ियाँ थीं।

भारत में उनका यहा गया व्यापार होता था। इन्हु कर्नाटक ग्राम के गम्य में अपेक्षी को देखाइयो जब उन्होंने भारतीय राजोंने भी हाथ दाता था।

तथा मीर-जाफर की महायता के लिये एवं अंग्रेजों को भगाने के लिये सेना भेजी तो कर्नल फोर्ड की सेना ने ढच बेड़ेपर आक्रमण कर उन्हें भारत से उखाइ दिया।

१८०५ ईस्वी में अंग्रेजों ने सुमात्रा छोड़ों को दे दिया और उसके बदले चियुरा और मलक्का इन्हें प्राप्त हुआ।

ढच और भारत का पुराना सम्बन्ध आज एक विस्मृत घटना मात्र है। भारत में इनके अस्तित्व का निशान भी नहीं रहा।

## फ्रांस और भारत

ईसा के सत्रहवीं सदी में यौरोप का महान् राष्ट्र फ्रांस समुद्री मार्ग द्वारा भारत के व्यापार-क्षेत्र में उतरा। एम० कोलबर्ट के प्रयत्न से फैन्च-इष्ट-इंडिया कंपनी को स्थापना १६६४ ई० में हुई। १६६८ ई० में इन्होंने सूरत में अपना कारखाना स्थापित किया। मछलीपट्टम ( १६६९ ) और पाण्डुचेरी ( १६७४ ) में भी कारखाने खुले। शीघ्र ही फैन्च कंपनी भारतीय राजनीतिक स्थिति से लाभ उठा कर एक प्रधान शक्ति बन गई, परन्तु इनकी प्रतिस्पद्धी अंग्रेजी इष्ट-इंडिया कंपनी ने इन्हें पराजित किया तथा एलाशापेल समिध के अनुसार फैन्च गवर्नर दुल्ले को मद्रास और बदां की किले-बन्दी अंग्रेजों को समर्पित करनी पड़ी। दुल्ले ने किर शक्ति प्राप्त करने को चेष्ठा तो की, परन्तु फैन्च शासन ने उसकी नीति से असहमति प्रकट की और उसे बापस बुला लिया। स्वदेश लौटने के बाद ही इस भग-हृदय राजनीतिज्ञ की मृत्यु हो गई।

१७ जून रात १९४९ ई० को चंद्रननगर ने नागरिक मतदान के द्वारा भारत शासन में सम्मिलित होने का निवेद्य किया। यत १५ अगस्त १९४९ को अंशिक हृष से इसका शासन-भार भारत शासन को मिल गया। भारत का एक मात्र फ्रांसीसी राज्य पाण्डुचेरी का भाग्य-निर्णय अभी तक नहीं हुआ है।

## अंग्रेज और भारत

पूर्वों देशों के व्यापार से प्राप्त पौरुषीजों की समृद्धि अंग्रेजों की इर्पी का

दिया थी। परन्तु मार्ग की जानकारी के बिना वे कुछ दरने में असमर्पये। जब अंग्रेज कलान ट्रॉफ ने भारत से लैटरे हुए प्रधान पोर्टुगीज वेफेर विजय प्राप्त की, तो उसको स्टडमें उन्हें भारत के जल मार्ग का गुप्त मानचित्र भी प्राप्त हुआ। भारत समुद्र तट पर उत्तरवाला सर्व प्रथम अंग्रेज कलान हाँकिन था, जिसके जहाजों ने सूरत में लंगर ढाला था। वह आगरा में समाट् जहांगीर के दरबार में राजा लेम्स प्रथम का पत्र लेकर दाजिर हुआ और व्यापार को आज्ञा मिली। परन्तु दरबार में पोर्टुगीज व्यापारियों के रहने के कारण उसकी दाल न गली। १६१३ ई० में अंग्रेजी जलसेना ने पोर्टुगीजों के चेहे पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की। सूरत पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। १६१३ ई० में समाट् जहांगीर ने अपने दरबार में एक अंग्रेज राष्ट्रकुल के रहने की स्वीकृति दी और १६४० ई० में अंग्रेजों को कलकत्ते में कारणाना खोलने की आज्ञा मिली। तब से बंगाल का व्यापार पोर्टुगीजों द्वारा छिन कर अंग्रेजों के हाथ में आ गया। १६८८ ई० में अंग्रेजों द्वारा इंस्ट इंडिया कंपनी का बंदरे पर अधिकार हुआ। किन्तु अंग्रेजों द्वारा राजनीतिक प्रदुरुत्ता १७५७ के पलासी-युद्ध से प्राप्त हुई।

## अध्याय १

### भारत में अंग्रेजी राज्य का प्रारंभ और विकास

भारत के बर्तमान विधान के अध्ययन से पहले भारत में अंग्रेजी राज्य के प्रारंभ और विकास का ऐतिहासिक सिंहावलोकन कर लेना आवश्यक होगा।

भारत में अंग्रेजी राज्य के प्रारंभ और विकास को हम पौच काल-विमागों में विभाजित कर सकते हैं।

( १ ) सन् १६००-१७६५ ई०—इस अवधि में अंग्रेजी इंट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। उसे भारत और पूर्वी देशों में व्यापार की आज्ञा मिली। व्यापार के साथ ही उसे भारत में राजनीतिक प्रभुत्वता प्राप्त करने में सफलता मिली और सन् १७६५ ई० में जब फ़ाइर ने बंगाल की दिवानी प्राप्त कर ली तो कंपनी एक राजनीतिक सत्या बन गई।

( २ ) सन् १७६५-१८५८ ई०—व्यापारिक कंपनी को जब राजनीतिक शक्ति मिली तो वह अपनी शक्ति बढ़ाने लगी। इसकी बढ़ती हुई राज्य शक्ति को देख, १७७३ ई० से ब्रिटिश पालियामेंट इसपर नजर रखने लगा। पालियामेंटका नियंत्रण १८५८ ई० तक उत्तरोत्तर बढ़ता गया। १८५८ ई० के सिपाही विद्रोह के फल-स्वरूप कंपनी के आधिपत्य का अन्त हो गया और भारत का शासन ब्रिटिश पालियामेंट ( संसद् ) ने अपने हाथों ले लिया। तब से शासन मुधार और उन्नति के नाम पर ब्रिटिश राजा पालियामेंट ( संसद् ) के द्वारा भारत का शासन करने लगा।

( ३ ) सन् १८५८-१९१७ ई०—ददरि कंपनी के राज्य का अन्त हो गया तथा भारत का शासन अंग्रेजी राज-शक्ति के हाथ में चला गया, इन्तु इससे

## नागरिक शास्त्र

शासन की पढ़ति में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। भारत-शासन पूर्ववर् निरंदुश था तो रहा।

(४) सन् १९१७-१९४७ई०—भारत के विटिश-शासन-नीति में परिवर्तन-विषयक मोन्टेयू-घोषणा सन् १९१७ ई० में हुई। उसमें कहा गया कि भारत में विटिश शासन का लक्ष्य विटिश साम्राज्य के अन्तर्गत दन्नतिशील उत्तरदायी-शासन की स्थापना है। इस घोषणा के आधार पर पालियमेंट (संघट) ने १९१९ में भारत-शासन अधिनियम (गवर्नर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट) पास (पारित) किया। उक्त अधिनियम (एक्ट) का रूपान सन् १९३५ ई० के भारत-शासन अधिनियम ने अद्वित दिया तथा भारत-भारतीयनता अधिनियम सन् १९४७ ई० के द्वारा भारत से अंग्रेजी राज्य की समाप्ति हुई।

(५) सन् १९४७ई०—भारतीय विधान रामा ने घोषित किया है कि इसका उद्देश्य रामर्ण सत्तापाठी भारत के स्वाधीन-गणराज्य की स्थापना है। सन् १९४७ ई० से भारत में नवोत्तु युग का प्रारम्भ होता है। “भारत-छोरों” की राष्ट्रीय मांग ने मुद्र-जर्जर विदेन को विवर किया। आज भारत का भासासून भविष्य हमारे सामने है।

### विटिश राज्य का उत्थान और पतन

भारत में अंग्रेजी राज्याच्य के विकास और उसकी दृढ़ता के दो प्रमुख कारण थे। प्रथम, अग्रजी अन्यायों की उत्तमता और द्वितीय, भारतीय राजन्य पर्ग का आपार्गी गपर्ग।

एक और अंग्रेज बीरों को यहाँ कहे भवानक और प्रबग्द मुद्र-शोरों में सहजर दिखायी थनना पड़ा थी और दूसरी ओर, विना मुद्र के, केवल मूटरों उत्तमता और नियायपाल के बत्तर भारतीय शासियों को लड़ा-गिहा कर इन्होंने यकलना प्राप्त को। दिग्भय के दृष्टये असु के दीय दृष्टे हैं जिदीही का गमना भी करना

## भारत में अंग्रेजी राज्य का प्रारम्भ और विकास

पहा। सन् १७६६ ई० में बंगालीसंन्यदल तथा टसके २४ विद्रोही नेताओं को गोली से उड़ा दिया गया। बंगोर में घटित १८०६ ई० का विद्रोह बड़ा अशंकाजनक था। यह विद्रोह १८५७ ई० के विद्रोह से विक्षेपा जुड़ता था....। प्रथम बर्मा युद्ध के समय समुद्रन्यात्रा की वाध्यता के कारण टचब-जातोय हिन्दू सेनिकों में विद्रोह फल गया। फलतः खूंटी कल्पआम के बाद वह दहता तोड़ दिया गया। अक्षमान युद्धके अवसर पर भी संनिक अनुशासन में गड़बड़ी पैदा हुई थी। जिसमें चार बंगाली संन्यदलों ने मिथ्य अभियान सं इन्कार कर दिया और सन् १८८१ ई० में दो संन्यदलों ने मिथ्य सोमापर विद्रोह कर दिया।

### १८५७ का सैनिक विद्रोह

“विद्रोही देशी सेनाओं का भयानक विश्वासघात अवर्गनीय था।”

“१८५७ की गमियों के चार महीनों तक ऐसा लगता था कि यह विद्रोह कही स्वाधीनता संप्राप्त का रूप न धारण कर ले और अंग्रेजों की मुनविजय को असंभव न कर दे, किन्तु वित्तवर तक यह स्पष्ट हो गया कि विद्रोह में भाग लेनेवाले भारतीयों में एक निश्चित कार्यप्रणाली में काम करने की वीम्यता तथा किसी एक राष्ट्रीय नेता के नेतृत्व में चलने की भावना का अभाव है।”

विद्रोह का प्रारंभ बहा ही उत्पाद प्रद एव आशाजनक था। यहाँतक कि अंग्रेजों की स्थिति विभाजनक हो गई थी, परन्तु भारतीय राजनीतिज्ञ सफल प्रारंभ को सख्त अन्व का रूप देने में असमर्य रहे। प्रान्तीयता और धार्मिक विरोध के कारण अवरोध-शक्ति नष्ट हो गई और राष्ट्रीय ऐक्य और सहयोग असंभव हो गया।

विद्रोही, जो पकड़े गये थे या तो गोली से उड़ा दिये गये या फँसियों पर लटका दिये गये। भूत पूर्व सप्ताह बहादुर शाहको दृढ़सन ने हिमायूँ के मकबरे में गिरफतार किया। उसने उनके तीन पुत्रों को भी गोली का निशाना बनाया। दूसरी पर तुराधिकार प्राप्त करने पर वही कल्पे आम की आज्ञा दी गई, यद्दी अवसर-

सनाराप, इलाहाबाद, वानपुर, सखनऊ और विद्रोह-प्रस्तुत विद्वार और संयुक्त-प्राप्ति के जिलों की थी। "हमारी मंसद ( पालियामेट ) के कागजातों में भारत के गवर्नर जेनरल का वह पत्र वर्तमान है जिसमें कहा गया है कि विद्रोह दमन के गमण के कल्पनाम में अपराधी विद्रोहियों तथा नियराप रुद्धी, स्त्रीय एवं बच्चों में कोई अन्तर नहीं किया गया।" उन्हें केवल फासी ही नहीं दी गई अग्रिम क्रितने ही जन गांधी में जीवित जला दिये गये और अनेहों का गोलियों से शिकार किया गया।

भारतीयों के लिये सन् १९५७ ई० के विद्रोह की स्मृति वही दुगद और कटु है। विद्रोह के कुछ समय पाँच ट्रेपेलिग्न ने लिखा है कि दिली विजय के पाद गाढ़ी कहे जानेवाले एक पारिषद समझदार के परिवार के प्रत्येक घर्याँक को पासी दी गई। उनका अपराध निर्देश इतना था कि वे एक पिंडेय पर्म के अनुयायी हों।

विद्रोह के परिणाम-स्वरूप भारत को अप्रेजी शासन नीति में महत्वरूप परिवर्तन हुए।

भारत-शासन कंगनी के हाथ से छिन्नर विट्ठि राजा के हाथ में रखा गया। सेना का पुरुष संगठन छिया गया बंगाली-संघदल भी वह दिया गया और भारतीय राज्यों के प्रति उन्होंने दृष्टिकोण अनाद्या गया।

विद्रोह के पाँच भारतीय सेना में अप्रेज और भारतीय सेनिहों का अनुयात ३०% कर दिया गया। भारतीय सेनिफ प्राप्त वंजाव से लिये जाते थे एकोचिंगाली सेनिहों ने विद्रोह में अप्रेजों का पूरा गाय दिया था। गोला बाहद और आप शस्त्र योरोपीय सेनिहों के अपील रस्मे जाने लगे।

### विद्रोह का भारत-शासन पर प्रभाव

बंगलो के युशासन के बारब भारतीय सेनिहों वे एक दर्ता में, तथा भारतीय सेनिहों में विद्रोह की भारतीय पैदा हुए।

इंग्लैंड के अधिकार्यों ने देखा कि परिवर्तित परिस्थिति में वहनी ही

हुक्मत चलने देने में खतरे की संभावना है। इसलिये विद्रोह के दमन के बाद भारत-शासन कंपनी से छीन लिया गया और उसे प्रत्यक्षतः संप्राट् के अधीन कर दिया गया। एक घोषणा-पत्र ( महाराणी का घोषणा-पत्र १८५८ ) द्वारा महाराणी विकटोरिया ने भारत का शासन अपने हाथ में लेने की इच्छा प्रकट की।

इस प्रकार विद्रोह के कारण प्राचीन भारत में नवीन और परिवर्तन तो हुआ किन्तु १९११ ई० के सुधार होने के पहले तक भारत का अंग्रेजी-शासन पुरानी लोक पर ही चलता रहा।

### सन् १८६१-१८६२

इस अवधि में भारतीय स्थिति में बहुमुखी उन्नति हुई। नये विद्विद्यालयों की स्थापना हुई, मार्यानिक शिक्षा में अधिक प्रगति हुई। लार्ड डफरिन और रीपन के सद्योग से प्रमुख प्रान्तों को कुछ अंशों में स्वशासन प्रदान किया गया। इसी बीच भारतीय महासभा ( कांग्रेस ) की संस्थापना हुई। यह शिक्षितों एवं राजनीतिक विचारवाले भारतीयोंका, जो वैदिक मुधारों की मांग करते थे, प्रतिनिधित्व करती थी। फलस्वरूप, अंग्रेजी-शासन ने भी भारतीय विधान-परिषद् के विधान में परिवर्तन करने की आवश्यकता समझी। ताकि विधान-परिषद् ( धारा सभा ) अधिक लोक-प्रिय एवं प्रतिनिधिमूलक हो सके।

सन् १९१२ ई० तक घटनायें तेजी से चलती रही। शिक्षा में अधिक उन्नति के साथ राष्ट्रीय महासभा की शक्ति और प्रभाव में शूद्र हुई।

हस-जापान युद्ध में जापान ऐसे छोटे से एशियाई देशों सफलता ने भारत के शिक्षित युवकों में महत्वाकांक्षा की हिलोर पेदा कर दी। इससे नवीन राष्ट्रीय-चेतनता जागृत हुई। बंग-भग को लेकर भारत में महत्वपूर्ण राजनीतिक पड़यंत्र हुए।

भारत के कई भागोंमें और विदेशतः बंगालमें ब्रिटिश-अधिकारियों के विरुद्ध भारतीय आंतंकवादियों के आक्रमण हुए। जिससे विदेशी शासन के लिये खतरे की संभावना लक्षित हुई।

इन सब कारणों से अप्रैल राजनीतिज्ञ भारत में यहाँ हुए अमंतोय को कम करने तथा भारतीय नेताओं के उत्तरदायी राष्ट्रीय-शासन की मांग को कुछ दूर तक पूरा करने के लिये भारत-शासन के विधान में परिवर्तन करने को आवश्यकता का अनुभव करने लगे।

### भारतीय परिपद् अधिनियम १६०६ ( कौंसिल एकट )

इन अधिनियम द्वारा भारत के एक संप्रदाय को दूसरे के विपद्ध खाली कर उनके सम्मिलित राष्ट्रीय प्रयत्न को नष्ट किया गया। इस आन्तरिक विभाजन के मूल में भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन की सैद्धान्तिक दुर्बलता थी।

### भारत और प्रथम विश्व-युद्ध

प्रथम विश्व-युद्ध प्रवातव्र की रूपान्वता की मजबूत बुंजी थी। इस समय भारत में जो होम स्तु का आनंदोलन हुआ उसके कारण प्रिंटिंग की भारत के स्वशासन का अधिकार स्वीकार करना पड़ा।

इस समय भारत में कान्तिहारी आनंदोलन चल पड़ा था, जो शीघ्र ही न दराया जा सका।

### प्रसिद्ध माण्डेग्यू घोषणा

२० अगस्त सन् १९१३ ई० को तत्कालीन भारत-सचिव धी मोर्टमूर ने निराकरित प्रोग्राम की :—

प्रिंटिंग शासन की यह नीति है तथा भारत गवर्नर इसमें सहमत है कि यह भारत के शासन के प्रयोग विभाग में भारतीयों को अधिकारिय भाग लेने का अवधार देंगी तथा भारत के व्यापार में व्यवसाय उत्तर वर्द्ध करेगी। जिसमें प्रिंटिंग व्यापार के आवेदन भारत में उत्तरदायी शासन की मददना हो गए।

## १८१६ के अधिनियम में विपरीतों का विभाजन

मौल्यवी धोपणा को कायरूप ढेने के लिये द्वैवशासन की नीति काम में लायी गई, जिसके अनुसार अंग्रेजों की सम्प्राज्य-सुरक्षा तथा भारतीयों के शासन सुधार की परम्परा विरोधी भावनाओं में समझौता करने का प्रयत्न किया गया। इसके अनुसार सिर्फ वे विभाग, जिनके हस्तान्तरण से भारत के ब्रिटिश-शासन को घटा न लगे, जनता के नियंत्रण में दिये गये। हस्तान्तरित विषय और आरक्षित विषय के नाम से विपरीतों के दो वर्ग किये गये। केवल हस्तान्तरित विषय जनता के नियंत्रण में दिये गये।

---

## अध्याय २

### १६१६ और उसके बाद

भारत-शासन अधिनियम सन् १९१९ ई० और इसके प्रावधान ( प्रोबोजन ) अन्तर्वर्ती ( इटीरियम ) थे । इनके विधायकों को कोई निश्चित एवं स्थायी विधान बनाने की इच्छा नहीं थी बल्कि वे विधियों में इतना ही परिवर्तन करना चाहते थे जिससे विदिश साम्राज्य के अन्तर्गत रहते हुए भारत में प्रगतिशील उत्तरदायी-शासन की स्थापना का स्वांग रखा जा सके ।

अमृतसर कांप्रेस-अधिनेशन में १९१९ के सुधारों पर भारतीय नेताओं ने घड़ा असन्तोष प्रकट किया । इन्होंने अनुभव किया कि सम्बाट शासन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं की । केन्द्र के अनुत्तरदायी-शासन तथा प्रान्तों के दोहरे दङ्क के शासन की, जिसे द्वैप-शासन कहते हैं, कही आलोचना हुई ।

सन् १९१९ ई० के अधिनियम द्वारा हुए प्रगतियों भारतीय नेताओं के अविराम संघर्ष द्वारा ही संभव हुई ।

### १६२१ का असहयोग आन्दोलन

सन् १९२१ ई० में महात्मा गांधी ने असहयोग आन्दोलन आरंभ किया । इसके तीन प्रमुख कारण थे । (१) भारत की असन्तुष्ट जनता में विदिश-शासन की प्रतिज्ञा पूति न करने के कारण फैला हुआ रोष, (२) पंजाब के मार्दाल-का शासन और जलियानवाला थाग को घटना से उत्पन्न थोम, तथा (३) तुकी साम्राज्य का ऑप्रेजी द्वारा अन्तर्देश दिये जानेसे भारतीय मुख्यमानों का धार्मिक विशेष । महात्मा जी ने

राजनीतिक, आधिकारिक एवं नैतिक विद्यकार की नीति काम में लायी। विदेशी शाराब विदेशी-बद्ध और तथा-झित नये सुधारों से युक्त विधान-मंडल का विद्यकार किया गया। सरकारी अदालत व स्कूल-कालेजों का भी विद्यकार किया गया। साध्य-दायिक ऐम्य, अद्वृतोद्वार, खादी प्रचार, करगांड़ों के निपटाने के लिये पंचायतों की स्थापना तथा राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार तत्कालीन नेताओं के रचनात्मक कार्यक्रम के प्रमुख अहं थे।

यद्यपि यह आनंदोलन चरम-लक्ष्य 'स्वराज' की प्राप्ति में असफल रहा परन्तु इसने भारत की सोई हुई करोड़ों मूल्याय जनता में राजनीतिक चेतना का संचार किया और उसीका सुफल हमारी आज की स्वतन्त्रता है।

### स्वराज्य-दल

आनंदोलन की असफलता के कारण कांग्रेस में दो दल हो गये। स्वर्गीय मोतीलाल नेहरू और देशबन्धु चित्तरंजनशास के नेतृत्व में एक दल कांग्रेस की नीति में परिवर्तन चाहने लगा। यह दल परिषद् विद्यकार की नीति में परिवर्तन चाहता था। क्योंकि वे परिषद् में रहकर उसे अन्दर से नष्ट करने की बात कहते थे। इस नये दल का नाम स्वराज दल पड़ा। स्वराज दलवाले सन् १९२३ ई० में उग्रव लड़े। उन्हाल और सघ्यशंत में इन्हें बड़ा बहुमत मिला, दूसरे कहे प्रान्तों के विधान-मंडल में भी इन्हें बहुमत प्राप्त हुआ।

### राष्ट्रीय मांग

सन् १९२४ ई० में भारतीय विधान सभा ने स्वराज-दल के नेता स्वर्गीय मोतीलाल नेहरू प्रस्तु वित राष्ट्रीय मांग का प्रस्ताव पारित (पास) किया। सन् १९२५ ई० में यह प्रस्ताव मुनः दुहराया गया। इसमें भारत के लिये उपनिवेश के दृंग पर उत्तरदायी-शासन की मांग की गई थी तथा इसका मार्ग दृंग निकालने के लिये भारतीय और अंग्रेज प्रतिनिधियों की गोलमेज-परिषद् की मांग की गई थी।

सन् १९२६ में जब लार्ड इविन भारत के गवर्नर जनरल बनकर आये तो भारतीय राजनीति में थोड़ा सुधार हुआ ; पर शोध ही परिस्थिति ने पलटा खाया । एक तूफान उठ खड़ा हुआ ।

### साइमन कमीशन ( साइमन आयोग )

भारत-शासन-अधिनियम सन् १९१९ ई० के अनुसार त्रिटिश-शासन ने सुपार-संबन्धी विषयों का अध्ययन करने के लिये श्री जौन साइमन के समाप्तित्व में एक राजकीय आयोग ( ( कमीशन ) ) नियुक्त किया । इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था । इसलिये यह भारत का अपमान समझा गया तथा गरम और नरम दोनों दलों के नेताओं ने इसके अहिकार का निश्चय किया ।

“साइमन आयोग ने भारत की राष्ट्रीय माँग ‘उपनिवेश-पद’ तथा केन्द्र में उत्तरदायी शासन की उपेक्षा की । परिणाम यह हुआ कि राजनीतिक असम्झोष में उफान आया और लोग उपनिवेश-पद की माँग के बदले पूर्ण-स्वाधीनता की माँग लेकर आगे बढ़े तथा ब्रिटेन से सदन्ध-विच्छेद आवश्यक समझने लगे ।”

### नेहरू-प्रतिवेदन ( नेहरू-रिपोर्ट )

इसी समय तत्कालीन भारत सचिव लार्ड बारकनहेड की जुनैती का उत्तर देने के लिये एक सर्वदल सम्मत विधान की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिये स्व० मोतीलाल नेहरू के समाप्तित्व में सर्वदलीय अधिवेशन हुआ । इस समिति द्वारा प्रचारित प्रतिवेदन ( रिपोर्ट ) को नेहरू प्रतिवेदन कहते हैं । इसके द्वारा भारत के लिये अतिरिक्त उपनिवेश-पद की माँग की गई तथा निश्चित रथान ( सीट ) के साथ संयुक्त निवाचन का समर्थन किया गया । कांग्रेस के वर्षपंथियों ने जो पूर्ण स्वाधीनता के समर्थक थे नेहरू-प्रतिवेदन का साथ नहीं दिया ।

केन्द्रीय उत्तरदायित्व के प्रदन पर साइमन-आयोग प्रतिवेदन भारतीय राजनीतिज्ञों को सनुष्ट करने में असफल रहा, पर नेहरू प्रतिवेदन ने भी भारतीय

मुसलमानों, भारतीय राज्यों तथा योरोपियन पूंजीवर्तियों के हृदय में शंका थौर विरोध को जन्म दिया।

## १६२८ की कांग्रेस की मांग तथा ३१ अक्टूबर १६२९ की अविन-घोषणा

कलकत्ता कांग्रेस-अधिवेशन ( १६२८ ) में महात्मा गांधी के आश्वासन पर, कि यदि १६२९ ई० तक भारत को उपनिवेश-पद ( डोमिनियन स्टेट्स ) न दिया गया तो मैं इय स्वाधीनता संप्राप्त करूँगा, विश्ववादी शान्त रहे।

साइमन-आयोग ( साइमन फर्मीशन ) द्वारा किये गये अपमान की भावना को हटाने के लिये सार्व अविनन्दे साइमन आयोग-प्रतिवेदन के प्रकाशन के पूर्व ही एक प्रसिद्ध सरकारी घोषणा ( ३१ अक्टूबर १६२९ ) की। उन्होंने घोषित किया कि ब्रिटिश-शासन भारतके लिये उपनिवेश-पद का लक्ष्य स्वीकार करता है। इसके साथ ही सार्व अविन ने भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विचार के निर्माण में भाग लेने के लिये उन्नदन में आयोजित गोलमेज परिषद् के लिये आमंत्रित किया।

इस समय तक कांग्रेस अधिक विश्ववादी हो गई थी। नरम दलवाले भी क्षुम्भ हो टैटे थे। अविन के लक्ष्य-स्वीकृति की घोषणा किसी को सन्तुष्ट न कर सकी। शर्नः शर्नः निलगेवाली तरकी के लिये हटाने को कोई प्रस्तुत नहीं था। युभी अविलंब उपनिवेश-पद की प्राप्ति के लिये तुले हुए थे।

## उपनिवेश-पद या अधिराज्य-पद ( डोमिनियन स्टेट्स )

उपनिवेश-पद या अधिराज्य पद उस स्थिति को कहते हैं जिसमें ब्रिटिश राजपत्र के अन्दर रहते हुए भी कनाडा, आस्ट्रेलिया, दक्षिण-अफ्रीका, न्यूजीलैंड तथा आयरलैंड स्व-शासन का पूर्ण उपयोग करते हैं।

साम्राज्य के साथ उनका सम्बन्ध—‘वे ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत होनेपर भी पद की दृष्टि से युभान तथा स्वायत्तशासी-समुदाय हैं। वे अपने

आन्तरिक तथा वैदेशिक कायी में किसी प्रकार विटिश-शासन के अधीन नहीं हैं। सम्राट् के छत्र की छाया में ये सब देश समान हैं तथा इनमें से प्रत्येक विटिश राज्य संघ के स्वेच्छा-सदस्य हैं।”

इस प्रकार वे इंगलैण्ड के समान हैं, किसी अंश में उसके अधीन नहीं हैं। ब्रिटेन के साथ उनका सध स्वेच्छा-प्रेरित है। सन् १९४९ ई० में भारत भी विटिश-राज्यसंघ में शानिल हुआ है, लेकिन भारत गणतंत्र या सापारणतंत्र हो जायगा।

अधिराज्यों को अपने प्रशासन-कार्य, विधान मंडल, न्याय-विभाग, स्थल, गगन और नौ-सेना-सचालन आदि कायी को पूरी स्वतंत्रता प्राप्त होती है। अधिराज्य सबन्धी व्यापारिक प्रश्नों का समाधान विटिश राज्य संघ का एक अधिराज्य राजिवालय के मतानुसार होता है इनमें विटिश मंत्रि-परिषद् के परामर्श को प्रधानता नहीं दी जाती।

**विधि-अवज्ञा आन्दोलन १९३०** — विटिश राजनीतिज्ञों की प्रतिक्रिया-गामी नीति भारतीय जनता की आकांक्षाओं का दमन नहीं कर सकी। १९२९ के लाहौर कांग्रेस में पुनः भारतीय लक्ष्य “पूर्ण-स्वाधीनता” की घोषणा की गई। लक्ष्य की उपलब्धि के लिये महात्मा गांधी ने १९३० ई० में विधि-अवज्ञा-आन्दोलन शुरू किया।

१२ मार्च सन् १९२० को ‘बापू’ ने अहमदाबाद से अपनी इतिहास प्रतिष्ठा दण्डी-यात्रा नमक-कानून (विधि) भंग करने के लिये की। देश के एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त तक आन्दोलन की फिलोर फैल गई। इस आन्दोलन में भाग लेनेवाले प्रायः ५० हजार व्यक्ति बन्दीगृह में भेजे गये। परन्तु आन्दोलन में भाग लेनेवालों की वास्तविक संख्या इससे बहुत अधिक थी। स्थिति की गंभीरता को देखकर विटिश-शासन ने भारतीय समस्या के समाधान के लिये गोदमेड परिषद् (राडन्ड टेलुल कान्फ्रैंस) का निष्कल प्रयत्न किया। सन् १९३१ ई० में गांधी-अविन समझौता होने के बाद महात्मा गांधी आन्दोलन स्थगित

कर द्वितीय गोलमेज परिपद में भाग लेने के लिये लंबन गये। किन्तु वहाँ स्वाधीनता की माँग पूरी न होने पर स्वदेश लौट आये और पुनः विविन्दवज्ञा आन्दोलन का नेतृत्व करने लगे। इसके उत्तर में सरकार ने सभी नेताओं को काराबद्द कर दिया।

इसी समय विटिश प्रधान-सचिव बेक्स्टोन-ड ने हिन्दू-मुस्लिम समस्या का समाधान करने के लिये साम्प्रदायिक-परिनियन ( कम्यूनिल एवार्ड ) की घोषणा की। इसमें अनुमति-जातियों के लिये जो व्यवस्था दी गई थी उसके विरोध में महादम। गांधी ने आमरण अनशन आरंभ कर दिया। पूरा-समझौता के आधार पर अनशन भाग हुआ जिससे परिनियन में कुछ परिवर्तन हुआ। सन् १९३२ ई० में द्वितीय गोलमेज परिपद का अयोजन हुआ, इसमें कांप्रेस को आमंत्रित नहीं किया गया। परिपद के बाद भारतीय शासन संबन्धों एक इंवेट-पत्र ( हाइट पेपर ) प्रकाशित हुआ। संसद ( पालियामेंट ) के दोनों परिषदों के कुछ सदस्यों द्वारा एक समिति गठित हुई, जिसने इंवेट-पत्र में उल्लिखित विषयों पर विचार कर एक प्रतिवेदन ( रिपोर्ट , रूपस्थित दिया। प्रतिवेदन के आधार पर विटिश पालियामेंट ( संसद ) ने भारत-शासन अधिनियम १९३५ ई० पारित ( पास ) किया।

अधिनियम के संघानीय योजना ( युक्त-राष्ट्रीय योजना ) विमान का भारतीय नेताओं ने वहाँ विरोध किया, किन्तु उक्त अधिनियम के अनुसार भारतीय ग्रान्टों का शासन १९३७ से ४५ ई० तक चलता रहा। केन्द्र में संघ गठन और ग्रान्टोंमें उत्तराहायी शासन को व्यवस्था रहते हुए भी, इस अधिनियम में स्वैच्छाचारी देशी राजाओं के विशेषाधिकार और उनकी स्वाधीन-सत्ता, गवर्नर और गवर्नर जनरल की निर्वाचित विधान-मण्डल तथा मंत्री मण्डल को भाग कर शासन अपने हाथ में ले लेने का विशेषाधिकार तथा विटिश स्वार्थ की रक्षा के लिये सुरक्षित विषयों को व्यवस्था के द्वारा वह अधिनियम देश के राजनीतिज्ञों को सन्तुष्ट करने में असफल रहा।

१९३५ से १९४२—भारत शासन अधिनियम १९३५ के अनुसार १९३७ ई० के निर्वाचन के कलस्वरूप कांग्रेस ने सात प्रान्तों में कहुमत प्राप्त किया। इन प्रान्तों में तथा इछ दिन बाद एक और प्रान्त में कांग्रेस मंत्रिमंडल की स्थापना हुई।

१९३९ ई० में द्वितीय महायुद्ध के फूट १३ने पर ब्रिटेन युद्ध-लिप्त हो गया और तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड लिनलिंग्हो ने सभाट-शासन के पश्च में भारत को युद्ध-लिप्त राष्ट्र घोषित कर दिया। इस निर्णय में उन्होंने प्रान्तीय मन्त्रि-मंडलों एवं भारतीय नेताओं से परामर्श भी नहीं किया। ब्रिटिश अधिकारियों ने इस युद्ध को विश्व में गणतंत्र तथा स्वाधीनता की रक्षा और स्थापना का युद्ध घोषित किया, परन्तु भारतीय स्वाधीनता के प्रश्न पर उनकी नीति पूर्ववत् रही। उनके गणतंत्र विरोधी आचरण पर सारा भारत झुब्ब द्वारा ठाठा। आठ प्रान्तों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया।

तत्कालीन भारत-सचिव लार्ड जेटलैंड और उसके बाद मिस्टर एमरी ने घोषणाएँ की। उसमें भारतीय स्वाधीनता की कोई बात नहीं थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इन घोषणाओं का विरोध किया। तब ब्रिटिश शासन ने दमन नीति का आश्रय लिया। युद्ध विरोधी सल्याम्रह के कारण हजारों कांग्रेस-इमरी जेलों में बाल दिये गये। तथा मजदूर नेताओं, सोसलिस्टों और फारवर्ड ब्लाक बालों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया गया। प्रान्तों के छः प्रधान मन्त्री और कितने ही अन्य मंत्री भी कारबद्ध हुए।

गवर्नर-जनरल की परिषद् में सरकार-परस्त सदस्यों की यृद्धि से कोई सामना नहीं हुआ।

क्रिस-प्रस्थापना ( क्रिस-प्रपोजल )—१९४२ ई० में ब्रिटिश-संसद् ( पालियामेंट ) से निर्णय का पूर्ण अधिकार प्राप्त कर सर ईफोर्ड क्रिस भारत की राजनीतिक शुल्यी मुलमाने आये। उनकी प्रस्थापना ( प्रपोजल ) में देश के रक्षा-

विमाप ( सेना-विभाग ) में भारतीयों को कुछ भी अधिकार नहीं था । अतएव कांग्रेस ने इसे अस्तोकार किया । विचार के सिलसिले के बीच ही में विटिश सरकार ने किस प्रश्नापना का खंडन किया । मारतीय नेताओं से चलने वाला विचार विनिमय बन्द हो गया ।

### कांग्रेस का 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव

९ अगस्त ईन् १९४२ ई० के बम्बई के अखिल-भारतीय कांग्रेस समिति के अधिकारी बैठक में 'भारत छोड़ो' ( अंग्रेज भारत छोड़ दें ) का प्रस्ताव पास हुआ, समिति की बैठक के अन्य आर्य अभी समाप्त भी नहीं हो पाये थे कि ९ अगस्त की रात में गांधीजी एवं कांग्रेस कार्य-मिति के सब सदस्य गिरफ्तार कर लिये गये । देश में कांग्रेस की सभी शाखाओं को अवैध घोषित कर दिया गया । परिणम स्वरूप यारे भारत में कान्ति की लहरें फैल गईं । सिपाही-विद्रोह के बाद भारत में इतना बहा विद्रोह कभी नहीं हुआ था । भारतवर्ष के सभी भागों में जनता ने पुलिस और सेना के विश्वद युद्ध ठान दिया । बलिया, सतारा, मेदनीपुर, बाका ( जिला भागलपुर ) आदि किन्तने ही स्थानों में जनता ने विटिश-शासन को उखाह फैका । धफीदी और गोरे सैनिकों के अवर्णनीय अस्याचारों के होते हुए भी जनता कई महीनों तक संग्राम चलाती रही । परन्तु नेताओं के अभाव में धोरे-धोरे आनंदो-लन शान्त हो गया ।

१९४३ ई० के अगस्तके पहले तक कुल १३७०७ व्यक्ति बन्दी बनाये गये थे । १९४३ ई० के अन्तमें महात्मा गांधी के छूटने पर राजनीतिक समस्या के समाधान का क्षीण आलोक आभासित हुआ, किन्तु विटिश-शासन की बेहत्ती के कारण कुछ नहीं हो सका ।

नेताजी सुभाष और आजाद हिन्दू फौज—महायुद्ध की समाप्ति पर भारतवासियों को नेताजी के नेतृत्व में गठित आजाद हिन्दू फौज की बात ज्ञात हुई ।

दुद में विद्रोही की विजय होने पर भी सारे देश ने नेताजी और आजाद हिन्द फौज का स्वाधीनता-पुजारी के रूप में सम्मान किया।

आजाद हिन्द फौज के बन्दियों की सुकृति के लिये देश-व्यापी आन्दोलन हुआ। सरकार सभी बन्दियों को छोड़ने के लिये विवश की गई।

इसी समय प्रान्तीय विधान मंडलों का निर्वाचन हुआ जिसमें सारे देश में (बंगाल और सिख को छोड़कर) कांग्रेस को आवश्यकताधिक अहमत मिला।

द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति पर पूर्वी एशिया के देशों में साम्राज्यवाद की शक्ति क्षीण हो गई और सर्वेत्र गणतंत्री शक्तियों का अभियान प्रखर हो गया।

मुसलिम लीगने पाकिस्तान के दावे को अधिक ओरदार स्वरमें ऊपर उठाया।

प्रिटेन का निर्वाचन तथा अमिक-पक्षको विजय—प्रिटिश संसद (पालियामेंट) के निर्वाचनमें अमिक-पक्षकी विजय हुई। नवनिर्वाचित पक्षने भारतमें अपना एक प्रतिनिधि मंडल भेजा।

भारत के सामान्य-निर्वाचन के फल से कांग्रेस की सर्वश्रेष्ठता सिद्ध होगई थी।

केन्द्रीय विधान मंडलमें देशी-नाज्यके ९३ आसन सुरक्षित होते हुए भी समस्त ३८९ आसनोंमें कांग्रेसने २०७ आसन प्राप्त किये। केन्द्रमें विभिन्न पक्षोंकी पक्ष-शक्ति इस प्रकार थी—

कांग्रेस—२०७

स्वतंत्र मुसलमान—३

मुसलिम लीग—७३

सिख—४

स्वतंत्र—९

समस्त २१५ साधारण आसनोंमें २०७ आसन कांग्रेसने प्राप्त किये तथा ७८ मुसलमान आसनोंमें मुसलिम लीगने ५ लोटे।

मिशनों की सीधे पूरी न होने के कारण उन्होंने विधान मण्डलमें वोगदान नहीं किया। ‘यह विधान मण्डल सार्वभौमी नहीं है तथा इसके द्वारा सत्ता द्वासान्तरणकी

संभावना नहीं हैं मान कर सोसलिस्ट और दसरे चाम्पिंघी पक्षों ने इसमें योगदान नहीं किया।

**अन्तर्वर्ती (इन्टेरीम) राष्ट्रीय-शासन**—लार्ड-वेवेल के नेतृत्वमें गठित अन्तर्वर्ती शासन, वांप्रेस और लीग के बीमास्ट के कारण व्यर्थ सिद्ध हुआ। वह राष्ट्रीय-शासन को मर्यादाका दावा नहीं कर सका।

इन्हीं दिनों लार्ड पैथिक लारेस के नेतृत्वमें मंत्रिदल (कैबिनेट मिशन) भारत आया। उनको समस्या-समाधानकी सारी चेष्टायें निष्कल रहीं। इस समय देशकी राजनीतिक अवस्था आतंकपूर्ण थी। स्थान-स्थान पर मज़दूरोंकी हड्डताल कामीर, हैदराबाद, त्रिवालुर आदि राज्योंमें प्रजा-आन्दोलन, भारतीय नौ-सैनिकोंका विद्रोह तथा इनके समर्थनमें विभिन्न स्थानोंमें छात्र और श्रमिक अन्दोलन तथा हाक और तार विभाग की देश व्यापी हड्डताल से यह सिद्ध हो गया कि दमन के बलपर भारत में विटिश-साम्राज्य की रक्षा अमंभव है।

२० फरवरी १९४७ई० में विटिश-शासनने घोषणा की कि “विटिश-शासनने १९४८ई० के जून तक भारत त्यागका निश्चय कर लिया है।” इसके बाद लार्ड वेवेल की जगह लार्ड माउण्ट वेटन भारतके मर्वरेज जनरल बनकर भारत आये।

### माउण्ट वेटन-उपक्रमा—भारत-विभाजन

माउण्ट वेटन-उपक्रमा (शान) ३ जून सन् १९४७ई० को माउण्ट वेटन-उपक्रमा प्रकाशित हुई। जिसकी मुख्य बातें नीचे दी जाती हैं:-

(१) भारत को भारतीय-संघ (भारतीय युक्त राष्ट्र) और पाकिस्तान इन दो भागों में विभाजित किया जायगा। पिंध, पथिमो पंजाब, पूर्वी बंगाल, आसाम का सिलहट ज़िला, पथिमोत्तर-सीमान्त प्रदेश और वेन्चुचित्तान पाकिस्तान के अन्तर्गत होंगे तथा भारत के अद्यार्थ भाग को लेकर भारतीय संघ का संघठन किया जायगा।

इस उपक्रमा से मंत्री-दल द्वारा प्रस्तावित समस्त भारत के एक संघ का विचार

परिवर्तित हो गया। भारत की अखण्डता तथा एक राष्ट्रीयता में विद्वास रखने वाले महात्मा गांधी और दूसरे लोगों की इच्छा के विरुद्ध भारत का अभौगोलिक एवं अवैज्ञानिक सम्प्रदायिक-विभाजन किया गया।

भारण्ट बेटन उपक्रमा (प्लान) घोषणा के बाद हमारे देश के सदस्यों व्यक्ति विनृ-पितामहों की पूज्य पैतृक-भूमि से उत्तराधि गये तथा सदस्यों शिवर्यों के नारीत्व का ध्यानमान हुआ है। आज कितने ही लोगों का मत है कि इस दुःसह अपमान और लौछना की अपेक्षा युद्ध में आत्म त्याग और आत्माहुति द्वारा अंजित स्वतंत्रता अधिक प्रिय एवं श्रेयकर होती।

( २ ) पाकिस्तान में सम्मिलित होने या न होने की इच्छा का निश्चय करने के लिये पश्चिमोत्तर सीमांत्रित तथा ऐलहट में जनमत-गणना की व्यवस्था की गई।

( ३ ) बंगाल और पंजाब में जनमत-गणना की व्यवस्था नहीं की गई। बरत इन दोनों प्रदेशों की व्यवस्थापिका सभाओं के सदस्यों से अपने प्रान्त के भविष्य सम्बन्धी प्रस्ताव पर मतदान करने को कहा गया।

यदि पश्चिमोत्तर सीमान्त्र प्रदेश में उपरोक्त पद्धति ( जनमत गणना ) की व्यवस्था होती तो वहाँ पाकिस्तान के विराज में मत शक्ति हो सकती थी, परन्तु कौप्रेस ने जन-घंणपर्य के भय से मतगणना के प्रक्रम से हाथ खोने लिया। और सीमान्त प्रदेश पाकिस्तान में सम्मिलित कर दिया गया। बंगाल और पंजाब में अंग्रेज न्यायाधीश रेफलीक की मध्यस्थता में गठित सीमा-आयोग ( बाउद्डरी कमीशन ) ने बंगाल और पंजाब का जैसा विभाजन किया है, यदि इन प्रान्तों में भी सीमान्त प्रदेश की तरह मत गणना होती तो उसका परिणाम सम्भवतः दूसरा ही होता।

### भारत स्वाधीनता अधिनियम, १९४७

भारत विभाजन उपक्रमा को सफल करने के उद्देश्य से विद्वास-समूद्र ( वालिया-मेट ) में ४ जुलाई १९४७ ई० में एक भारत स्वाधीनता अधिनियम नामक विधेयक

रखा गया। अधिनियम का समस्त अंदर अल्पन्त शोधता से पाल (पास) किया गया।

इस अधिनियम (एफट) के द्वारा भारतीय संघ और पाकिस्तान नामक दो अधिराज्यों (डोमिनियन) की सुष्टि हुई। १५ अगस्त १९४७ ई० को दोनों अधिराज्यों को स्वशासन-अधिकार मिला तथा इन पर से विद्युत्यासन और संसद् का आधिकार सदा के लिये समाप्त हो गया।

इन दोनों अधिराज्यों की सेंक सभा को विधान-सभा वा पद मिला तथा निश्चित हुआ कि नवीन विधान के निर्माण तक सप्राट् भारतीय मंत्री के परामर्श से गवर्नर जनरल और ग्रान्ट-शासक (गवर्नर) नियुक्त करेंगे।

लाई माउण्ट वेटन और स्व० जिन्ना क्रमशः भारत और पाकिस्तान के गवर्नर जनरल नियुक्त हुए। लाई माउण्ट वेटन के बाद चक्रवर्ती श्री राजगोपलाचारी भारत के और श्री जिन्ना की मृत्यु के पश्चात् श्री नजीमुद्दीन पाकिस्तान के गवर्नर जनरल नियुक्त हुए।

इसके पश्चात् तेजी के साथ पटित घटनाओं से ज्ञात होता है कि भारत जिस स्वाधीनता की कामना करता था वह अमीरी हमारे मत्रिमंडल के पहुँच के बाहर है। अमीरी हमारा लक्ष्य अपूर्ण है।

### स्वाधीन समस्त-सत्ताधारी भारत-गणराज्य

भारतीय विधान-सभा ने नवीन विधान अंगीकार कर भारत को स्वाधीन, समस्त सत्ताधारी गणराज्य घोषित किया है।

विधान-सभा ने घोषित किया है कि एक स्वाधीन, समस्त खत्ताधारी गणराज्य को स्थापना उनका लक्ष्य है। तथा बालिग (ब्रौड) मताधिकार के आधार पर उभी प्रश्नव्यक्त जगत्पक्ष (लार्गिंग) के महान् द्वारा निर्वाचित किया जायगा।

देश की समस्यायें और हमारा भविष्य—रवीन्द्रनाथ ने एक बार कहा

या कि भारत-वक्र के परिवर्तन से अंगेजों को एक दिन भारत छोड़कर जाना ही होगा इन्हुंने यह जिस भारत को छोड़ जायगा वह लक्ष्मीदीन दीनता की मूर्ति होगी।

अंग्रेज भारत छोड़कर चले गये। अपना राष्ट्रीय शासन भी स्थापित हुआ किन्तु आज देश की जनता का अभाव, उनकी दरिद्रता और दीनता की व्यथा तो मूर्त हो रही है।

इस शोचनीय दारिद्र्य-प्रस्त देश में समाजवादी आन्दोलन की टक्कट सम्भावना हो रही है।

भारत-शासन को शीघ्र ही जनता के जीवन-मृत्यु की उन्नति का समर्थन हो रही है।

सभी पक्षों ( पार्टीज ) तथा यतावलम्बियों की समिलित चेष्टा के द्वारा इस महादेश का पुनर्निर्माण असंभव है।



## अध्याय ३

### भारतीय संघ और उसका शासन-विभाग

अब हम भारत की नवीन शासन-पद्धति पर विचार करेंगे।

प्रान्त-शासक (गवर्नर) शासित प्रान्तों, मुख्यायुक्त (चौफ कमिश्नर) शासित प्रान्तों, देशी राज्यों तथा राज्यसंघों को मिलाकर भारतीय संघ (युक्तराष्ट्र) संघटित हुआ है।

“भारतीय संघ (युक्तराष्ट्र) स्वाधीन समस्त सत्ताओं राण-राज्य होगा।” बहुत क्षणोंके बाद भारत स्वाधीन राष्ट्रके पद को प्राप्त करेगा। अधिराज्य-शासन-पद्धति का अन्त होगा। भारतीयोंका आसुपत्थ भारतीय राष्ट्रके प्रति होगा; विटिश शासन के प्रति नहीं।

संघगत प्रत्येक प्रान्त, राज्य वा राज्यसंघ, संघका सदस्य होगा।

### राष्ट्रपति वा प्रधान (प्रेसीडेंट)

“संघको अधिशासी-शक्ति (एमीक्यूटिव पवर) राष्ट्रपति वा प्रधानमें निहित होगी, वह इसका प्रयोग विधान तथा विधिके अनुकार करेगा।”

“भारत-शासनकी समस्त अधिशासी कार्यवाही राष्ट्रपति वा प्रधानके नामसे की गई कही जायगी।”

राष्ट्रपति वा प्रधान, देश को रक्षा के लिये भारतीय सैन्यके सभी अंगोंका सर्वोच्च अधिकारी होगा।

राष्ट्रपति वा प्रधानका निर्वाचन—राष्ट्रपति वा प्रधानका निर्वाचन संघद्वे दोनों आगरोंके सदस्यों, प्रान्तों के निर्वाचित सदस्यों, राज्योंके निर्वाचित

सदस्यों तथा राज्यसंघों के निर्वाचित सदस्योंके एकल सकाम्य मत ( सिंगल ट्रॉयफर-ब्ल बोट ) द्वारा, अनुपाती प्रतिनिधान रीति से, होगा। मतदान गुपशलाला ( चैलेट् ) द्वारा होगा।

**कायंकाल** — राष्ट्रपति वा प्रधान अपने पद-प्रवैश-तिथि से पांच वर्द्धी अवधि तक पद धारण करेगा।

**राष्ट्रपति वा प्रधान निर्वाचनकी योग्यतायें**—राष्ट्रपति वा प्रधान-पदार निर्वाचित होने के लिये निम्नलिखित योग्यताएँ आवश्यक हैं—( १ ) भारतीय नागरिक ( जानपद ) होना, ( २ ) ३५ वर्ष की आयुका होना ( ३ ) सोक सभाके लिये सक्षम्य निर्वाचित होने के योग्य होना।

संघ अधिवा राज्योंके मध्यी के अधिकारिक कोई व्यक्ति, जो भारत-शासन ( इण्डिया-गवर्नेंट ) के, अधिवा किसी राज्यके अधीन किसी परिसामके पदपर ( सर्वैतनिह पदपर ) आस्त है, राष्ट्र का राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो सकेगा।

**राष्ट्रपति वा प्रधान पद के लिये प्रतिपत्त्य**—राष्ट्रपति न तो संसद् का, न किसी राज्य की व्यवस्थापिका का सदस्य होगा। वह किसी परिसाम के पद पर नहीं रह सकेगा। राष्ट्रपति के बेतन और अधिदेय ( एलाडंस ) उसकी पदावधि में पटाये नहीं जाएंगे।

**राष्ट्रपति प्रदान**—पद प्रदानके पूर्व, राष्ट्रपतिको भारतके प्रधान न्यायाधीशके समझ भारत के विधान और विधिके राज्य, प्रतिरक्षण और परिरक्षणका तथा देशकी रक्षा की दायर लेनी होगी।

### पदत्याग, निष्काशन और दोषारोपण

राज्य-परिषद् के समाविति और सोइ-सभाके अध्यक्ष को राष्ट्रत लिखित त्याग-पत्र देकर, राष्ट्रपति पदत्याग कर सकता है।

**निष्काशन**—विधान अतिक्रमण का अभियोग प्रमाणित होने पर, राष्ट्रपति परित सक्त्य ( रिजोल्यूशन ) द्वारा, राष्ट्रपति का निष्काशन हो सकता है।

**दोपारोपण**—भारतीय संसद्का कोई भी आगार ( हाट्स ) दोपारोपण कर सकेगा। दूसरा आगार अमियोग के सम्बन्धमें अनुसंधान करेगा। राष्ट्रपति वा प्रधान को अनुसंधानमें उपस्थित होने और प्रतिनिधान ( रिप्रेजनेटेशन ) करने का अधिकार होगा। अमियोग प्रमाणित होने पर अनुसंधान करनेवाले आगार के दो निहाई से अन्यून मत द्वारा पारित संझट्य ( इजोल्यूशन ) से प्रधान का निष्काशन होगा।

**राष्ट्रपति का पदरिक्ति-पूरण**—राष्ट्रपति की पदावधि अवसानके पूर्व ही रिक्ति-पूर्तिके लिये निर्वाचन हो जायगा।

मृत्यु, पद त्याग अथवा निष्काशन द्वारा हुई रिक्ति की पूर्ति के लिये, अधिक से अधिक छः मास के भीतर निर्वाचन हो जाना आवश्यक होगा। नव-निर्वाचित व्यक्ति पांच वर्ष तक अपने पदपर रहने का अधिकारी होगा।

### उपराष्ट्रपति

कोई व्यक्ति (१) जिसकी आयु ३५ से कम हो, (२) जो भारत-रांघका नामरिक ( जानपद ) न हो और (३) जिसे भारतीय राजपंथ का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता न हो, उपराष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो सकेगा।

शासनके किसी विभागमें वेतन वा अधिदेय ( अलाइंस ) के पदपर नियुक्त व्यक्ति उपराष्ट्रपति ( उपप्रधान ) निर्वाचित नहीं हो सकेगा।

**कार्यावलि**—उपराष्ट्रपति वा उपप्रधान अपने पद कारणात् राज्य सभा का समाप्ति होगा।

अवकाश, मृत्यु, पदत्याग वा निष्काशन के कारण हुई राष्ट्रपति वा प्रधान-पद की रिक्ति के समय उपराष्ट्रपति वा उपप्रधान अस्थायी रूप से राष्ट्रपति वा प्रधान के कर्तव्यों को करेगा। उस समय वह राज-सभा का समाप्ति नहीं रहेगा। उप-प्रूराष्ट्रपति वा उपप्रधान की पदावधि दांच वर्षों की होगी।

चपराष्ट्रपति वा उपप्रधान का पद त्याग—उपराष्ट्रपति वा उपप्रधान स्वदस्त लिखित त्याम्-पत्र राष्ट्रपति वा प्रधान को देकर पद-त्याग कर सकेगा।

अयोग्यता के कारण अथवा राज-सभा के विश्वास खोने पर उपराष्ट्रपति वा उपप्रधान, राज-सभा के बहुमत पारित संकल्प ( रिजोल्यूशन ) द्वारा, जिसे लोक सभा को स्वीकृत भी प्राप्त हो, निर्णायित हो सकेगा।

### संघ के राष्ट्रपति वा प्रधान की शक्ति

( १ ) न्यायालय द्वारा किसी अपराध के दण्डित व्यक्ति के दंड-क्षमता, प्रविलंबन ( रेसीव ), प्रास्थगन ( रेस्टिट ) या परिहरण ( रेमिशन ) करने की शक्ति राष्ट्रपति वा प्रधान को होगी।

( २ ) राष्ट्रपति स्थल, विमान और नीं सेता का सर्वोच्च अधिकारी होगा।

( ३ ) भारत-शासन की समस्त अधिकारी कार्यवाही राष्ट्रपति वा प्रधान के नाम से को गई कही जायगी।

( ४ ) संघ के प्रधान मंत्री का कार्य होगा :—

( क ) संघ-कार्यों के शासन सम्बन्धी मंत्रि-मंडल के समस्त निर्णय तथा विधानार्थ प्रस्थापनाये राष्ट्रपति वा प्रधान को पहुँचाना।

( स ) रांप छायों वी शाखन संबंधी तथा विधानार्थ प्रस्थापनाओं ( प्रोटोजल्य ) सम्बन्धी ऐसी जानकारी जो राष्ट्रपति वा प्रधान मंगावे, प्रस्तुत करना।

( ग ) कोई विषय जिस पर मंत्री ने निर्णय दिया हो पर मंत्रि-मंडल ने नहीं दिया हो, राष्ट्रपति वा प्रधान की अपेक्षा करने पर मंत्रि मंडल के सम्मुख रहना।

( ५ ) सोह सभा में बिग पश ( दल ) का बहुमत होना राष्ट्रपति वा प्रधान उप पश के नेता की नियुक्ति प्रधान मंत्री के पद पर करेगा तथा प्रधान-मंत्री की भंगपा से अन्य मंत्रियों को नियुक्त करेगा।

( ६ ) राष्ट्रपति वा प्रधान श्रतों के प्रतिशायक ( गवर्नर ) को नियुक्त करेगा।

वह राज्य संघ के राज प्रमुख के निर्वाचन की स्वीकृति देगा। जहाँ राजा स्वतन्त्र भाव से संघ का सदस्य होगा वहाँ के राजा का अभियेक राष्ट्रपति वा प्रधान की स्वीकृति के बिना नहीं होगा।

( ७ ) राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय ( मुखीम कोटे ) के प्रधान न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के ( हाईकोर्ट ) मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा।

( ८ ) राष्ट्रपति वा प्रधान भारत-संघ के राजदूत, महाअंकेशक ( आडिटर जनरल ) महाप्रभिकर्ता ( अटनी जनरल ), मुख्य निर्वाचनाधिक ( चीफ एलेक्शन कमिशनर ), आदि सभी उत्तरदायित्व के पदों के अधिकारियों को नियुक्त करेगा।

**आपत्कालीन घोषणा और शक्ति ( प्रोक्लैमेशन, इमर्जेंसी पावर्स )**

( ९ ) वाह्य आक्रमण, अथवा उसकी संभावना या गुरुतर आन्तरिक अद्वान्ति की अवस्था या उसकी संभावना की स्थिति में राष्ट्रपति वा प्रधान को सदाहरणस्थिति की घोषणा द्वारा राष्ट्र की समस्त शक्ति अपने हाथ में ले लेने का अधिकार होगा।

सदाहरणस्थिति की समाप्ति पर राष्ट्रपति वा प्रधान घोषणा द्वारा अपने तथा-प्राप्त शक्ति को त्याग देगा।

आपत्कालोनरिधनि का घोषणा-पत्र संसद् के दोनों आयारों में प्रस्थापित करता होगा तथा दो मास की अवधि के पश्चात् यह घोषणा स्वतः समाप्त हो जायेगी। किन्तु संसद् संकल्प द्वारा इसकी अवधि में ६ मास की वृद्धि कर सकेगी। तथा पुनः ६ मास की वृद्धि कर सकेगी। इस प्रकार संसद् २ वर्षे तक सदाहरणस्थिति को कायम रख सकती है, अधिक नहीं।

आपत्कालीन अवस्था में राष्ट्रपति नागरिकों के मूल अधिकार की प्रतिष्ठा के लिंग न्यायालय में दर्पण्यत होनेका अधिकार स्थगित कर सकता है।

आपत्कालीन अवस्था में राष्ट्रपति केन्द्र और प्रान्तों के शासन की आधिक अवस्था में परिवर्तन कर सकेगा। किन्तु उपरोक्त विषय का अध्यादेश संसद् के आयारों के समझ दास्तिल छिया जायगा।

## राष्ट्रपति वा प्रधान और संसद् ( पार्लियामेंट )

( १ ) राष्ट्रपति वा प्रधान वर्ष में कम से कम दो बार संसद् के दोनों आगारों को अलग-अलग या एकम अधिवेशन के लिये बुलायेगा तथा उनके सब ( सेसन ) की अन्तिम बैठक तथा आगारी सब की पहली बैठक की तिथि नियुक्त करेगा जिनका अन्तर छः मास से अधिक नहीं होगा ।

( २ ) राष्ट्रपति वा प्रधान संसद् के आगारों अथवा इसी आगार को इच्छानुबूल रथान और समय पर अधिवेशन के लिये बुला सकेगा । वह संसद् का सत्रावसान ( प्रोरोग ) कर सकेगा तथा लोक सभा का विलयन ( डिसोल्यूशन ) भी कर सकेगा ।

( ३ ) राष्ट्रपति प्रत्येक सब के प्रारम्भ में संसद् के आगारों को सम्बोधन ( एड्रेस ) करेगा तथा अधिवेशन बुलाने का कारण संसद् की घटनायेगा ।

( ४ ) राष्ट्रपति वा प्रधान संसद् की बैठक, अथवा आगारों को पृथक बैठकों को, जब चाहे सम्बोधन कर सकेगा ।

( ५ ) राष्ट्रपति वा प्रधान संसद् के दोनों या दोनोंसे किसी आगार में, किसी विधेयक ( वित ) विधेयक अथवा अन्य विधेयक उन्देश ( मैरेज ) में सकेगा ।

( ६ ) अनुमति— राष्ट्रपति वा प्रधान की अनुमति के बिना कोई भी विधेयक विधि ( लाव ) नहीं बन सकेगा ।

पर राष्ट्रपति, अनुमति के लिये अपने समझ उत्थापित विधेयक को अधिक से अधिक छः सप्ताह में, यदि वह विधेयक अर्थ संबन्धी न हो, संदेश के साथ आगारों को, विधेयक पर या उसके किसी उल्लिखित प्रबन्धान पर पुनर्विचार के लिये सौटा सकेगा । इस प्रकार पुनर्विचारित विधेयक पर अनुमति प्रदान कर राष्ट्रपति विधि बनायेगा ।

( ७ ) संसद् के विधान्ति काल में अध्यादेश ( ऑफिनेस ) के प्रय-

तंत्र की राष्ट्रपति वा प्रधान की शक्ति—संसद् के दोनों भागों के सत्र-विधानित-काल में यदि राष्ट्रपति को निदेश हो जाय कि तुरन्त कार्यवाही करने के लिये उसे वाधित करनेवाली परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, तो वह तदनुदूल अध्यादेश प्रदर्शन कर सकेगा।

ऐसे अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा, जो प्रधान द्वारा स्वीकृत संसद् के अधिनियम (एकट) का होता है। किन्तु ऐसा प्रत्येक अध्यादेश—

( क ) संसद् के दोनों भागों के समझ रखा जाएगा, संसद् का पुनरधिकैशन होने के द्वारा सप्ताह के अवसान पर, अधवा, यदि उस कालावधि के अवसान से पूर्व अध्यादेश की प्रतिनिन्दा का संकल्प दोनों भागों में पारित हो जाता है; तो इनमें दूसरे के पारित होने पर चालू न रहेगा, और—

( ख ) राष्ट्रपति वा प्रधान द्वारा किसी समय वापस लिया जा सकेगा।  
( अध्यादेश का प्रदर्शन प्रधान मंत्रिमंडल की सहमति से करेगा। )

### आर्थिक विषयों में राष्ट्रपति वा प्रधान की शक्ति

( १ ) प्रत्येक आर्थिक-वर्ष के लिये संसद् के दोनों भागों के समझ राष्ट्रपति वा प्रधान, भारत-शासन का उस वर्ष के लिये अनुमानित (इस्टिमेटेड) आय-व्यय का दिसाव (बजट) रखवायेगा, जिसे “वार्षिक आयव्ययक” कहा जायेगा।

( २ ) राष्ट्ररति वा प्रधान के सिफारिश (अभिस्ताव) के बिना किसी भी अनुदान की (ग्रांट) मांग न की जायगी।

( ३ ) यदि किसी आर्थिक-वर्ष में भारत-भागमों (रेवेन्यू) से उस वर्ष के लिये प्राधिकृत व्यय से अधिक व्यय आवश्यक हो जाता है, तो प्रधान, उस व्यय की आवणित (इस्टिमेटेड) राशि को दिखानेवाला अनुसूक (साप्लिमेन्टरी) मांग भागों के समझ रखवायेगा।

( ४ ) जिस विषेयक के अधिनियम बनाये जाने और प्रदर्शन में लाये जाने

पर भारत के आगमों से व्यय करना पड़ेगा, वह विधेयक संसद् के किसी आगार में पारित न किया जायगा, जब तक इसके लिये प्रधान ने सिफारिश ( रिकोमेन्डेशन ) न किया हो ।

( ५ ) राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई आर्थिक विधेयक संसद् में नहीं रखा जायगा । जब कभी आर्थिक विधेयक राजसभा में रखा जायगा तो राज-सभा उसे १५ दिनों की अवधि में सिफारिश सहित लोक-सभा को वापस करेगी । आर्थिक विधेयकों पर राज-सभा में मत ( वोट ) नहीं लिया जायगा ।

### मंत्रि-मंडल ( काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स )

राष्ट्रपति को अपने प्रकारों को पालन करने में सहायता देने के लिये एक मंत्रि-मंडल होगा, जिसका प्रमुख प्रधार-मंत्री होगा । राष्ट्रपति के प्रसाद-काल तक प्रधान मंत्री अपने पद पर आसीन रहेगा, किन्तु व्यवहारतः लोक-सभा में अधिवास के पारित संकल्प पर मंत्रि-मंडल को पदत्याग करना पड़ेगा । मंत्रि-मंडल लोक-सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा ।

राष्ट्रपति वा प्रधार, लोक-सभा के सदस्यों को या किसी बाहरी व्यक्ति को, मंत्री नियुक्त कर सकेगा, किन्तु मंत्री नियुक्त बाहरी व्यक्ति यदि उँहसे भास के अन्दर छिपी आगार का सदस्य निर्वाचित नहीं होगा तो इसके पदबाट वह मंत्री नहीं रह सकेगा । प्रत्येक मंत्री, संसद् के किसी भी आगार में उपरित्थ हो सकेगा तथा आगार को सचिवालय कर सकेगा, किन्तु यदि वह उस आगार का सदस्य न हो तो मतदान का अधिकार उसे नहीं होगा ।

मंत्रियों का वेतन तथा अधिदेय संसद्, समय-समय पर विधि द्वारा निर्दित करेगी ।

### प्रधान मंत्री ( प्राइम मिनिस्टर, प्रिमियर )

राष्ट्रपति या प्रधार, लोक सभा के घुमत पश्च ( पाटी ) के नेता को प्रधान-मंत्री नियुक्त करेगा ।

राष्ट्रपति प्रधान-मंत्री की मंत्रणा पर दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करेगा । प्रधान मंत्री, मंत्रियों में कार्य विभाग का बंटवारा करेगा । अन्य मंत्रियों के साथ प्रधान मंत्री का व्यवहार प्रमुख उद्योगी के समान होगा ।

यद्यपि शासन सम्बन्धी सभी कार्यों में मंत्रि-मंडल लोक-सभा के प्रति समृद्धिक रूप से उत्तरदायी रहेगा, परन्तु राष्ट्रपति पदकारणात् शासन और विधि सम्बन्धी तथ्यों की सम्पूर्ण जानकारी के लिये मन्त्री से सारी बातें पूछ सकेगा । उसे विभिन्न विभागों की कार्यावलि का विवरण राष्ट्रपति वा प्रधान को देना होगा, नये उत्थापित विधेयकों की बात भी उसे प्रधान को अतानी पढ़ेगी । यदि कोई विभागीय मंत्री, इसी आवश्यक कार्य का गुरुतर उत्तरदायित्व, बैबल अपने छापर न लेना चाहे, तो वह मंत्रि-मंडल के परामर्श द्वारा उस कार्य का सम्पादन करेगा । प्रधान मंत्री का कार्य राष्ट्रपति को सब तरह से सहायता देना है । आपत्कालीन स्थिति के अनाव में राष्ट्रपति वा प्रधान की अपनी शक्ति कुछ नहीं है । वह अपने उत्तरदायित्व पर कुछ नहीं कर सकता । उसे अपने कर्तव्य का निश्चय मंत्रि-मंडल की मंत्रणा एवं विवेचना के आधार पर करना पड़ेगा । वह मंत्रि-मंडल के सिद्धान्त को मान कर चलेगा । किन्तु शासन-कार्य में दोष और श्रुतियाँ न आने देने के निमित्त वह पद कारणात् मंत्रियों को सम्मति, प्रोत्साहन और आवश्यकता पड़ने पर चेतावनी भी दे सकेगा ।

---

## अध्याय ४

### भारत-संघ-संसद् ( पार्लियामेंट )

भारत-संघ के लिये एक संसद् होगी, जो राष्ट्रपति वा प्रधान और दो आगारों की बनेगी; जिसके नाम क्लियः राज सभा और लोक सभा होंगे।

राज सभा—राज सभा के द्वो मौ प्रान्त सदस्य होंगे, जिनमें से (क) १२ सदस्य निन्न लिखित विद्यों के बिज्ञ अथवा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे।

१—साहित्य, कला, विज्ञान और शिक्षा।

२—कृषि, मरुस्य-शोलन एवं तत्संबद्ध विषय।

३—अभियंगणा ( इडिनियरी ) और वास्तु-शास्त्र।

४—लोक प्रशासन और सामाजिक सेवाएँ।

(ख) शेष ( २६०-१२ ) सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि होंगे। वे, जहाँ राज्य ( एंट ) के दो आगार हैं, वहाँ अवरागार ( लोभर हाउस ) के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित होंगे। जिस राज्य के विधान मंडल का एक ही आगार है, वहाँ उसी आगार के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होंगे। जिये राज्य के लिये विधान मंडल नहीं है, वहाँ के राज्य के सदस्य ऐसी रीति से निर्वाचित होंगे, जैसी कि संसद् विधि द्वारा विनिधान करेगी।

लोक-सभा—लोक-सभा की सदस्य-मंडला पांच सौ से अधिक नहीं होगी। प्रान्तों के ये प्रांदेशिक लोक-प्रतिनिधि, यतदाताओं द्वारा अध्यक्षित (प्रलाप) रीति में निर्वाचित होंगे।

उपरोक्त निर्वाचन के प्रयोजनार्थ भारत के राज्यों का प्रांदेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित, वर्गीकरण तथा निर्माण दिया जायगा। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के

लिये दी जाने वाली प्रतिनिधि संख्या इस प्रकार निश्चित की जायगी कि वहाँ की जनसंख्या के प्रत्येक ७५,०००० के लिये एक से कम, और प्रत्येक ५,०००० के लिये १ से अधिक प्रतिनिधि न होगा ।

लोक सभा का निर्वाचन बालिग ( प्रौढ़ ) मताधिकार के आधार पर होगा । अर्थात् प्रत्येक बालिग ( प्रौढ़ या २१ वर्ष की आयु के ) नागरिक को मतदान का अधिकार प्राप्त होगा ।

प्रत्येक निर्वाचन के समय प्रतिनिधि संख्या का निश्चय निर्वाचन काल के अव्यवहित-पूर्व की मतगणना से किया जायगा ।

### भारतीय-संसद् ( फेडरल पार्लियामेंट )

पूर्वोक्त राज-सभा ( सदस्य संख्या २६० ) - और लोक-सभा ( सदस्य संख्या ५,००० से अन्यथा ) को मिलाकर संसद् कहा जायगा ।

राज सभा एक स्थायी सभा होगी । इसका विलयन ( डिसोल्यूशन ) न किया जायगा, किन्तु प्रति दूसरे वर्ष इसकी एक-तिहाई अथवा उसकी लिंकटम संख्या, संसद् से विधि द्वारा निर्णीत प्रावधानों ( श्रोदीजन्स ) के अनुसार निवृत्त हो जायगी ।

राज सभा एक स्थायी संसद् है । ( १ ) सभापति, इसके १२ से अधिक सदस्य मनोनीत नहीं कर सकेगा । ( २ ) प्रत्येक सदस्य-प्राप्ति या राज्य के लिये इसकी सदस्य-संख्या इस प्रकार होगी कि प्रत्येक १० लाख से ५० लाख तक की जनसंख्या पर एक सदस्य । इसके ऊपर प्रत्येक २० लाख पर एक सदस्य, किन्तु एक प्राप्ति या राज्य के २० से अधिक सदस्य नहीं हो सकेंगे ।

भारत की उप-राष्ट्रपति वा उप प्रधान, पद कारणात् राज सभा का सभापति होगा ।

राज-सभा यथा-संभव शोध, अपने किसी सदस्य को उपसभापति चुनेगी । जब-जब उपसभापति का पद रिक्त होगा, तब-तब वह किसी अन्य सदस्य को उपसभापति चुनेगी ।

उपसमाप्ति, समाप्ति का सहायक होगा। जब कभी उपराष्ट्रपति वा उपप्रधान का पद रिक्त होगा तो वह अस्थायी रूप से उसके प्रकार्यों को करेगा। राज-सभा के किसी घटक में समाप्ति की अनुपस्थिति में वह समाप्तित्व करेगा।

**लोक सभा**—लोक-सभा की कालावधि पांच वर्षों की होगी। राष्ट्रपति यदि आवश्यक समझे तो वह इससे पहले भी लोक-सभा का विलयन कर सकेगा।

क्षापत्कालीन स्थिति की घोषणा होने पर राष्ट्रपति वा प्रधान, लोक सभा की कायाचिधि में एक वर्ष की वृद्धि कर सकेगा। परन्तु उक्त स्थिति के अन्त होने के अनन्तर लोक सभा के कार्यकाल में उः मास से अधिक वृद्धि नहीं हो सकेगी।

लोक सभा के निर्वाचन हेत्र का विभाजन इस प्रकार होगा कि प्रत्येक ७५,०००० मतदाता के लिये एक से कम प्रतिनिधि नहीं होगा तथा प्रत्येक ५०,०००० मतदाता के लिये एक से अधिक प्रतिनिधि नहीं होगा।

**संसद् का अधिवेशन**—एक वर्ष में भारतीय संसद् के आगारों के कम से कम दो अधिवेशन होंगे। पूर्व अधिवेशन की सत्रान्त और भागमी अधिवेशन के आरम्भ की तिथियों में उः मास से अधिक का अन्तर न होगा।

राष्ट्रपति वा प्रधान, आगारों का अधिवेशन मुला सकेगा, अधिवेशन की तारीख और समय निर्दिष्ट कर सकेगा, तथा क्वागार ( लोअर हाउस ) का विलयन कर सकेगा।

राष्ट्रपति वा प्रधान, संसद् के आगारों के पृथक्-पृथक् वा एकत्र अधिवेशन में ( १ ) सम्बोधन कर सकेगा, ( २ ) विचारार्थ विधेयक भेज सकेगा। राष्ट्रपति वा प्रधान द्वारा ऐसित विधेयक पर योगान्वय शीघ्र विचार किया जायगा।

राष्ट्रपति वा प्रधान संसद् के आगारों के अलग-अलग दो एकत्रित अधिवेशन को आरंभ के समय सम्बोधन करेगा। संसद् राष्ट्रपति के भाग में अधिवेशन मुद्रने के बारनों को आन कर उन पर मर्द-प्रथम विचार करेगो।

प्रत्येक मंत्री और महाप्रामिकता ( अटली जनरल ) को भी संसद् के आगारों को सम्बोधन करने का अधिकार होगा, किन्तु यदि वह उस आगार का सदस्य न हो तो भत्तान नहीं कर सकेगा ।

### अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ( स्पीकर, डिपुटी स्पीकर )

**अध्यक्ष और उपाध्यक्ष** — लोक-सभा अपने दो सदस्यों को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी, जब-जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तब-तब किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जैसी स्थिति हो, चुनेगी । अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसका प्रकार्य दराध्यक्ष करेगा ।

लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन तथा अधिदेय ( पेंशन ), संसद् विधि द्वारा निर्दित करेगी ।

लोक सभा के संकल्प में बहुमत सिद्धान्त का पालन किया जायगा, यदि किसी विधेयक के पश्च अथवा विशेष में समान मत प्राप्त हो तब अध्यक्ष एक निर्णयिक मत ( कास्टिग वोट ) दे सकेगा ।

लोक-सभा का प्रत्येक सदस्य सदस्यता का स्थान ( आसन ) प्रहण करने के पूर्व देश-भक्ति की घोषणा, राष्ट्रपति वा ग्राहान या उनके द्वारा नियुक्त पदाधिकारी के नम्मुख करेगा और घोषणापत्र पर दस्तावेज़ करेगा ।

**स्थान रिक्ति** — यदि किसी आगार का सदस्य, साठ दिनों की अवधि तक यिन आगार की अनुमति के उसके सब अधिवेशनों में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त समझा जायगा; तथा—

(क) यदि वह मंत्री-पद से अन्य किसी शासन के वैतनिक पद पर नियुक्त हो ।

(ल) यदि किसी न्यायालय ने उसे पाल घोषित किया हो ।

(ग) यदि वह दिवालिया करार किया गया हो ।

- (प) यदि उसने किसी विदेशी शासन का कोई पद स्वीकार किया हो, या किसी विदेशी राष्ट्र की नागरिकता या उसकी सुधोग-मुविधा प्राप्त की हो; अथवा—
- (७) संसद की किसी विधि द्वारा वह अधोग्रह ठहराया गया हो; तो उसका शासन ( इयान ) रिक्त ममका जायगा ।

### सदस्यों के विदेशाधिकार—

- (१) प्रत्येक सदस्य को संसद के आतिथ्यामक नियमों, तथा इसारी आदेशों के अधीन रखते हुए वाक् स्वातंत्र्य होगा ।
- (२) संसद या उसकी किसी समिति में कही हुई बात, या दिये गये मत के सम्बन्ध में, किसी सदस्य के विषद् किसी न्यायालय में कोई कार्य-बाही नहीं चल सकेगी तथा संसद के किसी आगार के प्राधिकारों ( आधिकारिटी ) के द्वारा प्रकाशित किसी विवरण-बच, पत्र, मतों या कार्यकारियों के विषय में किसी सदस्य पर इस प्रकार की कार्यवाही न चल सकेगी ।
- (३) अन्य बातों में अबतक संसद विधि द्वारा सदस्यों के 'विदेशाधिकार' तथा विमुक्तियों ( इम्युनिटीज ) का विनियान नहीं करती है तब तक प्रत्येक सदस्य को विदेश-भौकम्भा के सदस्यों के ममान विदेशाधिकार और विमुक्तियों प्राप्त होगी ।

### संसद की कार्य-प्रणाली—

आधिक ( फाइनल्स ) विषेषकों के अधिकार कोई भी विषेषक ( वित ) संसद के दिनों भी आगार में प्रारम्भ हो सकेगा । दोनों अंगांशों की संविहित के दिन एवं भी विषेषक पारित ( पारम ) नहीं माना जायगा । संसद के संशोधनाम ( प्रोसेस ) के दायरे कोई भी विषेषक व्यवस्था

( लैप्सड् ) नहीं माना जायगा । राज-सभा में लम्बमान विधेयक लोक-सभा के विलयन पर व्यपगत नहीं होगा । कोई विधेयक जो लोक सभा में लम्बमान है या लोक सभा से पारित होकर राज-सभा में लम्बमान है, लोक-सभा के विलयन पर व्यपगत नहीं होगा ।

**विधि-निर्माण की पद्धतियाँ—**कोई मंत्री अबवा संसद् का कोई भी सदस्य अपने आगार में विधेयक उत्थापित कर सकेगा । पहली दशा में वह राजकीय-विधेयक और दूसरी दशा में अराजकीय-विधेयक कहा जायगा ।

पहले विधेयक का नाम और उद्देश्य पढ़कर युनाया जाता है । इसे प्रथम वाचन ( फष्ट रीडिंग ) कहते हैं । द्वितीय वाचन में विधेयक की अन्तिमिति नीति पर आलोचना होती है । विधेयक की नीति आगार द्वारा अनुमोदित होने पर, यदि आवश्यकता समझी गई तो विधेयक, विशेषज्ञ समिति ( सेलेक्ट कमिटि ) में भेज दी जाती है । एक निर्दिष्ट अवधि में, उक्त समिति विधेयक के प्रत्येक वाक्य, वाक्यांश और शब्दों तक पर विचार-विवेचना कर उसका प्रतिवेदन ( रिपोर्ट ) उक्त आगार के सम्मुख दरपालित करती है । यदि समिति आवश्यकता समझे तो उपर्युक्त संशोधन भी प्रतिवेदन ( रिपोर्ट ) में दे देती है । इसके बाद विधेयक का तृतीय वाचन होता है । इस बार सदस्य गण विधेयक की तथा उसके संशोधन की, यदि ऐसा कोई संशोधन हो, खरी आलोचना करते हैं । तब विधेयक पर मतदान होता है । यहुमत द्वारा पारित ( पासड ) विधेयक स्वीकृति के लिये दूसरे आगार में भेज दिया जाता है । उपरोक्त पद्धति से दूसरे आगार में भी पारित हो जाने पर विधेयक संसद् द्वारा पारित कहा जाता है । तब वह विधेयक अनुमति प्राप्त्यर्थ राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित किया जाता है । राष्ट्रपति यदि चाहे तो अनुमति न देकर विधेयक को स्थगित रख सकता है, या संसद् में पुनर्विचार के लिये संशोधन-मंत्रित प्रति-ग्रेनित कर सकता है ।

## संसद् के आगारों का संयुक्त-अधिवेशन

राष्ट्रपति वा प्रधान यदि आवश्यक समझे तो निम्नलिखित अवस्थाओं में संसद् के आगारों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकेगा—

( १ ) यदि एक आगार द्वारा पारित विधेयक द्वे दूसरा आगार अस्वीकृत कर दे ; अथवा

( २ ) विधेयक में इये जानेवाले मंशोधनों पर दोनों आगार अन्ततः असहमत रहें ; अथवा

( ३ ) विधेयक प्राप्ति की तिथि से, बिना इसके पारण किये, दूसरे आगार को उः से अधिक मात्र बीत चुके हों ।

## विधेयकों पर अनुमति ( एस्सेन्ट ऑव विल्स )

संसद् के दोनों आगारों द्वारा पारित विधेयक पर यदि राष्ट्रपति वा प्रधान ( प्रेसिडेंट ) की अनुमति मिल जाय तो वह विधेयक ( विल ) विधि ( लैव ) में परिवर्तन हो जाता है । भारतीय सूचना-पत्र ( गजट ) में प्रकाशित होने तथा राष्ट्रपति वा प्रधान द्वारा घोषित किये जाने पर विधि प्रभावी हो जाती है ।

आर्थिक विधेयक के अतिरिक्त अन्य विधेयकों को राष्ट्रपति वा प्रधान, अनुमति न देकर स्थगित रख सकता है तथा पूरा विधेयक या उसके विस्तीर्ण अंश पर पुनर्विचार के लिये संसद् को वारप कर सकता है । पुनर्विचार के पश्चात् उभय आगारों द्वारा पारित विधेयक पर, यदि संसद् उसमें परिवर्तन न भी करे, राष्ट्रपति वा प्रधान अनुमति प्रदान करेगा ।

## आर्थिक-विधेयक ( मर्नी विल )

आर्थिक-विधेयक राजदम्भा में उत्थापित नहीं होगा । शेष यमा में पारित होने पर न्यौक्ति के लिये राज यमा में भेजा जायगा । यमा उसे हीषु दिन से

አንድነት ከዚህ ማረጋገጫ በኩል የሚከተሉ ይችላል

( 五 ) 生病

1. **Digitized by srujanika@gmail.com**

1. **የኢትዮጵያ ማኅበር የኢትዮጵያ ቤት ንግድ**  
ለክፍተኛ ገዢ አካላት ይ እያ ስምምነት ይ ነው  
1. **የኢትዮጵያ (መንግሥት)** የሚ ይከተሉት አካላት ይ ነው  
የሁ ሲሆን አካላት ይህን ሲሆን ይ ላይ ሰራተኞች ይከተሉት ( እ )

አዲሱ ማኅበ የዚ ( በዚህ ) ሰነድና ንብረት የሚ ችልኝ ነው እና የዚህ ንብረት የሚ ችልኝ የሚያስተካክለ ይችላል—ከዚህም ችልኝ የሚያስተካክለ ይችላል

1. *Widhi May Bih Pyuh Dukkha Eit Be Ge  
Dukkha Eit Be Pyuh Shreeg Shrijee Mahe Ge Geby Pyuh Dukkha Eit Be*

I am grateful to Dr. G. R. Smith for his kind permission to publish

समक्ष भारत-शासन का उस वर्ष के लिये अनुमानित ( इस्टिमेटेड ) आम और व्यय का हिसाब रखवायेगा जिसे भारत का वार्षिक आयब्द्यक ( बज़ट ) के नाम से निरैश दिया जायगा । उसके साथ एक आर्थिक विवरण पत्र भी दाखिल करेगा । जिसे ‘वार्षिक आर्थिक विवरण’ कहा जायेगा ।

वार्षिक आयब्द्यक में समाविष्ट व्यय के द्विसाब में,

- ( १ ) संघनित प्रणीति ( कौनसोलिडेटेड फंड ) और
- ( २ ) संभावित व्यय की प्रणीति ( कॉम्प्लिन्डसी फंड ), जिनमें—
- ( क ) जो व्यय; भारत आगमों ( रेवेन्यू ) पर प्रभुत व्यय के रूप में वर्णित हैं, उनकी पूर्ति के लिये अपेक्षित राशियाँ और
- ( स ) भारत आगमों से किये जाने वाले अन्य प्रस्तावित व्यय की पूर्ति के लिये अपेक्षित राशियाँ पृथक-पृथक दिखलाई जावेंगी और आगम लेहे पर होने वाले व्यय का अन्य व्यय से विभेद दिया जायगा ।

निम्न व्यय भारत आगमों पर प्रभुत व्यय होगा:—

- ( क ) राष्ट्रपति के परिलाभ ( बेतन ) और अधिदेव ( अलाउंस ) तथा उनके पद से संबद्ध अन्य व्यय ।
- ( स ) राज्य परिषद् के सभापति और उपसभापति तथा लोक सभा के कायदश और उपायकान के बेतन और अधिदेव ।
- ( ग ) भारत शासन का क्रष्ण-प्रभार. उथार लेना, और क्रग-सेवा तथा क्रष्ण-निष्क्रमण पर होने वाले व्यय ।
- ( घ ) १ - सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को तथा उनके सम्बन्ध में दिये जाने वाले बेतन, अधिदेव और उत्तर-बेतन ( योसुन ) ।  
२.—संघानीय ( फेडरल ) न्यायालय के न्यायाधीशों को तथा उनके सम्बन्ध में दिये जाने वाले बेतन और उत्तर-बेतन ।

**भाषा—विधान सभा ने भारत की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी अंकों के साथ हिन्दी और लिपि देवनागरी स्वीकार किया है। किन्तु विधान प्रारंभ होने से १५ वर्षों तक अंग्रेजी को वही स्थान प्राप्त रहेगा जो आज है। हिन्दी प्रयोग के लिये नियुक्त कमीशन की सलाह से राष्ट्रपति, कम-कम से शासन कार्य में हिन्दी प्रयोग की आवश्यकता देगा। इस बीच हिन्दी के विकास के लिये सरकार प्रयत्न करेगी।**

### **भारत-संघ का महाकेशक ( ऑडिटर जनरल )**

भारत का एक महाकेशक होगा, जिसको राष्ट्रपति वा प्रधान नियुक्त करेगा। यदि सिद्ध दुराचार अथवा अप्रामर्थ्य के कारण निष्काशन के लिये, संसद् के दोनों भागों द्वारा, उपस्थित मतदाताओं के दो-तिहाई सदस्यों से समर्थित अभिलेख राष्ट्रपति के समझ एक ही सत्र में उपस्थित किया जाये तब महाकेशक निष्काशित किया जा सकेगा।

पद धारण के पर्यवसान के बाद महाकेशक, भारत-शासन के अधीन अथवा किसी राज्य के शासन के अधीन और पद का पात्र न होगा।

महाकेशक के कर्मचारियों को, अथवा उनके सम्बन्ध में दिये जाने वाले वेतन, अधिदेय तथा उत्तर वेतन को महाकेशक राष्ट्रपति से परामर्श करके निरत करेगा। यह व्यव भारत के आगमों पर प्रभृत होगा।

भारत-शासन का खाता वैसे रूप में रखा जायगा जैसा महाकेशक, राष्ट्रपति के अनुबोदन से विनियात करे। भारत के राज्यों का कर्तव्य होगा कि वे राज्यों का खाता महाकेशक द्वारा निर्दिष्ट रीति और सिद्धांत के अनुसार रखे।

भारत के महाकेशक के भारत-शासन संघीय प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समझ उपस्थित किया जायगा तथा राष्ट्रपति उनको संसद् के समझ रखवायेगा।

## अध्याय ५

### संघके सदस्य राज्य-संघ और उनकी शासन-प्रणाली प्रान्त, राज्य और राज्य संघ

भारत संघ में नौ प्रान्तीय राज्य हैं—बंगाल, मद्रास, बंबई, सुवृक्ष-प्रान्त, बिहार, पूर्वी पंजाब, मध्य प्रान्त और बरार आसाम और उड़ीसा। इनका शासन एक प्रान्त-शासक ( गवर्नर ) द्वारा होता है।

मुख्यायुक्त ( चीफ कमिशनर ) शासित प्रान्तीय-राज्य—उर्ग, अजमेर-मेरवाहा, दिल्ली, अन्दमन-नीकोवार द्वीप-समूह तथा हिमाचल प्रदेश ; ये पांच मुख्यायुक्त शासित प्रान्तीय-राज्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्यायुक्त ( चीफ कमिशनर ) के शासन में हैं।

भारतीय राज्य और राज्य संघ—भारत के एभी देशी राज्य, पृथक रूप से या राज्य संघ ( यूनियन ) बनाकर भारत-संघ के सदस्य बन चुके हैं। इस प्रकार संघ की सदस्यता-प्राप्त सभी राज्यों तथा राज्य संघों को राज्य नाम से सम्बोधित किया जाता है।

इसलिये इस अध्याय में राज्य शब्द से प्रसंगानुसार, भारत के नौ विद्यु-कालीन प्रान्त, केन्द्र शासित मुख्यायुक्तों के प्रान्त, इकाई रूप में सम्मिलित भारत के देशी राज्य तथा कई राज्यों के मिले हुए राज्य-संघ का तात्पर्य जाना जायगा।

प्रान्त शासक ( गवर्नर )—प्रत्येक प्रान्तीय राज्य का एक शासक होगा जिसको राष्ट्रपति वा प्रधान नियुक्त करेगा।

कार्यकाल—प्रान्त शासक अपनी पद-प्रवेश तिथि से पांच वर्ष की अवधि तक

पद धारण करेगा, ११—( १ ) वह पदल्याग कर सकेगा, तथा ( २ ) विधान के उत्तराधिकार के अभियोग प्रमाणित होनेपर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकेगा ।

कोई व्यक्ति, जो भारत संघ का नागरिक (जानपद) है, राज्यों की व्यवस्थापिका का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यताओं से युक्त है, तथा जिसकी आयु ३५ बाल से कम नहीं है, प्रांत शासक निर्वाचित हो सकेगा ।

पर किसी ऐसे व्यक्ति के लिये उस राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं है ।

प्रांत शासक, सचिव या किसी व्यवस्थापिका का सदस्य तथा विसी अन्य वैतनिक पद पर नियुक्त नहीं रह सकेगा । प्रांत शासक का वैतन और अधिदेश उस राज्य की व्यवस्थापिका विधि द्वारा नियंत्रित करेगा ।

प्रांत-शासक उस राज्य के अधिकार हेत्र-भूत विधि द्वारा दिङ्डित व्यक्ति के दण्ड का क्षमण, विलंबन, स्थगन या परिहरण कर सकेगा अथवा दण्डादेश का रोकना परिहरण या लभ्यादेशन कर सकेगा ।

गुरुत्व अभान्ति या भाष्टकालीन स्थिति में राष्ट्रपति वा प्रधान, भाष्यादेश द्वारा राज्य का शासनसूच स्वयं प्रहण कर सकेगा तथा प्रांत शासक द्वारा राज्य का शासन करेगा ।

### राज-प्रमुख—

जहाँ कई राज्यों का राज्य-संघ भारत-संघ का सदस्य होगा, वहाँ के राज प्रमुख का निर्वाचन, राष्ट्रपति वा प्रधान की स्वीकृति के बिना मान्य नहीं होगा । राज्य-संघ के राजन्य यर्ग अपने में से एक व्यक्ति को राज प्रमुख और दूसरे को उपराज-प्रमुख नुनेंगे ।

प्रांतीय शासुद्धों के समान राज प्रमुख भी अपने कर्तव्यों तथा उत्तराधिकार के निर्वाचन में राज्य के नंतिनंदल के भत्ताकुलार चलेंगे । किन्तु शासन-संबंध या भाष्टकालीन स्थिति में वे राष्ट्रपति वा प्रधान के भाष्यादेशकुलार राज्य-शासन की समस्त शक्ति स्वदरत्तगत बर होंगे ।

**महाराज —**जो देशी-राज्य पृथक् स्थ से संघ-सदस्यता की स्थिति एक इकाई (युनिट) होगी, उस राज्य के महाराजा का राज्य के शासन-व्यवस्था में वही स्थान होगा जो प्रान्तीय राज्यों में शासकी व्य है। उसका अनियंत्र राष्ट्रपति वा प्रधार वी अनुबंध के बिना नहीं हो सकेगा। शासन कार्यों में उसका कर्तव्य और उत्तराधिकार राज्य के मंत्रिमंडल की सम्मति और विद्वन्ते के अनुसार शासन करना होगा। अब भारत को उत्तराधिकारीन निरकुल राजा-महाराजाओं की आवश्यकता नहीं है। भारत के स्वास्थ्योन गणराज्य में राजाओं का स्थान कहीं और इतने दिन तक रहेगा, वह कौन बता सकता है ?

**मंत्रि मंडल —**प्रान्त शासक, राजप्रमुख या महाराज के शासन-कार्य में सहायता पहुँचाने के लिये प्रत्येक राज्य में मुख्य-मंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिमंडल होगा। शासन का सम्पूर्ण उत्तराधिकार इसी पर होगा। मंत्रिमंडल का प्रत्येक मंत्री एक या एकाधिक कार्य-विभाग का काय-भार सम्भालेगा।

प्रान्त शासक मुख्य-मंत्रों के परामर्श से अन्य मन्त्रियों की नियुक्त करेगा; विधिक अनुपार प्रान्त शासक को इच्छा पर्याप्त वे (मंत्री) पद पर आसीन रहेंगे। परन्तु व्यवहारतः मंत्रिमंडल पर जब तक व्यवस्थारिका का विश्वास रहेगा तब तक ही वे अपने पर्दों पर बने रह सकेंगे।

**विद्वार, सूख्य प्रान्त और बरार तथा दक्षिण राज्यों में चन-जातियों के कल्याण का प्रभारी एक मंत्री रहेगा।**

**काई मंत्री, जो छः निरंतर मासों की अवधि पर्यंत राज्य के विधान-मण्डल का सदस्य न रहे, उस अवधि के पश्चात् मंत्री न रहेगा।**

प्रान्त शासक राज्य के बहुमत पथ के नेता का मंत्रिमण्डल संघटन के लिये आमंत्रित करेगा, वही व्यक्ति मुख्य-मंत्री होगा। मुख्य मंत्री अपने सह-मन्त्रियों के नाम भी तालिका प्रान्त शासक के सभा उपर्युक्त करेगा। प्रान्त-शासक मुख्य मंत्री के परामर्श से अन्य मन्त्रियों को नियुक्त करेगा।

मंत्रिमण्डल व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होणा तथा व्यवस्थापिका बहुमत स्वीकृत संवेद्य द्वारा मंत्रिमण्डल को इटा सतेगा ।

प्रान्त की समस्त शासन-प्रबन्ध वा अधिशासी ( एक्सक्यूटिव ) कार्यवाही प्रान्त-शासक के नाम से की गई कही जायगी ।

सभी राज-प्रमुख और महाराज प्रान्त शासकोंके समान ही, राजदण्डों जनताके प्रति उत्तरदायी मंत्रिमण्डलके सिद्धान्त और परामर्शके अनुकूल अपने अधीन राज्योंका शासन करेंगे ।

### भारत संघ एवं राज्य-शासन

राज्य पर बाहरी शत्रुके आक्रमण करने पर या आक्रमणकी अधिकारी राज्यके अन्तर्गत गंभीर अशान्तिकी संभावना होने पर, भारत संघ राष्ट्रपति, राज्य और संघकी मुरक्खा तथा शान्ति स्थापनार्थ राज्यके सभी शासनाधिकारी तथा निप-निपाणिके अधिकारीको स्वदृष्टगत कर देगा; तथा राज्यके शासनका संचालन एवं वही के शासक, राजप्रमुख, महाराज या अन्य किसी नव-नियुक्त अधिकारी द्वारा करा सकेगा ।



## अध्याय ६

### संघ के सदस्य राज्य और उनकी व्यवस्थापिका

**राज्य और व्यवस्थापिका**—संघमें सम्मिलित प्रत्येक राज्यके लिये एक व्यवस्थापिका होगी। जो बंगाल, मद्रास, बम्बरे, संयुक्तप्रान्त, बिहार तथा पूर्वी-पंजाब राज्योंमें राज्य शासक और दो आगारों से तथा अन्य राज्योंमें राज्य-शासक और एक परिषद् से बनेगी।

जहाँ किसी राज्यकी व्यवस्थापिका के दो आगार हैं, वहाँ एक विधान परिषद् तथा द्वितीय विधान सभाके नामसे ज्ञात होगा। जहाँ बैल एक आगार है, वहाँ वह विधान-सभाके नामसे ज्ञात होगा।

प्रत्येक राज्यकी विधान-सभा यदि कालावधि के पूर्व ही विलोप न कर दी जाये, तो अपने प्रथम अधिवेशनकी नियुक्ति तिथि से पांच वर्ष तक चल रहेगी।

विधान-परिषद् का विलोप नहीं होगा, किन्तु प्रत्येक तीन वर्द्दके पश्चात् परिषद् की एक तिहाई सदस्य राज्यको नियमित विधि से हटा दी जायगी।

विधान-सभा तथा विधान परिषद्की सदस्यताके प्राप्तीकी दम्भ कमशः २५ और ३५ से कम नहीं होनी चाहिये।

राज्यके उत्तरागार (अपर द्वारा) वा विधान-परिषद्के निर्माण या विलोपका भविष्यत् कालीन विधान—यदि राज्यके विधान मण्डलके दो आगार हों, तो उत्तरागार (विधान परिषद्) के विलोपके लिये, अथवा यदि एक ही आगार या विधान सभा (लोअर द्वारा) ही हो, तो उत्तरागारके निर्माणके लिये जब विधान-मण्डलके दो-तिहाई सदस्योंकी स्वीकृति

संज्ञा द्वारा, सभ-संसद् से अनुरोध किया जायगा, तो, संसद् निधि द्वारा उत्तराधारा के बिलों पर या निर्माणधी, (जैसा अनुरोध होगा) व्यवस्था, करें। इस शब्दार राज्यकी वर्तमान राज्य परिपद् तोड़ देने या अवर्तमान परिपद्धी निर्माण व्यवस्थाके सभ-विधानका सशोधन नहीं माना जायगा।

**विधि न सभाको रचना—प्रत्येक राज्यकी विधान-सभा बालिग ( औड़ ) मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा नुने हुये सदस्यों से बनेगी। अर्थात् विधान सभाके सदस्योंके निर्वाचनमें प्रत्येक औड़ ( बालिग ) नागरिक जिसकी अवस्था इक्षीस वर्षमें कम नहीं है और जो किसी विधिके अधीन, पाठ्य, अपराधी, दुष्परिव्रय या दूसरे निरिद्ध दुर्गमोंसे युक्त नहीं है : मतदानका अधिकारी होगा।**

**विधान सभामें प्रत्येक एक लाख निर्वाचितका एक ग्रतिनिधि सदस्य होगा।**

इन्हुंनीसी राज्यकी विधान सभामें पांच सौ से अधिक तथा छाड़ से कम सदस्य नहीं होंगे।

**विधान परिपद् की रचना—**दो आगांवाली व्यवस्थाविधिके उत्तराधार ( विधान-परिपद् ) के सदस्योंकी संख्या विधान-मण्डलकी सदस्य संख्याके पश्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इन्हुंनीकी भी विधान-परिपद्की सदस्य संख्या चालीस से कम न होगी।

किसी राज्यकी विधान परिपद्की समात संख्याओंमें से—

( १ ) धारी, नियन्त्रित विधियोंके विशेषतामें से चुनी जायेगी :

( २ ) सालिल, कला और विज्ञान :

( ३ ) रूप, मरम्य-पालन और उत्तर-बन्धी विषय ;

( ४ ) अनियन्त्रण ( दर्शनियरो ) और यात्रु-यात्रा ;

( ५ ) लोक-उत्तराधार और यात्रा-विषय विषय ;

( २ ) दूसरे राज्यकी विधान-मण्डलके सदस्य, एक तिहाई, अनुगति विधान

( प्रोपोसंगल रिप्रेजेन्टेशन ) पद्धति के अनुसार एकल परिवर्तनशील मत ( विंगल ट्रॉउसरेबल लोट ) द्वारा निर्वाचित करेगे ।

(१) देश प्रान्त शासक मनोनीत करेगा ।

विभाजन-परिषद् के सदस्य नौ बैसों के लिये चुने जायेंगे । विधान परिषद् का विलोप नहीं होगा, पर प्रति तीन वर्षों के उपरान्त इसकी एक तिहाई सदस्यों को भियाद व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित विधिके अनुसार अन्त हो जायगा ।

**अधिवेशन**—विधान मण्डलके आगार या आगारोंके सालमें कम से कम दो अधिवेशन होंगे । प्रथम अधिवेशनकी अंतिम तारीख और द्वितीय आधिवेशनको प्रथम तारीखमें छः मास से अविक्ष का अन्तर नहीं होना चाहिये ।

प्रान्त शासक अपनी इच्छा के अनुसार व्यवस्थापिका के आगार या आगारोंका अधिवेशन बुला सकेगा, अधिवेशन स्थगित हर सरेगा तथा विधान-सभाका विलोप कर सकेगा । वह व्यवस्था पिका के आगारोंको संबोधन कर सकेगा तथा किसी स्थगित विधेयकके सम्बंधमें संदोधन या समर्ति भेज सकेगा । प्रान्त शासककी समर्ति या संसोधन पर शीघ्र पुनर्विचार करना व्यवस्थापिका का कर्तव्य होगा ।

आगार के या आगारोंके उंगुच आधिवेशनके प्रारंभमें शासक उपरे सम्बोधन करेगा, तथा अपने संबोधनमें अधिवेशन बुलाने का कारण बतलायेगा । प्रान्त शासकके बतलाये हुए कारणों पर व्यवस्थापिका को सर्व-प्रथम विचार करना होगा ।

मधिमण्डल के प्रत्येक सदस्य को तथा राज्य के मद्दापिवता ( एडब्ल्यूकेट जनरल ) को व्यवस्थापिका के आगार या आगारों को सम्बोधन करने का अधिकार होगा; पान्तु विधान परिषद् का सदस्य न रहते पर, उन्हें परिषद् की मतगणना में मतदान का अधिकार न होगा ।

राज्य-संघ के राज्य प्रमुख का बड़ा की व्यवस्थापिका में वही स्थान होगा जो प्रान्त शासक का प्रान्तीयराज्य की व्यवस्थापिका ( विधान मण्डल ) में है ।

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष—राज्य की विधान-सभा यथासंभव शोष्र अपने दो सदस्यों को कमशः अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बुनेगी। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वाह उपाध्यक्ष करेगा।

सभापति और उपसभापति—प्रत्येक राज्य की विधान-परिषद् जहाँ ऐसी परिषद् हो अपने दो सदस्यों को कमशः अपने सभापति और उपसभापति चुनेगी। उपसभापति, सभापति की अनुपस्थिति में उनके कर्तव्यों का निर्वाह करेगा।

विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा विधान-परिषद् के सभापति तथा उपसभापति को वह वेतन दिया जायगा जो राज्य की विधान सभा और विधान परिषद् विधि द्वारा निर्दिष्ट करें।

**विधि-निर्माण की पद्धति**—राज्य की विधियों के निर्माण की पद्धति संघ की विधि-निर्माण पद्धति के समान हो होगी। विधान परिषद् को विधियों के निर्माण में कुछ विशेष महत्व नहीं प्राप्त होगा। मंत्रिन-परिषद्, विधान-सभा के प्रति उत्तरादयी होगी। इसी विधेयक के सबन्ध में विधान-सभा और विधान परिषद् में मतभेद की अवस्था में विधान सभा में स्वीकृत विधेयक को विधान परिषद् तोन मात्र से अधिक विलम्बित नहीं कर सकेगी। विधान-परिषद् द्वारा प्रस्तावित संशोधन को अमान्य कर यदि विधान-सभा पुनः उक्त विधेयक को पास करे तो, दूसरी विधान-परिषद् को वह विधेयक एक मास की अवधि में पास छर देना चाहिये, अन्यथा विधेयक उभय-आगारों द्वारा पास मान लिया जायगा।

**आर्थिक-विधेयक विधान-परिषद् में उत्थापित नहीं होगा।**

**आर्थिक-विधेयक को प्रणाली**—प्रत्येक आर्थिक वर्ष के लिये विधान-संसद के आगारा या आगारों के समझ, प्रान्त शासक उस राज्य की उस वर्ष के लिये आनुसारिन्द्र आय और भव्य के दिवाल का विवारण रचुशायेगा जिसे 'आर्थिक आर्पिक विवारण' ( एनुअल एन्ड सायल स्टेटमेंट ) के नाम से जिदेश दिया जाता है।

उपर विवरण के समानित विवारों में—

(क) राज्य के आगमों पर प्रमूल व्यय और उनकी पूर्ति के लिये अपेक्षित राशियाँ ; और

(ख) राज्य के आगमों से किये जानेवाले अन्य प्रातासित व्यय के लिये अपेक्षित राशियाँ पृथक-पृथक दिखाई जायेगी और आगम-स्राते पर होनेवाले व्यवहा अन्य व्यय से विभेद दिया जायगा।

विधान सभामें हिसाब विषयक कार्य-प्रणाली—प्रान्त शासक को सहमति (अभिस्ताव) के बिना किसी भी अनुदान (प्रांट) की मांग न करे जायगी।

राज्य के आगमों पर प्रमूल व्यय से संबद्ध हिसाब विधान-सभामें मतदान के लिये न रखी जायेगी, किन्तु व्यवस्थापदा में इसका पर्यालोचन हो सकेगा।

प्रान्त शासक राज्य के आगमों पर प्रमूल हिसाब (इस्टिमेट) की तथा विधान-सभा द्वारा किये ये अनुदानों को अपने दस्तावेज से प्रामाणिक बनायगा। इस प्रकार प्रामाणिक व्यवहा की सूची विधान-सभा के समक्ष रखी जायगी, किन्तु इस पर पर्यालोचन या मतदान न हो सकेगा।

उपराक विधि से स्वीकृत व्यवसूची के अतिरिक्त व्यय को संभावना पर शासक उसके लिये विधान सभा से अनुदान की मांग दर सकेगा तथा विधान सभा उसे मनदान के लिये रख सकेगी।

राज्य की भाषा - किसी राज्य के विधान-मंडल में कार्य, उस राज्य में सामान्यता प्रयुक्त भाषा या भाषाओं अथवा अंग्रेजी में किया जायगा। यदि किसी भाषा के बोलने वाले महम्यों की सहया; वीस प्रतिशत से अधूरा होगी तो उस भाषा का प्रयोग वहाँ के विधान मंडल में अवश्य हो सकेगा।

प्रान्त शासक को अध्यादेश प्रवर्तन की शक्ति—विधान-मंडल के विधानित-शासक में प्रान्त शासक को एंद्र यू. निधन द्वे चर्चे कि तुरन्त व्यापकी बदलने के लिए विधित करने वालों परिवर्तित विधान हैं, तो वह तकनीक अध्यादेश

( आदिनेत्र ) प्रतंतं ( जारी ) कर सकेगा । इस प्रकार प्रवर्तित अचारिता व्यव-  
प्रणिका के समान उपस्थित किया जायगा । व्यवस्थापिका को देख दें एः सप्तह के  
शाद अचारिता स्वतः प्रभावी न रहेगा । व्यवस्थापिका में पात्र किये जिन्हा सुचक  
संकलन द्वारा अचारिता छः सप्ताह के पढ़े भी अप्रभावी हो जायगा । शाशक  
विधि किसी समय अचारिता प्रत्याहृत कर सकेगा ।

आपत्काले न विधिमें राष्ट्रपति को शक्ति—राष्ट्रपति संघ या किसी  
रेग्य को शांति-व्यवस्था में गंभीर व्यतिक्रम उपस्थित रोने या रोने थी  
या भावना-जन्य आपत्कालीन स्थिति में उद्धरण द्वारा राज्य का उम्र्ग शासन  
भग्ने आर प्रदूष कर सकेगा तब स्वेच्छानुसार राज्य का शासन कर सकेगा ।  
१७ अवधि में उच्च न्यायालय में प्रयुक्त होनेवाली विधियों से भिन्न सभी विधियों  
यंप्रभावी ( इलटोन, रह ) हो जायेगी ।

मुख्यविधिक ( औडिटर इन-चीफ )—राष्ट्रपति वा प्रधान मराईएक से  
पारम्पर्य कर राज्य का एक मुख्याधिक ( औडिटर इन चीफ ) नियुक्त कर  
सकेगा । मुख्याधिक का वेतन तथा उसकी पदवार्धि को शते उच्च न्यायालयों  
( हाई कोर्ट ) के न्यायाधीशों के समान होती । मुख्याधिक का वेतन और अधि-  
देय तथा उसके विभाग के अन्य व्यव राज्य के भागमों पर प्रभृत होगे । मुख्या-  
धिक अपने पद से अवकाश प्रदूष के पथत सप्त के मराईएक तथा राज्यों के  
पुनर्विद्युक के पर पर नियुक्त हो सकेगा । भागत-शासन या उठके अपने  
पात्र शासनों में अन्य पश्ची पर उसकी नियुक्ति नहीं हो सकेयो ।

## अध्याय ७

वर्तमान भारत-शासन ( इंडिया गवर्नरेंट )

केन्द्रीय शासन और शासन विभाग

अन्तर्वर्ती-विधान

भारत की विधान सभा द्वारा प्रस्तृत भारत का नवीन विधान आज कल प्रचलित अन्तर्वर्ती-विधान को समाप्त कर देगा। यह अन्तर्वर्ती विधान, भारत शासन अधिनियम १९३५ का भारत स्वामीनता अधिनियम, १९४७, द्वारा सशाखित हुआ था, परन्तु २६ जनवरी १९५० भारत स्वामीनता दिवस में प्रभातन्त्री भारत शासन-प्रतन्त्र का अन्म होगा। साधारण निर्वाचन के बाद नया शासनतन्त्र चालू होगा।

वर्तमान भारत-शासन के सुपूर्ण शासन-कार्य का उत्तरदायित्व भारत-शासन ( इंडिया गवर्नरेंट ) पर है।

केन्द्रीय-शासन के सभी शासन कार्य गवर्नर जेनरल और उनकी मंत्रि-मंडल के अधीन हैं तथा केन्द्र की विधि-निर्माण की शक्ति राष्ट्रपाल ( गवर्नर जेनरल ) और संसद के अधीन है।

प्रान्तीय शासनों, प्रान्तीय शासन-विभाग तथा प्रान्तीय व्यवस्थापिका से भेद दिखाने के लिये यहाँ हम केन्द्रीय शासन, केन्द्रीय शासन-विभाग तथा संसद आदि शब्दों का व्यवहार करेंगे। केन्द्रीय संस्थाओं का स्वत्तर वार्तादातिक तथा प्रान्तीय संस्थाओं का स्वस्य सर्वतोभावेन प्रान्तीय ( स्थानीय अर्थात् अपने अधिकृत-स्थेष्ठ भर वी समस्याओं तक ही सीमत है )

राष्ट्रपाल ( गवर्नर जेनरल )—१९४७ ई० के नियोमक अधिनियम ( ऐग्जेटिव एस्ट ) द्वारा गवर्नर जेनरल पद की घटित हुई। बारेन हेंडिंग भारत

के प्रथम राष्ट्रपाल ( गवर्नर जनरल ) नियुक्त हुये थे । चक्रतां राजगोपालाचारी भारत के आखिरी गवर्नर जनरल हैं ।

१८६३ के शासकीय ( चार्टर ) अधिनियम द्वारा भारत की सार्वभौम सत्ता प्रदण कर बंगाल का गवर्नर, भारत का गवर्नर जनरल हुआ था । इगलेंड के राजा की स्वीकृति के बाद भारत का गवर्नर जनरल १८५८ में वाइसराय हुआ ।

विटिश सफ्ट विटिश मंत्रिमंडल के परामर्श से गवर्नर जनरल नियुक्त करता था । २६ जनवरी १९१० ई० को भारत से विटिश व दशाद बढ़ादुरा का सम्बन्ध विच्छेद हो जायगा और उनका गवर्नर जनरल का स्थान नहीं रहेगा । नये विधान से उनकी यह शक्ति समाप्त हो जायगी तथा वर्तमान राष्ट्रपाल के बदले भारतीय राष्ट्र का कांगड़ार द्वारे निर्वाचित राष्ट्रपति होगे ।

**राष्ट्रपाल और मंत्रिमंडल**--भारत को सारी अधिकारी शक्ति राष्ट्रपाल तथा उनके मंत्रिमंडल में निर्दित है ।

भारत शासन की अधिकारी शक्ति बेबल राष्ट्रपाल को नहीं किन्तु सभी पद राष्ट्रपाल के हाथ में है । किंक अत्यावदयक स्थिति में ही राष्ट्रपाल शासन की सारी शक्ति भारते हाथ में ले सकते हैं तथा ऐसी स्थिति में ही मंत्रिमंडल के परामर्श को अपहेलना कर सकते हैं । कहने का आशय यह है कि भारत का शासन कार्य केवल एक व्यक्ति द्वारा नहीं किन्तु एक मंत्रिमंडल तथा राष्ट्रपाल के सम्मिलित विचार द्वारा होता है ।

### राष्ट्रपाल का मंत्रिमंडल

दिसी ने कहा है कि भारत का शासन किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं, किन्तु मंडल द्वारा सचिलित होता है । पर भारत के हमारे भाजे के राष्ट्रपाल को श्राव्य युद्ध अधिकार प्राप्त नहीं है । वे मंत्रिद्वारा द्वारा नियुक्त होते हैं । भगवनो मुद्दि का रिपोर्ट के अनुसार दृष्ट उन्हें की शक्ति उन्हें नहीं है । उन्हें बेबल मंत्रिमंडल के परामर्शद्वारा द्वारा नियुक्त होता है ।

भारतीय मंत्रि-मंडल की रचना—‘मंत्रि-मंडल के कितने सदस्य हों’ इसका निर्देश भारतीय-विधान में नहीं है।

### भारतीय मंत्रि-मंडल की शक्ति और कर्तव्य—

भारत की गुद्द-कालीन तथा शान्तिकालीन शासन-व्यवस्था किये नीति के अनुसार चलेगी, इसके निर्णय का भार मंत्रि-मंडल पर है। मंत्रि-मंडल के प्रत्येक मंत्री के ऊपर एक या एकाधिक कार्यालय का भार रहता है। प्रधान-मंत्री मंत्रियों के कार्य विभागों का बंटवारा कर रहता है। मंत्रि-मंडल शासन के सिद्धान्तों का निश्चय मंडल के बहुमत से करता है, किन्तु अधिकतर सिद्धांत सर्व-सम्मति से ही स्वीकृत किये जाते हैं। मंत्रि-मंडल के दायों का विवरण-पत्र गुप्त रखा जाता है। सभी मंत्री मंत्रि-मंडल के सदस्य नहीं हैं। प्रधान मंत्री ही मंत्रि-मंडल का नेता होता है तथा वही लोक सभा के सदस्यों से अपने सदृश्योगियों को मननेतृत्व करता है इस समय भारत की लोक सभा ही भारतीय विधान सभा का कार्य करती है।

मंत्रि मंडल में ऐसा मंत्री भी जिसके ऊपर किसी विशेष कार्यालय का भार न हो वह सकता है तथा किसी कार्यालय का मंत्री होते हुए भी कोई व्यक्ति मंत्रि-मंडल का सदस्य नहीं भी रह सकता है।

राष्ट्रपाल मंत्रियों को नियुक्त करता है। लोक-सभा के बहुमत-पत्र का नेता ही प्रधान मंत्री नियुक्त किया जाता है। मंत्रि-मंडल की कार्यालय लोक-सभा के विश्वास काल तक ही है। लोक-सभा में अधिकास के पास किये गये संकल्प पर मंत्रि मंडल समाज ही जाता है।

मंत्रि-मंडल का अधिवेशन और उसकी कार्य-प्रणाली—प्रायः उपसाह में एक बार मंत्रि-मंडल का अधिवेशन होता रहता है। यदि राष्ट्रपाल वा प्रसीढ़ेट मंत्रि-मंडल के ममता किसी विषय में कोई प्रश्न उत्थापित करता है, या कोई विभागावय मंत्री किसी विषय पर आलोचना करता है तो इन सब

पर मंत्रिमंडल के अधिवेशन में विचार किया जाता है। इसी विभाग का तथा तथा अंच (फैस्ट्रॉप एंड लीगर्ज ) समझने की आवश्यकता रहने पर उस विभाग द्वा सचिव ( सकड़ा , मंत्री-मण्डल के अधिवेशन में उपस्थित रह सकता है। मन्त्री-मण्डल में मरमेद उपस्थित होने पर प्राप्त बहुमत को मान कर निर्णय छोड़ा जाता है।

### भारत शासन के विभिन्न कार्यालय

**विदेशीय विभाग ( फोरेन अफ़्यस )**—इस विभाग को पर-गार्ड विभाग भी कहते हैं। वंदेशी राष्ट्र, सुयुक राष्ट्र तथा अन्य वंदेशी संस्थाओं के सब भारत के समई तथा विदेशी राज्यों में स्थित भाग्यीय दूतावासों तथा भारत-स्थित विदेशी दूतावासों से सम्बन्धित विभाग का तत्वावधान इस विभाग द्वा काम है।

विदेशी अन्य विदेशी राष्ट्रों की सरकंरेश का कर्य वर्तमान विदेशी विभाग के अधीनस्थ है।

**गृह विभाग**—संघ की धार्मिक धर्मित-धर्मस्था की रक्षा का भार यह विभाग के ऊपर है। भाग्य की ( एडमिनिस्ट्रेट्रिव सेवा ) प्रदाता-सेवा विभिन्न और भाद्रस ( लो एड-आर्डर ), पुलिस ( रेफिल ), दारागार, बन्दो-प्राप्त, बान्धवान्तिक राजनीति आदि विषय गृह-विभाग के अधीनस्थ हैं। शान्तिप्राप्ति देश रक्षा की धर्मस्था भी इसी विभाग का काम है। इस विभाग द्वा उचाइन भारत के गृह बंदी करते हैं।

**अथ विभाग**—यह विभाग भरतरूप है। क्योंकि भारत की गारी वर्द्दनात इसी विभाग के अधीनस्थ है। गारूप का यहाँ वायरस-व्यवस्था इसी विभाग पर धारारक है। राष्ट्र-दातान में अव्यधिक पन का भव्य दोष है। राष्ट्र के दो और भाग्यों को यहाँ वर भव्य की धर्मस्था दरना इस विभाग का इराम

है। अर्थ-मंत्री भारतीय करों का निर्णयिक होता है। सभे संघ के विभिन्न विभागों के व्यव पर भी दृष्टि रखनी पड़ती है।

**विधि विभाग**—समस्त नवीन विधियों के निर्माण के लिये विधेयकों का प्राप्ति, द्वाष्ट ) प्रस्तुत करना इस विभाग का काम है। इस विभाग के मंत्री को विधि-मंत्री कहते हैं। वह विधि ( ला ) संबन्धी सभी बातों में शास्त्र को परामर्श देता है।

**वाणिज्य विभाग**—भारत का वाणिज्य, आयात और नियति शुल्क ( व्यूटो ) वाणिज्य संबन्धी तथा तथा अक्तों का संग्रह करता इत्यादि कार्य इस विभाग के जिम्मे है।

**शिविर उद्योग और प्रदाय ( सप्लाय ) विभाग**—उद्योग-पर्यों, शीयो-गिरि अनुसन्धान तथा प्रदर्शनों, अयुद्धालोन उद्योगों की चन्नति तथा युद्धोत्तर पुनर्व्यवस्था आदि को उच्छ्रित का भार इस विभाग पर है।

**दूसरी राज्य विभाग**—जिन देशों राजशों ने भारत संघ में योगदान किया है उनके भारत के साथ समर्क की रक्षा या तत्सम्बन्धी समस्याओं के समाधान का उत्तरदायित्व इस विभाग पर है।

**सहायता और पुनर्वास विभाग**—भारत में आये हुए शरणार्थी तथा दंगा आदि उपद्रवीं द्वारा दुर्दशाप्राप्त लोगों की सहायता तथा उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना इस विभाग का काम है।

**कृषि विभाग**—विभिन्न प्रान्तों एव राज्यों की कृषि चन्नति इस विभाग के जिम्मे है। देश की कृषि के सम्बन्ध में अनुसन्धान तथा अन्वेषण करना भी इसी विभाग का कर्तव्य है।

**खाद्य ( फूड ) विभाग**—सारे भारत को खाद्य समग्री का नियंत्रण, संग्रह उत्तराधिकार का इस विभाग का रिपोर्ट है। कृषि विभाग तथा खाद्य विभाग को एक में मिला देने की बात चल रही है।

**स्वास्थ्य विभाग**—लोगों की स्वास्थ्य सम्बन्धी सभी बारों का निरीक्षण, प्रबन्ध तथा लोक-स्वास्थ्य को उन्नति के लिये प्रयत्न करना इस विभाग का काम है।

**शिक्षा-विभाग**—समग्र भारत को शिक्षा नीति का संचालन इस विभाग के द्वारा होता है। यों तो शिक्षण संस्थाओं का संचालन तथा प्रबंध प्रान्तीय-शासनों का काम है परन्तु युद्धोत्तर शिक्षा को उन्नति तथा सुधार के लिये प्रयत्न करना इस विभाग का कर्तव्य है।

**देश-रक्षा विभाग**—भारत को प्रतिरक्षी स्थल, गगन एवं नौ सेना के प्रबंध तथा संचालन का भार रखा विभाग पर है। देश की रक्षा का संपूर्ण उत्तरदायित्व इसी विभाग पर है। इन तीनों सैन्य विभागों के अलग-अलग सेनापति हैं।

**यातायात ( संचार ) विभाग**—भारत के यान वाहनादि की व्यवस्था, सड़कें तथा रेलवे ( अयोमार्ग ) का देखभाल तथा प्रबंध जहाजों की व्यवस्था आदि कारों का भार संचार ( कम्युनिकेशन ) विभाग पर है।

**ग्रन्ति विभाग**—देश के श्रमिकों से संबंधित विषयों को देखना, सुनना इस विभाग का कर्तव्य है। डाक-टिकट ( स्टाम्प ) लेखन-सामग्री ( टेलेनरी ) तथा मुद्रण ( प्रिंटिंग ) आदि का नियंत्रण संबन्धी कई छोटे-मोटे कार्यालयों को सम्हालने का भार भी इस विभाग पर है।

**खान, सिचाई तथा विद्युतिविभाग**—खानों, जल-विद्युत और सिचाई की व्यवस्था का उत्तरदायित्व इसी विभाग पर है।

**उद्योग और वेतार विभाग**—वेतार ( आकाशवाणी ) संचालन, समाचार पत्र और चलचित्रों द्वारा प्रचार, देश के समाचार पत्रों के समाचारों की उपलब्धी, शहरों के धनुक्कूल, जनगत् के बनाना, रखना, आदि काम, एवं विभिन्न के अधीन हैं।

**शासन कार्यालय तथा विमानीय सचिव ( सेक्रेटरी )—ग्रन्ति**

विभाग के मंत्री के अधीन उस विभाग के कायों को संभालनेवाला एक सचिव ( सेक्रेटरी ) होता है। सचिव के अधीन युक्त-सचिव ( ज्यायन्ट सेक्रेटरी ) प्रतिसचिव ( हेप्पुडी सेक्रेटरी ) उपसचिव ( अंडर सेक्रेटरी ) तथा सहायक सचिव ( एसिस्टेंट सेक्रेटरी ) आदि होते हैं। प्रत्येक विभाग में पंजीकार ( रजिस्ट्रार ), अधीक्षक ( सुपरिनेटेंट ), लिपिक या किरानी आदि नीचे के कर्मचारी भी रहते हैं। भारत शासन के यही कार्य भारत-शासन-सचिवालय द्वारा संबलित होते हैं। मंत्रिमंडल शासन नीति निश्चित करता है तथा सचिवालय ( सेक्रेटरियेट ) उसे कार्यरूप प्रदान करता है।

**विभागीय-सचिव की पद मर्यादा—**भारत-शासन के विभागीय सचिवों की पद मर्यादा बहुत कुछ विभिन्न शासन के उपसचिव के समान है, सचिव प्रत्येक विभाग के सिद्धान्त संबन्धी अपना मतामत मंत्री के सामने प्रगट करता है। अपने विभाग ( डिपार्टमेंट ) संबन्धी आलोचना के समय वह मंत्रिमंडल में उपस्थित होकर आवश्यक तथ्यों को प्रदर्शित करता है। किन्तु किसी भी अवस्था में भारत के विभागीय सचिव का पद इलार्ड के स्थायों उपसचिव से थोड़ नहीं है।

**सचिव सापारणतः चार वर्ष तक अपने पद पर रहता है।**

**राजदूत—**प्रधान विदेशीय राज्यों में भारत-राष्ट्र का राजदूत रहता है। राजदूत के अभाव में वही का काम देखने के लिये एक भारप्राप्त प्रतिनिधि ( शार्ज-दो-अकेयर्स ) रहता है। भारतीय राजदूत देशों की भारत संबन्धी घटनाएँ भारत के विदेशीय विभाग को जनाता रहता है। इस प्रकार विभिन्न देशों के प्राय मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध तथा आदान-प्रदान को रक्षा भारतीय राजदूत का कर्तव्य है। चीन, अंगुख राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस, सोवियत संघ, बोलिझ्यम, द्वेरान, मिथ, तुर्क ( टर्की ) इर्लंड, पोर्तुगाल, मेजिल, अजेप्याइन आदि देशों में भारत के राजदूत

है। उपरोक्त देशों के राजदूत भारत में भी हैं। इन सब का संचालन विदेशीय विभाग के द्वारा होता है।

विटेन थित भारतीय हाई कमिश्नर ( उच्चायुक्त ) का काम—  
उच्चायुक्त ( १ ) गवर्नर जनरल के आज्ञानुसार भारतीय व्यापार तथा ठेका संबंधी कार्य कर सकता है। उक्तको आशा प्राप्त कर भारतीय प्रान्तों के व्यापार संबंधी कम कर देता है।

भारतीय स्टोर विभाग तथा छात्र विभाग वर्तमान हाई कमिश्नर के अधीन है। भारतीय ड्रेडकमिश्नर ( वाणिज्यायुक्त ) भी उसके कर्मचारियों में है। वहाँ के विभिन्न-प्रत्ति भारतीयों को देख-रेख भी हाई कमिश्नर का काम है।

झाड़ा, आष्ट्रोलिया, दक्षिण अफ्रिका आदि देशों में भी भारतीय हाई कमिश्नर हैं। ये सभी भारत के विदेशीय विभाग के अधीन हैं।

आशा है प्रजातन्त्री द्वाधीन भारत, हाई कमिश्नर का बदली करके राष्ट्र-दूत नियुक्त करेगा।

---

## अध्याय ८

### केन्द्रीय शासन : व्यवस्थापिका

इम भारत के शासन विभाग को आलोचना कर चुके हैं। अब हम केन्द्रीय व्यवस्थापिका को आलोचना करेंगे।

वर्तमान काल में भारत की सभी विधियों के निर्माण की शक्ति भारत के राष्ट्रपाल तथा केन्द्रीय व्यवस्थापिका को अद्वितीय कर दिया गया है। जब तक नवा विधान चालू नहीं हो जाता तब तक यह प्रशासनी चलती रहेगी। वर्तमान व्यवस्थापिका को नवीन विधान निर्माण की सारी शक्ति प्राप्त है। जब तक नवीन निर्माण द्वारा नवीन संसद् की रचना नहीं होती तब तक वर्तमान विधान सभा ही विधियों का प्रणयन करेगी।

भारतीय विधान सभा की रचना-भारत की वर्तमान विधान सभा प्रान्तों की विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा आनुगतिः निर्वाचित पदातिति के अनुनार गठित हुए हैं। तथा केन्द्रीय विधान सभाओं में कुछ सदस्य भारत सङ्ग के देशी राजाओं द्वारा भनोनीत या निर्वाचित हुए हैं।

भारतीय विधान सभा की पूर्ण संसद्या ३०७ है। इनमें मद्रास ४९, बम्बई २१, बंगाल २१, सुरुक्षांत ५५, पूर्वी पंजाब १६, विहार ३६, भर्षप्रांत और बरार १७, थासाम ८ ठड़ीसा ९ दिल्ली ९ अजमेर १, कूर्ग १, हिमाचल प्रदेश १, कच्छ १, महोमुर ७, त्रिवाकुर ६, बहौदा ३, कोचीन १, जयपुर ३, जोधपुर २, निकानेर १, मध्यभारत ७, सौराष्ट्र ४, मराठा ३, राजस्थान ४, विन्ध्य प्रदेश ४ पटियाला और पूर्वी पंजाब ३, जूनागढ़ १, कोल्हापुर १, मयूर भज १, सिक्किम और कूचबिहार १, त्रिपुरा और मणिपुर १, रामपुर और बनारस १, कास्मीर ४

तथा चम्बई, मद्रास, राजसा और मध्यप्रदेश के छोटे राज्यों के १३ सदस्य हैं।

**विधान सभा का कार्य—** वर्तमान विधान सभा को दो तरह के काम करना था : -

(१) उसने भारत का नवीन विधान प्रस्तुत किया है।

(२) भारत के अन्तर्वर्ती काल के लिये आवश्यक विधियाँ बनाती आई हैं।

यदि १९३५ के भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रदत्त केन्द्रीय विधान मण्डल के सभी अधिकारों का उपभोग करती है। तथा भारत स्वाधीनता अधिनियम १९४७ के अनुसार विधान निर्माण संबन्धी तथा भारत के आर्थिक विषय संबन्धी शक्तियों का उपभोग करती है। नये विधान के अनुसार नवीन संसद् के संघटन होने पर वर्तमान विधान सभा निवृत्त हो जायगी।

**सदस्यता तथा स्थान ( आसन ) रिक्त—** प्रत्येक सदस्य को सदस्यता का स्थान ( आसन ) प्रदण करने के पहले सभा की पंजी ( रजिस्टर ) में इस्ताझर करना होता है। सदस्य सभापति को त्याग-पत्र देकर पद त्याग कर सकता है। यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य का स्थान किसी कारण से रिक्त हो जाय तो नवीन सदस्य का निर्वाचन, निर्वाचन मण्डली के सङ्कल संक्षाम्य मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधान पद्धति ( प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेशन ) के अनुसार होगा। भारतीय नागरिक के अतिरिक्त अन्य कोई अक्षिक्त निर्वाचित नहीं हो सकेगा।

**सभापति—** विधान सभा के सदस्यों ने अपने बीचमें से एक सदस्य को सभापति चुना है। इसका काम विधान सभा के अधिकारों की रक्षा करने की चेष्टा करना, विधान सभा के प्रतिनिधि तथा उत्तरदायी के हैसियत से काम करना तथा सर्वोच्च पद धारण करना है। वे जब तक विधान सभा के सदस्य रहेंगे तभी तक सभापति भी रह सकेंगे। यदि किसी कारण से वे सभा के सदस्य न रहें तो वे सभापति पद से भी विद्युत हो जायेंगे। विधान सभा के कर्म सर्विव तथा सभा के सदस्यों को त्यागपत्र देकर सभापति पदत्याग कर सकेंगे।

**उपसभापति**—विधान सभा के पांच उपसभापति होंगे। इनमें से दो उप सभापतियों का निर्वाचन विधान सभा के सदस्य करें। शेष उपसभापति अभागति द्वारा मनोनीत होंगे।

यदि जोड़े उपसभापति पदत्वाग करे तो रिक्त स्थान की पूर्ति निर्वाचन द्वारा कर ली जायगी। सभापति की अनुपस्थिति में उनके द्वारा मनोनीत कोड़े उपसभापति सभा का सभापतित्व करेगा। यदि सभापति और सभी उपसभापति अनुपस्थित हों तो सभा उस दिन के कार्य सचालन के लिये अपने किसी सदस्य को सभापति निर्वाचित करेगी।

**विधान सभा का कार्यालय**—विधान सभा के कार्यालय की दो शाखाएँ हैं—शाकीय शाखा ( एडमिन्स्ट्रेटिव ब्रांच ) तथा परामर्शदात्री शाखा ( एडमाइंजरी ब्रांच )। सभापति द्वारा नियुक्त शाकीय परामर्शदाता परामर्शदात्री शाखा का प्रधान वर्म सनिव होता है। कार्यालय का भार एक उचिव ( सेक्रेटरी ) के लिये रहता है।

**कार्य प्रणाली**—विधान सभा का अधिवेशन ग्राम्भ होते के पूर्व सचिव, आलोच्य विद्यों की एक तालिका ( सूची ) तैयार करता है तथा इसकी प्रतिलिपियाँ प्रत्येक सदस्य को भेज देता है। इस तालिका ( सूची ) को दिन की कार्याबिलि कहते हैं।

**भाषा**—हिन्दी और अंग्रेजी विधान सभा की भाषा है। इसके कार्य विवरण भी इन्हीं दो भाषाओं में लिखे जाते हैं।

**विधान सभा की शक्ति**—विटेन, फौस आदि देशों की संसद् ( पालियामेंट ) सार्वभौम सत्तावनी है। इन देशों का शासन विभाग संसद् के अधीन है। इन संघर्षों की रचना वहाँ के लोक प्रतिनिधियों द्वारा होती है तथा इसके द्वारा वहाँ की जनता की इच्छा-आकाशा की अभिव्यक्ति होती है। अतएव संसद् की सार्वभौम सत्ता वालीय है। दूसरी भौत शासन विभाग की रचना वैतनिक सेवकों द्वारा

होती है। जनता की इच्छा को कार्य रूप देने के लिये ही इनको नियुक्ति होती है। ये जनता के वेतन-भोगी सेवक मात्र हैं। अतएव शासन विभाग के ऊर चंसद् का नियंत्रण आवश्यक है।

इसीलिये इन सब देशोंमें संसद् केवल विधि निर्माणी सभा मात्र नहीं है। अपितु वह वहाँ को समूर्ण शासन-सत्ता तथा लार्यिक व्यवस्था का नियंत्रण करने की शक्ति भी रखती है।

विधान सभा को विधि निर्माण की शक्ति—निम्नलिखित व्यक्ति, वस्तु तथा विषयों के सम्बन्ध में विधान सभा को विधि ( कानून ) बनाने की शक्ति दी गई है।

( क ) भारत के सभी व्यक्ति, सभी न्यायालय, सभी स्थान तथा वस्तु सम्बन्धी;

( च ) भारतके किसी भी भागमें बसनेवाली सारी प्रजा तथा कर्मचारी सम्बन्धी;

( ग ) भारत या भारत के बाहर रहने वाली भारतीय नागरिक सम्बन्धी;

( घ ) भारतीय स्थल, विभान और नौ सेनायें, तथा इनमें नियुक्त सभी व्यक्तियों ( वे जहाँ कहीं भी रहें ) के सम्बन्ध में;

( छ ) भारत में प्रचलित किसी भी विधि को परिवर्तित करना या रद्द कर देना तथा भारतीय विधान सभा जिन व्यक्तियों के सम्बन्ध में विधि बना सकती है, उनके सम्बन्ध में प्रयुक्त होने वाली विधि में परिवर्तन करना या रद्द कर देना।

विधान सभा की विधि सम्बन्धी शक्ति—राष्ट्रपाल की पूर्ण शास्त्रीयता के बिना विधान सभा में निम्नलिखित विषयों में कोई विभेद उत्थापित करना अवैध माना जायगा:—

( १ ) भारतीय भाषा तथा शासन-क्रण;

( २ ) भारतीय प्रजा का पर्माचारण;

- ( ३ ) भारत की स्थल, जल और विमान सेना के किसी विशेष अंतर या इनकी शुद्धता की रक्षा;
- ( ४ ) विदेशी राज्य संबंधी;
- ( ५ ) जिन प्रान्तीय विषयों में विधि निर्माण की शक्ति भारतीय विधान सभा को नहीं दी गई है ऐसे किसी प्रान्त का नियंत्रण संबंधी;
- ( ६ ) प्रान्तीय व्यवस्थापिका की किसी विधि का संशोधन करना या उसे रद्द करना।

( २ ) आर्थिक विषयों की शक्ति—प्रत्येक स्वाधीन देश में आर्थिक विषय वहाँ के संसद् द्वारा नियंत्रित होते हैं। जनता कर देती है। इसलिये करदान, कर की वसूली तथा प्राप्त धारगम के व्यव के सम्बन्ध में जनता की स्वीकृति आवश्यक है। संसद् के सदस्यों द्वारा जनता अपना मतामत व्यक्त करती है।

**आयव्ययक ( बजट )**—प्रत्येक वर्ष के आयव्यय का आनुमानिक हिसाब, एक विवरण ( रिपोर्ट ) के साथ विधान सभा के समझ रखा जाता है। इस आनुमानिक हिसाब को आयव्ययक ( बजट ) कहते हैं।

( १ ) राज्य के धारगम का अधिकांश धन करों द्वारा प्राप्त होता है। धारगम संबंधी विधेयकों को मुद्रा विधेयक ( मनी बिल ) कहते हैं। कोर्ट कर लगाने के पहले विधान सभा में तत्संबंधी विधेयक पास ( पारित ) कराना होता है।

( २ ) प्रिंटेन और फ्रांस की तरह, भारत के धारगमों पर प्रचृत सभी व्यय, विधान सभा में मतदान के लिये रखा जायगा। विधान सभा को हन सभी व्ययोंके स्वीकार करने, अधीकार करने तथा इन में कमी करने का अधिकार है।

( ३ ) शासन संबन्धी शक्ति—स्वाधीन देशों की संसद् वहाँ के शासन विभाग का नियंत्रण करती है। शासन विभाग के कर्मचारीगण वहाँ की जनता के पैदानिक सेवक मात्र हैं। अतएव जनदायापारण के प्रति अपने कर्तव्यों को यथोचित रीति से संपादन न करने पर उन्हें अपने पक्षों पर रहने का अधिकार नहीं है।

विधान सभा ही जनता की प्रतिनिधि है। अतएव विधान सभा के हाथ में इनको बदली और बरखास्तगी का रहना युक्ति संगत तथा आवश्यक है।

भारत में विटिश राज्य काल में नौकरशाही ही सर्वेसर्वां थी। जन सेवक ( शासन-कर्मचारी ) देश के स्वामी के भत का व्यवहार करते थे। नयी व्यवस्था में विधान सभा शासन विभाग की पूर्ण रूप से अधिकारियों है। किन्तु यह सत्य है कि अभी तक भारतीय जन सेवकों ( शासन विभाग के कर्मचारियों ) के हृदय से नौकरशाही की प्रमुता का प्राचीन भाव पूर्णरूप से हटा नहीं है।

भारत-शासन अपने शासन कार्यों में भारती विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है। उत्तरदायित्व पूर्ण शासन व्यवस्था के विषय में यदि शासन ( गवर्नरेट ) के प्रति विधान सभा का विश्वास न रहे तो शासन को पदलगा करना पड़ेगा।



## अध्याय ९

### केन्द्रीय शासन तथा प्रान्तीय शासन के बीच शासन विषयों का विभाजन

भारत शासन विधान १९१६—१९१९ के शासन विधान में भारत के सामरिक एवं असामरिक शासन का नियंत्रण एवं परिचालन की जिम्मेदारी सपाई-पद् गवर्नर जनरल के हाथ में थी। गवर्नर जनरल इंगलैंड स्थित भारत-मंडी के निर्देश से शासन कार्य चलाते थे। उस समय भारत का शासन एक केन्द्रीय (एकांगीय) होते हुए भी शासन-न्युविधा की टृष्ण से केन्द्र और प्रान्तों के बीच शासन-विषयों का विभाजन किया गया था। देश रक्षा, दाक और तार विभाग, मुद्रा शुल्क (बलि) देशी राज्य आदि सार्वदेशिक स्वार्थ सम्बन्धी विषय केन्द्र के अन्तर्गत रखे गये थे। प्रांदेशिक शासन व्यवस्था, शिक्षा, स्थायत-शासन, विधि और व्यवस्था की रक्षा, इत्यादि विषयों का परिचालन प्रान्तीय शासन के अधीन रखे गये। किन्तु प्रान्तीय सरकारों को सदा केन्द्रीय सरकारों के बनुवती रूप में काम करना होता था।

१९३५—प्रान्तों के स्वशासन और केन्द्र में संघ शासन के प्रत्यावर के कारण उपर्युक्त पुरानो व्यवस्था में परिवर्तन करना आवश्यक हो गया। १९३५-३० के भारत शासन विधान में केन्द्र तथा प्रान्तों के विधि निर्माण के विषयों की तालिका में स्पष्ट रूप से विभाजन कर दिया गया। स्थिर यह हुआ कि (१) कुछ विषयों के सम्बन्ध में केवल केन्द्रीय व्यवस्थापिका, (२) कुछ विषयों में केवल प्रान्तीय व्यवस्थापिका, तथा (३) कुछ विषयों में दोनों ही व्यवस्थापिका-समाँ, विधि निर्माण कर सकेंगी।

१९३५ ई० के विधान के संघ शासन का अंश भारतीय जनमत के तीव्र विरोध के कारण व्यवहार में न आ पाया।

नवीन शासन विधान में विषय विभाजन—नवीन शासन विधान में विषयों का विभाजन निम्नलिखित रीति से किया गया है :—

केन्द्रीय या संघीय तालिका (युनियन और फेडरल सब्जेक्ट्स) —भारत संघ की व्यवस्थापिका सभा केवल संघीय-तालिका में उद्दिष्ट विषयों पर विधि निर्माण कर सकती तथा इन विषयों पर संघ के सदस्य राज्यों को विधि-प्रणयन का कोई अधिकार नहीं होगा। संघीय तालिका इस प्रकार है :—

- ( १ ) रक्षा विभाग ( देश रक्षा व्यवस्था तथा सेनाओं के सहित )।
- ( २ ) विदेशीय विभाग, युद्ध और शान्ति, कूटनीतिक संपर्क दूत विनियम, वाणिज्य पतिनिधित्व, संयुक्त राष्ट्र संघ।
- ( ३ ) सुरक्षा का प्रचलन तथा उसकी उपकार, तथा रिजर्व बैंक आव इण्डिया।
- ( ४ ) संघ की समर्ति, शासन कार्य तथा उत्तर वेतन ( पैसात )।
- ( ५ ) डाक और तार विभाग, अयोमार्ग ( रेलवे ) जलपय, पोत ( जहाज ) बड़बड़े अन्दरगाह ( पत्तन ) तथा ज्योतिस्तम्भ ( साइट दावस )।
- ( ६ ) विदेशीय वाणिज्य तथा भारत में स्थायी रूप से वसी हुए विदेशी प्रजा।
- ( ७ ) जन गणना, तथ्य तथा अंक विभाग, भू-मापन या पैमाइश, ( सर्वे ), केन्द्रीय छोटुकाल्य या जाकूपर ( म्यूजियम ) तथा अनुसंधान संस्थायें।
- ( ८ ) अधिकोप व्यवसाय ( बैंक विनियेत ), बीमा ( आगोप ) धनादेश ( चेक ) अर्पण पत्र ( नोट ), विपत्र ( बिल ) तथा विनियम ( एससेंज )।
- ( ९ ) गोमित उमितियाँ ( चौथ कारसार ), तथा उसके ऊपर का फर।
- ( १० ) दारो, अलीगढ़ तथा दिल्ली विश्वविद्यालय, तथा दूसरे राष्ट्रीय महत्व के विश्वविद्यालय।

- ( ११ ) केन्द्रीय शासन के अधीन कर्मचारियों की नियुक्ति तथा लोकन्देवा-धायोग ( पब्लिक सर्विस कमीशन ) ।
- ( १२ ) केन्द्रीय शिलोनन्ति, एकस्व अधिकार ( पेटेन्ट राइट ) तथा पत्र चिह्न ( ट्रैट मार्क ) ।
- ( १३ ) पेट्रोल, नमक तथा अफीम ( अहिफेन ) ।
- ( १४ ) भारतीय व्यवस्थापिका सभा का निर्वाचन ।
- ( १५ ) सर्वोच्च न्यायालय ।
- ( १६ ) भारतीय व्यवस्थापिका के सभापति तथा सदस्य का निर्वाचन ।

राज्यों या प्रान्तों की तालिका ( स्टेट और प्राविसियल सर्वजे-कट्टस ) — केवल संघ में योग देने वाले ( संघ के सदस्य ) राज्यों तथा प्रान्तों को लिम्लिखित तालिका के विषयों पर विधि बनाने का अधिकार होगा । तथा उस राज्य या प्रान्त के अधिकार क्षेत्र में ही तथा प्रस्तुत विषयोंका प्रभाव होगा । इस तालिका के विषयों पर सब व्यवस्थापिका को विधि प्रणयन का अधिकार नहीं होगा :—

- ( १ ) विधि और व्यवस्था ( आदेश ) ।
- ( २ ) सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त अन्य न्यायालय तथा न्याय ।
- ( ३ , कारागार ( जेल ) ।
- ( ४ ) अस्पताल ( चिकित्सालय ) आरोग्य मन्दिर, ( सेनिटोरियम ) इत्यादि लोक-संस्थायें ।
- ( ५ ) प्रान्तीय शासन के अधीन सेवकों की नियुक्ति तथा प्रान्तीय-लोकन्देवा-धायोग ( पब्लिक सर्विस कमीशन ) ।
- ( ६ ) प्रान्तीय सिचाई विभाग ।
- ( ७ ) प्रान्त के घन से पस्तिलित कौतुकालय ( जादूघर ) तथा पुस्तकालय ।
- ( ८ ) प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों का निर्वाचन ।

- ( ९ ) जन स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य रक्षा की व्यवस्था ।
- ( १० ) शिक्षा ।
- ( ११ ) स्थानीय योगायोग ( आत्मगमन ) की व्यवस्था ।
- ( १२ ) कृषि ।
- ( १३ ) बन ।
- ( १४ ) खनि ( खदान ) ।
- ( १५ ) मरुत्यु पालन ।
- ( १६ ) दाढ़ी की सहायता तथा बेकार ।
- ( १७ ) सदृशारी समिति ।
- ( १८ ) चान्दी और जुआ ( घूत ) ।
- ( १९ ) प्रान्तीय तथ्य और अंक विभाग ।
- ( २० ) भू-आगम ( मालगुजारी या लेण्ड रेवेन्यू ) ।
- ( २१ ) कृषि आयदर निधारण ।
- ( २२ ) जन्म, मृत्यु और उत्तराधिकार कर ।
- ( २३ ) प्रति व्यक्ति ( पर वेपिटा ) कर ।
- ( २४ ) ध्यावार और वाणिज्य कर ।
- ( २५ ) भोज्य, आमोद-प्रमोद, चान्दी, जुआ ( घूत ) तथा विदाह-वसुओं पर कर,

समानाधिकार तालिका ( काकरेन्ट लिस्ट आब सब्जेक्ट्स )—  
निम्नलिखित विषयों पर तथ्य व्यवस्थापिका तथा राज्यों या प्रान्तों की व्यवस्थापिका को विधि निर्माण का समान अधिकार होगा—

### प्रथम अंश

- ( १ ) दृढ़ विधि ( फौजदारी दानव तथा दृढ़-दाये द्रपादी ) ।
- ( २ ) दिल्ली या अमरदर दाये द्रपादी ( मुंबई प्रौद्योगिकी ) ।

- ( ३ ) साक्ष्य ( गवाही ) और शक्ति ।
- ( ४ ) विवाह और विवाह विच्छेद ।
- ( ५ ) टेका ( कान्द्राकट ) ।
- ( ६ ) दिवालियापन या शोधज्ञमता ( इनसालबैंडी ) ।
- ( ७ ) मुद्रणालय ( छापाखाना ) ।
- ( ८ ) विधि, चिदित्सा तथा अन्य पेशा ( शृंति ) ।
- ( ९ ) विपाक तथा उत्तरनाक औषधि, अम्ल इत्यादि ।

## द्वितीय अंश

- ( १० ) स्वास्थ्य वीमा ( स्वास्थ्य-प्रबंधिता ) ।
- ( ११ ) वार्षिक वा उत्तरवेतन ( चुदाए का दैनन्दिन ) ।
- ( १२ ) कारखाने ( निर्माणी ) का अधिनियम ( फैक्टरी एकट ) ।
- ( १३ ) अभिक कल्याण ।
- ( १४ ) अभिक संघ ( मजदूर यूनियन ) और मालिक-मजदूर के महावे ।
- ( १५ ) विद्युत ( विजली ) ।
- ( १६ ) चलचित्र अनुमोदन ( फ़िल्मों को आज्ञादान ) ।
- ( १७ ) आविक तथा सामाजिक परिकल्पनायें ।

साधारण अवस्था में सभ प्रान्तीय विषयों में हस्तक्षेप नहीं करेगा किन्तु देश की आन्तरिक अवस्था में युद्ध कालीन स्थिति में राष्ट्रपति सारे भारत में शान्ति तथा सुरक्षा को संकट प्रस्त घोषित कर आपत्कालीन घोषणा द्वारा प्रान्तों के सभी विषयों के नियंत्रण का अधिकार सभ को दे सकेगा । तथा आपत्कालीन विधि बना सकेगा ।

अवशिष्ट शक्ति—तालिका में जिन विषयों का उत्तरेत नहीं है वे संघ की व्यवस्थापिका के अधिकार में होगे ।

समानाधिकार विषयों की तालिका के सम्बन्ध में केन्द्र तथा श्रान्तों या राज्यों में विरोध की स्थिति आ पड़ने पर प्रान्त या राज्य का निर्णय अमान्य हो जादगा। तथा सुप्रबन्धप्राप्तिका की विधि ही मानी जादगी।

---

# अध्याय १०

## प्रान्त समूह

पहले केन्द्रीय शासन सारे भारत का सर्व सत्राधारी था। प्रान्तीय-शासन सभी विषयोंमें केन्द्र के अधीन थे।

'मान्टेम्यू नेम्सफ़ोर्ड रिपोर्ट' में कहा गया कि प्रान्तोंको आधार मानकर ही देशमें उत्तरदायी शासनकी व्यवस्था करनी होगी।

प्रान्तोंको स्वायत्तशासन प्रदान करने का अर्थ है, उन्हें विधि-निर्माण, प्रान्तीय शासन व्यवस्था, तथा आर्थिक विषयों की यथा संभव स्वाधीनता दी जाय। इस प्रकार स्वाभिकार प्राप्ति को 'प्रान्तीय उत्तरदायी शासन' कहा जाता है।

### प्रान्तीय उत्तरदायी शासनके पक्षमें तर्क

(१) प्रान्तीय उत्तरदायी शासन की मांग प्रान्तोंकी भीगोलिक, अर्थनैतिक तथा जातीय ( racial ) रेसियल दंखाओंके आधार पर अवलंबित है।

(२) कम-कमसे बहुती हुई प्रान्तीय स्वाधीनता ( प्रान्तीयता ) की मावना इस मायिको अधिक हड़ कर रही है।

(३) वर्तमान भाषाओं के आधार पर प्रान्तोंका पुनर्गठन हो रहा है। विहारी, पञ्चायी, मराठे, आसामी, करनाटकी आदि प्रत्येक जाति अपनी अपनी अवस्था में शोषण उभतिके पथ पर अग्रवर होना चाहती है। ऐसा प्रान्तीय उत्तरदायी शासन के बिना संभव नहीं है।

### वर्तमान प्रान्त समूह

प्रान्तनाम	मंत्रिमंडल	विधानसभाकी	प्रधान मंत्री
	स्थान	(सीठ) संरच्छा	
आसाम	कौप्रेस	६८	श्री गोपीनाथ बारदोलई

बगाल	कांप्रेस	८४	डा० विधान चन्द्र राय
बिहार	कांप्रेस	१५२	श्री श्रीकृष्ण सिंह
बम्बई	कांप्रेस	१७२	श्री वि० जी० खेर
मध्य प्रदेश और बरार	कांप्रेस	१११	श्री रविशंखर शुक्ल
मद्रास	कांप्रेस	२१२	श्री ओ० पी० रेडी
उड़ीसा	कांप्रेस	६०	श्री हरेकृष्ण मेहताब
पूर्वी पंजाब	कांप्रेस	७५	डा० गोपीचन्द भार्गव
मध्युक्त प्रांत	कांप्रेस	२२५	श्री गोविन्दबलभ मंत

**पाकिस्तान—**पाकिस्तानमें प्रान्तीय शासक द्वारा शासित ४ प्रान्त हैं—पूर्वी बगाल ( पूर्वी पाकिस्तान ) सिन्धु पश्चिमी पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत । केवल एक ब्रेदूचिस्तान, मुख्यायुक्त ( चीफ कमिस्नर ) शासित प्रान्त पाकिस्तान में है ।

## अध्याय ११

### वर्तमान प्रान्तीय शासन : शासन विभाग

**प्रान्त शासक**—भरवाशी शासन-विधान ( गारलीय स्वाधीनता अधिनियम १९४७ ) के अनुसार इंडियन का राजा, भारत सरकार के परामर्श से प्रान्त शासक नियुक्त करता था । इन्हु १९५० में भारतीय प्रजातन्त्र की स्थापना के बाद प्रान्तीय शासकों की नियुक्ति भारत के गद्दपाल करेंगे ।

प्रान्त शासक प्रान्तके सर्व ध्रेष्ठ शासन कर्ता होते हैं । नियुक्तिके समय कार्य संचालनार्थ इन्हें एक निदेश ( इन्स्ट्रुमेंट आव इन्स्ट्रुक्शन ) दिया जाता है । प्रान्तीय मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुकूल शासक को चलना पड़ता है । वे प्रान्तके महाधिविका ( एड्वोकेट जनरल ) नियुक्ति दरते हैं ।

पुराने शासन विधान में प्रदत्त विशेषाधिकार के कारण प्रान्त शासक वास्तविक भर्षमें सर्वोच्च सत्ताधारी थे, किन्तु १९४७ ई० से विशेषाधिकार की समाप्ति के कारण वे केवल वैधानिक शासक रह गये हैं ।

**मंत्रि मंडल**—शासन कार्यमें प्रान्त शासक को सहायता तथा परामर्श देने के लिये प्रत्येक प्रान्तमें एक मंत्रिमंडल है । मंत्रियों की सरब्या विधान द्वारा नियित नहीं की गई है ।

प्रान्त-शासक अपने मतानुसार प्रान्त की विधान सभा के बहुमत पश्चके नेताओं मुख्य मंत्री या चीफ मिनिस्टर नियुक्त करते हैं तथा मुख्य मंत्री के परामर्शके अनुसार अन्य मंत्रियोंको नियुक्त करते हैं । कोई मंत्री यदि विधान सभा का सदस्य न रहे तो उसे छः महीनों के अन्दर सदस्य निर्वाचित होना होगा । अन्यथा इस अवधिके बाद वह मंत्री नहीं रह सकेगा ।

प्रान्त शासक और मंत्रिसभा का सम्बन्ध—प्रान्तीय शासन प्रान्त शासक के नाम पर मंत्रिमण्डलके द्वारा परिचालित होता है। सभी शेषोंमें प्रान्त शासक के बेल वैधानिक शासक के रूपमें व्याप करते हैं।

‘वस्तुतः मंत्रिगण ही शासन करते हैं’। व्यवस्थापिकाके समक्ष शासन कार्य के निमित्त मंत्रिमण्डल ही उत्तरदायी है। साधारणतः प्रत्येक मंत्री अपने अपने कार्यालय के शासन फौ परिचालना करते हैं। सच तो यह है कि प्रान्त शासक इकलैंडके राजा के सामान वैधानिक शासक भर है। शासन कार्य को सुविधा के लिये मुख्य मंत्री अन्य मंत्रियोंमें कार्यालयों का विभाजन कर देते हैं।

मंत्रि मंडल और व्यवस्थापिका—जबीन शासन विधान के अनुसार प्रान्त शासक मंत्रियोंको नियुक्त करते हैं। ऐसा व्यक्ति, जो व्यवस्थापिका का सदस्य नहीं है, यदि मंत्री नियुक्त किया जाय तो उसे छः मास की अवधिमें व्यवस्थापिका का सदस्य नियांचित होना दोगा।

प्रान्त शासक व्यवस्थापिका के बहुमत पक्षके नेता को मुख्य मंत्री नियुक्त करते हैं। मंत्रि मण्डल का कार्यकाल, विधानतः प्रान्त शासक की इच्छा पर निर्भर है, इन्तु वस्तुतः यदि व्यवस्थापिका के विद्यास काल तक है। व्यवस्थापिका का विराग न रहने पर मंत्रि मण्डल को पद्धताग करना होता है। मंत्रिमण्डल अपने शासन कार्य तथा नीति के सम्बन्धमें व्यवस्थापिकाके प्रति सामूद्रिक रूपसे उत्तरदायी होता है इस प्रकार यह व्यवस्थापिका के द्वारा नियंत्रित है।

व्यवस्थापिका यिह द्वारा मंत्रियों का बेतन नियंत्रित करती है। प्रान्तीय शासन विधायक मंत्रियों के उत्तरदायित्व को मंत्रि मंडल द्वा उत्तरदायित्व ( मिनिस्ट्रियल रिप्लोनिशियलिट ) कहा जाता है।

प्रान्तीयी शासन नीति तथा शासन कार्यों के लिये मंत्रिगण उत्तरदायी हैं।

## प्रान्त-शासक की शक्ति

प्रान्त शासन के सभी कार्य प्रान्त शासक के नाम से किये गये कहे जाते हैं । पर बस्तुतः मंत्रिगण ही कार्योंके संचालक होते हैं ।

**व्यवस्थापिका सम्बन्धी शक्ति**—(क) व्यवस्थापिका के विधानित कालमें, अवध्यक प्रयोजन समझने पर प्रांत शासक मंत्रि मण्डलके परामर्श से अध्यादेश (आडिनेन्स) प्रवर्तित (जारी) कर सकते हैं । प्रान्तीय व्यवस्थापिका का अधिवेशन प्रारम्भ होने के छः सप्ताह बाद ऐसे अध्यादेश रद्द हो जाते हैं । व्यवस्थापिका यदि चाहे तो छः सप्ताह के पहले भी अध्यादेश को रद्द कर दे सकती है । सत्य तो यह है कि ऐसे अध्यादेशोंके प्रवर्तन का उत्तरदायित्व भी असलमें मंत्रिमण्डल पर ही है । क्यांडि उसोंके परामर्श के अनुपार प्रांत शासक अध्यादेश प्रवर्तित करते हैं ।

(ख) **विशेषाधिकार (विटो)**—प्रांत शासक व्यवस्थापिका द्वारा पात्र किये हुए (पारित) किसी विवेयक को स्वेच्छाजुसार अनुमति दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं अथवा विवेचना के लिये राष्ट्रपाल के पास भेज सकते हैं । पहले विधान में प्रान्त शासक को व्यवस्थापिका की राय ही रद्द करने का जो विशेषाधिकार (विटो) प्राप्त था वह अब नहीं रहा । लोक-निर्वाचित व्यवस्थापिका द्वारा स्वीकृत विधेयक को श्रान्त शासक वैधानिक शासक के हाथमें स्वीकार कर लें, अस्वीकार न करें । हाँ, विशेष परिविति में वे पुनर्निचार के नाम पर कुछ समय निकाल ले सकते हैं । पूर्णतः अस्वीकार करना तो भण्टनंत्र से विरोध करना होगा ।

**आर्थिक विषय सम्बन्धी शक्ति**—प्रांत के अग्रम से व्यय के लिये धनकी मांग प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा से श्रीतशासकके नाम पर को जायगी । मांग को स्वीकार अस्वीकार छिन्ना कर करके स्वीकार करने का अधिकार व्यवस्थापिका को होगा । इन्हुंनी प्रांत शासक ही अर्थ व्ययकी मांग कर सकेगा । प्रान्तीय व्यव-

स्थापिका द्वारा स्वीकृत भाष्यव्ययके ( बजट ) को प्रांत शासक अनुमति प्रदान करेगा ।

नवीन शासन विधानमें प्रान्त शासक का स्थान—भारतीय विधान सभा द्वारा स्वीकृत नवीन विधानमें प्रांत शासक की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपतिड्डो दिया गया है । विधानके प्राणा ( द्राफट ) में प्रांत शासक के निर्वाचन अभवा निर्वाचित चार व्यक्तियोंमें एक को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्तिका प्रावधान ( प्रोवीजन ) दिया गया था । किन्तु विधान सभाने इस अनुच्छेद ( आटिकल ) में प्रान्त शासक के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निर्वाचनके प्रावधानको हटा कर ( अस्वीकार कर ) नियुक्ति का पूरा अधिकार राष्ट्रपतिके हाथमें दे दिया है ।

प्रांतीय शासनको मुटद रखनेके उद्देश्य से विधान सभा द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है । ताकि प्रांतोंमें मंत्रियोंके शासनमें जब अव्यवस्था या अवांछी पूर्ण घुटिया उत्पन्न हो और दूनके कारण देशको एकता पर आंच आवे तो राष्ट्रपति प्रांतके शासन को अनन्त हाथमें सुलता पूर्वे ठे सके ।

---

## अध्याय १२

### वर्तमान प्रान्तीय शासन, विधि विभाग

प्रान्तीय आइन सभा या विधान मंडळ—प्रत्येक प्रांतमें प्रांत शासक और व्यवस्थापिका को मिलाकर एक विधि बनाने वाली संस्था (विधान मण्डल) गठित हुई है। मद्रास, बम्बई, संयुक्त-प्रांत तथा बिहारमें प्रांत शासक तथा दो आगारों, १-विधान परिषद् ( लेजिस्लेटिव बॉर्ड ) २-विधान सभा ( लेजिस्लेटिव एसेम्बली ) को लेफ्टर विधि बनाने वाली संस्था ( विधान मण्डल ) बनी है।

प्रान्तीय व्यवस्थापिका या विधान मंडल की रचना—मंत्रियों सहित प्रांती की व्यवस्थापिका पूर्ण स्पष्टे गैर सरकारी ( अशाखीय ) व्यक्तियों द्वारा गठित होती है। उत्तरागार ( अगर हाडप ) के योड़े से सदस्य प्रांत शासक द्वारा मनोनीत होते हैं। इनके द्वितीय दोष सभी निर्वाचित सदस्य ही रखते हैं। विधान सभा की सदस्य संख्या इस प्रकार हैः—संयुक्त प्रांत २२६, मद्रास २१२, बम्बई १७२, बंगाल ८४, पूर्वी पंजाब ७८, बिहार १५०, मध्य प्रांत १११ और आसाम ६८।

निर्वाचक निकाय—१९३५ ई० के भारत शासन विधानके अनुसार भारतके १४ प्रतिशत लोग या कुछ साढे तीन करोड़ लोगों को मतदानका अधिकार प्राप्त है। मतदानको यह अधिकार सम्पत्ति, करदानकी शक्ति, या शिक्षा की योग्यता के आधार पर दिया गया है। लोकप्रिय सरकार ( शासन ) का वास्तवमें लोकप्रिय बनानेके लिये मतदानके अधिकार को व्यापक बनाना आवश्यक है। नवीन विधानमें सभी बालिङ ( प्रीड ) व्यक्तियों का मतदान करने के अधिकार की नीति स्वीकृत हुई है।

निर्वाचक ( चाय के बगीचे का मालिक ) निकाय का साधारण तथा विशेष निर्वाचन क्षेत्रोंमें विभाजन दिया गया है। साधारण निर्वाचन क्षेत्रके ( अनुसृचित

जातियोंके लिये सुरक्षित स्थानों के साथ ) मतशता प्रधानतः हिन्दू हैं। मुसलमान, सिख, योरपीय, एवं लो इण्डियन तथा भारतीय विस्तान सम्प्रदायोंमें प्रत्येक के लिये विशेष निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था है। इनके सिवा वाणिज्य, वित्त, खनि ( सानों ) जमीनदार आदि स्थिर स्वाधीनों तथा विश्व विद्यालय, धर्मिक और महिलाओं के लिये सुरक्षित स्थान ( आसन ) हैं।

व्यवस्थापिका की कालावधि तथा अधिवेशन--प्रत्येक व्यवस्थापिका की कालावधि ५, वर्षों की होती है। किन्तु प्रान्तशासक ( गवर्नर ) परि चाहे तो इस कार्यकालको इसके पद्धते भी समाप्त कर सकते हैं।

वर्षमें कम से कम एक बार विधान सभा का अधिवेशन होगा। प्रान्तशासक अपने इच्छानुसार विधान-सभा का अधिवेशन बुला सकेंगे, अधिवेशन स्थगित रख सकेंगे या विधान-सभा का विलयन कर सकेंगे। वे व्यवस्थापिका ( विधान मंडल ) को सम्बोधन कर सकेंगे तथा उसमें संदेश भेज सकेंगे।

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन—प्रत्येक प्रान्तीय विधान-सभा दो सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्वाचित करती है। व्यवस्थापिका ( विधान मंडल ) विधि द्वारा इनके बेतन तथा अधिदेय निर्धित करती है। अध्यक्ष की अनुरक्षिति में उपाध्यक्ष उनके प्रकारों का निर्वाचि करते हैं।

गणपूरक ( कोरम )—कुल यदस्यों के एक पठारों की उपस्थिति से गण-पूरक ( कोरम , पूरा होता है। तभी सभा का कार्य चल सकता है।

अनुपक्षी शापथ प्रदर्शन—सभा के प्रत्येक सदस्य को सदस्यता का स्थान ( आसन ) प्रदर्शन करने के पूर्व अनुपक्षी के लिये शापथ प्रदर्शन करना पड़ता है। इसी यदस्य के अबोग्य प्रमाणित होने या पद त्याग करने पर स्थान रिक हो जाता है।

सदस्यों की सुयोग-सुविधार्थ—सदस्यों को वाहनात्मक, यमा की स्त्रीहृति से पश्चादिक प्रदान की सुविधा तथा व्यवस्थापिका में आशी-आहुआ की सुविधा दी जाती है।

व्यवस्थापिका ( विधान मंडल ) को रघना—इसके विद्युत सालिङ्गा नोंचे दी जाती है।

आसन ( स्थानीय ) तालिका  
प्रान्तीय विधान सभा

आसन तालिका

प्रान्तीय विधान-परिषद्

## आहन सभा ( विधान मण्डल ) की शक्ति

(क) विधि सम्बन्धी—प्रत्येक प्रान्त का अवरागार ( विधान सभा ) को आर्थिक विधेयकों से अन्य विधेयक कोइ विधेयक को प्रस्तावित तथा स्वीकार करने का अधिकार है। व्यवस्थापिका ( विधान मण्डल ) में स्वीकृत हुए विना कोइ विधेयक पास नहीं हो सकेगा।

नवीन शासन विधान के अनुसार प्रान्तीय तथा समानाधिकार की तालिका में उत्तिलित विषयों के सम्बन्ध में विधि निर्माण का पूर्ण अधिकार प्रान्तीय संघन्य में विधि निर्माण का पूर्ण अधिकार प्रान्तीय व्यवस्थापिका ( विधान मण्डल ) को है। समानाधिकृत विधेयक पर प्रान्तीय व्यवस्थापिका विधान मण्डल के स्वीकृत विधेयक यदि केन्द्रीय विधान मण्डल का स्वीकृत विधेयक के प्रतिकूल हो तो प्रान्तीय विधेयक रद् ( प्रभावहीन ) समझ जायेगा। राष्ट्रपाल की आज्ञा से प्रान्तीय व्यवस्थापिका विधि निर्माण में अवशिष्ट शक्ति का उपयोग कर सकेगा।

भारतीय शासन विधान राष्ट्रपाल ( गवर्नर जनरल ) द्वारा प्रतिनिधित्वादेश, राष्ट्रपाल की शक्ति और स्थल, विधान तथा जल सेना के सम्बन्ध में प्रान्तीय व्यवस्थापिका ( विधान मण्डल ) राष्ट्रपाल की अनुमति के बिना कोई विधि नहीं बना सकेगी।

विधेयकों से विधि बनने की रीति—केन्द्रीय व्यवस्थापिका में विधेयकों से विधि बनने की प्रणाली या वर्णन इम कर चुके हैं। प्रान्तीय व्यवस्थापिका ( विधान मण्डल ) में भी उसी पद्धति से विधि निर्माण होता है।

प्रान्त शासक प्रान्तीय व्यवस्थापिका द्वारा पास किये हुए ( पारित ) विधेयकों स्वीकार भयका अस्तीकार कर सकते हैं। वे विधेयकों पुनर्विचार के लिये व्यवस्थापिका ( विधान मण्डल ) के पास वापस भेज सकते हैं।

(ख) आर्थिक विधेयकों के नियंत्रण की शक्ति—केवल शासकीय

पह ही आधिक विधेयक दत्त्यापित कर सकता है। प्रान्त शासक के अनुमोदन के बिना कोई भी आधिक विधेयक दत्त्यापित नहीं होता है। शासन पर प्रभुत्त व्यय के सम्बन्ध में विधान सभा तथा उत्तरागार को कुछ भी अधिकार नहीं है। अन्य व्यय सम्बन्धी सभी प्रस्ताव व्यय की मांग ( अनुज्ञान मांग ) के रूप में प्रान्त शासक के अनुमोदन ( अभिस्थाय ) से व्यवस्थापिका में दत्त्यापित किया जाता है। व्यवस्थापिका ऐसी छिसी भी मांग को स्वीकार तथा कम करके स्वीकार अस्वीकार कर सकती है।

**आयव्ययक ( बजट )**—प्रान्त शासक, प्रतिवर्ष प्रान्त के वार्षिक आयव्ययका ध्यानान्ति दिसाब ( आयव्ययक ) के साथ उत्तुंबन्धी विवरण पत्र विधान सभा में दत्त्यापित करेंगे। इसे 'वार्षिक आधिक विवरण' कहते हैं। इस वार्षिक आधिक विवरण में ( १ ) प्रान्त शासक, मंत्री तथा अन्य शासन सेवकों ( गवर्नर सर्वेन्ट्स ) के बेतव तथा अधिदेव, प्रान्तीय और शासनादि का व्यय प्रान्तीय आगम पर प्रभुत्त व्यय के रूप में दिखाया जायगा, ( २ ) इससे अन्य व्यय का प्रस्ताव पृथक् रूप से दिखाया जायगा, ( ३ ) राज्य के अगमों पर प्रभुत्त व्यय अन्य व्यय से अलग करके दिखाया जायगा।

**आयव्ययक व्याख्यान**—प्रान्तीय अर्ध मंत्री प्रान्त का आयव्ययक दत्त्यापन के समय आयव्ययक के महत्वपूर्ण बंदों की व्याख्या करने के लिये एक भाषण देते। इसके बाद सदस्यगत आयव्ययक के सम्बन्ध में १५ दिनों तक अलोचना कर मतदान करेंगे। छिसी एक व्यय के सम्बन्ध में दो दिनों से अधिक अलोचना नहीं हो सकेंगे।

प्रान्त के आगम द्वारा प्रभुत्त व्यय के सम्बन्ध में विधान सभा को केवल अलोचना का अधिकार है; मतदान का नहीं। अन्य व्ययों के सम्बन्ध में अलोचना तथा मतदान दोनों का अधिकार विधान सभा को है। उत्तरागार ( अपर दाफ्टर ) को केवल अलोचना का अधिकार है।

विधान सभा द्वारा अनुमोदित व्यय की तालिका पर प्राप्त शासक का इस्ताकर हो जाने पर वह विधि के समान प्रभावी हो जायगा।

(ग) शासन नियंत्रण की शक्ति—मंत्रि मंडल अपने शासन कार्यों के लिये व्यवस्थापिका (विधान मंडल) के प्रति उत्तरदायी है। इस प्रकार मंत्रिमण्डल इसके नियंत्रणाधीन है। किसी भी मन्त्री को कार्य यदि व्यवस्थापिका की नीति द्वारा अनुमोदित न हो, तो मंत्रिमण्डल को पदत्याग करना पड़ेगा।

— —

## अध्याय १३

### जिलों ( मण्डलों ) की शासन व्यवस्था

प्रत्येक प्रान्त के कई विभाग ( डिविजन ) किये गये हैं। ऐसे विभागों के शासक को कमिश्नर ( आयुक्त ) कहा जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक विभाग के कई भाग किये गये हैं, इन्हें जिला या मण्डल कहा जाता है। प्रत्येक जिले के शासक को मण्डल अधिकारी या ( मैजिस्ट्रेट कलेक्टर ) कहा जाता है।

प्रत्येक जिले के भी कई छोटे हिस्से किये गये हैं; इन्हें उपविभाग ( सबडिविजन ) कहा जाता है।

कमिश्नर ( आयुक्त )—कमिश्नर अपने विभाग के आगमों को बसूलने वाला अधिकारी है। आगम ( रेवेन्यु ) सम्बन्धी सभी कार्यों का सर्वाधिकार उसे प्राप्त है। कमिश्नर को न्याय संबन्धी शक्ति कुछ भी नहीं है। आगम संबन्धी मामलों में वह अपील अदालतों ( पुनर्विचार न्यायालयों ) के मतानुसार कार्य करता है।

वह जिले ( मण्डलों ) के कलकटरों ( समाइर्ट ) का परिचालन तथा नियंत्रण करता है। वह प्रान्तीय सरकार तथा मण्डल सरकार को मिलाने वाला धारा है। जिलों के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के सम्बन्ध में कमिश्नर को प्रचुर अधिकार प्राप्त होते हैं।

जिले के शासनकर्ता—जिले के शासनकर्ता के नाम कलेक्टर ( समाइर्ट ) तथा जिला मैजिस्ट्रेट हैं। आनियामक ( रेगुलेशन ) के बहिर्भूत प्रदेशों ( रिजोन ) में उसे उपायुक्त ( डिप्यूटी कमिश्नर ) कहते हैं। कलेक्टर होने के नाते वह जिले के आगम ( राजस्व ) संग्रह का प्रमुख अधिकारी होता है। मैजिस्ट्रेट की हैसियत से उसका कर्तव्य जिले के दंड विषयक ( फौजदारी ) न्यायालय के कार्यों का निरीक्षण करना तथा ( पुलिस ) रक्षिदल का सचालन करना है। जिले की शान्ति व्यवस्था का प्रधान अधिकारी वही होता है।

जिलेके छोटे बड़े सभी विषयों की पूरी जानकारी कलेक्टर ( समाइर्ट ) को

खनी पड़ती है। अपने अधीनस्थ कर्मचारियोंके द्वारा वह सभी विषयोंका समाचार जानता रहता है।

अबतक क्लेश्टर जिले में प्रान्तीय शासन का सर्वसत्ताधारी अधिकारी था। (पुलिस) रक्षित, कारागार, चिकित्सालय (हासिटल) विद्यालय समिति (स्कूलबोर्ड) विद्यालय, महाविद्यालय (कालेज), मंडल समिति (जिला बोर्ड), नगर समिति (मुनिसिपल बोर्ड), स्थानीय समिति (लोकल बोर्ड), संघ समिति (यूनियन बोर्ड), आदि समस्त विषयोंमें इसे वित्ती अधिकार प्राप्त थे।

आगम सम्बन्धी कार्यों के सिवा रजिस्ट्रेशन (पंजीयन) भूमि-आगम (लैंड-रेवेन्यु) सम्बन्धी कार्य कृष्ण प्रस्त जमीदारी की व्यवस्था, कृषकों को कृषदान, दुष्काल (अकाल) सहायता, आदि विषय क्लेश्टरके कर्तव्योंके अन्तर्गत थे।

जिले के प्रमुख नगरमें क्लेश्टर का कार्यालय (आफिस) होता है। जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों का कार्यालय भी उसी नगर में रहता है। जिले के पुलिस सुपरिनेटेन्ट (आरक्षी अधीक्षक) एजीव्यूटिव इज्जोनियर (अधिकारी अभियांत्रिक) सिविल सर्जन (व्यवहार चिकित्सक) जिला कारागार की व्यवस्था आदि विषयोंपर भी क्लेश्टर का योग्य बहुत अधिकार रहता था।

नवीन विधानके अन्दर जिला मनिस्ट्रोट की इन सब विषयों की शक्ति बहुत कम कर दी गई है। वर्तमान विधान मण्डल के निर्वाचित सदस्य ही जनताके अधिकार अभाव-अभियोगों को सरकार के पास पहुँचाते हैं।

जिला मनिस्ट्रोट जिलेका सर्व प्रथान शासक है। वही जिले की शान्ति-व्यवस्था का उत्तरदायी होता है। इसलिये किसी व्यक्तिके गिरफ्तार या अभियुक्त होने का उत्तरदायित्व भी उसी पर होता है। फिर उसके अधीनस्थ न्यायाधीश दस्तके अभियुक्त पर न्याय निर्णय करता है। ऐसी अवस्थामें न्याय मर्यादा के उल्लंघन की बही समावना रहती है। कभी किसी देश में अभियोगकर्ता, न्यायकर्ता नहीं हो सकता। यद्य गणतंत्र के सिद्धान्तके प्रतिकूल है। अतएव न्याय-विभागका शासन विगाग से पूछकरण अत्यन्त आवश्यक है।

# अध्याय १४

## देशी राज्य

राजनीतिक हृषिे भारत दो भागोंमें विभाजित था। ब्रिटिश भारत तथा भारतीय भारत।

ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा शासित प्रान्तों तथा भारतके दूसरे प्रदेशों को ब्रिटिश भारत रहा जाता था तथा देशके राजन्यवर्ग द्वारा शासित राज्योंको भारतीय भारत। १८५७ ई० तक अंग्रेजोंने कल-छल-बल से भारतके प्रत्येक देशी राज्य पर अरना वास्तविक अधिकार स्थापित कर लिया। ( सहायक सन्धि ) के भीतर देशी राज्यके शासकोंके साथ मिलकर अंग्रेज जाति भारत के एक सुविस्तृत भूभाग पर मध्ययुगीन सामंतवाद पर अवलम्बित शासन चला आ रहा था तथा इस प्रकार भारतको दो अस्वाभाविक भागों में बांट रखा था। ब्रिटिश शासन कालमें राज्यों के देशी राजाओंको नाम मात्रका अधिकार प्राप्त था। वस्तुतः राज्योंके पालिटिकल एजेंट राजनैतिक अभिकर्ता ) ही वहाँ वास्तविक शासक थे।

१५ अगस्त के पश्चात्—१९४७ ई० के १५ अगस्त को सत्ता द्वारा अन्तरित दोनोंके साथ-साथ देशी राजाओं पर से ब्रिटिश शासन की सर्वसत्ता [ पारामार्डन्सी ] समाप्त हो गई। इस समय राजाओं के समुख दो मारे खुले थे—[१] ६५नों स्वतन्त्रताको कायम रखकर स्वाधीन राज्य की मर्यादा को प्रतिष्ठित करना ; [२] भारत-संघ या पाकिस्तान में योगदान करना। भारत शासनके समुख ५६६ राज्योंकी सुविस्तृत समस्याएँ उपस्थित हुईं। इन सभी राज्योंकी भारत संघके सम में गूंभ कर देश में ऐक्यवद्द एवं शक्तिशाली गणतंत्रात्मक राज्यकी स्थापना ही भारतवासियों का बहुत दिनों से लक्ष्य था। देशी राज्योंकी जनता भी इस लक्ष्य की सिद्धि तथा राज्योंके निरक्षण शासन की सुमाप्ति के लिये कई दशकों से संघर्ष कर रही थी।

सत्ता द्वारा अन्तर करने के देशी राज्यों ने प्रतिक्रियागमी शक्तियों के प्रभाव में पड़कर भारतको बिनष्ट करने की चेष्टा की। भारतके अन्तिम अंग्रेज गवर्नर जनरल लार्ड माउण्डवेटेन के कथनानुसार ‘भारतको खण्ड-खण्ड तथा दुर्बल कर देने का पद्धयन्त्र चल रहा था।’

१९४९ ईस्वी के १५ अक्टूबर तक अर्थात् स्वाधीनता के तृतीय वर्ष पूरा होने

के पहले ही देशी राज्यों के विलयन का काम समाप्त हो गया है। इस प्रकार भारत के नवीन मानविक की रचना हुई है।

**क्षेत्रफल और जनसंख्या**—देशी राज्यों को समस्त संख्या ५६६ थी। इनका क्षेत्रफल था अखण्ड भारत का ४० प्रतिशत। इनकी समस्त जनसंख्या समूर्ण भारत की जनसंख्या का २३ प्रतिशत थी।

**अन्तर्विलयन**—शक्ति इस्तान्तान के अन्तर देशी राज्योंकी क्या स्थिति है। इसकी तालिका नीचे दी जाती है;—

स्वतंत्र रूपसे योगदान-	अस्थायी रूपसे	केन्द्रशासनाधीन	नियन्त्रित राज्यों द्वारा
कारी राज्य	अन्तर्विलियितराज्य	राज्य	गठित राजसंघ
(क) काश्मीर, मैसूर		हिमालयप्रदेश	(१) पंजाब और पंजाबल।
(ख) बड़ोदा, जूनागढ़, हैदराबाद	हैदराबाद	कच्छ, भोपाल	
केल्हापुर, आदि	काश्मीर	बिलासपुर	(२) राजस्थान
		कुचबिहार	(३) मध्य भारत
		त्रिपुरा	(४) सौराष्ट्र
		मणिपुर	(५) कोचीन और
			त्रिवंदुर

**ट्रिप्पो**—(१) काश्मीर समस्या के समाधान के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ। भारत और पाकिस्तान कमीशन (pacip) नामक एक आयोग भेजा है। सिद्धान्ततः भारत और पाकिस्तान शासनों ने जनमतगणना की नीति स्वीकार कर ली है। आयोग की मध्यस्थता से युद्ध विराम संविधानी हो गई है। तब भी इस समस्या को ही निर्णयिक निदान नहीं हो पाया है।

(२) यों तो और यों कई राज्य स्वतंत्र भारत सघ में शामिल हुए थे परन्तु पीछे के किसी न किसी राज सघमें मिल गये।

(३) हैदराबाद के अस्थायी सैनिक शासन ने निर्वाचिक सूची प्रस्तुत कर ली है। भारत शासन को घोषणा के अनुसार हैदराबाद में निर्वाचन होगा और उव्व निर्वाचित विधान सभा हैदराबादकी विलयन संवन्धी नीतिका अनितम निर्णय करेगी।

(४) १९४८ ई० के मार्च और अप्रैल में गठित मरम्य संघ तथा राजस्थान को मिला कर इहतर राजस्थान संघ बना है।

## अध्याय १५

### न्याय-विभाग

भारत ने अंग्रेजी राज्य के प्रारंभिक दिनों में शासक वर्ग की ओर से न्याय-व्यवस्था में परिवर्तन की कुछ भी चिना नहीं की गई। हाँ, उस समय केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के लिये अंग्रेजी कानूनों ( विधियों ) के अनुसार न्याय दरने की व्यवस्था थी।

३० सन् १७७३ के अनियामक अधिनियम ( रेग्युलेटिंग एक्ट ) में न्याय-व्यवस्था के सन्दर्भ में कई विधियाँ थीं। इसी वर्ष बंगाल में एक प्रधान न्यायाधीश तथा तीन न्यायाधीशों को लेहर सर्वोच्च न्यायालय ( सुप्रीम कोर्ट ) की स्थापना की गई। १८०३ ई० में बंगाल में तथा १८३१ में मद्रास में इसी तरह के न्यायालय स्थापित हुए।

फौजदारी मामलों ( दण्ड विषयक अभियोगों ) के निर्णयार्थ न्यायाधीश जिन विधियों को कानून में लाते थे वे विधियाँ फौजदारी कर्मविधि ( दण्ड कार्य-प्रणाली सहित ) में उल्लिखित हैं। दण्ड कार्य-प्रणाली सहिता की रचना पहले हुई। दिवानी कार्य विधि ( व्यवहार कार्य-प्रणाली सहिता ) की रचना पीछे की गई। इसमें दिवानी मामलों ( व्यवहार विषयक अभियोगों ) की न्याय प्रणाली का निर्देशन है। जो विधियाँ कुछ दिनोंके बाद सुन तथा अन्यावहारिक न हो जाये एतदर्थ समय समय पर इनके संशोधन होये गये। इन सहिताओं के अस्तिरिक्त और भी कितने कानूनों, नियमों तथा न्यायनिर्णयों के उदाहरणों द्वारा न्यायव्यवस्था चलती है। भारतस्थित दोषोपियन लोगों के लिये विशेषज्ञ अंग्रेजी विधियों प्रचलित थी। भारतीय विधि-संहिता की रचना ईन्द्रधन दात्री तथा मुसलमानों कुरान शरीक के बाधारा पर की

गई थी। उम समय के भारतीय न्याय विभाग की सबसे बड़ी खामी ( त्रुटि ) यह थी कि अनेक क्षेत्रों में शासन तथा न्याय विभागमें कोई स्पष्ट सीमान्ऱता निर्णयित नहीं थी। मैजिस्ट्रेट ( न्यायाधीश ) का मुख्लिय विभाग के माय घनिष्ठ संकल्प था।

अभीतक विटेन के सर्वोच्च न्यायालय के प्रिवी कॉर्पिल से भारतीय न्याय विभाग का संमर्क था, किन्तु विद्यानन्दभा द्वारा प्रस्तुत विविह अनुसार गत १० अक्टूबर १९४९ ई० से भारतीय न्याय विभाग तथा प्रिवी कॉर्पिल का समन्व समाप्त हो गया।

सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रोम कोर्ट-न्यै शासनमें भारतके लिये एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित करने की व्यवस्था की गई है। भारतके प्रधान न्यायाधीश तथा अन्य कई न्यायाधीशों दो ऐडा यह न्यायालय संघटित होगा। समस्त कितने न्यायाधीश रहेंगे इष्टा निर्णय संसद् विधि द्वारा करेगी। किन्तु प्रधान न्यायाधीश के अतिरिक्त सात अन्य न्यायाधीश से कम नहीं रहेंगे।

सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों ( इह कोट्स ) के 'न्यायाधीशों'के परामर्श से राष्ट्रपति ( प्रधान ) भारत संघ के अन्य 'न्यायाधीशों' को नियुक्त करेंगे। न्यायाधीश ६५ वर्ष की उम तक अपने पदों पर रह सकेंगे।

जो व्यक्ति कम से कम १० वर्ष तक भारत न्याय विभाग में न्यायाधीश रह चुके होंगे या कम से कम पांच वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके होंगे वही व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश तथा सदायक न्यायाधीश नियुक्त हो सकेंगे।

यदि सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश अकर्मण्य अथवा दुःखाचारी प्रमाणित हो, तथा भारतीय संसद् राष्ट्रपति के समझ एतदर्थ आवेदन कर, तो राष्ट्रपति उस न्यायाधीशको पदचुनून कर सकेंगे। इस कार्य के लिये संसद् द्वारा प्रेषित आवेदन, उपस्थित सदस्य सल्लाह के दो तृतीयांश से पास ( पारित ) होना चाहिये।

सर्वोच्च न्यायालय के कोई भी न्यायाधीश, अवधर प्रदण ( पदमुक्ति ) के पश्चात् इदी भी न्यायालय ने कानून पेशा ( विविहति ) नहीं कर सकेंगे। मर्वर जनरल प्रधान न्यायाधीश को तथा उनकी अनुपस्थिति में कार्य सम्पादनार्थ किसी एक न्यायाधीश को नियुक्त करेंगे।

सर्वोच्च न्यायालय का स्थान तथा अधिकार—यों सर्वोच्च न्यायालय का स्थायी स्थान दिल्ली में होगा। किन्तु प्रधान न्यायाधीश, राष्ट्रपाल की सम्मति से किसी अन्य स्थान में भी इस न्यायालय के अधिवेशन का निर्देश कर सकेंगे। ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का अधिवेशन निर्दिष्ट स्थल पर हो सकेगा।

सर्वोच्च न्यायालय में एक प्रारंभिक ( आदिम ) विभाग तथा एक अपील ( पुनर्विचार प्राधना ) विभाग होंगे।

### सर्वोच्च न्यायालय

प्रारंभिक क्षेत्राधिकार विभाग

पुनर्विचार (प्रार्थना विभाग)  
या अपील विभाग

भारत संघके साथ भारत में भारतसंघ संघके सदस्य तथा संघ के राज्य या सदस्य एक राज्यों में वा एकाधिक विरोध उत्पन्न राज्य एक होने पर उस पक्षमें तथा विरोध का संघके सदस्य निर्णय एक या एकाधिक राज्य अन्य पक्षमें हों, ऐसा विरोध का निर्णय

भारत के सदस्य दो या दो से अधिक राज्यों के कोटे) के निर्णय

भारत संघ उच्च न्याया-लयों ( हाई लयोंसे व्यवहार को आये हुए ( दिवानी ) दण्ड विधि संघीय संघीय(फौज-मुकद्दमों को दारी) मुक्त- पुनर्विचार- हमों की प्रार्थना पर पुनर्विचार- विचार प्रार्थना (अपील) पर विचार

## प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार विभाग

किसी प्रसंविदा ( कान्ट्रक्ट ), सनदु वा इस प्रकार के तर्कों को लेकर यदि कोई विरोध हो तो वह विरोध सर्वोच्च न्यायालय के प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार विभाग के निर्णय का विषय नहीं होगा । शासन विधान की व्याख्या के सम्बन्ध में उत्तित विरोध का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जायगा ।

## पुनर्विचार-प्रार्थना (अपील) विभाग

( १ ) यदि किसी प्रान्त का उच्चन्यायालय प्रमाणित कर दे कि किसी मामले में इस विधान की व्याख्या संबन्धी कोई महत्वपूर्ण-प्रश्न अन्तर्धृत है तो उस मामले को पुनर्विचार-प्रार्थना (अपील) सर्वोच्च न्यायालय में हो सकेगी । यदि उच्चन्यायालय किसी मामले के संबन्ध में उपरोक्त रीति से प्रमाणित न करे किन्तु सर्वोच्च न्यायालय को सन्तोष हो जाय कि इसमें विधि संबन्धी महत्वपूर्ण प्रश्न अन्तर्धृत है तो वह अन्तिम आदेश की पुनर्विचार प्रार्थना के लिये विशेष अनुमति दे सकेगा । ।

( २ ) यदि उच्चन्यायालय किसी मामले के सम्बन्ध में कहें कि उस मामले से सम्बद्ध सम्बन्धि का मूल्य २०००० से कम नहीं है अथवा वह मामला पुनर्विचार प्रार्थना के योग्य है तो उच्चन्यायालय के अन्तिम आदेश ( डिसीजन ) की पुनर्विचार-प्रार्थना सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकेगी ।

( ३ ) यदि उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय के निर्णय ( डिसीजन ) के विषद् अभियुक्त को प्राप्त दण्ड का निर्णय, करे उस मामले की पुनर्विचार-प्रार्थना सर्वोच्च न्यायालय में हो सकेगी ।

जित मामले में उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय के निर्णय ( डिसीजन ) के विषद् अभियुक्त को प्राप्त दण्ड का निर्णय, करे उस मामले की पुनर्विचार-प्रार्थना सर्वोच्च न्यायालय में हो सकेगी ।

## सर्वोच्च न्यायालय

भारत के किसी भी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण ( ट्रिब्यूनल ) के नियंत्रण की पुनर्विचार—प्रार्थना की विशेष अनुमति दे सकेगा ।

## विधियों की व्याख्या

इसी राज्य के उच्चन्यायालय में यदि कोई ऐसा मामला चल रहा है जिसमें केन्द्रीय व्यवस्थापिका अथवा अन्य किसी राज्य को व्यवस्थापिका को किसी विधि की व्याख्या सम्बन्धी प्रश्न अन्तर्भृत है तो उच्चन्यायालय तत् सम्बन्धी प्रश्न, मीमांसा के लिये सर्वोच्च न्यायालय में उत्थापित करेगा तथा सर्वोच्च न्यायालय, उच्चन्यायालय को इस प्रकार के प्रश्न उत्थापित करने की अनुमति दे सकेगा ।

## सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की वृद्धि

संघ संसद् विधि द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों को वृद्धि कर सकेगी ।

संघ संसद् विधानके मूलभूत सिद्धान्तोंके साथ सामंजस्य रखते हुए विधि द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि कर सकेगी ।

## राष्ट्रपाल द्वारा प्रश्न उत्थापन

जन-स्वार्थ-सम्बन्धी किसी प्रक्ष पर विधि सम्बन्धी अस्पष्टता उपस्थित होनेपर राष्ट्रपाल उस विधि को स्पष्टोकरण एवं मीमांसा के लिये सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित कर सकेंगे ।

भारतके शासन विभागीय तथा न्याय विभागीय सभी अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय की सहमता करेंगे । तथा सर्वोच्च न्यायालय के कानूनी कार्यस्प प्रश्न करेंगे ।

## राज्यों के न्याय विभाग-उच्चन्यायालय ( हाई कोर्ट )

जिस प्रकार केन्द्र में सर्वोच्च न्यायालय या मुखीम कोर्ट रहेगा, उसी प्रकार विभिन्न राज्योंके उच्चन्यायालयोंमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा कई अन्य न्यायाधीश रहेंगे। मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशोंकी नियुक्ति भारत-संघ के-राष्ट्रपति वा प्रधान करेंगे। राज्यके मुख्य न्यायाधीश वी नियुक्ति के समय राष्ट्रपति वा प्रधान, भारत के प्रधान न्यायाधीश तथा सम्बद्ध राज्यके शासक से तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्तिके समय भारत के प्रधान न्यायाधीश, सम्बद्ध राज्यके शासक तथा मुख्य न्यायाधीश से परामर्श दर्खाएंगे।

उच्चतम पेंसन वर्ड की आयु तक न्यायाधीश गण अपने पदों पर रह सकेंगे। पदमुक्ति के पश्चात् वे भारत के इसी भी न्यायालय में विधि-वृत्ति (कानून पेशा) नहीं कर सकेंगे।

### अधिकार

उच्च न्यायालय के अधिकार शीत्रमें पढ़नेवाले सभी न्यायालयों के उसर उच्च न्यायालय का अधिकार होगा। केन्द्रीय व्यवस्थापिका उच्च न्यायालयके इस अधिकार में वृद्धि अवधार कमी कर सकेगी।

### न्यायाधीशों का वेतन

उच्चन्यायालय के मुख्य न्यायाधीशका वेतन मासिक ४०००] तथा अन्य न्यायाधीशों का ३५००] होगा। सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीशका मासिक वेतन ५०००] तथा अन्य न्यायाधीशों का वेतन ४०००] होया। न्यायाधीशोंका वेतन तथा अधिकार संघके आगमों द्वारा प्रमृत होगा।

### उच्चन्यायालय के कर्तव्य तथा अधिकार

राज्यका उच्चन्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र में पुनर्विचार प्रार्थना का सर्वोच्च न्यायालय है। कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई प्रांतोंके उच्च न्यायालयोंमें पुनर्विचार

प्रार्थना विभाग के अंतरिक एक-एक प्रारम्भिक विभाग भी है। प्रांतके छोटे अदालती के नियंत्रणोंको पुनर्विवेचना करने तथा उनके कायदों का निरीक्षण वरने वा अधिकार दब्ब न्यायालयों को है।

दलकर्ता, मद्रास तथा बम्बई न्यायालयों ( ब्रेसिडेन्सी ) के ऊच न्यायालयोंमें जो प्रारम्भिक विभाग हैं उनमें इन न्यायालयों के कितने ही मामले संभेदीप दायर हो सकते हैं। अर्थात् इस प्रारम्भिक विभाग से ही उपरोक्त मामलोंका प्रारम्भ होता है।

सभी ऊच न्यायालयोंमें पुनर्विचार प्रार्थना ( अपोल ) विभाग होता है। प्रांतके किसी न्यायालय के नियंत्रण की पुनर्विचार प्रार्थना ऊच न्यायालय में ही जा सकती है।

कितने ही बड़े मामलों में पुनर्विचार प्रार्थना न करने पर भी ऊच न्यायालय, उन मामलों की पुनर्विवेचना कर सकता है।

नीचे के सभी न्यायालयों को आज्ञा देने का अधिकार ऊच न्यायालय को है। ऊच न्यायालय, किसी निम्न न्यायालयमें चलनेवाले किसी मामलेको स्थानांतरित कर किसी दूसरे न्यायालयमें भेज सकता है। वह अग्रने अधिकार क्षेत्रगत न्यायालयोंसे कार्य विवरण मांग सकता है। वह निम्न न्यायालयों की कार्य प्रणाली नियित करता तथा नियमावली प्रस्तुत करता है।

### मण्डलों (ज़िलों) का व्यवहार (दिवारी) न्यायालय

ज़िले के दण्ड तथा व्यवहार सम्बंधी मामलोंके नियंत्रणके लिये इत्येक ज़िलेमें एक बड़ा न्यायालय होता है जिसे नगदल न्यायाधीश और दोस्रा बज चा न्यायालय कहते हैं। ज़िले के सभी नज़िरस्टेट और व्यवहार तथा दण्ड विधमङ्ग न्यायाधीश नंदल न्यायाधीश ( फिल्डफ़स्ट ब्रब्र ) के अधीन होते हैं। नंदल न्यायाधीश के न्यायालयमें इनके नियंत्रण की पुनर्विचार प्रार्थना हो सकती है।

## मंडल न्यायाधीशके अधीनस्थ व्यवहार न्यायालय

व्यवहार सम्बंधी मामलोंके विचारार्थ मंडल न्यायाधीश ( जिला जज ) के अधीन कई न्यायाधीश तथा सुनिश्च रहते हैं। मंडल न्यायाधीश इनके कामों का निरीक्षण करते हैं तथा निर्णयों पर पुनर्विचार प्रार्थना ( अरील ) महण करते हैं।

### अवर न्यायालय (लोअर कोर्ट)

छोटे भोटे दिवानी (व्यवहार) मामलों के विचारार्थ महाप्रांतों के महानगरों में एक एक अवर न्यायालय हैं। मुफ्सिल में भी अवर न्यायालय हैं पर वे भिन्न प्रकारके हैं। साधारणतः इन छोटे न्यायालयों के निर्णयों की पुनर्विचार प्रार्थना नहीं होती है।

### संघीय समिति न्यायालय ( यूनियन बोर्ड )

चङ्गालके बड़े-बड़े कस्तोंमें ( यूनियन बोर्ड ) की स्थापना हुई है ( १९४० )। इन समितियों का एक न्याय विभाग पंचायत के दङ्ग का होता है इसमें कस्तेमें होनेवाले छोटे छोटे दिवानी और कौबद्धारी मामलों की सुनवाई होती है। इन छोटे सुन्दरमों के निर्णय संबंधी थोड़े से अधिकार संघ समितियों को प्रतीय व्यवस्थापिका द्वारा दिया गया है। संयुक्त प्रांत, मद्रास और मध्य-प्रांतमें पंचायती न्याय निर्णय की व्यवस्था को गई है। भारतके अन्य प्रांतोंमें भी पंचायती न्याय व्यवस्थाके पुनरुद्धार को चेष्टा ही रही है।

### जिलेके दंड विषयक मामले का विचार

दौरा जज—कौबद्धारी ( दंड विषयक ) मामलोंके विचारार्थ एक वा एकाधिक न्यायाधीश रहते हैं, इन्हें दौरा जज कहते हैं। वहले कहा जा चुका है कि एक ही अकि दौरा जज तथा जिला जवाह काम करते हैं। दौरा जज जूरी ( प., उ., अथवा विचारशील नागरिकों की एक समष्टि ) की सहायता से बड़े बड़े अभियोगों पर विचार करते हैं। वह जिले के सभी न्यायालयोंके फैसले की पुनर्विचार प्रार्थना

मुनरें हैं। तथा विधि द्वारा विहित सभी प्रकार का दंड दे सकते हैं। किन्तु दोरा जज द्वारा दिये गये मृत्यु दण्ड को कार्य रूप प्रदान करने के पहले उच्च न्यायालय से दंडांदेश की मुठिकरानी पड़ती है। दौरा जज के न्यायनिर्णय की पुनर्विचार प्रार्थना केवल उच्च न्यायालयमें ही सकती है।

### प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट (महाप्रांतीय विचार पति)

महाप्रांतीय महानगरमि एक विशेष न्यायाधीश होते हैं। इनके निर्णयों की पुनर्विचार प्रार्थना केवल उच्चन्यायालयमें ही सकती है।

### नीचे के मैजिस्ट्रेट

प्रस्तेक जिले ( मंडल ) में प्रधम, द्वितीय तथा तृतीय अधीक्षी की जकियों से युक्त कई मैजिस्ट्रेट (विचार पति) होते हैं। इनमें से कोई-कोई अवैतनिक भी होते हैं। ये सभी दोरा जज के अधीन हैं। इनके निर्णयों पर दोरा अदालत ( न्यायालय ) में पुनर्विचार प्रार्थना हो सकती है। दोरा जज इनके कामोंका निरीक्षण करते हैं। छोटे छोटे फौजदारी मामलोंकि विचारार्थ उच्चन्यायालय बैच कोई दोता है।

**जूरी द्वारा न्याय साहाय्य** — भारत देशमें केवल दोरा जजोंके न्यायालयोंमें जूरी द्वारा न्याय कार्य होता है। दिवानी मामलोंमें, तथा उन मामलोंमें जिनकी कार्यवाही दोरा न्यायालयमें नहीं होती, जूरी द्वारा न्याय कराने का नियम नहीं है। देशक अपेक्षाकृत विहसित प्रदेशोंमें जूरीके बदले असेसर ( सहायक ) नियुक्त किया जाता है। किन्तु न्यायाधीश असेसरके निर्णय को माननेके लिये आध्य नहीं है। अन्य देशों की तुलना में भारत की जूरीका न्याय क्षेत्र बहुत सीमित है।

जिलाके दोरा अदालत में न्यायाधीश जूरी की सहायता से न्याय करते हैं। जूरी के सदस्यों की सदस्या पांचसे कम तथा नौ से अधिक नहीं होती। अधिकतर जूरीके न्याय निर्णय को माननेह किये दोरा जज चाय होते हैं किन्तु यदि जज को विस्तार हो तो यह अमुक मामले में जूरी का निर्णय न्याय समत नहीं है तो वे उस मामले का अन्तिम निर्णय के लिये उच्च न्यायालयमें भेज सकते हैं।

उच्च न्यायालय या दाइं एंटर्नमें जूरीके सदस्योंकी सदस्या नौ होती है। यदि जूरी सर्व समर्तता से निर्णय करने लो उस निर्णय को माननेके लिये न्यायाधीश आध्य होते हैं। यदि जूरीका निर्णय क्षयसमति से न होकर बहुमत का निर्णय हो तो न्या-

निर्णयको माननेको न्यायाधीश बाब्य नहीं है। जूरी तथा न्यायाधीशके निर्णयमें मत-भेद होने पर प्रायः न्यायाधीश उस जूरीको भग कर किसी अन्य न्यायाधीश को लेकर एक नयी जूरीका संघटन करते हैं। उस जूरी की सदायता से उक्त मामले पर पुनर्विचार किया जाता है। किंतु किसी भी हालतमें जूरीके विष्ट निर्णय नहीं किया जा सकता है।

### सावारण न्याय क्षेत्रके बाहर विशेष सुविधा प्राप्त व्यक्ति

भारतके राष्ट्रपाल राज्य शासक और प्रति शासक अपने पदचारणात् जो कर्तव्य करते हैं उसके सम्बन्धमें किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण में कोई अधियोग उत्पादित नहीं हो सकेगा। इसी प्रकार उच्चन्यायालयके मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों पर उनके पदचारणात् किये जाने वाले कर्तव्योंके विषय में किसी भी न्यायालयमें कोई मामला नहीं चल सकेगा।

### विभिन्न न्यायालयों की तालिका

#### व्यवहार ( दिवानी ) न्यायालय

- (१) सर्वोच्च न्यायालय या फूर्मीम कोट्ठ।
- (३) उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट अथवा मुख्य न्यायालय या चौफ कोट्ठ।
- (१) मंडल न्यायाधीशका न्यायालय या दिस्ट्रिक्ट जज कोट्ठ।
- (४) उपन्यायाधीश का न्यायालय या सब जज कोट्ठ ( प्रथम थ्रेणी )
- (५) उत्तरन्यायाधीश का न्यायालय या सब जज कोट्ठ ( द्वितीय थ्रेणी )
- (६) लोअर कोट्ठ।
- (७) सुसक्ष्मी का न्यायालय।
- (८) संघीय समिति न्यायालय या यूनियन कोट्ठ ( बेल ब्रॉडल में )
- (९) प्राम पंचायत ( युक्त प्रांत, मश्रूम तथा मध्य प्रांत में )

#### दृष्ट ( फौजदारी ) न्यायालय

- (१) सर्वोच्च न्यायालय या मुर्मीम कोट्ठ।
- (२) उच्चन्यायालय या हाई कोर्ट अथवा मुख्य न्यायालय या चौफ कोट्ठ।
- (३) दौरा न्यायालय या सेशन कोट्ठ।
- (४) महाश्रीतोय न्यायालय या ऐतिहासी मैजिस्ट्रेट कोट्ठ।
- (५) प्रथम थ्रेणीके मैजिस्ट्रेटका न्यायालय।
- (६) द्वितीय थ्रेणीके मैजिस्ट्रेटका न्यायालय।
- (७) तृतीय थ्रेणी के मैजिस्ट्रेट का न्यायालय।
- (८) अवैतनिक मैजिस्ट्रेट का न्यायालय ( प्रथम, द्वितीय या तृतीय थ्रेणी )
- (९) बंच कोट्ठ ( लघुन्यायालय )
- (१०) प्राम पंचायत ( युक्त प्रांत मध्य-प्रांत विधायिका में )

## अध्याय १६

### शासन की नौकरियों सम्बन्धी व्यवस्था

भारत में सरकारी नौकरी के दितने ही पदों पर भारत सरकार तथा दितने ही पदों पर ग्रान्टीय सरकार लोगों को नियुक्त करती है।

#### देश रक्षिका-सेना

भारत के रक्षा मंत्री पर देश-रक्षा का समृद्ध मार है। भारत सुरक्षा मंत्री के सिवा भारत के प्रधान सेनापति भी होते हैं वरना वे भारतीय सैन्य विभागों के सबौरच अधिनायक होते हैं। वे युद्ध नीनि युद्ध-सज्जा तथा युद्ध संचालन के विषय में राष्ट्रपति ( प्रेसिडेंट ) को परामर्श देते हैं। उनके सिवा भारत की नी सेना विभाग तथा जल सेना के लिये एक एक विभागीय सेनापति होते हैं।

अब जाति-धर्म की सहूलियतों के बिना ही सभी भारतीय भारतीय-सैन्य दलों में योगदान कर सकते हैं। रक्षा विभाग ( डिफेंस डिपार्टमेंट ) में लोगों की नियुक्ति के बध नियम ( शर्त तय करने ) का अधिकार भारत शासन ( हिंडिया गवर्नरमेंट ) की है।

#### केन्द्रीय शासन की नौकरियाँ ( सेन्ट्रल गवर्मेंट सर्विसेज )

ऐखापालन ( हिसाब रखना ) तथा अरेक्षुष ( आडिटिंग ), शुल्क, आयकर भवोमार्ग ( रेलवे ) तथा टाक और तार विभाग की नौकरियाँ केन्द्रीय शासन के नियंत्रण में हैं। इनके सिवा अखिल भारतीय भव्य सेवा विभागों में बहुत से लोग नियुक्त हैं।

#### अन्य नौकरियाँ

अन्य बहुतें शासन सेवावें हैं जिनका नियंत्रण ग्रान्टीय शासन करता है।

इस प्रकार की नौकरियों के तोन विभाग हैं—अखिल भारतीय नौकरियाँ, प्रांतीय नौकरियाँ तथा निम्न नौकरियाँ।

## नवीन शासन विधान में सिविल सर्विस ( सिविल सर्विसेज )

भावी भारत संघ में राष्ट्रपति या प्रधान केन्द्रीय नियंत्रण के पदों पर तथा प्रांत शासक प्रांतीय नियंत्रण के पदों पर लोगों को नियुक्त करेंगे। स्थायीनता के पहले नियुक्त सिविल सर्विस के सदस्यों की सुविधायें तथा विमुक्तियाँ पूर्णतः रहेंगी।

भारतीय संघ राज्य में पब्लिक सर्विस कमीशन के अमिस्ताव ( सिफारिश ) से भारत सरकार, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय इंडियन आडिट एण्ड एकाउटेन्ट सर्विस, इंडियन स्टेट रेलवे, डाक और तार विभाग, भारतीय ( कस्टम ) तथा भारतीय आरक्षों ( पुलिस ) में लोगों को नियुक्त करेगा। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन सब नौकरियों के प्राधियों की परीक्षा करेगा तथा उन्हें व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार के लिये बुलायेगा।

## अखिल भारतीय नौकरियाँ

पहले सभी अखिल भारतीय नौकरियों में लोगों की नियुक्त भारत मंत्री के द्वारा होती थी। भारतीय सिविल सर्विस में जिन्हें नियुक्त करना होता था भारत सर्विस उनसे सेवा सम्बन्धी सभी शर्तों का नियन्त्रण एक संग्रहिता ( कानूनेन्द्रान ) कराते थे। इसलिये इन सभी नौकरियों को कावेनेप्टेड सर्विस कहा जाता था। इन नौकरियों में नियुक्त होने वाले जिस प्रांत में नियुक्त होते थे उन्हें प्रायः उसी प्रान्तमें आजीवन सेवा करनी पड़ती थी। किन्तु भारतके किसी भी प्रांतमें उनकी बदली हो सकती थी। भारतीय बन-सेवा ( फरेस्ट सर्विस ), ( इंडियन सर्विस बाब इनजीनीयर्स ) इण्डियन एजुकेशनल सर्विस आदि भी अखिल भारतीय नौकरियाँ थीं। ई-सर १९३७ से इन सब नौकरियोंमें प्रांतीय शासन लोगोंको नियुक्त करता है।

## केन्द्रीय शासन की नौकरियां

भारतीय आडिट एण्ड एकाउन्ट सर्विस, भारतीय रेलवे, भारतीय डाक और तार विभाग, भारतीय कस्टम आदि को केन्द्रीय नौकरियों या सेन्ट्रल सर्विस कहा जाता है। भारत-शासन पब्लिक सर्विस कमीशन 'लोक सेवा आयोग' के मतानुसार उपरोक्त सभी केन्द्रीय नौकरियोंमें आदमी बहाल करता है। तथा इस प्रकार नियुक्त सभी कर्मचारी प्रख्यात रूप से भारत-शासन के नियंत्रणाधीन होते हैं।

पहले अखिल भारतीय तथा केन्द्रीय नौकरियोंमें योरोपियन लोगोंका बहुत्य था। अब इन सभी नौकरियोंमें प्रायः भारतीय ही हैं। योहे से योरोपियन भर्मा भी कुछ पदों पर हैं।

## प्रांतीय शासन की नौकरियां

शानीय नौकरियों में 'प्रांतीय पब्लिक सर्विस कमीशन' के परामर्शानुसार लोग नियुक्त किये जाते हैं। प्रांतीय नौकरियोंकी दो श्रेणियां या दो स्तर ( प्रेड ) हैं :

प्रथम श्रेणीके प्रांतीय कर्मचारियों की संख्या कम है। विधा, सिचाई, बन तथा स्वास्थ्य विभागोंमें ही प्रायः प्रथम श्रेणीके प्रांतीय नौकर हैं।

प्रांतीय पब्लिक सर्विसका गठन प्रधानतः द्वितीय श्रेणीके प्रांतीय नौकरी द्वारा हुआ है। प्रांतीय बेंडिङ्ल सर्विस, पुलिस सर्विस, सिविल सर्विस, एजुकेशनल सर्विस एंड्रीहल्वरल सर्विस, फ्यारेस्ट सर्विस, तथा इन्जिनियरिंग सर्विस आदि प्रांतीय पब्लिक सर्विसके भन्नगत हैं।

प्रांतीय शासन सापारण्ट: प्रांतके लोगों में से इन सब विभागोंमें लोगोंका नियोग करता है। उच्च विधिन, सचिवित्र तथा स्वरूप दुवड़ोंमें से शुनकर इन सब पदों पर लोग नियुक्त किये जाते हैं। बेनर तथा शासकीय परम्परादा को दर्शि से ये लोग अख्यल भारतीय तथा केन्द्रीय सर्विसके कार्यकार्ताओंमें नीचे होते हैं।

## मध्याह्निट सर्विस

प्रान्तीय शासनमें नोकरों को सब्बाह्निट सर्विस कहा जाता है। प्रान्तीय शासन, प्रान्तीय नोकरियोंके समान सब्बाह्निट सर्विस ने लोक-नियोग करता है। किन्तु इन पर्दों पर अपेक्षाकृत कम योग्यतावाले लोगोंमें से तुलकर नियुक्त होती है।  
**सरकारी नौकरी संबन्धी समस्याएँ**

शासकीय नियमांगों व्ही कार्य दक्षता की उद्दि नथा निवाहिके लिये कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। यथा:—

(१) **लोक संप्रद**—प्रतियोगिना मूलक परीक्षाओंके आधार पर लोक संप्रद करना उचित है। ऐसा करनेसे नौकरी पायियोग्यमें से सर्वाधिक योग्य व्यक्ति नुना जा सकता है।

(२) **पदोन्नति**—पदोन्नतिके समय व्यक्तिकी योग्यता तथा सेवा काल दोनों पर विचार करना उचित है। आधुनिक देशोंमें पदोन्नति के समय व्यक्ति की योग्यता का ही ध्यान रखा जाता है। वहां योग्य युवक भी वयस्क व्यक्तियों से उच्च-पर्दों पर नियुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार इन देशों की शासन व्यवस्था की बड़ी उन्नति हुई है।

(३) **वेतन**—शासन को इम्प्रायर के द्विसाब से सबोत्तम होना चाहिये। सभी देशोंमें सरकारके नौकरोंको अच्छा बेतन दिया जाता है। किन्तु भारत में उच्चपद पर स्थित कर्मचारियों को जिसना अधिक वेतन तथा अधिदेय दिया जाना है, वह युक्ति संगत नहीं है।

(४) **अनुशासन फिसिलिट**—प्रत्येक आधुनिक देशों का यह निर्णीत यह है कि शासन कर्मचारियों को राजनीति से अलग रखना उचित है। उनके लिये ऐसी मुव्यवस्था आवश्यक है, जिससे वे निश्चिन्त तथी अच्छी तरह काम कर सकें। किसी प्रकार भय या फ्रलोभन देकर उनके कार्य में विज उपस्थित करना या उन्हें

चर्तव्यस्तुत करना अनुचित है। इसीलिये सरकारी नौकरियों को उच्चपदस्थ व्यक्तियों द्वारा गठित पब्लिक सर्विस कर्मीशन के अपेक्षा रखा गया है।

जहाँ किसी भी पश्च ( पार्टी ) का दासन हो, सरकारी कर्मचारियों को उद्देश दस पश्च के मन्त्रिमण्डल का विवेसनीय बनकर कार्य करना पड़ेगा तथा सत्ताप्रसाद पश्च की नीति को अनुसरण करना पड़ेगा।

### लोक-सेवा-आयोग ( पब्लिक सर्विस कर्मीशन )

भारत शासन विधान में भारत संघ के लिये फेडरल पब्लिक सर्विस कर्मीशन से निज्व राज्योंमें भी प्रान्तीय पब्लिक सर्विस कर्मीशन के गठन की व्यवस्था की गई है। प्रान्तीय सरकार आवश्यकता पड़ने पर फेडरल पब्लिक सर्विस कर्मीशन का उपयोग कर सकेगा। दो वा अधिक प्रान्तों वा राज्यों ( स्टेट ) के लिये एक ही प्रान्तीय पब्लिक सर्विस कर्मीशन का संगठन भी किया जा सकता है।

### पब्लिक सर्विस कर्मीशन

पब्लिक सर्विस कर्मीशन का काम है सरकारी नौकरों की नियुक्ति, नियंत्रण पदोन्नति, तथा दण्ड विधानके सम्बन्धमें सरकारको परामर्श देना। वेतन, अधिदेय ( एकाडम्स ) पेन्चन आदि का योग्यता स्पष्ट से चलने देना तथा इनका निरीक्षण करना भी इसका छतुर्भुज है। यदि किसी पदधारी ( आफिसर ) को पद सम्बन्धी कठिनाई हो तो उसे पूरा करने के लिये वे पब्लिक सर्विस कर्मीशन से प्राप्तवा कर सकते हैं।

### पब्लिक सर्विस कर्मीशन की उपयोगिता

पब्लिक सर्विस कर्मीशन ( लोक सेवा योग ) को काम रखने में सुखसे वहो मुरीदा यह है कि इसके द्वारा शासन विभागका कार्य सुचारू स्पष्ट ( अविच्छिन्न स्पष्ट ) चला रहा है किंतु शासन कर्मचारियों ( सेवकों ) के द्वायोंमें शासन विभाग वा विधि विभागके अनुचित इस्तेहेबका भय नहीं रहता।

## अध्याय १७

### आरक्षा और कारागार

भारतीय पुलिस ( आरक्षी ) तथा कारागारमें सुधार की आवश्यकता बहुत दिन से अनुभव की जा रही है ।

### आरक्षी ( पुलिस )

सच कहा जाय तो भारतीय आरक्षी ( इंडियन पुलिस ) नाम की कोई चीज नहीं है । १८६७ ई० के 'विद्रिय भारतीय आरक्षी अधिनियम' के अनुसार प्रांतीय आधार पर संगठित प्रांतीय सरकारी ( शासनी ) का पुलिस फोर्स है । वह पूर्णस्मैष प्रान्तीय शासनों के नियंत्रणोंमें है ।

प्रान्तोंकि प्रत्येक ज़िले ( मण्डल ) में पुलिस फोर्स ( आरक्षी बल ) का संघटन है । ज़िले को पुलिस ( आरक्षी ) का प्रधान अधिकारी या डिस्ट्रिक्ट पुलिस सुपरिन्टेनेन्ट है । पुलिस सुपरिन्टेनेन्ट द्विविध नियंत्रणकि अधीन है । ( १ ) ज़िले की शान्त व्यवस्था को रखाके लिये वह ज़िला मैजिस्ट्रेट के प्रति उत्तरदायी है । इस कार्यमें वह ज़िला मैजिस्ट्रेट की आज्ञाका अनुसरण करता है । ( २ ) पुलिस फोर्स के मीतरी संघटन और आदेशोंकि विधयमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस सुपरिन्टेनेन्ट ( ज़िला आरक्षी अधीक्षक ) डिपुटि इन्सपेक्टर जनरल तथा इन्सपेक्टर जनरल और प्रान्तीय मार्गिमंडल के पुलिस विभाग के मंत्री के अधीन है ।

पुलिस का लाभ है—विधि और आदेशों की रक्षा करना, सांति एवं व्यवस्था बनाये रखना, अपराधों को रोकना, अपराधीको गिरफ्तार कर न्यायालय में उपस्थित करना ।

भारत की पुलिस में सुधार की बड़ी जरूरत है । प्रांतीय पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी इन्सपेक्टर जनरल ( आई० जी ) है । कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बईके

प्रेसिडेंसी नगरोंमें सतत युलिस फोर्स्सा संघटन है। इसका अधिकारी युलिस-फ्रॉन्टर होता है।

आरद्दीके कार्य की मुख्या के लिये प्रत्येक प्रांतको कहे रेंजोंमें बांटा गया है। काधारण युलिसके अन्तरिक रेलवे युलिस सशस्त्र युलिस ( आमं युलिस ), तथा रिवर्स युलिस भी हैं। प्रत्येक रेज के लिये एक एक प्रधान डि० आई० जी० होता है। कहे जिलोंका एक रेज होता।

पांछे कहा गया है कि जिले को युलिस का अधिकारी डिस्ट्रिक्ट युलिस सुपरिनेन्टेन्ट होता है। उसकी सहायताके लिये मुख्य मुख्य अधिकारीमें एक एक युलिस सुपरिनेन्टेन्ट होता है। इन्हें सबडिविजनल युलिस भाफिसर कहा जाता है। प्रत्येक सबडिविजनमें एक या दो सर्किल होती है। इनमें एक सर्किल इन्सपेक्टर होता है। प्रत्येक सर्किलके अन्तर्गत कहे थाने होते हैं। थानोंमें एक या दो दारोगा एस० आई० युलिस ) रहते हैं।

भारतीय युलिसमें नियुक्त होनेवाले लोगोंकी परीक्षा पम्पिल मर्विस इमोशन द्वारा होती है। एस० पी० तथा डी० प्राविन्सियल सर्विस के लोग होते हैं। दारोगा भरने पदोंमें उच्चति करने पर डी० एस० पी० ही सकते हैं। इसके दिपरीत नये भाद्री की भी पम्पिल मर्विस इमोशन प्रतियोगिता गूलड परीक्षा लेहर डी० एस० पी० के पद पर नियुक्त कर सकता है। इन्सपेक्टर, सबइन्सपेक्टर तथा एसिस्टेन्ट सबडूमपेक्टर आदि युलिस आरद्दी बल के अधीनस्थ अधिकारी होते हैं। गांवोंमें चौकीदार युलिस का काम करते हैं। चौकीशरीं मुख्याओं दफ़दार करते हैं। पंचायत तथा संपर्कमिति ( यूनियन बोर्ड ) द्वारा चौकीदार तथा दफ़दार नियुक्त हिये जाते हैं।

### कारागार

यदि कोई व्यक्ति किसी भपरापमें गिरफ्तार हिया जाता है तो युक्ति उसे न्यायालय के समर्थ दर्शित करती है। न्यायालय के द्वारा यदि उसे कारागार

दण्ड दिया जाता है तो उसे कारागार ( बेल ) में रखा जाता है । इसलिये एक स्वतंत्र विभाग होने पर भी कारागार का पुलिस तथा न्यायालयसे घनिष्ठ संपर्क है ।

प्रात के कारागारों की देख-रेख के लिये प्रत्येक प्रांत में एक कारागार के प्रधान निरीक्षक ( व्या० जी० ) होते हैं । कारागार विभाग के मंत्रीके अधीन ये सबसे बड़े अधिकारी हैं । बनियों के काम, स्वास्थ्य व्यवस्था एवं शृंखला का निरीक्षण करना प्रधान निरीक्षक का काम है ।

बलकहा, बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी के ( महाप्रान्तीय ) नगरों में एक-एक प्रेसिडेंसी कारागार भी हैं । प्रत्येक विभाग ( कमिश्नरी ) में एक सेन्ट्रल बेल या केन्द्रीय कारागार होता है । केन्द्रीय कारागारों में प्रायः बड़े अपराधोंके दृष्टिक्षण अपराधी रखे जाते हैं । साधारणतः जोई मुशोरम चिकित्सक ( डाक्टर ) केन्द्रीय कारागार का अधीक्षक ( मुपरिन्टेन्डेन्ट ) बनाया जाता है । प्रत्येक जिले में एक एक जिला बेल या मण्डल कारागार होता है । जिले का चिकित्सक ( व्यवहार-चिकित्सक ) जिला बेल का मुपरिन्टेन्डेन्ट होता है । जिला मैजिस्ट्रेट जिले के कारागार का प्रधान परिवेशक होता है । इन दोनों के द्वारा जिला कारागार का नियंत्रण होता है ।

स्त्री-बंदी ( बॉर्डी ) के रखने के लिये कारागार के भीतर पृथक्-पृथक् व्यवस्था होती है ।

बल्य वयस्क अपराधियोंके लिये बल्य कारागार होता है । ऐसे अपराधी भविष्य में अपराध छोड़कर अच्छे नागरिक का बोनन अपनायें तथा समाज को दानि न करें । एनदर्य कम उम्र के बदियों को कला कारीगरी की शिक्षा देने के लिये योद्धा बहुत व्यवस्था की गई है । इस प्रकार कला कारीगरी सीखकर छूटने वाले अपराधियों की कारागार से छूटने पर भी देख-रेख की जाती है । जो अपराधी दुकिया ( अपराध ) में पड़ नहीं हो जुके हैं । उनके मुशार के लिये बोरस्टल शिक्षणालय स्थापित किया गया है ।

कारागार में बीमार होनेवाले के लिये अस्पताल या चिकित्सालय होता है । अस्पताल गृहित अपराधियों के दण्डियों को अन्य बनियों से बहुत कम मिलने जुलने दिया जाता है । उन्हें यथासुम्मव अलग रखने की व्यवस्था की जाती है ।

## अध्याय १८

### स्थानीय स्वशासन

हाट-बाजार, पीने का पानी, रास्ता, घाट, प्राथमिक शिक्षा आदि स्थानीय प्रयोजन के विषयों की विवेचना कर इनकी व्यवस्था की जाती है। साधारणतः अपने-अपने अंचलों के निवासी मिल कर इन सब को व्यवस्था स्वयं कर लेते हैं। इसी को स्थानीय स्वशासन कहा जाता है।


देश के विभिन्न बर्गों के लिये स्वशासन को अलग-अलग संस्थाएँ हैं। देश के प्रत्येक अधिवासी किसी न किसी स्वायत्तशासी संस्था के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत है। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का अधिकारी वर्ग किसी न किसी रूप में उनके दिन प्रतिदिन को जीवन-यात्रा की व्यवस्था का नियन्त्रण करता है।

गांव के लोग आपसी सहयोग द्वारा पचायत वा सघ-समिति ( यूनियन बोर्ड ) का सप्टटन करते हैं। पचायत तथा सघ-समिति स्थानीय, गण ( लोकल बोर्ड ) के अधीन होती है। इसी प्रकार स्थानीय गण मण्डल-गण ( डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ) के अधीन होता है। मण्डल-गण, जिले के सभी स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं का नियन्त्रण करता है।

महानगरों के निवासियों की मुव्यवस्था के लिये कारपोरेशन ( निगम ) तथा नगर की प्रबन्ध-व्यवस्था के लिये नगर समिति ( म्युनिसिपलिटी ) होती है।

मन् १९१९ ई० के शासन मुधार अधिनियम में स्थानीय स्वशासन विभाग का भार एक भाग के हाथ में सौप दिया गया था। तभी से आज तक मन्त्रिगण इस व्यवस्था को उप्रति के लिये पथेष्ट चेष्टा करते आ रहे हैं।

विभिन्न प्रकार तथा स्तर की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को एक तालिका यहां दी जाती है :—



### स्थानीय स्वशासन का इतिहास

अपने देश में प्रारंभिक काल से पंचायत की प्रथा चली आ रही है। प्रधानतः नामांजिक व्यवहारों की व्यवस्था करने के लिये तथा स्थानीय अडाइ कराऊं का वीच-व्यवाह करने के लिये पंचायतों का संघटन किया जाता था। इस देश में अत्यन्त प्राचीन काल से पंचायतों द्वारा ग्राम तथा नगरों के लोकन्जीवन का

नियंत्रण होता था, इसमें किसी को सन्देह नहीं है। सभी प्रोड ( वालिंग ) पुरुष मिलकर ऐसी संस्था का निर्वाचन करते थे।

अंधेजी राज्य काल में कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास नगरों में आधुनिक स्वशासन व्यवस्था की शुरुआत हुई।

इसके पश्चात् १८८२ ई० में लाड़ रिपन की भरकार ने स्थानीय स्वशासन के प्रसार का प्रयत्न किया। उनके इस प्रयत्न का उद्देश्य स्थानीय स्वशासन के द्वारा देश की शासन व्यवस्था में उन्नति करना तथा जन साधारण में स्वशासन को हचि तथा योग्यता का प्रसार करना था। उपरोक्त उद्देश्य की मिद्दि के लिये स्वशासन संस्था बहुत बढ़ा शिक्षणालय होती है। यदि देश की जनता स्वयं अपने इलाकों के शासन में भाग न ले तो देश की शासन व्यवस्था की उन्नति असंभव होगी। इसके अतिरिक्त अपना काम अपने आप करने ने स्वावलबन प्राप्त होता है। जनता गण तत्त्वात्मक पद्धति के शासन सञ्चालन की शिक्षा प्राप्त करती है।

हमारे देशके राष्ट्रीय जीवन की धारा मदा गावों में प्रवाहित होती रही है। आज भी देश के अधिकारा निवासी गावों में रहते हैं तथा उनके चिलन का प्रमुख विषय गाव ही होता है। परन्तु इधर कुछ घरों में नगरवासी ही देश के भी द्वारा का नेतृत्व कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप गावों की उपेक्षा हो रही है। आज गावों के स्वशासन का अधिकाधिक विस्तार करना अत्यावश्यक है, अन्यथा राष्ट्र की जीवन धारा के मूल जाने का भय है।

## स्थानीय स्वशासन विभाग

प्रान्तीय शासन का जो विभाग प्राप्त के स्थानीय स्वशासन वो देश रेग करता है उने स्थानीय स्वशासन विभाग बहते हैं। १९१९ ई० में स्थानीय स्वशासन विभाग एक भवी के अधीन समाप्ति होता है। अपांत् प्राप्त के मन्त्र-महल में एक भवी इस विभाग का अधिकारी होता है।

## स्थानीय स्वशासन संस्थाएं

कुछ मुख्य स्वशासन संस्थायें ये हैं:—

(क) नगर क्षेत्रों में—(१) (निगम) या कारपोरेशन, (२) नगर समिति या म्युनिसिपलिटी (३) सेनाबास-गण छावनी या कैन्टेनमेंट बोर्ड।

(ख) ग्राम्य क्षेत्रों में— (१) पंडल-गण या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, (२) स्थानीय गण या लोकल बोर्ड, (३) संघ समिति और ग्राम पंचायत।

## स्थानीय स्वशासन की सफलता के पथ की वावाएं

समाज के दिन-प्रति-दिन की समस्याओं के समाधान के लिये जनता जितना अधिक आग्रह प्रकट करेगी, स्थानीय स्वशासन को उतनी अधिक सफलता प्राप्त होगी।

दुर्भाग्य की वात है कि हमारे देश की जनता अपने ग्राम तथा नगरों के शासन विषय में प्रायः उदासीन रहती है। यह उदासीनता अत्यन्त हानिकारक है क्योंकि जनता की उदासीनता से शासकबगं दुर्बिनीत, दुर्नीतिपरायण एवं अकर्मण्य हो जाते हैं।

## स्थानीय स्वशासन की सफलता कैसे हो ?

यदि देश में सर्वत्र स्वशासन व्यवस्था को सफल बनाना है, और यदि राष्ट्रीय जीवन के प्रधान कर्म-क्षेत्र के रूप में इसकी प्रतिष्ठा करनी हो तो ऐसा प्रयत्न होना आवश्यक है जिससे स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थायें स्वतंत्र एवं सुचारू रूप से चल सकें। इस उद्देश्य को सामने रखकर देश के सर्वश्रेष्ठ योग्य व्यक्तियों को इन संस्थाओं का काबू अपने हाथ में लेना चाहिये। इन संस्थाओं को प्रचुर अर्थ-साहाय्य दिलाना चाहिये। संस्था के कार्यों को दक्षता से चलाने के लिये सुयोग्य वैतानिक

कमंचारियों को नियुक्त करना चाहिये । उपयुक्त प्रतिनिधि चुनने के लिये जनता का शिथित होना आवश्यक है । इसलिये शिथा-प्रचार पर अधिक ध्यान देना चाहिये । स्वशासन संस्थाओं को प्रचलित व्यवस्था तथा कार्य पद्धति के प्रति जनता को सतकंता भी अत्यावश्यक है । यदि उपरोक्त साधनों को बुद्धि तथा व्यवस्था हो तो इनके उपयोग से भारत-संघ के नागरिकों का जीवन सुखी एवं समृद्ध हो सकेगा ।

—०—

## अध्याय १९

### नगर क्षेत्रों में स्वशासन

हमारे आज के राष्ट्रीय जीवन में नगरों को अधिक महत्व प्राप्त है। इसलिये नगरों में आसन की ओर लोगों का ध्यान त्रमणः अधिक हो रहा है।

भारत के सभी नगरों में एक सो स्वशासन व्यवस्था नहीं है। कलकत्ता, दम्भई, मद्रास तथा वर्गलौर नगरों में कार्पोरेशन (निगम) है। हाल में मंयुक्त प्राप्ति के पाव बढ़े नगरों में कार्पोरेशन की स्थापना हुई है। इन नगरों में एक एक वैतनिक मेयर (महानागरिक) नियुक्त किये जायेंगे। मेनावासों में बहुत भागूली स्वशासन की व्यवस्था है जिसे मेनावाम-गण या कैन्टनमेन्ट बोर्ड कहते हैं।

#### नगर समिति के कार्य

नगर समिति (म्युनिसिपलिटी) को दो प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं :—

(१) वाध्यशासनक (अनियार्य), (२) ऐच्छिक।

प्रत्येक नगर समिति 'नगर समिति अधिनियम' के अनुसार योड़े से कार्यों को करने के लिये वाध्य है। यथा—मार्गों पर प्रकाश का प्रबन्ध करना, सड़कों पर छिड़काव करना, गली तथा मार्गों की सफाई करना, आदि। कुछ काम ऐसे हैं जिनका करना नगर समिति की धर्ति, पोष्यता तथा इच्छा पर निर्भर करता है। इन्हें ऐच्छिक कार्य कहते हैं। यथा—पार्क (उपकरण) तथा कीड़ागन की व्यवस्था करना, खुलियम तथा पुस्तकालय स्वापित करना आदि।

कार्पोरेशन, नगर-समिति, कस्ता (टाउन) समिति आदि की नागरिक स्व-शासन मस्थाओं के काम बहुत-नुच्छ एक ही तरह के हैं। अंतर केवल उनकी आय-नन तथा संगठन के सम्बन्ध में है। कार्पोरेशन में ममय-ममव पर ऐसी ममस्तावें

उठ सड़ो होती है जिनको छोटे-छोटे नगरों में कोई सम्भावना नहो है। इसीलिये कार्पोरेशन को नगर-समितियों से अधिक शक्ति दी जाती है। इसी प्रकार नगर-समिति को कस्ता समिति से अधिक शक्ति दी जाती है।

## निगम ( कार्पोरेशन )

बलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास इन तीन नगरों को स्पानोप स्वशासन सुस्था कार्पोरेशन है। इन तीनों नगरों के कार्पोरेशन (निगमो) का संघटन अलग-अलग अधिनियमों द्वारा हुआ है। इनके सदस्यों (कार्डन्सिलर) को सुस्था भी समान नहीं है। बम्बई कार्पोरेशन के सदस्यों की सुस्था ११६ है जब कि मद्रास की ६१। दुष्ट घोड़े ने शामन द्वारा मनोनीत सदस्यों के सिवा दोप जनता द्वारा निर्वाचित होने हैं। बम्बई नगर के निवासियों को अपने नगर के स्वशासन में बहुत अधिक स्वतन्त्रता प्राप्त है। कार्पोरेशन के ऊपर प्रान्तीय शामनों द्वारा नियन्त्रण-शक्ति नवंय समान नहीं है। उदाहरण स्वरूप बलकत्ता कार्पोरेशन के मेयर (महानागरिक) तथा एज्ञीस्यूटिव आफिलर दोनों ही निर्वाचित होने हैं। इन्हुंने मद्रास कार्पोरेशन के एज्ञूटिव आफिलर प्रान्तीय शामन द्वारा नियुक्त किये जाते हैं।

## नगर समिति ( मुनिसिपेलिटी )

### गठन-विधि

भारत में ३८० नगर ममिनिया हैं। पहले नगर ममिनियों के मदस्यों में तीन चौथाई मदस्य निर्वाचित होते थे। अब मर्मी मदस्य निर्वाचित होने लगे हैं। नगर ममिनियों में बालिङ मनाधिकार ने निर्वाचन होंगा। इन्हुंने अभी तक मर्मी जगह बालिङ मनाधिकार का प्रमाण नहीं हो पाया है। एक मोर्मिन मस्या में कर-दानाद्वारा वो घोषणा का अधिकार है।

नगर समितियों के मुख्य-मुख्य कार्य ये हैं:-

नागरिकों से गृह-निर्माण के कानूनों का पालन करना, इसका निरीक्षण करना, रास्ता-धाट, गलियों तथा अन्य स्थानों की सफाई और स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य कार्यों की व्यवस्था करना, पाने के पानी (वाटर सप्लाय) का प्रबन्ध करना, मार्गों तथा गलियों में प्रकाश करना, बल (फूड) तथा औषधि वित्रय का नियंत्रण करना, बाजारों की देस-रेस करना, समाधिस्थल (कब्रगाह) तथा दृश्यानों की व्यवस्था करना, जन्म तथा मृत्यु की लेखा रखना और आग बुझाने की व्यवस्था करना।

### नगर समितियों का कार्य संचालन

नगर समिति के कमिश्नर की ओर से सभापति (चेयरमेन) नगर समिति का कार्य सम्हालते हैं। उनके सहायतार्थ कही कही एक उपसभापति होते हैं। उन्हें भी कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं।

सभापति तथा उपसभापति (वाइस-चेयरमेन) वेतन पाते हैं। नगर समिति के अन्य सभी कर्मचारी वेतन भोगते होते हैं। जिनमें कुछ प्रमुख कर्मचारी ये हैं:- सचिव (मेनेटरी), अभियांत्रिक (इंजिनीयर), स्वास्थ्य-अधिकारी (हेल्प-ऑफिसर), असेसर तथा कलेक्टर। नगर-समिति की आय एक लाख रुपये से अधिक होने पर प्राप्त शासक वहाँ एक प्रधान अभिकर्ता या (एगिजक्यूटिव ऑफिसर) नियुक्त करने की आज्ञा दे सकता है।

### नगर समिति की आय

नगर समिति को आय के प्रमुख विषय ये हैं:- मकानों पर कर, जीव जन्मुओं तथा स्वारियों पर कर, सड़कों, रास्तों, पुलों तथा घाटों पर कर कर आदि। इनके सिवा नगर समिति की अपनी सम्पत्ति से योझी आमदनों होती है। प्रांतीय भरकार से कुछ आर्थिक सहायता मिलती है तथा अन्य कई मूत्रों से भी कुछ आमदनों होती है।

जाती है परन्तु यह सब मिलाकर समस्त आय के एक तृतीयाश में अधिक नहीं होता। १९३८-३९ ई० में भारत की सभी नगर-समितियों को वार्षिक आय ४१ करोड़ रुपये थी।

## मध्य श्रान्त तथा मद्रास की नगर समितियाँ

मध्यश्रान्त की प्रत्येक नगर-समिति में कम से कम पांच सदस्य होते हैं, इनमें अधिकारा सदस्य निर्वाचित होते हैं। ये निर्वाचित सदस्य ही अन्य सदस्यों को मनोनीत करते हैं। मनोनीत सदस्यों में एक मुसलमान, एक हिन्दू तथा एक स्त्री होना चाहिये। मद्रास के सदस्य निर्वाचित होते हैं।

## बम्बई की नगर समितियाँ

बम्बई की नगर-समितियों के सभी सदस्य निर्वाचित होते हैं जिनमें हरिजनों तथा स्त्रियों के लिये सुरक्षित स्थान है। अभी तक पृथक् निर्वाचन की व्यवस्था है परन्तु मुसलमानों का ममर्दन प्राप्त होने पर पृथक् निर्वाचन का अन्त कर दिया जायगा।

## बंगाल की नगर समितियाँ

बंगाल की नगर-समितियाँ अन् १९३२ ई० के बंगीय नगर समिति अधिनियम के अनुसार जिसका पुनर्माण हुआ है, मजालिन होती हैं। इनके समस्त सदस्यों में तीन चतुर्थांश निर्वाचित सदस्य होते हैं, तीन (एक चतुर्थांश) सदस्य मनोनीत रिये जाते हैं।

## संवायाम-गण ( कल्टोन्मेट बोर्ड )

यहा नगर के सिंगी भाग में मैनियों के विविध तथा स्थायी आशाम हैं यहा पर नगर के उन भाग को स्पष्टज्ञा आदि को व्यवस्था के लिये मंत्रायाम-गण (बंदू-मेट बोर्ड) है। यह सम्पा यहा के स्थायाम-आशाम को अधिकारियों होतो है।

गण में अधिकांश निर्वाचित सदस्य होते हैं। किन्तु गण का सभापति कोई सरकारी कर्मचारी होता है। सेनावास-गण के सिद्धन्तों का सर्वथेष्ठ निर्णायिक भारत शासन का देशरक्षा-विभाग होता है।

## नगर समितियों की कार्य प्रणाली

नगर समितियों की कार्य प्रणाली का तथा इनके मुख्य-अमुख्य कार्यों का उल्लेख नगर-समिति अधिनियम (म्युनिसिपल एक्ट) में रहता है। पीने का पानी आदि कुछ कार्य नगर-समितियों के अवश्य-कर्तव्य हैं। शिशु-कल्याण, प्रसूति-कल्याण, नागरिकों के आमोद प्रमोद की व्यवस्था, म्युजियम (कौतुकालय) की स्थापना, उपचर तथा श्रीडांगन निर्माण आदि कार्य नगर समिति की इच्छा तथा शक्ति के ऊपर निर्भर हैं। अतः अमुख्य हैं।

नगर-समितियों में प्रायः निर्वाचित सदस्य होते हैं। वे अपने में से किसी एक व्यक्ति को सभापति निर्वाचित करते हैं। सदस्य बेतन नहीं पाते हैं। इगलेंड के मेयरों के समान ही भारत के मेयर (महानायरिक) तथा चेयरमेन (सभापति) विशेष सम्मान पाते हैं किन्तु इन्हें अमरीका के मेयर या सभापति के समान शक्ति तथा अधिकार नहीं हैं।

नगर-समितियों के अन्तर्गत सदस्यों द्वारा गठित कई स्थायी समितियां (स्टैं-िडिंग कमिटि) होती हैं। ये समितियां विभिन्न विभागों का संचालन, नियन्त्रण तथा नीति निर्देशन करती हैं। सभी सदस्य मिलकर काम नहीं करते हैं। यदि ये स्थायी समितियां न रहें तो किसी दूसरों तरह से अर्थ संचय, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल-व्यवस्था, बाजार तथा रास्ता-घाट आदि का प्रबंध करना असम्भव हो जायगा। सच तो यह है कि आधुनिक युग में शासन-प्रणाली का आधार यही समिति-प्रथा है।

नगर-समितियों के कर्मचारियों तथा विधेयज्ञों के कार्य वड़े ही उत्तरदायित्व के हैं। बम्बन्चरियों में सर्वे प्रमुख स्थान कर्म सचिव (सेकेटरी) का होता है।

नगरनीति की समस्त अधियासी शक्ति कर्मचारिव के हाथ में है। उनको योग्यता, ज्ञान तथा पदन्यादा के कारण प्राप्तः सभी काव्यों में उनसे परामर्श दिया जाता है। नेपर (महानागरिक) सभापति, सदस्यों तथा अन्य प्रमुख बैठनिरु वर्मचारियों के अतिरिक्त, गन्दी मोर्तियों की निकासी, व्यवस्था आदि काव्यों के लिये भी कई विशेषज्ञ बैठनिक वर्मचारी रहे जाते हैं। वे लोग अपने-अपने विषयों में नदस्यों की सहायता करते हैं।

सदस्य लोग केवल काव्य सचालन की नीति स्थिर करते हैं।

---

## अध्याय २०

### ग्रामीण क्षेत्रोंमें स्वशासन

नगर क्षेत्रों में कापरिशन अथवा नगरन्यमिति जो कार्य करता है, वे ही कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में मण्डलगण ( डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ), स्थानीय गण ( लोकल बोर्ड ), नंदमनिन्दण ( युनियन बोर्ड ) ग्राम पंचायत आदि संस्थायें करती हैं। किन्तु नगरन्याओं के मौजित तथा ग्रामीण क्षेत्रों के मुविस्तृत होने के कारण इनको कार्य पद्धति में बहुत अनर है। तथापि दोनों क्षेत्रों की समस्यायें प्रायः एक भी ही हैं। किन्तु ही समस्यायें केवल गढ़ों में हैं, गांवों में नहीं। इनके विपरीत ग्राम क्षेत्रों की किन्तु ही समस्याओं का ग्रामना नगरन्यमितियों को नहीं करना पड़ता है।

### ग्रामीण क्षेत्रों में स्वशासन की उन्नति आवश्यक है

अपने देश के गांवों की मामाजिक मंस्याओं के नष्ट हो जाने के कारण ग्रामीण जन अत्यन्त निराश, दुनी तथा दुर्दशाप्रभृत हो गये हैं। नौकरगाही शायन के बो प्रतिनिधि गांवों में रहते हैं, वे वहिंगन ने कुछ भी सम्पर्क नहीं रखते। जमीनदार भी प्रायः अपनी जमीनदारी में न रह कर गढ़ों में बंगल बना कर रहते हैं। गिरिधर तथा सुयोग्य व्यक्ति भी गांव छोड़ कर नगरों में रहने लगे हैं, जिससे दरिद्र एवं अदिक्षित ग्रामीण व्यक्ति ही गांवों में बचे रहते हैं।

आज देश स्वाधीन हो गया है। अपना देश ग्राम प्रसान है। अनएव देश को उन्नति के लिये ग्रामों की उन्नति आवश्यक है। सबमें वायिक आवश्यक काम है ग्रामीणों को संघन्द करना। हनारे ग्रामीणों को गिरजा और खाद्य

की बड़ी जरूरत है। ये दोनों वस्तुयें मिलने पर ही उनकी राजनैतिक चेतना जगेगी।

आज राष्ट्र की सहायता तथा विधियों के द्वारा हमें अपनी ग्रामीण-सभ्यता तथा समाज की पुनः प्रतिष्ठा करनी चाहिये।

ऐसा करने से संघबद्ध ग्रामीण समाज तथा नागरिक चेतना हमारे राष्ट्र गठन में बड़ा सहायक होगी। ग्रामीण स्वशासन संस्थाओं की उन्नति द्वारा ही इस चेतना का प्रादुर्भाव संभव है।

## ग्रामीण क्षेत्रों की स्वशासन प्रणाली

ग्रामीण क्षेत्रों की स्वशासन संस्थाओं में मण्डल-गण सबसे बड़ी तथा ग्राम-पंचायत सबसे छोटी संस्था है। मण्डल-गण ( जिला बोर्ड ) के अन्तर्गत कई स्थानीय-गण ( लोकल बोर्ड ) होते हैं। स्थानीय-गण ( लोकल बोर्ड ) उपविभागों ( सब-डिविजन ) की स्वशासन संस्था है। मण्डल-गण ग्रामीण स्वशासन संस्थाओं में सब से मुख्य है। नगर क्षेत्रों को छोड़ कर सम्पूर्ण जिले के स्वशासन को शक्ति मण्डल-गण ( जिला बोर्ड ) को उपलब्ध है। हिसाब से देखा गया है कि जिला बोर्डों की आय हर आदमी १० आना है इतने कम धन से देश की शिक्षा-स्वास्थ्य तथा अन्य उन्नति का कार्य ये स्वशासन संस्था कैसे कर सकेगी। अतएव सरकार का कर्तव्य है कि इन संस्थाओं की आर्थिक सहायता करके लोक-जीवन को ऊपर उठाये।

## मंडल गण ( डिस्ट्रिक्ट बोर्ड )

आसाम को छोड़ कर भारत के प्रायः सभी जिलों में एक-एक मण्डल-गण है। नगर-समिति की तरह मण्डल-गणों में भी अधिकांश सदस्य निर्वाचित होते हैं। इनके सभापति भी प्रायः सदस्यों द्वारा ही निर्वाचित होते हैं।

प्रान्तीय शासन ( प्रोविन्सियल गवर्नरेट ) को नगर-समितियों की तरह मण्डल गण को निर्वाचित करने की सक्षित प्राप्त है। गण के कार्यों में अधिक अव्यवस्था उत्पन्न होने पर प्रान्त-शासन जिला बोर्ड को भाँग कर दे सकता है।

बंगाल में सरकार जिला बोर्ड की सदस्य-संख्या स्थिर करती है। किसी भी गणकी सदस्य संख्या नौ से कम नहीं होती है। प्रायः गणों की सदस्य संख्या १० से ३३ तक है। सदस्यों में अधिकांश निर्वाचित तथा शेष मनोनीत होते हैं। पर आशा है कि अब सभी सदस्य निर्वाचित होंगे।

### बम्बई के मण्डलगण ( डिस्ट्रिक्ट बोर्ड )

बम्बई के जिला बोर्ड में सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं। प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाबोर्ड के निर्वाचन में जिन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त है, वे सभी मण्डल-गण के निर्वाचन में मतदान कर सकते हैं।

आगे चलकर सभी वालिंग व्यक्तियों को मतदान का अधिकार मिल जायगा। यहां के जिला बोर्ड का कार्य काल ३ वर्ष है।

### मध्य प्रान्त के जिला-बोर्ड

प्रान्तीय सरकार मध्यप्रान्त के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सदस्य संख्या स्थिर करती है। मण्डल-गणों की समस्त सदस्य संख्या का  $\frac{1}{4}$  चार-पचमांश अधीनस्थ लोकल बोर्ड द्वारा निर्वाचित होता है तथा  $\frac{3}{4}$  एक पचमांश सदस्य संख्या का निर्वाचन जिले के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष मतदान पद्धति से होता है। मण्डल गण अपने लिये अपने किन्हीं दो सदस्यों को सभापति तथा उपसभापति पद के लिये निर्वाचित करता है।

### मण्डल गण के कार्य

जिले की स्थानीय अवश्यकताओं की पूर्ति का भार मण्डल-गण को उठाना पड़ता है। मण्डल-गण के कर्तव्यों का दृष्ट निम्न-लिखित भागों में विभक्त कर सकते हैं:—

(१) शिक्षा ( प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालय ) (२) चिकित्सा ( औपचारिक तथा चिकित्सालय ), (३) यातायात ( रास्ता-घाट तथा सड़कों की उन्नति, जीर्णोद्धार तथा आवागमन की सुविधा आदि ), (४) जन-स्वास्थ्य व्यवस्था, ( ग्रामों में पीने के पानी की व्यवस्था सहित ) (५) टीका दिलाना, (६) जन-नाशना, (७) दुर्भिक्ष में साहाय्य करना, (८) बाजार तथा मेलों का नियंत्रण करना ।

## संयुक्त प्रान्तमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड

संयुक्त प्रान्त में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का संघटन १९२२ के अधिनियम के अनुसार हुआ है । प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ( मण्डल-गण ) में सदस्य की संख्या कम-से-कम १५ और अधिक-से-अधिक ४० होती है । सदस्य संख्या का निर्धारण प्रान्तीय शासन करता है । इनमें ३ सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य भी होते हैं । जिनमें एक स्त्रियों का प्रतिनिधि एक दलित जातियों का प्रतिनिधि होता है । चुनाव साप्रदायिक आधार पर होता था । परन्तु अब निश्चित स्थानों के साथ संयुक्त निर्वाचन होता है । संयुक्त प्रान्त में समस्त ४८ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हैं । बोर्ड के पहले अधिवेशन में चार-चार सदस्यों की कई उपसमितिया ( त्रुट कमिटि ) बना दी जाती है । जो विभिन्न विभागों का काम सम्हालती है । हर उपसमिति का सभापति होता है । शिक्षा-उप-समिति के सभापति का दर्जा सब में बड़ा माना जाता है । उन्हें शिक्षा विभाग का चेयरमैन कहा जाता है । विहार प्रान्त के मण्डल-गण का संघटन भी संयुक्त प्रान्त के ऐसा ही है ।

## मण्डल गण ( ज़िला बोर्ड ) का आप-च्युत

पहले भूमि-कर, विविध दण्ड-कर, सड़क-कर और घाटों के कर से मण्डल-गण को आमदानी होती थी । किन्तु वर्तमान काल में इन सभी करों की वसूली प्रान्तीय सरकार करती है । तथा वह मण्डल-गणों को इसके बदले एक निश्चित रकम

बतः मण्डल-गणों को सम्मुखीय प्रांतीय सरकार द्वारा प्रदत्त साहाय्य ( प्रांट ) पर निर्भर करना पड़ता है। गणों को केन्द्रीय नासन के यातायात विभाग से भी कनी-कनी सहायता मिलती है परन्तु यह सहायता प्रान्तीय सरकार के द्वारा ही प्राप्त होती है। मण्डल-गण क्रृष्णनगर भी थोड़ा बहुत धन प्राप्त कर सकता है।

प्रधानतः निम्न विषयों पर व्यव होता है :—

( १ ) प्राथमिक शिक्षा, ( २ ) जल की व्यवस्था, ( ३ ) सड़कों तथा रास्ता घाट की व्यवस्था और जीणोंदार, ( ४ ) गृह निर्माण, ( ५ ) पुल इत्यादि का निर्माण तथा जीणोंदार, ( ६ ) जनस्वास्थ्य सरकार, ( चिकित्सा ) आदि।

गामन समय-समय पर मण्डल-गण के हिसाबों का परीक्षण ( अकेशन ) करता है। विभाजन के पहले वर्षाल के २६ गणों की समस्त वार्षिक आय १६० लाख रुपये की थी। अर्थात् प्रति व्यक्ति पाच आने में भी कम। उन दिनों गणों का वार्षिक व्यव धा १५० करोड़। व्यव का  $\frac{1}{3}$  शिक्षा पर,  $\frac{1}{3}$  जनस्वास्थ्य तथा चिकित्सा पर खर्च हुआ था।

## लोकल थोड़ तथा तालुका या सर्किल थोर्ड

सरकारी विज्ञप्ति द्वारा उपविभागों के लिये लोकल थोर्ड का संघटन किया जाता है। जिला थोर्ड जिन कर्तव्यों को संपादन करने का भार स्थानीय गण को देता है उन्हें स्थानीय-गण सम्पन्न करते हैं। स्थानीय-गणों के कुछ प्रमुख कार्य ये हैं :— ( १ ) अपने उपविभाग के रास्तों तथा सड़कों की देखरेख करना तथा इनके सुधार तथा संरक्षण का यत्न करना, ( २ ) घाटों का प्रबन्ध करना। स्थानीय-गण, तालुका-गण या सर्किल-गण आदि भंस्याएँ मण्डल-गण के विभागीय प्रतिनिधि के रूप में काम करती हैं। मण्डल-गण के सभान स्थानीय-गणों में एक निर्वाचित सभापति होते हैं। इनके अधिकांश सदस्य भी निर्वाचित होते हैं।

स्थानीय गणों को अर्थांगम का कोई स्नोत नहीं है। इन्हें मण्डल-गण की सहायता पर अवलम्बित रहना पड़ता है।

पंजाब तथा सयुक्त प्रान्त में स्थानीय या तालुका गण नहीं होते। आसाम में मण्डल-गणों का काम स्थानीय-गण ही करते हैं। यहां मण्डल-गण नहीं हैं।

बंगाल में सरकार, स्थानीय-गणों की सदस्य संख्या स्थिर करती है। स्थानीय गण की न्यूनतम सदस्य संख्या ६ है, जिनमें ३ निर्वाचित और शेष भनोनीत होते हैं। पहले कहा गया है कि बंगाल में संघ समिति-गण भी हैं। इन गणों के निर्वाचन में मतदान का अधिकार प्राप्त व्यक्ति स्थानीय-गण के निर्वाचन में मतदान का अधिकारी माना गया है।

### यूनियन बोर्ड

अविभक्त बंगाल में इस समय समस्त २०४६ संघ समितियां या यूनियन बोर्ड (कई ग्रामों का एक सम्मिलित पंचायत जिसे स्वशासन तथा न्याय विभाग के थोड़े से अधिकार प्राप्तीय सरकार द्वारा दिये गये हैं, यूनियन बोर्ड कहलाता है।)

### मध्यप्रान्त तथा बम्बई प्रान्तोंके ग्राम पंचायत

मध्यप्रान्त ग्राम पंचायतों की न्यूनतम सदस्य संख्या ९ तथा अधिकतम १५ है। ग्राम पंचायतों को स्वशासन तथा न्याय संबन्धी कुछ अधिकार दिये गये हैं। बम्बई प्रान्त के पञ्चायतों के सभी सदस्य निर्वाचित होते हैं। सदस्यों का निर्वाचन बालिग (प्रौढ़) मताधिकार के आधार पर होता है। मुसलमान, हरिजन तथा स्त्रियों के लिये सुरक्षित स्थान है। सदस्य संख्या न्यूनतम ७ और अधिकतम ११ होती है। इनका संगठन एक या एकाधिक ग्रामों द्वारा होता है। इनका कार्य-काल ३ वर्ष है।

### संयुक्त प्रान्त में ग्राम पंचायत

१९३०ई० के ग्राम पंचायत अधिनियम द्वारा संयुक्त प्रान्तहें ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई थी। इस अधिनियम के अनुसार कुछ दिवानी और फौजदारी

अधिकार दिये गये थे। पंचों को संल्या ५ से ७ तक रखी गई थी। पंचों की नियुक्ति क्लेक्टर द्वारा होती थी। पंचायत दिवानी मामले में २५ रु० तक फौजदारी तथा चोरी में १०) रु० तक तथा भवेशियों के मामले में ५) रु० तक जुर्माना कर सकती थी। १९४७ ईस्वी में सरकार ने नया पंचायत अधिनियम पास किया है। इस अधिनियम के अनुसार प्रायः समूचे प्रान्त में बालिग मताधिकार के आधार पर पंचायतों का संघटन किया याया है। ग्राम सभा के सदस्य ३ वर्ष के लिये निर्वाचित होते हैं। इस सभा को न्याय, शासन तथा ग्रामोत्थान विषयक बहुत से अधिकार दिये गये हैं। ग्राम सभा पंचायती अदालत का निर्वाचित करती है जिसके ५ पच होते हैं। १९४९ के अन्त तक यारे प्रान्त में पंचायतों के संघटन का काम समाप्त हो जायगा। इससे गांवों की सत्ता में बढ़ि होगी। मुकद्दमेवाजी कमेगी। न्याय सुलभ होगा। गांव की आय का एक हिस्सा उनकी उन्नति पर खर्च होगा। गांवों के उद्योग-धन्यों का विकास होगा। तथा छोटे मोटे सरकारी कर्मचारियों का अत्याचार बन्द होगा।

### विहार की ग्राम-पंचायतें

१९२० में संयुक्त प्रान्त की तरह ही विहार ग्राम पंचायत अधिनियम (एकट) पास हुआ था। परन्तु हर बात में क्लेक्टर के नियन्त्रण में रहने के कारण इसे कुछ सफलता नहीं मिली। विहार सरकार ने नया पंचायत अधिनियम पास किया है। आजाह ही गांवों में पंचायतों की स्थापना हुई है और हो रही है। विहार के पंचायतों का संघटन प्रायः संयुक्त प्रान्त के पंचायतों के समान ही है। इसके द्वारा जनता में उत्साह तथा आशा का सचार होगा। जनता अपने हितों को पहचान सकेगी। इस प्रकार नागरिकता के विकास के नाथ मण्डल का विकास हो सकेगा।



## अध्याय २१

### नगर और ग्राम सम्बन्धी कुछ समस्याएँ

नगरों तथा गांवों की स्वशासन संस्थाओं को जिस तरह के काम करने पड़ते हैं उसका बर्णन हम पिछले तीन अध्यायों में कर चुके हैं। इन संस्थाओं का कार्य जितना महत्वपूर्ण है, हम उसका अनुभव ठीक ठीक नहीं करते। किन्तु वास्तव में हमारी दैनिक जीवन-यात्रा की छोटी-मोटी व्यवस्थाओं का भार इन्हीं स्वशासन संस्थाओं पर है। ये हमारे पीने के जल, खाने की वस्तुओं तथा रहने के स्थानों की स्वच्छता तथा उत्तमता की व्यवस्था करती हैं।

हम प्रायः भूल जाते हैं कि राष्ट्र का भविष्य, वर्तमान काल के शिशुओं पर अबलंबित है। हम देखते हैं कि आजकल हमारे देश के बच्चे स्वास्थ्य तथा उल्लास का सुयोग नहीं पाते हैं। इन्हे न भरपेट पौष्टिक भोजन मिलता है न पहनने के कपड़े, फिर शिक्षा की तो बात ही क्या! इन अभावप्रस्तं अस्वस्थ तथा अशिक्षित बच्चों के हारा स्वस्थ, सदल तथा उन्नतिशील राष्ट्र का निर्माण असम्भव है। अतः अब वह समय आ गया है जब हमें राष्ट्रोन्नति के लिये नगर तथा ग्राम संबन्धी कुछ समस्याओं पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना है।

#### नगर-समिति

सभी उन्नतिशील देशों में राष्ट्र का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है, प्रजाकी स्वास्थ्य-रक्षा। किन्तु हमारे देश में नगर इस प्रकार अवस्थित है कि उनमें जनता की रक्षा के लिये विशेष सतर्कतामूलक व्यवस्था करना सभव नहीं है। नगरों के मार्गों तथा आवास-निवासों की सफाई के लिये विभिन्न प्रकार के यत्न किये जाते हैं। इसी उद्देश्य से कई नगर समितियों जन-स्वास्थ्य-अधिनियम बना रखे हैं। इन सब अधिनियमों में, नाली-नालों का निर्माण, जल की व्यवस्था, खाद्यों तथा औषधियोंकी परीक्षा तथा मूल्य नियन्त्रण, कूड़ोंकी सफाई, और आपत्तिजनक व्यवसायों तथा सक्रामक रोगों का नियन्त्रण आदि के सम्बन्ध में विधिया बनाई गई हैं। इनमें मार्ग, बाजार, कसाईखाना, उपचार (पाक) तथा क्रीड़ागान, (प्ल-ग्राउण्ड) कारखाने (निर्माणियों) आदि की मुव्यवस्था सबन्धी विधिया दी गई है।

आज अपने देश में सुपरिकल्पित (वेलप्लान) नगरों तथा पत्तनों (वन्दर गाहों) की बड़ी आवश्यकता है। शहरों की स्वास्थ्य-समस्या के साथ ही नगर वासियों के निवास-स्थान की समस्या जुड़ी हुई है। सच तो यह है कि नगरवासियों के स्वास्थ्य की द्रुत-अवनति का सबसे बड़ा कारण वासस्थान का अभाव है।

### आवास की समस्या

लोक-आवास की समस्या आज देश की बड़ी समस्या है जिसका स्थान अन्य-समस्या के समान ही महत्वपूर्ण है। देश विभाजन के फलस्वरूप लाखों व्यक्तियों के शरणार्थी रूप में आ जाने के कारण यह समस्या और भी जटिल हो गई है। इससे पहले भी हमारे देशके नगरों में आवास-स्थान की कमी थी। मध्यवर्ग तथा गरीबवर्ग के लोगों को एक उपयुक्त स्वास्थ्यकर वासस्थान प्राप्त करने की शक्ति नहीं है। ऐसा कहा जा सकता है कि कलकत्ते के प्रायः दस लाख घरों में जगह की अपेक्षा बहुत अधिक लोग रहते हैं। स्थानाभाव की इस कठिनाई को दूर करने के लिये दम लाख नये भवन बनाने चाहिये। इस विषय में बम्बई की अवस्था और भी बराबर है। स्वास्थ्य-संबंधी सभी नियम-कानूनों को ताक पर रखकर घरों में लोग छुते पड़े हैं। नागपुर, वडोदारावाड़, कानपुर आदि औद्योगिक नगरों को अवस्था भी कुछ बच्ची नहीं है।

औद्योगिक धोरों में प्रायः अमिक तथा अल्पवित श्रेणी के लोग कच्ची वस्तियों में रहते हैं। इन वस्तियों की गन्धगी तथा दुर्बस्था बर्णनातीर है। यह मनुष्यता का कलंक है। यहां के छोटे छोटे परों में हवा तथा प्रकाश का अभाव रहता है। खुली, सैढाठ में भरी तालियों की सफाई कभी नहीं की जाती है। पानी का प्रवन्ध तो और भी अपर्याप्त है। प्रायः सड़कों पर दूर-दूर में पानी का नल रहता है जिनमें से अनेक घरों को पानी लेना पड़ता है।

इन सारी बुराइयों को हटाने के लिये अपने देश में मुपरिकल्पित नगरों की आवश्यकता है। अन्यथा जन स्वास्थ्य की उनति नहीं हो सकेगी।

### नगर परिकल्पना (सिटि प्लानिंग)

तारों में लोकप्राप्त तका जनस्वास्थ्य संवर्धी समस्याओं का उपायान नगर परिकल्पना (प्लानिंग आव द सिटि) के द्वारा हो सकती है। जब कोई नगर

बढ़ रहा हो उस समय यदि नगर-समिति सुविचिन्तित परिकल्पना प्रस्तुत कर उप-नगर बसावें तो प्रचुर मात्रा में रोशनीबाले हवादार भवन बनाये जा सकते हैं। इतना ही नहीं, व्यापारिक क्षेत्रों तथा आवास क्षेत्रों को अलग रखकर जगह-जगह उपवन, खुला मैदान (क्रीड़ागान) आदि की व्यवस्था द्वारा समूर्ण नगर सुन्दरता से सजाया जा सकता है। स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना अत्यावश्यक है। “हमें पर्यास-संभव रोगों का निवारण करना चाहिये, मनुष्यों की आयुर्वृद्धि का प्रयत्न करना चाहिये, मनुष्यों के जीवन को अधिक सुखी तथा अधिक कार्यक्षम बनाने का प्रयत्न करना चाहिये।” आवास-निवास के सम्बन्ध में हमें ध्यान रखना चाहिये कि प्रत्येक परिवार को कुछ न्यूनतम सुख की सुविधायें प्राप्त करने का जन्मसिद्ध अधिकार है।”

हर स्वास्थ्य-अधिकारी (हेल्थ ऑफिसर) का कर्तव्य है कि वह अपने क्षेत्रों में अन्न तथा जल पर सतर्क दृष्टि रखे। इतना ही नहीं, बल्कि कूड़ों की सफाई, हैंजा, यशमा, चेचक, टाइकाइड, यौन-व्याधि आदि सक्रामक रोगों को रोकना तथा इन रोगों से पीड़ितों की चिकित्सा करना भी स्वास्थ्य-अधिकारी का अन्यतम कर्तव्य है। थोड़े दिनों में हमारे देश के स्वास्थ्य-अधिकारियों का ध्यान प्रसूति-कल्याण तथा शिशु-कल्याण की ओर गया है। प्रत्येक नगर समिति जनजीवन की उन्नति के इन सभी कार्यों का उत्तरदायित्व पूर्ण ढंग से निवाह करें; इसके लिये पर्याप्त जन आनंदोलन की आवश्यकता है। हर्यं का विषय है देश की बहुत सी नगर समितियां माताओं के कल्याणार्थ, जो कि राष्ट्र का वास्तविक कल्याण कार्य है, प्रयत्नशील हैं।

## नगर की उन्नति

कलकत्ता, बम्बई, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, दिल्ली आदि प्रमुख नगरों में नगर की उन्नति के लिये एक-एक सिटि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का संघटन हुआ है। पुराने नगरों को सुधार कर नये ढंग का नगर बनाने का कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है। इसके साथ नये बसनेवाले नगरों के लिये, स्वास्थ्य सोन्दर्य दोनों को दृष्टिगत रखकर परिकल्पनायें प्रस्तुत की जाती हैं।

## कलकत्ता इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट

कलकत्ता महानगर की उन्नति के लिये, नगर विस्तार को बढ़ाकर अधिक जनाकांत भाग की जनसंख्या कम करने के लिये, नये राजमार्गों (सड़कों) के निर्माण के लिये तथा उपचन, उद्यान, क्रीड़ागान आदि के निर्माण के द्वारा नगर के सौन्दर्य एवं जनस्वास्थ्य की उन्नति के लिये १९१२ ई० में विधि बनाकर कलकत्ता इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (उन्नति-प्रन्यास) का संघटन किया गया था। बम्बई में इससे पहले ही ट्रस्ट स्थापित हुआ था। पुराने भवनों को तोड़कर नये भवनों के निर्माण कराने का अधिकार ट्रस्ट को दिया गया है। ट्रस्ट गरीब तथा मजदूर वर्ग के लोगों को सस्ते किराये में रहने देने के लिये, प्रन्यास भवनों का निर्माण कर रखता है। प्रन्यास, कल्चर बस्तियों के सुधार के साथ-साथ मजदूर श्रेणी के लिये घरों का निर्माण भी कर रहा है।

## बम्बई इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट

बम्बई इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (उन्नति-प्रन्यास) अधिक प्राचीन है। बम्बई टट की बालुका राजि के कारण ट्रस्ट को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब तो वहाँ के तटों पर समुद्रगर्भ से भूमि का उदार किया गया है। फल स्वस्थ बम्बई पूर्वीय देशों का सबसे मुन्द्र नगर बनाने का प्रयत्न चल रहा है। १९३३ ई० में बम्बई इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को वहाँ के कार्योत्तरितान में सम्मिलित कर दिया गया है।

## नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट

नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने भी नगर की उन्नति में विशेष योगदान किया है। एक उन्नतिशील प्रान्त की राजधानी होने के कारण बड़ी उन्नति हो रही है तथा नये-नये उद्योग-धर्यों का विकास हो रहा है। अतः औद्योगिक नगर की आवश्यकता को लक्ष्य में रखकर ट्रस्ट नगरोन्नति के कार्य में बहुत प्रयत्न कर रहा है।

## पोर्ट ट्रस्ट (पत्तन प्रन्यास)

कलकत्ता, बम्बई, मद्रास आदि भारतीय पत्तनों (बन्दरगाहों) की मुख्य स्वस्थ्य के लिये एक-एक पोर्टट्रस्ट है। पारंपरीय प्रतिनिधि, योरोपीय वाणिज्य

प्रतिनिधि, भारतीय वाणिज्य मण्डल के प्रतिनिधि तथा स्थानीय कार्पोरेशन या नगर-समिति के प्रतिनिधि तथा पोर्ट से संपर्कित रेलवे के प्रतिनिधियों को लेकर पोर्टट्रस्ट का सघटन होता है।

पोर्ट ट्रस्ट के काम है:-पत्तन का कार्य सचालन (माल जहाजों पर चढ़ाना, उनारना आदि) बाहर जानेवाले तथा बाहर से आनेवाले जहाजों (पोतों) को नुस्खिया प्रदान करना तथा वाणिज्य वस्तुओं तथा अन्य वस्तुओं के लिये गोदामों की व्यवस्था करना। जहाजों (पोतों) तथा गोदामों के भाड़े (भाटक) से पोर्ट-ट्रस्ट को प्रचुर बाय होती है।

## खाद्य प्रदाय (फूड सप्लाई)

नगरो में पर्याप्त मात्रा में अन्न पहुंचाना अन्न की परीक्षा द्वारा उसको विनु-दना का निश्चय करना नगर-समितियों का प्रमुख कर्तव्य है।

## दुध-प्रदाय

हमारे देश के नगरों में खासकर बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, नागपुर, पटना, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ आदि बड़े नगरों में दुध (मिल्क सप्लाय) की समस्या बहुत जटिल रूप धारण कर रही है। इन नगरों में दुध दूध तो दुप्राप्य सा हो गया है। जो दूध मिलता है वह रोगाणुओं से पूर्ण तथा अत्यन्त अस्वास्थ्यकर होता है। अतएव नगर समितियोंको ऐसा प्रयत्न करना चाहिये जिससे सस्ते दाम में प्रचुर दूध मिल सके।

## धी और तेल

दूध के मम्बन्ध में जो बातें कही गई हैं, अन्य भोज्य वस्तुओं, विशेषकर धी तथा तेल के सम्बन्ध में वे ही बातें कही जा सकती हैं। अभियंता तेल या धी बाजारों में अप्राप्य है। ये वस्तुये लोक-आहार के आवश्यक अग हैं। इनकी अनुद्दि का फल हमारे लोक-जीवन को रोगी बना रहा है। इसके चलते अतिसार, आब तथा यद्दा आदि बीमारियों का प्रसार बढ़ रहा है।

## अन्य वस्तुयें

उपरोक्त वस्तुओं के अतिरिक्त हरी ताजी शाक-भजी का मिलना अत्यावश्यक है। हमारे देश में बहुत से लोग भांस-मछली भी खाते हैं। उनके लिये ये वस्तुयें आवश्यक अन्न हैं।

## ग्राम समस्यायें

गांवों की प्रधान समस्या ये हैं :—पीने के लिये पीने का पानी, नाली-मोरी की सफाई, नहरें निकालना, स्वास्थ्य तथा निधि की उन्नति तथा ग्रामोद्योग का उत्थान, यातायात की सुविधायें आदि।

## पीने का पानी

हमारे देश के किसी-किसी भाग में जल समस्या बड़ी विकराल है। ऐसे अनेक गाव हैं जहाँ प्राप्तिकाल में पीने भर को जल नहीं मिलता। ग्रामीणों को बहुत दूर से पीने का जल लाना पड़ता है।

इसलिये ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के जल की व्यवस्था अत्यावश्यक है। तालाबों की खुदाई में अधिक व्यय होता है। साथ ही तालाबों के जल के दूषित हो जाने का भय हरदम बना रहता है। इसलिये ऐसे स्थानों में नलकूपों (ट्यूबवेल) का निर्माण अधिक सही तथा उपयोगी होता है।

पहले कहा जा चुका है कि हमारे देश की स्वदासन स्थायें बहुत गर्वाव हैं। उनके पास धन कम तथा काम बहुत अधिक है। यद्यपि वे अपनी भौमित धनिये में कुछ काम करती हैं तथापि इसमें बहुत अधिक तरेककों का जा नक्ती है।

## ग्रामोद्योग

ग्रामोद्योग के विना गांवों की उन्नति असभव है। गाव के लोग अधिकतर बृहिपर्जोति हैं। भूमि का भार बहुत बढ़ गया है। अतः यह आवश्यक है कि दमकारी तथा दूसरे उद्योग-धर्मों का प्रचार किया जाव। इस दिशा में यर्दों-दर्द भभाज में बहुनश्च पाया की जाती है। काश्रेम, समाजवादी तथा द्वूमहे राजनीतिक दलों को गाव की उन्नति के लिये विशेष रूप से यत्न करना चाहिये।

# परिशिष्ट

## राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धान्त

२२ जनवरी १९४७ ई० के भारतीय विधान सभा ने अपने प्रस्ताव द्वारा स्वीकार किया है कि:- "यह सभा भारत को स्वाधीन संवस्ताधारी प्रजातन्त्रात्मक राज्य घोषित करने के लिये तथा भारत के भावी शासन को परिचालना के लिये एक ऐसा शासन-विधान प्रस्तुत करने का दृढ़ तथा पवित्र सकल्प करती है; जिस (विधान) के द्वारा (१) विट्ठा भारत, (२) भारतीय राज्य-सघ, (३) अन्य राज्य, जिन्होंने सघ बना कर या स्वतन्त्र इकाई रूप में भारत संघ में योगदान किया है, तथा योगदान करने की इच्छा प्रकट की है, उन सभी को लेकर एक भारत सघ राज्य संघटित किया जायगा; और उल्लिखित सभी तरह के राज्य (स्टेट्स) उनकी वर्तमान सीमा के अनुसार या इस विधान सभा द्वारा निर्धारित सीमा के अनुसार भावी विधान की विधियों के अन्तर्गत रहते हुये अनिदिष्ट विषय सम्बन्धी अधिकारों के साथ स्वायतशाली शासन (गवर्नेंट) के सभी अधिकारों का उपभोग करेंगे एवं शासन संबन्धी कायदों का अनुष्ठान कर सकेंगे; केवल भारत-सघ के अधिकार में जो शक्तिया रहेगी, या दी जायेगी, या इनसे उद्भूत होगी उन शक्तियों का उपभोग नहीं कर सकेंगे; तथा इस स्वाधीन संघ सत्ताधारी भारत मध्य की तथा सघ के योगदानकारी राज्यों की समस्त शक्ति का उत्स भारत का जन साधारण (आम जनता) होगा; एवं जिस (विधान) के द्वारा भारत सघ के मर्मी स्त्री-पुरुष सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषयों में व्यावका, और मर्यादा तथा मुयोग के विषय में ममता का उपभोग करेंगे; तथा विधान के प्रावधानों के अन्तर्गत रहते हुए प्रत्येक स्त्री-पुरुष को आजीविका, अभिव्यक्ति, विचार, विद्यान पर्म और उपायना की स्वाधीनता का उपभोग करेगा; तथा जिस (विधान) के द्वारा अत्य मध्यकां, अनुमन अनुमूलित जातियां, तथा पददलित जातियों (हरिजनों) की स्वापं रक्षा के लिये योग्य सरकार की व्यवस्था की जायगी; तथा जिस (विधान) के द्वारा, मर्मी मध्य देशों द्वारा स्वीकृत अनरंप्त्रीय विधान के अन्तर्गत रहते

हुए, भारत संघ के क्षेत्रान्तर्गत प्रदेशों की भौगोलिक अखण्डता और उनके सार्वभौम अधिकारों की रक्षा की जायगी; तथा जिस (विधान) के द्वारा यह प्राचीन महादेश पृथ्वी पर अपने गौरव के अनुरूप पद प्राप्त कर सकेगा तथा विश्व शान्ति और मानवता के कल्याण कार्यों में स्वेच्छापूर्वक सहयोग कर सकेगा।

## भारतीय नागरिकों के मूलाधिकार

भारत संघ के प्रत्येक नागरिकों के लिये सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में न्यायसंगत समानाधिकार को लक्ष्य मानकर भारत के विधान की रचना की गई है।

## राजनीतिक अधिकार

राज्य किसी नागरिक के विश्वद धर्म, प्रजाति, जाति, वर्ण तथा लिंग (सेक्स) अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।

सब नागरिकों को अधिकार होगा—

- ( क ) भाषण और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का;
- ( ख ) शान्तिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का,
- ( ग ) पार्द ( एसोसियेशन ) अथवा संघ ( यूनियन ) बनाने का;
- ( घ ) भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में गवाह पर्यटन का,
- ( ङ ) भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने तथा वस जाने का;
- ( च ) संपत्ति की प्राप्ति रक्षा तथा वितरण का;
- ( छ ) कोई व्यवसाय वृत्ति और वाणिज्य अथवा व्यापार का।

## धार्मिक अधिकार

लोक व्यवस्था, शील तथा स्वास्थ्य के नियमों का पालन करते हुए प्रत्येक नागरिक को धर्मविश्वास स्वातंत्र्य तथा किसी भी धर्म को मानने तथा प्रचार करने का समान अधिकार होगा।

प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय अथवा उसके किसी विभाग को—

- ( क ) धार्मिक और परोपकारी कार्यों के लिये संस्थाजारों के स्थापना तथा संधारण का;

( स ) अपने धार्मिक कार्यों सम्बन्धी विषयों के प्रबन्ध का;  
 ( ग ) चल और अचल संपत्ति की प्राप्ति तथा स्वामित्व का; अधिकार होगा ।

## सांस्कृतिक और धैक्षिक अधिकार

( १ ) भारत के किसी भाग के निवासी नागरिकों को, जिनको अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति है, इनके समारक्षण का अधिकार होगा ।

( २ ) पर्म, स मुदाय या भाषा के आधार पर किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग के विहृद सरकारी धैक्षिक संस्था में विभेद का व्यवहार नहीं किया जायगा । अवंघ रीति में कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति से बचित नहीं किया जायगा ।

भारत पृथ्वी के प्राचीनतम राष्ट्रों में से एक है । विभिन्न देशों के साथ इसका सम्बन्ध हजारों वर्ष पहले से था ।

१५ अगस्त १९४९ ई० को स्वाधीन भारत राज्य के दय के दो वर्ष पूरे हुए । इस अल्पकाल में ही भारत ने विश्व के विभिन्न देशों के साथ मौश्री पूर्ण सबन्ध की स्थापना कर ली है ।

## भारत की वैदेशिक नीति

भारत सभी देशों की स्वाधीनता तथा समानाधिकार का पधाराती है । इस योड़े समय में ही भारत ने एशिया, योरोप तथा अमेरिका के विभिन्न राष्ट्रों में मिश्रता स्थापित की है ।

२६ जनवरी १९५० को भारत विश्व के सभी स्वाधीन देशों के समान समस्त सत्ताधारी साधारण तत्र राज हो गया है ।